एकादश माला, खंड 15, अंक 9

सोमवार, 4 अगस्त, 1997
13 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 4 अगस्त, 1997/ 13 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
136	नीचे से 11	श्री मुरलीधर जैना	श्री मुरलीधर जैना
186	14	श्री लिंगराज वल्याल	श्री लिंगराज वल्याल
212	27	(ग) से (ड·) चान परियोजनाओं	(ख), (ग), और (ड·) चार परियोजनाओं
241	नीचे से 8	श्री विजय गोपाल	श्री विजय गोयल

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 9, सोमवार, 4 अगस्त, 1997/13 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 165	1—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 180	25—42
अतारांकित प्रश्न संख्या 1776 से 2005	42—213
सभा पटल पर रखे गए पत्र	213—217
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड की सिफारिशें	
श्री श्रीकांत जेना .	217—218
मुबंई में रेल मंत्री के प्रवेश के बारे में	239—259
नियम 377 के अधीन मामले	259—262
(एक) मोहनलाल गंज, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस बिक्री केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा	259—260
(दो) राजस्थान के सूखा प्रभावित जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में खाद्यान्नों की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल सोनाराम चौधरी	260
(तीन) बिहार में पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सुरसण्ड-सीतागढ़ी-भीट्ठामोड़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री नवल किशोर राय	260—261
(चार) न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार जंक्शन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास	261
(पांच) देश में जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना को पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
कुंवर सर्वराज सिंह	261
(छः) महाराष्ट्र के धारणगांव रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल	261—262
महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव	262—327
श्री जी॰एम॰ बनातवाला	263—267
श्री चित्त बसु	267—272
श्री बृज भूषण तिवारी	272—278

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
श्री मोहन रावले	278—286
श्री इलियास आजमी	286—294
श्री भगवान शंकर रावत	294—299
श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति	300—307
श्री अनन्त गंगाराम गीते	307—314
श्री सुकदेव पासवान	314—317
श्री इन्द्रजीत गुप्त	317—327
बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक	327—332
श्री बसुदेव आचार्य	328—331

लोक सभा वाद - विवाद का

हिन्दी संस्करण

खण्ड - 15

अंक - 9

4 अगस्त

1997

पी.एल.

लोक सभा

सोमवार, 4 अगस्त, 1997/13 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

खाड़ी देशों से पर्यटन को बढ़ावा देना

*161. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाड़ी देशों से पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में खाड़ी देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित कारणों से, खाड़ी देशों से, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने का विस्तृत क्षेत्र है :—

(1) खाड़ी देशों के पर्यटक पारंपरिक रूप से भारत को पसन्द करते हैं। दोनों देशों के व्यापारिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध वर्षों पुराने हैं।

(2) खाड़ी देशों के पर्यटक अधिकतर गर्मी के महीनों (अप्रैल से जून) के दौरान यात्रा करते हैं, जो भारत का आफ सीजन होता है। इससे भी हमें आफ सीजन में होटल अधिभोग को प्रोत्साहित करने और विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीष्म यातायात के संचालन में सहायता मिलती है।

(3) खाड़ी पर्यटकों का यह विचार है कि भारत में उन्हें अपनी करेंसी (धन) का उचित मूल्य मिलता है।

(4) खाड़ी के राज्य वायुयानों द्वारा भारत से भली प्रकार जुड़े हुए हैं और खाड़ी राज्यों से भारत में पहुंचने में समय भी बहुत अधिक नहीं लगता।

(5) खाड़ी देशों के पर्यटक खरीददारी करने के बहुत शौकीन होते हैं और भारत उनके लिए वस्तुएं खरीदने और सेवाओं के लिए उत्कृष्ट अवसरों की पेशकश करता है।

(ग) प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग करके, स्थानीय भाषा में प्रचार सामग्री मुहैया कराके, संभावित यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित करके, टुअर आपरेटरों और यात्रा अभिकर्ताओं को सहायता प्रदान करके तथा सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन करके एवं पर्यटन और यात्रा मेलों आदि में भागीदारी आदि के माध्यम से एक आयोजित विपणन और ज्ञापन नीति द्वारा भारत में खाड़ी पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मेरे सवाल हैं, इसलिये मुझे आपकी सहानुभूति चाहिये। मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करें कि वर्ष 1994-95, 1995-96 में कुल कितने पर्यटक खाड़ी देशों से भारत आये, भारत के किन-किन क्षेत्रों में यात्रा करना पसंद किया है तथा पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिये पर्यटक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर और चन्देरी के ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सौन्दर्यपूर्ण स्थलों का और अधिक विकास करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये हैं तथा इस वितीय वर्ष में कितनी धनराशि इन पर्यटक स्थलों के विकास के लिये आबंटित की गई है?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय खाड़ी के देशों से वर्ष 1994-95 में ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी, आप तो हिन्दी में समझा सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब हमारे पास अनुवाद की सुविधा है तब आप वह सुझाव क्यों दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री श्रीकांत जेना : एक लाख 31 हजार 690, 1995 में एक लाख 30 हजार 175, 1996 में एक लाख दो हजार 918 है। यह थोड़ा कम है, इसका परसंटेज इसलिये कम है कि अयोध्या और मुम्बई बंम ब्लास्ट के बाद थोड़ा कम हो गया था। धीरे-धीरे अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है। जहां तक गल्फ के प्रमोशन की बात है, उनके लिये इंडिया टारगेटेड ऐरिया है क्योंकि बारिश के समय शापिंग के लिये ज्यादा लोग वहां से इंडिया आना चाहते हैं। वे ज्यादा हाई स्पैंडर्स भी हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक है तथा भारत में भाषा के नजदीक भी हैं वहां से एअर कनेक्शन अच्छा है, इसलिये वे यहां आना चाहते हैं। वे लोग विशेषकर मुम्बई, गोआ आना चाहते हैं। चूंकि वहां पर ट्रेन नहीं है, इसलिये वे लोग ट्रेन देखने के लिये और उसमें घूमने के लिये अट्रेक्शन है। जब वहां पर समर सीजन और यहां रेनी सीजन शुरू होता है तो उसके लिये हम पेकेज बना रहे हैं। अभी तो एक लाख ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी, मेरे सवाल पर विचार कीजिये।

श्री श्रीकांत जेना : इसलिये पहले एक लाख 30 हजार, फिर दो लाख और अब पांच लाख का टारगेट कर रहे हैं। इसलिये इस साल से डिटेल्ड पैकेज तथा प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह नहीं था। मैं यह जानना चाहता था कि वे भारत के किन-किन क्षेत्रों को पसंद करते हैं और अधिक आकर्षक बनाने के लिये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और चन्देरी के जो ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सोन्दर्यपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उनको विकसित करने के लिये आपने क्या सोचा है? इस वित्तीय कार्य में कितना धन आबंटित किया गया है, यह मेरा मुख्य प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं माननीय मंत्री के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि झांसी के आसपास के मनोरम स्थान और गंतव्यों को जोड़ा जाए। रक्षा मंत्री का भी यह सुझाव था कि झांसी को नैसर्गिक रूप से विकसित किया जाना चाहिए। हम उसमें सुधार कर सकते हैं बशर्ते कि हमें राज्य सरकार से समर्थन प्राप्त हो...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप क्या करने जा रहे हैं, कुछ वचन तो दे दीजिये। हमारे रक्षा मंत्री से पूछ लीजिये कि कितने ऐतिहासिक स्थल हैं जो प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर हैं। मैं आपकी सहानुभूति तथा वचन चाहता हूं।

श्री श्रीकांत जेना : आप अपना सुझाव दे दीजिये, भारत सरकार की ओर से जो कुछ करना होगा, जरूर किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि भारत में खाड़ी देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी का कारण उन क्षेत्रों की दुर्दशा है। जैसे ताजमहल के आसपास गंदगी, अजंता-एलोरा की गुफाओं में नमी, गोआ और क्विलोन के बीच में आपराधिक कार्य, पुष्कर में मादक पदार्थों की तस्करी और झीलों में बढ़ता हुआ प्रदूषण। इसके अलावा भारत में खाड़ी देशों के तथा अन्य देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये वर्ष 1995-96, 1996-97 में कुल कितने सेमिनारों का आयोजन किया गया हैं? उन बैठकों में मुख्य-मुख्य कौन-कौन से निर्णय लिये गये हैं तथा विश्व पर्यटक संगठनों के साथ किस प्रकार का तालमेल किया गया है?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : जहां तक उस स्थल के आसपास ताजमहल और अन्य पर्यटक स्थलों का संबंध है...

[हिन्दी]

तो उसमें आपका कहना है कि चारों तरफ गंदगी बढ़ रही है। इसके लिये यदि राज्य सरकार और लोकल म्युनिसिपैलिटी सही ढंग से टूरिज्म की ओर ध्यान दे तो उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मान्यवर, उसमें आपके क्या कर्तव्य हैं?

श्री श्रीकान्त जेना : इसमें, हम केन्द्रीय सरकार से कुछ पैसे की मदद कर सकते हैं, लिटरेचर दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इसका इम्पलीमेंटेशन तो वहां की लोकल अथॉरिटी को करना है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : लेकिन जो केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री श्रीकान्त जेना : जहां तक आर्क्योलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सवाल है वहां भी हम इस विभाग को चिट्ठी लिखते हैं कि तुरंत इसको किया जाए और जो मोनुमेन्ट्स हैं उनके चारों तरफ अगर गंदगी रहेगी तो लोग वहां नहीं आयेंगे। इसके अलावा आपने खाड़ी देशों के बारे में पूछा है कि वहां पर टूरिज्म के प्रोमोशन के लिए क्या-क्या किया गया है, कितनी बैठकें हुई हैं आदि। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दुबई में जो हमारा रीजनल डाइरेक्टर का ऑफिस है उस ऑफिस से हम टूरिज्म प्रोमोशन के लिए मीटिंग आदि कर रहे हैं, वहां एग्जीबीशन वगैरह ले रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान आप विवाद में नहीं जा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि पुष्कर में मादक पदार्थों की तस्करी और अजन्ता एलोरा के आसपास जो प्रदूषण और गंदगी हो रही है उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी स्वीकृति नहीं है। मंत्रीजी आप पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दें और फिर समाप्त करें। प्रश्न काल के दौरान सदस्य ऐसे विवाद में नहीं उलझ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : अभी-अभी हमने जो हमारे ओवरसीज ऑफीसर्स हैं, उनकी एक मीटिंग ली थी। क्योंकि हमारा टारगेट है कि गल्फ कंट्रीज से ज्यादा लोग भारत में आयें। दो सौ से ज्यादा एअर कनेक्शन हमारे गल्फ कंट्रीज के साथ है।

[अनुवाद]

इसका आशय यह है कि खाड़ी के देशों से हम वायु मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हैं। दुबई स्थित हमारा कार्यालय पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है तो उसमें भाग भी ले रहा है। वे पर्यटकों को आकर्षित कर उन्हें पर्यटन संबंधी साहित्य भी उपलब्ध करा रहे हैं। वे पर्यटकों को भारत का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि पर्यटक भारत की अपेक्षा यूरोप जाने के लिए ज्यादा उत्साहित होते हैं। लेकिन जहां तक खाड़ी के देशों का संबंध है तो दक्षिण-पूर्व ऐशिया के देशों में भारत का पहला स्थान है। वे भारत को पंसद करते हैं। लेकिन भारत में हमें उन पर कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे धन व्यय करने के साथ-साथ आराम भी चाहते हैं। वे, विशेषकर मुम्बई, गोवा और सिन्धु दुर्ग में, वर्षा का आनन्द लेना चाहते हैं। वे वर्षा देखना चाहते हैं। हम उस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

कर्नल सोना राम चौधरी : आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जैसलमेर शहर से संबंधित है। यह शहर, विशेषकर अपने किले के लिए विश्व मानचित्र पर अंकित है जिसे विश्व का आठवां आश्चर्य कहा जा सकता है।

यहां पर्यटन की उपेक्षा की जा रही है। वहां कोई अच्छा होटल नहीं है। यद्यपि अब श्री जसवंत सिंह एक होटल बनवा रहे हैं लेकिन वह भी एक तीन-सितारा होटल ही है। वहां के लोग अत्यधिक निर्धन होने के कारण होटल बनाने में असमर्थ हैं। वह शहर हवाई मार्ग से नहीं जुड़ा है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं पर्यटन मंत्री और नागर विमानन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...*(व्यवधान)* चार दिन पूर्व एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था कि वह सर्दी में इस पर विचार करेंगे। लेकिन समय समाप्त होने वाला है और अभी तक कुछ भी ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। होटलों के निर्माण के लिए भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं।

जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है कि खाड़ी के देशों से पर्यटक अप्रैल-जून के माह में यहां आते हैं। उस वक्त तापमान 52 से 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है इसलिए वहां वातानुकूलित होटलों की आवश्यकता है। अनेक पर्यटक, विशेषकर खाड़ी के देशों से इस स्थान पर आना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जैसा कि आप जानते हैं यह क्षेत्र एक रेगिस्तानी तथा अविकसित जिला है। फिर भी यहां कुछ नहीं किया गया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभा को आश्वासन देंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : जैसा कि आप जानते हैं कि अब जैसलमेर का किला पर्यटकों के लिए एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केन्द्र बन गया है और उसे देखने के लिए विदेशी पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं।

हाल ही में ताज ग्रुप, आई॰टी॰सी॰ ग्रुप और ओबेराय ग्रुप को वहां होटलों के निर्माण के लिए भूखंड आबंटित किए गए हैं। जहां तक उड़ान का संबंध है तो इंडियन एयरलाईन्स ने उस स्थान को वायुमार्ग से जोड़ने के लिए सहमत है। मुझे लगता है कि इसमें तीन से चार वर्ष और लगेंगे। लेकिन अततः अब निजी उद्योगों और निजी ग्रुप भी जैसलमेर किले के नजदीक पांच सितारा होटलों का निर्माण करने पर विचार कर रहे हैं।

कर्नल सोना राम चौधरी : महोदय, जैसलमेर के लिए उड़ान में राजनीति खेली जा रही है। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि इसकी उड़ान जैसलमेर तक होगी क्योंकि निहीत स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ लोग इसकी उड़ान को जोधपुर तक ले जाना चाहते जिससे कि जोधपुर में होटलों की दखीलकारी अधिक हो सके?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने पहले ही आश्वासन दिया। मंत्री जी क्या आप फिर से आश्वासन देना चाहेंगे?

श्री श्रीकान्त जेना : मैं निश्चय ही इस बारे में माननीय नागर॰ विमानन मंत्री से बात करूंगा।

श्री पी॰एस॰ गढ़वी : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में उन सभी कारणों का उल्लेख किया जिसके फलस्वरूप खाड़ी देश के पर्यटक भारत की ओर परम्परागत रूप से आकर्षित रहते आये हैं। खाड़ी के देशों के साथ हमारे वर्षों पुराने व्यापारिक संस्कृति तथा ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि गुजरात, विशेषकर कच्छ क्षेत्र, के खाड़ी के देशों के साथ वर्षों पुराने व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।

गुजरात में गीर वन जैसे पर्यटन के अनेक स्थान हैं। इसी तरह कच्छ में समुद्री किनारा आदि जैसे अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है। हाल ही में पांच हजार वर्ष पुरानी हड़प्पा सांस्कृति का धौला वीरा में पता चला है। लेकिन इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कोई अवसंरचनात्मक सुविधाये उपलब्ध नहीं करायी गई है। यद्यपि कच्छ से मुम्बई के बीच पिछले कई वर्षों से सप्ताह में चार दिन उड़ान जारी है किंतु कच्छ के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं। खाड़ी के देशों और अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की जानी चाहिए और मुम्बई और कच्छ के बीच प्रतिदिन एक उड़ान होनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को विकसित करने तथा गुजरात अवसंरचनात्मक सुविधा में उपलब्ध कराने हेतु वह क्या कदम उठा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि नागर विमानन मंत्री से सम्पर्क स्थापित कर वह धौलावीरा में अवसंरचनात्मक सुविधायें विकसित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, जहां तक गुजरात, विशेषकर गुजरात के कच्छ क्षेत्र का संबंध है तो वहां संभावनाएं तो काफी हैं किन्तु इसका अब तक उचित रूप से दोहन नहीं किया गया है। इसका उचित रूप से दोहन करने और खाड़ी के देशों और अन्य क्षेत्रों से जोड़े जाने के लिए राज्य सरकार की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है।

जहां तक वायुसेवा का प्रश्न है तो अहमदाबाद को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और मैं समझता हूं कि खाड़ी के देशों के जहाज अहमदाबाद आएंगे ओर मैं समझता हूं कि नागर विमानन मंत्री...*(व्यवधान)*

श्री पी॰एस॰ गढ़वी : ये उड़ान प्रतिदिन नहीं हो रही है।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं यह सुझाव नागर विमानन मंत्री को भेज दूंगा।

लेकिन जहां तक अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे होटल आदि का संबंध है तो राज्य सरकार को एक अलग नीति प्रस्तुत करनी चाहिए।

हाल ही में, गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी और मुझे पता चला कि उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए वह काफी रुचि ले रहे हैं जिससे पर्यटन को विकसित किया जा सके।

[हिन्दी]

एल पी जी कनेक्शन

\+

*162. **डा॰ अरविन्द शर्मा :**

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीस हजार और इससे अधिक की आबादी वाले सभी कस्बों और शहरों को एल पी जी कनेक्शन देने का निर्णय लिया है तथा ऐसे कस्बों और शहरों के निवासियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्यवार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये हैं तथा उनमें से कितने लोगों को एल पी जी कनेक्शन जारी किये गये हैं और कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदनकर्त्ताओं को एल पी जी कनेक्शन कब तक दे दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार वन आधारित ईंधन के प्रयोग के कारण बिगड़ते पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से उन अनेक आवेदनकर्त्ताओं को एल पी जी कनेक्शन देने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है, जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। वर्तमान में, देश में गैस की आपूर्ति के लिए वर्ष 1990-91 की जनगणना के अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों/बाजारों को शामिल किया गया है। भावी ग्राहक विद्यमान एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अथवा इन क्षेत्रों में खोली जा रही नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पास नए एल पी जी कनेक्शन के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

(ख) और (ग) एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र सरकार द्वारा आमंत्रित अथवा प्राप्त नहीं किए जाते हैं। भावी ग्राहकों को अपने आप को एल पी जी वितरकों के पास पंजीकृत करवाना होता है तथा उन्हें इन एल पी जी वितरकों द्वारा एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) और (ङ) दिनांक 1 अप्रैल, 1997 को देश में विद्यमान एल पी जी ग्राहक संख्या 293 लाख है तथा 141 लाख लोग प्रतीक्षा सूची पर है। उत्पाद उपलब्धता होने पर, एल पी जी कनेक्शन वार्षिक नामांकन योजना के माध्यम से नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियत वरीयताओं के अनुसार कनेक्शन जारी करने के अलावा, ऐसे सभी पात्र लोगों को एल पी जी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है जो 1 जनवरी, 1991 से पहले से प्रतीक्षा सूची पर है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों तथा ताज ट्रेपेजियम को वरीयता देते हुए एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एल पी जी सुविधा का विस्तार करने के प्रयास जारी है। वर्ष 2001-2002 तक कुल प्रतीक्षा सूची निपटा लेने तथा मांग पर कनेक्शन जारी करने की योजना है।

डा॰ अरविन्द शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को, कन्ज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए एल॰पी॰जी॰ कनेक्शन्स दिए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सलैक्शन का काम ऑयल सलैक्शन बोर्ड के द्वारा होता है लेकिन पिछले फरवरी-मार्च, 1996 से ऑयल सलैक्शन बोर्ड का पुनर्गठन नहीं हुआ है, जिसके कारण तकरीबन तीन-चार हजार एप्लीकेशन्स अभी पैंडिंग हैं जिन्हें गैस एजेन्सी दी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि एक ओर सरकार ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के उत्थान की बातें कर रही है लेकिन दूसरी ओर तीन-चार हजार एप्लीकेशन्स ऑयल सलैक्शन बोर्ड के पास पैंडिंग हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि ऑयल सलैक्शन बोर्ड का पुनर्गठन कब तक कर लिया जाएगा और इस काम में अब तक जो देरी हुई है, उसके क्या कारण हैं?

मेरा इसी से संबंधित सवाल यह है कि पिछले ऑयल सलैक्शन बोर्ड में जो घपले हुए, हेरा-फेरी हुई, क्या उसकी वजह से नए ऑयल सलैक्शन बोर्ड के गठन में देरी नहीं हुई है? मैं चाहता हूं कि सरकार सदन को बताए कि किन कारणों से ऑयल सलैक्शन बोर्ड का अब तक पुनर्गठन नहीं किया गया है? यदि पिछले बोर्ड में कुछ गड़बड़ी या घपले की शिकायतें रहीं हैं तो दोबारा ऑयल सलैक्शन बोर्ड के पुनर्गठन से पहले, क्या इस सदन को विश्वास में लिया जाएगा क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि अब इसका क्राइटेरिया डिफरैंट कर दिया गया है, अब उसमें दो जनरल मैनेजर्स बनाए जाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि ऑयल सलैक्शन बोर्ड का पुनर्गठन करते समय सदन को विश्वास में लिया जाएगा या नहीं, सरकार इसे स्पष्ट करे।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों ऑयल सलैक्शन बोर्ड को लेकर काफी विवाद हुआ था। बातें अदालत में

भी गई थी। इसलिए इस सरकार ने श्री देवेगौडा जी के जमाने में कुछ दिशा निर्देश दिये। वह उस समय प्रधान मंत्री भी थे और पेट्रोलियम मंत्री भी थे। उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में दो आयल कंपनियों के डिप्टी जनरल मैनेजर, इन तीन लोगों का एक आयोग बनाएंगे। जब नयी सरकार बनी तो हमने प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया कि कोई न कोई जनता का आदमी भी रहना चाहिए क्योंकि वह जनता की तकलीफ को समझता है। उन्होंने हमसे कहा कि अभी इसको रोक दो। जो तय हुआ है, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और दो डिप्टी जनरल मैनेजर, इनकी कमेटी एक हफ्ते के भीतर हम बना देंगे और जब प्रधान मंत्री जी के यहां से स्वीकृति मिल जाएगी कि जनता का एक आदमी भी रहे तो उसको जोड़ देंगे, यह हम सदन के सामने रखना चाहते हैं।

डा॰ अरविन्द शर्मा : इसमें मापदंड कुछ बदले जा रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है जिसमें हम ग्रामीणों और पिछड़े वर्गों की बात भी करते हैं। इस पर सदन में चर्चा हो कि कैसे ये ऑयल सेलेक्शन बोर्ड बनना चाहिए और किस तरह से इसमें ऐसी बातें रखी जाएं।

एल॰पी॰जी॰ के डिस्ट्रिब्यूटर जो ग्राहकों को गैस सिलेण्डर देते हैं, अगर हम सिलेण्डर उनके गोदाम से उठाते हैं तो उसमें हमें ढाई रुपया कम देना पड़ता है, लेकिन कंज्यूमर को बिल्कुल पता नहीं लगता कि उसको ढाई रुपया कम मिलेगा। अभी एक नीला कार्ड बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि अलग से एक रेड कार्ड बनाया जाए। गरीब आदमी को, अननोन आदमी को पता लगे के रेड कार्ड से ढाई रुपया कम पर सेलेण्डर मिलेगा। यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। 3000 गैस ऐप्लीकेण्ट्स का लक्ष्य आप कब तक पूरा करेंगे? सरकार बात करती है कि सन् 2000 तक जिन गांवों में 20,000 की आबादी है, वहां दे देंगे। कहां से दे देंगे जब पिछले डेढ़ साल से ऑयल सेलेक्शन बोर्ड हो नहीं बना है। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इसे नोट कर लिया है।

श्री एन॰एस॰वी॰ चित्‌यन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 1.4.1997 तक 141 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में थे। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य, जो सभा पटल पर रखा गया, में भी कहा था कि 1.1.1991 के पहले जो व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे उन सभी लोगों को एल॰पी॰जी॰ कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि 1.1.1991 तक की प्रतीक्षा सूची कब समाप्त होगी और प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं?

अब मैं अपने प्रश्न के दूसरे भाग पर आता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस सभा और राष्ट्र को एक लुभावनी बात कही है। उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि पूरी प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने और वर्ष 2001–2002 तक मांग के आधार पर कनेक्शन देने की योजना तैयार की गई है। सरकार ने इन सभी प्रतीक्षा सूचियों को समाप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, 1.1.91 से पहले जितनी वेटिंग लिस्ट है, उसके लिए तेल कंपनियों को आदेश दिया गया है कि उनको क्लियर कर दें। जिस किसी का बच जाता है, अगर वह चिट्ठी लिखता है या दरख्वास्त देता है तो भी उसे तत्काल क्लियर कर दिया जाए। हमने यह कहा है कि सन् 2000 तक मांग पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। 1997-98 में तेल कंपनियों की तरफ से यह लक्ष्य बनाया गया है 40 लाख कनेक्शन देने का काम करेंगे और नयी गैस एजेन्सियां भी उसी के हिसाब से खुलेंगी। ये रोजी पिक्चर नहीं है बल्कि हमारे मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है और जिसके हिसाब से काम कर रहा है वह है 1997-98 में 40 लाख।

अध्यक्ष महोदय, 1998-99 में 50 लाख, 1999-2000 में 50 लाख और 2001 से 2002 में 20 लाख गैस कनैक्शन देने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि मांग के आधार पर गैस सप्लाई कर सकेंगे।

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो नई गैस एजेंसी देने की लंबी सूची है, जिसके बारे में अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में मंत्रालय में आवेदन विचाराधीन हैं। जो पुरानी गैस एजेंसी हैं उनके माध्यम से सरकार ने यह निर्धारित किया है कि चार हजार रुपए देने से उसको गैस कनैक्शन मिल जाएगा। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार से तो ग्रामीण क्षेत्र में गैस कनैक्शन कभी नहीं मिल सकेंगे क्योंकि नई गैस एजेंसी वहां खुलेगी नहीं और 20 हजार या उससे ज्यादा की जनसंख्या वाला कस्बा ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा नहीं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बार-बार कहता रहा हूं कि पंचायत समिति लैवल पर एक गैस एजेंसी होनी चाहिए क्योंकि जंगलों का बिलकुल नाश हो गया है। लकड़ी काटने पर वन विभाग ने बिलकुल पाबंदी लगा दी है। ईंधन मिल नहीं रहा है। वैसे भी लकड़ी बची नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को इस खाना पकाने की गैस का कैसे लाभ मिलेगा? मंत्री महोदय ने जैसा बताया है कि सन् 2000 तक सभी को गैस उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो मैं समझता हूं कि यह सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध हो सकेगी और ग्रामीण क्षेत्र इससे वंचित रह जाएंगे जबकि हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं। उनको इन गैस एजेंसियों से कोई लाभ अभी भी नहीं मिल रहा है और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है आगे भी इस देश के सिर्फ 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के लोगों को ही इन गैस एजेंसियों का लाभ मिलेगा। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मेरे इस सुझाव को स्वीकार करें कि देश में हर पंचायत समिति में एक एल॰पी॰जी॰ की गैस एजेंसी खोल दी जाएगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एल॰पी॰जी॰ सुलभता से उपलब्ध हो सके।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जो कस्बा 20 हजार की आबादी से ऊपर होगा, उसको केन्द्र मानकर और उसके 15 किलोमीटर आसपास के इलाके को लेकर गैस एजेंसी खोलने का हमारा विचार था। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि उतने के बाद भी वह गैस एजेंसी वाएबल होगी या नहीं, क्योंकि कितने लोग गैस लेंगे, यह कहना मुश्किल है। इसलिए भारत सरकार ने अब तय किया है कि 10 हजार की आबादी के कस्बे या गांवों को केन्द्र-बिन्दु मानकर 15 किलोमीटर के इलाके को लेकर प्रयास किया जाएगा कि एक गैस एजेंसी खोली जाए। उसका दायरा थोड़ा और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि गांव की आबादी कम होती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि गांव के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा और पेड़ों की कटाई बंद हो गई है। इसमें पर्यावरण का सवाल आया है। मैं उनको इस बारे में बता दूं कि सबसे पहले सरकार ने तय किया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें दो हजार फुट से ऊपर के इलाके हैं, वहां पर गैस मांग पर तत्काल दी जाए, इस बात का निर्णय लिया गया है और जो कुछ वेटिंग लिस्ट है, उसको क्लीयर कर दिया जाए। मुझे आशा है कि वह इस साल में क्लीयर हो जाएगी क्योंकि वहां लकड़ी की उपलब्धता न होने का सबसे बड़ा सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो ताजमहल है, जो बहुत खूबसूरत जगह में बना है। उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, ताकि धुएं से उसके सौंदर्य को ज्यादा हानि न हो, सरकार ने आदेश दिया है कि तत्काल मांग पर उसके आसपास के इलाके को गैस सप्लाई की जाए और की जा रही है।

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आगरा से सांसद हूं और मैंने इसीलिए बोलने के लिए हाथ उठाया था। माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है वह सत्य नहीं है। केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है और ताज संरक्षित क्षेत्र में एल॰पी॰जी॰ के कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं तथा न ही ग्रामीण अंचल में मिल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, रावत जी, ऐसे नहीं होता है। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि देश भर में गैस एजेंसियां एल॰पी॰जी॰ के लिए प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को बहुत परेशान कर रही हैं और उनका प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को जो सूचना देने का जो तरीका है वह बहुत ही गलत और त्रुटिपूर्ण है और व्यवहार में देखने में यह आ रहा है कि उनको समय पर सूचना नहीं दी जाती है जिससे वे एल॰पी॰जी॰ का कनैक्शन लेने में असफल हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान सागर में एल॰पी॰जी॰ की गैस एजेंसियों के मालिकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां इस बारे में बहुत अनियमितताएं बरती जा रही हैं। प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को सूचना समय पर नहीं दी जाती है और जब समय निकल जाता है और उपभोक्ता जब यह जानकारी करने के लिए एजेंसी के पास जाता है, तो उनसे कह दिया जाता है कि तुम्हारा सीरियल नंबर (क्रमांक) निकल चुका है।

अभी वर्तमान में सागर में 17 हजार क्रमांक तक के गैस एजेंसी की प्रतीक्षारत सूची है। एजेंसी के माध्यम से उस क्रमांक के अलावा और कनेक्शन दिये जा रहे हैं। विगत में जो 12 हजार क्रमांक के प्रतीक्षारत उपभोक्ता थे उनको यह कहकर टाल दिया जाता है कि आपका क्रमांक जा चुका है, लेप्स हो चुका है। वहां पर इस तरह की अनियमिततायें उपभोक्ता के साथ बरती जा रही हैं। साथ ही साथ जब वे कनेक्शन लेने जाते हैं तो उनसे 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक ब्लैक में मांगते हैं और इस संबंध में शिकायत करने पर भी गैस एजेंसी के मालिकों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन अनियमितताओं को, इन त्रुटियों को ठीक करने के संबंध में आप क्या पहल करने जा रहे हैं?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, गैस आबंटन में जो कोई भी अनियमितता होती है, उस पर विभाग या संबंधित कम्पनियां कार्यवाही करती हैं। माननीय सदस्य ने सागर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में शिकायत की है। अगर वे इसके बारे में लिखकर दे दें तो उसको कार्यवाही के लिए भेज दिया जायेगा।

श्रीमती भगवती देवी : अध्यक्ष महोदय, जंगल पर जंगली आदमी को बोलने दिया जाये और मैं जंगली आदमी हूं। शहर में हरिजनों...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां पर भाषण नहीं देना है बल्कि सवाल पूछना है।

श्रीमती भगवती देवी : शहर में हरिजनों और लेबरों की गुजर नहीं है क्योंकि आप उनकी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ देते हैं। जंगल में यही नतीजा है। जंगल से भी हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ों को निकाला जा रहा है। आप गरीबों को समुद्र में डूबा दीजिए तो कोई हर्ज नहीं है। जंगल में लकड़ी काटने से उसकी सुंदरता खराब हो जाती है। वहां गरीबों को लकड़ी काटकर बेचने के अलावा और कोई आधार नहीं है। इसलिए गरीबों को जंगल से भी हटाने को कहा जाता है। शहर सुंदर नहीं है वहां गंदगी है। इसलिए गंदगी के चलते गरीबों की झुग्गी को आप तोड़ रहे हैं।

मेरा कहना है कि जितने भी गरीब हैं, उन सबको आप समुद्र में रख दीजिए। इससे उनका बड़े लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जब मकान बनाने की बात आती है तो गरीबों को बुला लो।...*(व्यवधान)* गैस का भी यही हाल है, जंगल में तो हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो फिर हम गैस की बात क्यों करें? अब उनको लकड़ी भी नहीं काटने दी जाती। चारों तरफ से गरीबों पर हमला हो रहा है। इस हमले से हम कसे बचेंगे? इसकी चिन्ता हमें दिन-रात बनी हुई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्रीमती भगवती देवी : गरीब लोग चुन-चुनकर लकड़ी लाते हैं और जलाते हैं। जब आप गरीबों को फ्री में गैस देंगे तभी जंगल बच सकता है। अगर फ्री में नहीं देंगे तो हम चोरी करेंगे। फिर आप चाहे जो कहें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बैठिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ तो जवाब दीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल 10 लाख गैस कनेक्शन देने का फैसला सरकार ने किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 163, डा॰ असीम बाला। मैं सभी को अनुमति नहीं दे सकता हूं। सभा में और प्रश्न भी हैं। पैंतीस प्रश्न पहले ही पूरे हो चुके हैं और दो प्रश्न और हो गये। डा॰ असीम बाला

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। आप एक प्रश्न के लिए एक घंटा नहीं ले सकते हैं। अन्य प्रश्नों का भी समान महत्व है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया आप उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के मैम्बरों को गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है जबकि राज्य सभा के मैम्बरों को गैस कनेक्शन दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

(व्यवधान)

प्रश्न-पत्रों का लीक होना

\+

*163. **डा॰ असीम बाला :**

श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों के लीक हो जाने की बहुत ज्यादा घटनाओं के संबंध में कोई जांच कराने के आदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(ग) भविष्य में प्रश्न-पत्रों के लीक होने की ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा इस वर्ष आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र, कथित लीक होने के मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है। दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग और अन्य निकायों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए हैं।

डा॰ असीम बाला : महोदय, प्रश्न पत्रों का लीक हो जाना एक राष्ट्रीय समस्या और महत्वपूर्ण भी है। अधिकांश राज्यों में, प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और इस अपराध के लिए कोई भी उपाय नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरों और जांच ब्यूरों की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित जांच स्वागत योग्य है। लेकिन महोदय, सम्पूर्ण संगठन इसमें बड़े पैमाने पर शामिल है और सुरक्षा उपायों की कोई गारंटी नहीं है। शिक्षक अधिकतर परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र तैयार करते हैं जिसका वे व्यक्तिगत रूप से शिक्षण भी देते हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली के बदलकर एक प्रश्न बैंक बनाने पर विचार कर रही है।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इतिहास में पहली बार प्रश्न-पत्र लीक हुए और परीक्षा रद्द हुई। पुनः परीक्षा हुई और परीक्षा परिणाम शीघ्र ही आने वाला है। छुट्टियां कम करके विद्यार्थियों के नष्ट समय की भरपाई की जाएगी। इस सभा में इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रश्न-पत्रों का सार्वजनिक होना एक गम्भीर मामला है और इसीलिए सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरों को जांच का आदेश दिया। सरकार अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही करेगी।

डा॰ असीम बाला : यह मात्र कहने का प्रश्न नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों और जांच ब्यूरों की जांच चल रही है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है। इसलिए, इस समस्या के समाधान के लिए मैंने अपने प्रश्न में प्रश्न बैंक बनाने का सुझाव भी दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली को बदलकर एक प्रश्न बैंक बनाने के मेरे सुझाव को मान रही है या नहीं?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, माननीय सदस्य सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली को बदलने की बात कह रहे हैं। यह एक सुझाव है और सरकार ने इसको नोट कर लिया है।

डा॰ असीम बाला : क्या सरकार निजी शिक्षण, घर पर निजी तौर पर पढ़ाना और निजी ट्यूशन के विरुद्ध कोई विधेयक लाने जा रही है?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, पिछली बार भी इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए निजी शिक्षण को बंद करना है। इस दिशा में, सरकार ने कुछ उपाय सोचें है जो इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाएंगे।

डा॰ असीम बाला : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे एक विधेयक के रूप में लाएगी।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, इस समय मैं यह नहीं कह सकता हूं कि सरकार विधेयक ला रही है या नहीं।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। मंत्री जी ने सभा में बताया है कि दिल्ली इन्जीनियरिंग कालेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक नहीं हुए। यदि ऐसा है तो इसकी पुनः परीक्षा क्यों हो रही है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैं सोचता हूं इसमें समस्या है।

अब मैं पूरक प्रश्न पर आता हूं। प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रश्नों-पत्रों का सार्वजनिक होना एक संक्रमण रोग बन गया है।

महोदय, देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक प्रधान संस्थान है जहां यह संक्रमण नहीं फैला। लेकिन अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संयुक्त भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र के लीक होने का मामला है। बिहार और उत्तर प्रदेश में यह हुए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ और पटना दो महत्वपूर्ण केन्द्र है...*(व्यवधान)* निजी शिक्षण कक्षाएं चलाने वाले और वे लोग जो संयुक्त भर्ती परीक्षा के आयोजन में शामिल है का घनिष्ठ संबंध बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से चुने गए लोगों का प्रीमियम बहुत ऊंचा है। यह स्वागत योग्य है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच के आदेश दिये गये हैं। लेकिन, विशेषरूप से निजी शिक्षण कक्षाएं चलाने वाले और आयोजकों के बीच की घनिष्ठता की जांच की जानी चाहिए और वह भी अति शीघ्र।

इस लीकेज के कारण बहुत से अभिभावकों को बहुत परेशानी हुई। इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार निजी कक्षाओं, विशेषकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य परीक्षाओं, के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रणाली आरम्भ करने पर विचार कर रही है। यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

दूसरा एक सुझाव यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के समान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भी प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जाए और फिर सीमित केन्द्रों पर सीमित संख्या में अन्तिम परीक्षा का आयोजन किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि अधिक केन्द्र होंगे तो यह समस्या खड़ी होगी।

मेरे प्रश्न के ये दो भाग हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, इसमें कई प्रकार की आशंकाएं हैं। जहां तक इस विशेष मुद्दे का संबंध है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परीक्षा आरम्भ होने के एक दिन पहले प्रश्न-पत्र भेजे जाते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह उनके लिए पर्याप्त है।

श्री श्रीकान्त जेना : लेकिन इस बार मई दिवस को ध्यान में रखते और दूसरे दिन बन्द होने के कारण पटना और लखनऊ परीक्षा केन्द्रों को दो दिन पहले प्रश्न-पत्र भेजे गये थे। सरकार यह नहीं कह सकती कि प्रश्न-पत्र केन्द्रों से लीक हुए या नहीं। जब तक कि जांच पूरी न हो तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि प्रश्न पत्र उसी केन्द्र से लीक हुए थे। यह सभी के लिए विशेषरूप से ऐसे छात्र और माता-पिता जो वास्तव में गम्भीर और वित्तीय समस्याओं का वास्तव में सामना किया था, के लिए चिंता का विषय है क्योंकि छात्रों को दूसरी बार परीक्षा में बैठना होगा और इससे उनका समय व्यर्थ होता है। इसी कारण सरकार ने उन्हें जांच पड़ताल का निर्देश दिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राधिकारी भी अचंभित हैं कि यह कैसे संभव हो पाया। पिछले तीस वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की विश्वसनीयता भी उनकी चिंता का विषय है। इसीलिए वे भी त्रुटिरहित उपायों को अपनाने की दिशा में कार्य कर रहे है जिससे कि ऐसी घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो पाए।

[अनुवाद]

जहां तक दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग की पुनः परीक्षा का संबंध है, प्रश्न पत्र वास्तव में लीक नहीं हुआ था। वास्तव में, एक छात्र के पास प्रश्न पत्र के साथ उत्तर पुस्तिका भी संलग्न पाई गई थी। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र लीक हुआ था। प्रश्न पत्रों में कुछ मुद्रण संबंधी गलतियां भी थी। इसीलिए इस मामले की जांच कर रही एक सदस्यीय समिति ने यह सिफारिश की थी कि इसे रद्द किया जाए और पुनः परीक्षा ली जाए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, उन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया कि क्या प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : वह एक सुझाव है। मैं समझता हूं कि सरकार निश्चय ही उस सुझाव पर ध्यान देगी।

श्री श्रीकान्त जेना : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, आपके दोनों प्रश्न नहीं थे बल्कि वे सुझाव थे—एक जांच एजेंसी के लिए तथा दूसरा सरकार के लिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, आई॰आई॰टी॰ में जो घटना हुई है, वह आई॰आई॰टी॰ में पहली बार हो सकती है, किन्तु केन्द्र सरकार का ध्यान इस बार बाकी विश्वविद्यालयों पर भी गया होगा, जहां समय-समय पर यह लीकेज होती रहती है। आई॰आई॰टी॰ के अन्दर जब दोबारा एग्जाम लिया गया, तब तक कुछ बच्चे दूसरी जगह पर

दाखिले ले चुके थे। अब वे बच्चे चाहते हैं कि दोबारा उनको आई॰आई॰टी में दाखिला मिले या उनमें से नहीं मिला या उधर से जो सीटें खाली हो रही हैं, उनमें जो धांधलेबाजी हो रही है, मुझे लगता है, क्या सरकार इसके लिए ग्रिवांस सैल सैट–अप करेगी, जो कि इस बात को देखे कि इस दोबारा एग्जामिनेशन होने से जो लीकेज ऑफ पेपर हुआ, उसके कारण जो दोबारा एग्जामिनेशन आपने किया, उसके कारण जो सही विश्वविद्यालयों को आई॰आई॰टी॰ में दाखिला नहीं मिल सका, उनको कैसे दाखिला मिल सकेगा?

मैंने पिछले तीन सैशन से इस विषय के अन्दर एक क्वश्चन लगाया था, जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्दर ट्यूटोरियल क्लासेज नहीं हो रही हैं। तीनों बार जवाब यह आया है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसके कारण प्राइवेट कोचिंग वाला जो फिनोमिना है, यह सारा का सारा बढ़ रहा है। क्या मंत्री जी जवाब देंगे कि पिछले तीन बार से इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 18 क्लासें एक प्राध्यापक को लेनी पड़ती हैं, उनमें से नौ क्लासें तो टीचर्स आफिशयली ले नहीं रहे? इसलिए मैं मंत्री जी से दोनों जानकारी लेना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग विषय है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं समझता हूं कि दोनों प्रश्न एक सुझाव के रूप में हैं तथा सरकार ने यह बात नोट कर ली है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों का निर्माण

\+

***164. श्री राजाभाऊ ठाकरे :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्गों तथा पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया;

(ख) क्या इन राजमार्गों/पुलों के निर्माण हेतु शुरू किए गए कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माणाधीन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। भूमि के अधिग्रहण में समस्याओं, सुविधाओं के स्थानांतरण में विलम्ब, स्थल परिस्थितियों के कारण क्षेत्र में परिवर्तन, अभूतपूर्व बाढ़, संविदात्मक असफलताओं और समस्याओं, कानूनी विवादों, न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों, पर्याप्त निधियां प्राप्त न होने आदि के कारण कुछ चालू कार्यों में विलम्ब हुआ है।

(घ) ये कार्य निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और लगभग सन् 2000 तक चरणों में पूरे कर लिए जाएंगे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू/पूरे किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों कार्यों की स्थिति दर्शाने वाली राज्य वार सूची

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	आठवीं योजना के दौरान चालू कार्यों की संख्या	आठवीं योजना के दौरान पूरे किए गए कार्यों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	220	154
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	4
3.	असम	159	79
4.	बिहार	206	119
5.	चंडीगढ़	6	2
6.	दिल्ली	21	14
7.	गोवा	50	24
8.	गुजरात	246	160
9.	हरियाणा	76	49
10.	हिमाचल प्रदेश	175	95
11.	जम्मू एवं कश्मीर	4	2
12.	कर्नाटक	130	59
13.	केरल	131	74
14.	मध्य प्रदेश	183	97
15.	महाराष्ट्र	260	170
16.	मणिपुर	94	54
17.	मेघालय	119	86
18.	नागालैंड	14	7
19.	उड़ीसा	215	120
20.	पांडिचेरी	8	2
21.	पंजाब	96	66
22.	राजस्थान	176	92
23.	तमिलनाडु	230	143
24.	उत्तर प्रदेश	255	164
25.	पश्चिम बंगाल	187	105
	जोड़	3275	1941

[हिन्दी]

श्री राजाभाऊ ठाकरे : अध्यक्ष महोदय, देश को आजादी मिले पचास साल हो रहे हैं। इस देश में आदिवासी क्षेत्र अभी तक अविकसित है। वहां के आदिवासियों को विकास के फायदे और लाभ जो मिलने चाहिए, वे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि उन क्षेत्रों में जाने लिए रास्ते नहीं होने के कारण वहां का विकास नहीं हो सका। आप जिस भी नेशनल हाईवे की मंजूरी देते हैं या पैसे की मंजूरी देते हैं, तो क्या आप इन अविकसित क्षेत्रों से गुजरने वाले नेशनल हाईवेज को प्राथमिकता देकर पूरा किया जाए। ऐसी कोई कंडीशन राज्यों के ऊपर लगाते हैं?

[अनुवाद]

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : महोदय, विद्वान सदस्य द्वारा मूल रूप से पूछा गया प्रश्न केवल सामान्य प्रकृति का है। अब वे एक विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई राशि आवंटित की गई है या नहीं। अब अगर कोई विशेष प्रश्न पूछा जाता है तो मैं इसके लिए एक नोटिस चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजाभाऊ ठाकरे : मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 3275 कामों का लक्ष्य था, उसमें से 941 काम पूरे हो गए। बाकी के जो काम बचे हैं, वे सन् 2000 तक पूरा करने की बात कही है। इन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना में काम पूरा न होने की वजह, भूमि का अधिग्रहण न होना, कानूनों के विवादों के कारण, न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दिए जाना और पर्याप्त निधि उपलब्ध न होना बताई है। लेकिन यह भी कहा है कि सन् 2000 तक इनको पूरा करेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या ये अड़चनें सन् 2000 तक दूर हो जाएंगी और बाकी के काम पूरे हो जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : महोदय अड़चने हैं। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित कर दिया है। हम भूमि अधिग्रहण की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। हम अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से कार्य कर रहे हैं जिससे सभी कार्य वर्ष 2001 तक पूरे हो जाएंगे।

श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति : मंत्री जी ने सभी कठिनाइयों का उल्लेख किया है। यह ठीक है। परन्तु इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आप कहते हैं कि आपने भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित कर दिया है परन्तु उपयोगिताओं के स्थानान्तरण में विलम्ब, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, अप्रत्याशित बाढ़, ठेका देने में असफलता तथा निधियों की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है क्या आपके पास पर्याप्त धनराशि है? आप इस देश में क्या आधार भूत ढांचा स्थापित करना चाहते हैं? आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया है? क्या आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई धनराशि वापिस की थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपने कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं? नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए आपका क्या उद्देश्य है? क्या आप नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाले हैं?

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : जहां तक निधियों का संबंध है, माननीय सदस्य और यह सदन इस बात से पूरी तरह अवगत है कि पहली पंचवर्षीय योजना में बजटीय सहायता 1.4 प्रतिशत थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह 0.6 प्रतिशत थी। परन्तु हम 6 डीजल और पेट्रोल पर 5 प्रतिशत उपकर के प्रश्न पर सदन द्वारा पारित संकल्प पर निर्भर कर रहे हैं। यह मामला अभी भी मंत्रिमंडल में लंबित है। अगर यह जारी किया जाता है तो मैं राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में उद्घोषणा कर सकूंगा। अन्यथा जहां तक निधियों की वर्तमान स्थिति का संबंध है, मैं किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की उद्घोषणा नही कर सकता। मैं आशा करता हूं कि यह मंत्रिमंडल द्वारा जारी कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा इसे जारी किए जाने के बाद ही हम राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में कुछ कह सकेंगे।

श्री बी॰आर॰ पाटिल : राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भूमि के अधिग्रहण इत्यादि में कठिनाई के कारण चालू कार्य में विलम्ब हुआ है। मैं बीजापुर और बंगलौर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के संबंध में एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह राजमार्ग चित्रदुर्ग से भी लगता है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पहले ही है। निधियों की अनुपलब्धता के कारण लगभग 100 किलोमीटर लम्बी सड़क काफी खराब स्थिति में है और ऐसी सड़क पर प्रतिदिन हजारों वाहन आते जाते हैं।

महोदय, यह सड़क पिछले 11 वर्षों से आम यातायात के लिए खुली है। कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के बावजूद, राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 13 के लिए पर्याप्त निधियां नहीं प्रदान की गई हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अन्य 100 किलोमीटर लम्बे मार्ग को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान कर रही है या नहीं जिसकी स्थिति काफी खराब है।

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : महोदय, मुख्य प्रश्न सामान्य प्रकृति का है परन्तु एक विशेष राज्य के संबंध में एक खास प्रश्न पूछा गया है। इसलिए, मैं अलग से नोटिस चाहता हूं।

रक्षा बलों में संसाधनों की कमी

\+

***165. डा॰ मुरली मनोहर जोशी :**

श्री सुरेश प्रभु :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों को अपनी वर्तमान और अनुमानित आवश्यकताओं की पूर्ति में संसाधनों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और क्या थल सेनाध्यक्ष ने सरकार का ध्यान धन की कमी की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्षा बलों के लिए धन की आवश्यकता पूरी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) रक्षा के लिए आबंटन राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से उपलब्ध संसाधनों में से किया जाता है। रक्षा सेवाओं के लिए बजट अनुमान 1997-98 में उनकी अनिवार्य अनुरक्षण आवश्यकता तथा आधुनिकीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल 32000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण प्रत्याशित दायित्व को पूरा करने के लिए भी 3620 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय की किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता की पर्याप्त रूप से व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सेना मुख्यालयों के परामर्श से रक्षा सेवाओं के लिए अनिवार्य निधियों की आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए विस्तृत अध्ययन किया है। इस पर सरकार द्वारा पूरी सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी यह सरकार की बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि सवाल कुछ है और जवाब कुछ है। सवाल है :

[अनुवाद]

"क्या रक्षा बलों को अपनी वर्तमान और अनुमानित आवश्यकताओं की पूर्ति में संसाधनों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। थल सेना अध्यक्ष ने सरकार का ध्यान धन की कमी की ओर आकृष्ट किया है"

[हिन्दी]

इसका कहीं जिक्र नहीं है। सच तो यह है कि इस देश के सेनाध्यक्ष ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर इस बारे में आगाह किया कि सेना के पास भारी मात्रा में आर्थिक तंगी है और इससे भारत की प्रतिरक्षा क्षमता की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया कि यह समाचार सारी दुनिया को मालूम है लेकिन आप इसका जवाब नहीं देते कि उन्होंने कुछ ध्यान आकृष्ट किया है या नहीं किया है। किया है तो क्या किया है? कितनी आर्थिक तंगी उनको हो रही है, इसके बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया है। आप इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यह तो आपके बजट आंकड़ों में लिखा ही हुआ है कि 36000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? हमने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब इसमें नहीं है। सवाल कुछ है और जवाब कुछ है। यह तो विचित्र बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि सेना मुख्यालय ने आधुनिकीकरण और उपकरणों की आपूर्ति के लिए 12666.75 करोड़ रुपए मांगे थे और आपके मंत्रालय ने 10024.90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तथा वित्त मंत्रालय ने केवल 7357 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तो एक तरह से करीब-करीब पचास प्रतिशत आपकी सेना की रिक्वॉयरमेंट थी। इसका आधा वित्त मंत्रालय स्वीकृत कर रहा है और वित्त मंत्री जी का बयान है कि वह डिफेंस के लिए जितनी राशि होगी, उतनी राशि आपको देंगे। यह क्या गोरखधंधा है? यह स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है और उसमें सारे सदन की सिफारिश है कि यह धनराशि आपको मिलनी चाहिए। इसमें भी लिखा है कि रिसोर्स क्रंच है। देखिए, मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने यहां तक लिख दिया है :

[अनुवाद]

"वास्तव में सशस्त्र सेना के 1997-98 के प्राकलन में वृद्धि केवल नाममात्र ही है।"

[हिन्दी]

केवल नाम मात्र की वृद्धि की गई है और उन्होंने बार-बार कहा है कि उनको अधिक धनराशि की आवश्यकता है। आपके डिफेंस डिपार्टमेंट ने 4620 करोड़ रुपए आधुनिकीकरण के लिए मांगें हैं और आपको 1279 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस सबकी पृष्ठभूमि में आपके पास रिसोर्स क्रंच है या नहीं? आप इस बात को बताएंगे या नहीं बताएंगे? देश की सेना को जितनी आवश्यकता है, उतने उसको पूरे हथियार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जिस तरह से पाकिस्तान हथियारों की संख्या में वृद्धि कर रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, बस अब समाप्त कीजिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : आप मुझे बताएं कि आपका डिफेंस बजट हर साल जो घट रहा है, या फिर मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और चीन की तुलना में आपके जी॰डी॰पी॰ का कितना प्रतिशत भारत में खर्च किया जा रहा है? उनका प्रतिशत बताएं और अपना प्रतिशत बताएं। उसके बाद बताएं कि भारत की सेनाओं के लिए रिसोर्स क्रंच है या नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं माननीय जोशी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्योंकि सरकार की ओर से बार-बार कहा जाता रहा है कि रक्षा के मामले में देश की एकता और अखण्डता को बचाने के मामले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत गम्भीरता से इस सवाल को उठाकर इस सरकार का और पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है।

जहां तक 32 हजार करोड़ रुपए का सवाल है, जैसा कि पूछा गया है, यह सही है कि 32 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्य जो तीन हजार की बात है, वह तो पांचवें वेतन आयोग पर खर्च

होगा। यह सही है कि सेनाध्यक्षों और हमने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखे हैं और प्रधान मंत्री जी को भी लिखे हैं। उस का कारण था, जब बजट पेश हुआ, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने पूरे सदन को आश्वस्त किया कि रक्षा के लिए जितने हथियार की जरूरत होगी, उसको खरीदने के लिए उतने रुपयों की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। इसी तरह से आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा कि 27-28 हजार रुपए के आसपास बजट मिला था, लेकिन आगे चल कर वह 29 हजार रुपए हो गया। यह हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं, जहां तक रक्षा का सवाल है, जितने रुपयों की आवश्यकता होगी, उसके लिए पैसा दिया जाएगा। जहां तक पत्र लिखने का सवाल है, यह सच है कि पत्र केवल उन्होंने ही नहीं लिखा है, हमने भी लिखा है और हम पूरी तरह से वित्त मंत्रालय और प्रधान मंत्री जी को भी लिख रहे हैं और उनसे प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। साथ ही आगे आने वाली नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमने काफी प्रावधान करने का अनुरोध किया है, जिसका निर्णय बहुत जल्दी होने वाला है।

जहां तक पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में रक्षा पर कितना खर्च होने का सवाल है, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में कम खर्च हो रहा है। आपने पाकिस्तान और चीन के मुकाबले जी॰डी॰पी॰ की बात कही, तो उनका ज्यादा है और आंकड़ों के बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन जहां तक भारत की रक्षा का सवाल है, तो यहां पर 2.44 खर्च हो रहे हैं, जो कि चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कम है। लेकिन नौवीं पंचवर्षीय योजना में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करें और जितने रुपयों की आवश्यकता हो, उनको पूरा किया जाएगा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि आर्थिक अभाव है। नौसेना, वायु सेना और थल सेना के लिए आर्थिक अभाव है। इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। नौसेना का निर्माण करने में बहुत समय लग जाता है। स्टैंडिंग कमेटी की रिर्पाट में आपने लिखा है –

[अनुवाद]

क्षमता के क्षेत्र में भारतीय कैसेक के जहाजों की मालसूची में कमी आ रही है क्योंकि निधियों की कमी के कारण 1986 से अब तक समुद्री जहाजों के घरेलू निर्माण के संबंध में कोई आदेश नहीं मिले हैं। जहां तक पनडुब्बियों का प्रश्न है नौसेना में इस समय उनकी 15 वर्ष की संदर्शी योजना में परिकल्पित पनडुब्बियों की परियोजित क्षमता का लगभग 70 प्रतिशत है। यह प्रतिशतता प्रथम श्रेणी की पनडुब्बियों को हटाए जाने से तथा निर्धारित जांच एवं अन्य पनडुब्बियों इत्यादि की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण से और कम होगी।

[हिन्दी]

ये चीजें एक दिन में नहीं बनती है। अगर आपको नौसेना का विकास करना है, जहाज बनाने हैं, सबमैरीन्स बनाने हैं, तो ये 10-15 दिन या एक-दो महीने में नहीं बनते हैं। यही स्थिति वायुसेना की है। इसी प्रकार हथियार खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर हथियार कब खरीदेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके यहां नौंवी पंचवर्षीय योजना बनी है या नहीं बनी है? स्टेंडिंग कमेटी ने कहा है कि नौंवी पंचवर्षीय योजना आपके यहां अभी फाइनलाइज ही नहीं हुई है। जब योजना फाइनलाइज ही नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं, नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आपका प्लान पूरी तरह से फाइनलाइज हो गया है या नहीं हो गया है? आपकी अंतिम स्वीकृति क्या है, क्या कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और क्या उसके लिए आवश्यक संसाधन की व्यवस्था की जा रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक आर्थिक कठिनाई का सवाल है, यह सच्चाई सभी को स्वीकार करनी पड़ेगी कि देश आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। देश में चाहे जितनी भी रक्षा के मामले में आर्थिक कठिनाइयां हो, उसमें पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डाले। कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इसलिए चिन्ता है क्योंकि पिछले वर्षो में बजट में कुछ कमी आती रही इसलिए वह पूर्ति एक-दो साल में होनी मुश्किल पड़ रही है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस पूर्ति को दो साल के अंदर कर लिया जाए, जो पिछले वर्षों में बजट में कमी आती रही।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुरेश प्रभु जी प्रश्न पूछेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं उन्हें प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने "क्योंकि, क्योंकि" कहकर काफी समय गवां दिया है। उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं।

श्री सुरेश प्रभु : एशिया के 37 देशों में से रक्षा व्यय के क्षेत्र में भारत का स्थान 35वां है। भारत में रक्षा पर किया जाने वाला खर्च प्रति व्यक्ति 8.7 डालर है। इसमें तेजी से कमी आ रही है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान में धरती से आकाश में मार करने वाली मिसाइलें हैं। अमेरिका की 'सिनेट' में पारित नए संशोधन के बाद पाकिस्तान के लिए अमेरिका से हथियार लेना संभव हो गया है। दूसरी तरफ, हम रक्षा पर किया जाने वाला खर्च कम कर रहे हैं। आप कह रहें हैं कि

सरकार ने एक पत्र लिखा है। आप कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। सुरक्षा बलों की ओर से आपको एक पत्र लिखा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया है। आप जो कुछ कहना चाहते थे, कह चुके हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : इस विषय पर एक बहस होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। मंत्री जी इसके लिए सहमत हैं।

श्री राम नाईक : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर नियम-193 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने नौंवी पंचवर्षीय योजना के संबंध में दृष्टिकोण-पत्र पर चर्चा शुरू कर दी है। हम इस सत्र में नौंवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित दृष्टिकोण-पत्र पर चर्चा जारी रखेंगे। यही समय है जब आप ये सभी प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने अभी तक सरकारी कार्य शुरू नहीं किया है। हमारे सामने बहुत सा काम है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

हवाई दुर्घटना का होते-होते बचना

***166. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन :**

श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान उन हवाई दुर्घटनाओं का माह-वार ब्यौरा तथा कारण क्या है जिनमें विमानों की टक्कर होते-होते बची;

(ख) इस संबंध में की गयी जांच का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या किसी ऐसे मामले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उस विमान यातायात नियंत्रक को निलम्बित किया है जिसके निर्देशों के कारण दोनों विमानों की टक्कर हो सकती थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुरक्षा में सुधार करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) पिछले चार महीनों में भारतीय आकाश में विमान दुर्घटना होते-होते बचने की चार घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं। विवरण इस प्रकार है:-

दिनांक	संबंधित एयरलाइनें	कारण
2.4.97	एअर इंडिया और यूनाइटेड एयरलाइंस	वायु निगरानी रडार की घटायी हुई परास, बादलों की मौजूदगी और विमानों के बीच ऊर्ध्व अलगाव देने में नियंत्रक की असफलता।
22.6.97	रोमेनियन एयरलाइंस और गल्फ एयर	दिल्ली विमानपत्तन पर रडार नियंत्रक ने आने वाले रोमानियन विमान को 255 रेडियल पर 17000 फुट तक उतरने का अनुदेश दिया जबकि गल्फ एयर के जाने वाले विमान को उसी रेडियल पर 22000 फुट तक चढ़ने के लिए क्लियर कर दिया रोमानियन उड़ान के कर्मीदल ने अपने विमान पर लगी ट्रैफिक कुलीजन एवायडेंस प्रणाली की सूचना पर अपने उतरने की दर घटा दी।

(ग) और (घ) 2.4.97 की घटना के मामले में विमान यातायात नियंत्रक को जो ड्यूटी पर था, निलम्बित कर दिया गया था।

(ङ) हवा में टक्कर होने से बचने के लिए मुख्यतः ये कदम उठाए गए हैं :—

(1) विमान यातायात नियंत्रकों के व्यवसायिक ज्ञान को अद्यतन रखने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(2) विमान यातायात नियंत्रकों की आवधिक दक्षता जांच।

(3) दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर विमान यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण।

(4) दिक्चालन और संचार और अवतरण सुविधाओं का उचित अनुरक्षण; और

(5) भारतीय आकाश में उड़ने वाले प्रत्येक विमान में समयबद्ध तरीके के अनुसार एसीएएस को अनिवार्य रूप से लगाना।

[हिन्दी]

एयर इंडिया तथा एयर फ्रांस के बीच सहयोग

***167. श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा एयर फ्रांस के साथ तीनों विमान कम्पनियों के बीच "कोड शेयरिंग" में वृद्धि

के लिए एक अधिमान्य वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या-क्या हैं तथा इससे इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया को किस प्रकार लाभ होगा; और

(ग) इससे एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स में यात्रियों की संख्या तथा माल ढुलाई में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है तथा यात्रियों की संख्या तथा माल ढुलाई के रूप में एयर फ्रांस के यातायात में कितनी वृद्धि होगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने एयर फ्रांस के साथ एक सहकारी सेवा करार किया है।

(ख) और (ग) एअर इंडिया द्वारा हस्ताक्षरित करार में, एयर फ्रांस द्वारा एक चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2000 की ग्रीष्म तक 6 अतिरिक्त आवृत्तियों का प्रचालन परिकल्पित है जिसमें एक सहमत मूल्य पर एअर इंडिया को 40 वाई श्रेणी की तथा 4 जे श्रेणी की सीटों के ब्लॉक की अनुमति होगी। इस करार में, एयर फ्रांस की पेरिस से परे अन्य गन्तव्य स्थलों के लिए उड़ानों पर एअर इंडिया की कोड शेयरिंग ओर अधिमान्य रियायती दरें (प्रेफ्रेंशल प्रो-रेट्स) परिकल्पित हैं।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा हस्ताक्षरित करार से दोनों विमानकंपनियों को एक दूसरे की सेवाओं पर टिकटों की बिक्री करने, अधिमान्य रियायती दरों और विनिर्दिष्ट सैक्टरों पर एक दूसरे की सेवाओं पर सीधी चैक-इन संबंधी सुविधाएं मिली हैं। एयर फ्रांस और इंडियन एयरलाइंस प्रचार और अभिवृद्धि अभियानों, विमानचालकों, स्थल तथा केबिन कर्मीदल के प्रशिक्षण तथा विमान अनुरक्षण में सहयोग करने पर भी सहमत हो गए हैं।

इस करार से, एअर इंडिया पेरिस को हब की तरह प्रयोग करते हुए यूरोप और एमस्टर्डम के लिए अपने विमानों से सेवाएं प्रचालित करने के बजाय एअर इंडिया इन बाजारों को 1997-78 की सर्दियों से सप्ताह में तीन बार के आधार पर एयरफ्रांस के साथ कोड-शेयर सेवाओं के माध्यम से सेवित कर सकेगा। सेवाओं के इस विस्तार से केवल एअर इंडिया द्वारा पूर्व में वाहित यातायात की आवश्यकता ही पूरी नहीं होगी बल्कि उसमें वृद्धि भी समाहित हो सकेगी। एअर इंडिया द्वारा अपने विमानों से ज्यूरिख और एमस्टर्डम को प्रचालित सेवाओं को हटाने के कारण इस व्यवस्था के परिणामस्वरूम लागत की भी बचत होगी। भारत-फ्रांस-भारत सैक्टर पर कोड शेयर करने से एअर इंडिया इस मार्ग पर अपने विमान लगाए बिना अपने वहन को भी बढ़ा सकेगा। इस करार से, एअर इंडिया भारत-फ्रांस-भारत सैक्टर पर अपनी कार्गो क्षमता भी बढ़ा सकेगा।

एयर फ्रांस की सेवाओं पर टिकटें बेचने की सुविधा से और टिकट बेचने में सहयोग, प्रचार ओर अभिवृद्धि अभियानों, कार्गो प्रचालनों और फ्रिक्वेंट फलायर कार्यक्रम से इंडियन एयरलाइंस को भी लाभ होगा। रियायती दरों (प्रो-रेट्स) से संबंधित करार से भी एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को लाभ होगा।

[अनुवाद]

मॉक पार्लियामेंट

***168. श्री बी॰के॰ गढ़वी :**

श्री विजय पटेल :

क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्कूली बच्चों के लाभार्थ उनके मंत्रालय द्वारा आयोजित "मॉक पार्लियामेंट" का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने भविष्य के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार तथा नई दिल्ली नगर परिषद के अधीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं की वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में स्थित नवोदय विद्यालयों के लिए एक राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि देश के विभिन्न भागों से चुने गए विश्वविद्यालयों के बीच एक राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाए। इस दिशा में उठाए जाने वाले पहले कदम के रूप में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 26 विश्वविद्यालयों के लिए 14 से 17 जुलाई, 1997 तक एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नही उठता है।

विवरण

देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 1962 में मुंबई में हुए चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा ने यह सिफारिश की गई थी कि सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में "माक पार्लियामेंट" आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। सचेतक. सम्मेलन की उक्त सिफारिश के अनुसरण में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1966 में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के अधीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में "माक पार्लियामेंट" प्रतियोगिताओं की एक योजना आरंभ की गई वर्ष 1972 में भोपाल में आयोजित आठवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा यह सिफारिश की गई कि "माक पालियामेंट" का नाम बदलकर "युवा संसद" रख दिया जाए।

इसके फलस्वरूप, तब से इस योजना का "युवा संसद" योजना का नाम दे दिया गया है।

2. वर्तमान में यह मंत्रालय दो वर्गों में यह प्रतियोगिताएं चला रहा है, पहले वर्ग की प्रतियोगिता शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर परिषद के अधीन उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है और दूसरी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में पूरे देश में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के लिए है।

3. इन दो प्रतियोगिताओं में जिन स्कूल/विद्यालय ने भाग लिया है उनकी संख्या विद्यार्थियों को दिए गए पुरस्कारों की संख्या और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्कूल/विद्यालय के नामों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र॰सं॰	वर्ष	प्रतियोगिता	विद्यालयों की संख्या जिन्होंने भाग लिया	विद्यार्थियों को दिए गए पुरस्कार	स्कूल/विद्यालय जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया
1	2	3	4	5	6
			दिल्ली के विद्यालय और नई दिल्ली नगर परिषद्		
1.	1994-95	उनतीसवीं	50	469	महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, अशोक बिहार, फेज-4 दिल्ली
2.	1995-96	तीसवीं	43	423	-तदैव-
3.	1996-97	इकतीसवीं	54	551	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एंड्रयूज गंज, नई दिल्ली
			केन्द्रीय विद्यालय		
1.	1994-95	सातवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	132	672	केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
2.	1995-96	आठवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	131	692	केन्द्रीय विद्यालय, न॰ 2, आर॰एस॰ कोलाबा, न्यू नेवी नगर, मुंबई
3.	1996-97	नौवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	176	877	केन्द्रीय विद्यालय, डोगरा लाइन्स, मेरठ कैंट (उत्तर प्रदेश)

4. योजना के प्रशंसनीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि इस योजना का देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया जाए और यह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता देकर इस योजना के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन दें। फलस्वरूप, मंत्रालय द्वारा एक वित्तीय सहायता योजना वर्ष 1972-73 में तैयार की गई जिसके अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतियोगिता में सराहनीय अभिनय करने पर विद्यार्थियों, संस्थानों को पुरस्कार/प्रमाण पत्र देने पर हुए खर्च के एक भाग की प्रतिपूर्ति रु॰ 5,000/- की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करके की जाती थी। वर्ष 1993 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ा कर रुपये 10,000/- कर दिया गया। ग्यारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय सहायता को तारीख 16.8.94 से बढ़ाकर रु॰ 25,000/- कर दिया गया है।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार युवा संसद योजना निम्नलिखित 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है:-

1. अरूणाचल प्रदेश
2. बिहार
3. गोवा
4. दिल्ली
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. हिमाचल प्रदेश
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. मेघालय

11. मिजोरम
12. उड़ीसा
13. नागालैंड
14. पाण्डिचेरी
15. पंजाब
16. राजस्थान
17. तमिलनाडु
18. त्रिपुरा
19. उत्तर प्रदेश
20. पश्चिम बंगाल
21. चण्डीगढ़
22. दादर और नागर हवेली

रक्षा संबंधी परियोजनाओं में विलंब

***169. श्री प्रमोद महाजन :**

लेफ्ट॰ जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जुलाई, 1997 के "पायनियर" में प्रकाशित समाचार के अनुसार कुछ एक रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाएं 7 से लेकर 27 वर्षों तक के असाधारण विलंब के कारण खटाई में पड़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप लागत में 5000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; प्रत्येक परियोजनाओं में कितना विलंब हुआ है तथा प्रत्येक परियोजना में कितनी लागत वृद्धि हुई है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) रक्षा संबंधी परियोजनाओं में असाधारण विलंब को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (ग) मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन", हल्का युद्धक वायुयान, 5.56 मि॰मी॰ भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली (इनसास), चालक रहित लक्ष्यभेदी वायुयान उन्नत प्रौद्योगिकी विकास की परियोजनाएं हैं। तथापि विलंब होने के कारण कोई परियोजना रोकी नहीं गई है। स्वदेशी विकास सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, 5.56 मि॰मी॰ भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली और चालकरहित लक्ष्यभेदी वायुयान उत्पादन चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ये उच्च कार्यक्षमता वाली महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियां सशस्त्र सेनाओं को नौवीं योजना के दौरान उपलब्ध हो जाएंगी। हल्का युद्धक वायुयान और उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर परियोजनाएं संतोषजनक ढंग से आगे बढ रही हैं। परियोजना "सी बर्ड" एक निर्माण-परियोजना है और इसका सन् 2005 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। प्रत्येक परियोजना के संबंध में और अधिक जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) रक्षा संबंधी परियोजनाओं में विलंब को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किये गये हैं:-

(1) समवर्ती इन्जीनियरिंग प्रणाली की शुरूआत।

(2) प्रणाली विकास के लिए परियोजना आरंभ करने से पहले प्रौद्योगिकियों/सक्षमताओं का विकास।

(3) बहुस्तरीय परियोजना समीक्षा प्रणाली।

(4) उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित धनराशि-व्यवस्था।

(5) नाजुक प्रौद्योगिकियों/सामग्री/हिस्से-पुर्जों/उप-प्रणालियों, जिन पर विकसित देशों के निर्यात-नियंत्रण सिद्धांतों के तहत रोक लगाई गई है या रोक लगाई जा सकती है, का तेजी से देश में ही विकास।

नई पर्यटन नीति

***170. श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में वर्तमान योजनावधि के दौरान पर्यटन क्षेत्र के लिए पर्याप्त आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति पर विचार करने हेतु हाल ही में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) नई पर्यटन नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों की समितियों तथा विशेषज्ञों के मत पर भी विचार किया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का पर्यटन को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किए जाने का भी विचार है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग को योजना आयोग द्वारा मुहैया कराई गई स्वदेशी बजटीय सहायता 440 करोड़ रु० थी। नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने 1996-97 की दरों पर 560 करोड़ रुपए की स्वदेशी बजटीय सहायता अनुमोदित की है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग को प्रदान की गई राशि राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती। इन निधियों में से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता, उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर मुहैया की जाती है।

(ग) से (छ) अन्य मामलों जैसे संरचनात्मक विकास में राज्य सरकारों की भूमिका, कर-ढ़ांचे को तर्कसंगत बनाने केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन, पारिस्थित की पर्यटन आदि के लिए दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श करने के साथ नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति-1997 पर विचार-विमर्श करने के लिए दिल्ली में 27 जून को राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय पर्यटन नीति को, राज्य सरकार के उपस्थित पर्यटन मंत्रियों ने सामान्यतया स्वीकार किया और अनुमोदित किया। प्रारूप नीति को उद्योग संघों में भी परिचालित किया गया और 26 जून, 1997 को इस पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सुझावों को भी प्रारूप नीति में समाविष्ट किया गया है।

(ज) से (ञ) पर्यटन को संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित करने संबंधी सुझाव पर, राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। सामान्यतः अधिकतर राज्यों ने प्रस्ताव पर सहमति दी लेकिन उन्होंने विषय पर अपने औपचारिक दृष्टिकोण बनाने और विचार करने के लिए और समय लेना चाहा। कुछ राज्य सरकारों ने इस विषय पर अपनी उत्कंठा को जाहिर किया।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन

***171. श्री के॰एस॰ रायुडु :**

डा॰ कृपासिन्धु भोई :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा अर्जन में अब कोई कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन में अनुकूल वृद्धि हुई है। यह उर्ध्वगामी रूख चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह के दौरान भी जारी रहा। इसके ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं:-

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय			
	करोड़ रु॰	प्रतिशत अंतर	यू एस एस मिलियन	प्रतिशत अंतर
1994-95	7365.61	5.7	2347.96	5.7
1995-96	9185.88	24.7	2928.27	24.7
1996-97	10417.57	13.4	3063.97	4.6
1997-98 (अप्रैल-जून)	1977.75	8.2	557.11	3.6

(ङ) विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय. यात्रा बाजार में भाग लेना, यात्रा अभिकर्ताओं/लेखकों आदि के लोकप्रिय टूअरों को बढ़ावा देना, विदेशी यात्रा प्रचालकों को प्रचार सामग्री संबंधी सहायता प्रदान करना, अमेडस कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली पर चित्र दिखाना और इन्टरनैट के माध्यम से और भोजन उत्सव करवाकर प्रचार करना भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए गए प्रयास हैं।

[हिन्दी]

उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में कमी

***172. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता धीरे-धीरे कम हो रही है और इससे मंत्रालय चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय के निर्देशानुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने चालू शिक्षा सत्र को शून्य अनुत्तीर्ण वर्ष घोषित किया है; और

(घ) यदि हां, तो चालू सत्र के दौरान पूर्ण सफलता के लिए मंत्रालय और संगठन द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षा 10 और कक्षा 12 की उत्तीर्ण प्रतिशतता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की औसत उत्तीर्ण प्रतिशतता से हमेशा अधिक रही है। इसके अतिरिक्त, सन् 1997 में केन्द्रीय विद्यालयों के कक्षा 10 और कक्षा 12 के परिणाम उनके 1996 के परिणामों से अपेक्षाकृत काफी अच्छे रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्वयं 1997-98 के लिए "शून्य अनुत्तीर्ण वर्ष" का लक्ष्य रखा है।

(घ) संगठन ने विभिन्न् उपायों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है जिनमें शैक्षिक कार्यकलापों की गहन मानिटरिंग, शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का सुव्यवस्थित सेवाकालीन प्रशिक्षण और सह-पाठयचर्या कार्यकलापों का प्रोत्साहन शामिल हैं।

[अनुवाद]

तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज

***173. श्री बादल चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खासतौर से त्रिपुरा में भूमिगत प्राकृतिक गैस और तेल की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी का नाम क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या यह भी सच है कि त्रिपुरा के कुछ भागों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य किसी विदेशी एजेंसी को भी सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा उनके साथ किए गए समझौतों की शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) त्रिपुरा में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का समुचित उपयोग करने के लिए जिन उद्योगों को स्थापित किया गया है तथा जिन गैस आधारित उद्योगों को स्थापित किया जाना है उनका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) ओ एन जी सी, ओ आई एल और अनेक निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने देश के विभिन्न भागों (अपतटीय सहित) में अन्वेषण क्रियाकलापों (जिनमें सर्वेक्षण भी शामिल है) का संचालन किया है तथा 01.04.96 की स्थिति के अनुसार लगभग 6389.2 मिलियन टन तेल और गैस समतुल्य तेल के स्थानिक भण्डार साबित हुए हैं।

जहां तक त्रिपुरा का संबंध है, ओ एन जी सी 1962 से इस राज्य में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है तथा उसके परिणामस्वरूप 01.04.96 की स्थिति के अनुसार 30.10 बिलियन घन मीटर गैस के स्थानिक भण्डार साबित हुए हैं।

(ग) और (घ) एक अमेरीकन कम्पनी, ओकलैण्ड आयल कम्पनी को 7वें बोली चक्र में ब्लाक ए ए-ओ एन-3 का ठेका दिया गया है। परन्तु अभी तक इस ब्लाक के लिए उत्पादन हिस्सेदारी के इकरारनामें पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ङ) त्रिपुरा में 1.63 एम एम सी एम डी गैस का आबंटन निम्नलिखित इकाइयों को किया गया है:

	(एम एम एस सी एम डी)
*टी एस ई डी, रोखिया	0.6000
*टी एस ई डी, बारामूरा	0.1380
**टी एन जी सी	0.1302
@नीपको रामचन्द्रनगर	0.7500
£सी एन जी (आई बी पी)	0.0160

इन इकाइयों की अनुमानित खपत से, इस राज्य में उपलब्ध गैस का पूर्णतः उपयोग होगा।

* टी एस ई डी – त्रिपुरा राज्य विद्युत विभाग।

* टी एन जी सी – त्रिपुरा नेचुरल गैस कम्पनी लिमिटेड।

@ नीपको – नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन।

£ सी एन जी (आई बी पी) – संपीड़ित प्राकृतिक गैस (आई बी पी)

तेल उद्योग विकास बोर्ड

***174. श्री तरित बरण तोपदार :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) की स्थापना का उद्देश्य क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ओ आई डी बी के अंतर्गत कितना उपकर वसूल किया गया है; और

(ग) उक्त धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में तेल उद्योग के विकास हेतु एक बोर्ड की स्थापना के लिए व्यवस्था है। इस अधिनियम की धारा 2(ट) के अधीन पद "तेल उद्योग" में खनिज तेल के लिए पूर्वेक्षण अथवा अन्वेषण अथवा इसके उत्पादन, शोधन, संसाधन, परिवहन, भण्डारण, संभाल तथा खनिज तेल उत्पादन के विपणन एवं एक तेल रिफाइनरी के सभी डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन और विपणन एवं उर्वरकों तथा पेट्रो रसायनों के उत्पादन के रूप में किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप तथा इनसे सीधे अथवा परोक्ष रूप से जुड़े सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

(ख) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक के दौरान लगभग 8185.57 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल की गई है।

(ग) तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा 16 के अनुसार उपकर पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाना है तथा केन्द्र सरकार इस विषय में विधि के माध्यम से संसद द्वारा किए गए यथोचित विनियोजन के पश्चात उपकर प्राप्तियों में से ऐसी धनराशियों का भुगतान तेल उद्योग विकास बोर्ड को कर सकती है जिन्हें वह तेल उद्योग, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पेट्रोलियम, पेट्रोरसायन तथा उर्वरक सम्मिलित है, के विकास हेतु उपयोग किए

जाने के लिए ठीक समझे। उस सीमा तक जहां यह वसूली तेल उद्योग विकास बोर्ड को सीधे भुगतान की गई धनराशि से अधिक है, यह पेट्रोलियम, पेट्रोरसायन तथा उर्वरक क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए सीधी अथवा परोक्ष बजटीय सहायता देने के लिए सरकारी व्यय को वित्तपोषित करने के लिए एक संसाधन हो जाती है।

भारतीय पत्तन न्यास अधिनियम, 1908

*175. **श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख पत्तनों के समग्र विकास हेतु 18 बिलियन डालर का विदेशी निवेश किए जाने हेतु भारतीय पत्तन न्यास अधिनियम, 1908 में आवश्यक संशोधन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं जिन पर विचार किया जा रहा है;

(ग) इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पत्तन अवसंरचना के विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु मंत्रालय की योजना छोटे पत्तनों के साथ मिलकर बड़े पत्तनों को अपने आधुनिकीकरण के वित्तपोषण हेतु प्रयास करने की अनुमति देने की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस कदम से नौंवी योजनावधि के दौरान निजी भागीदारी से छोटे/मंझोले पत्तनों के विकास हेतु अपेक्षित 2000 करोड़ रु॰ की राशि जुटाने में सहायता मिलेगी;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जायेंगे; और

(छ) पत्तन आधुनिकीकरण के कार्य हेतु किस सीमा तक विदेशी धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) महापत्तन न्यास अधिनियम के उपबंध इस समय महापत्तनों को लघु पत्तनों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति नहीं देते हैं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

मिट्टी के तेल की आपूर्ति

*176. **श्री सुरेश आर॰ जाधव :**

श्री बृज मोहन राम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के लिये मिट्टी के तेल का राज्य-वार कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) ऐसा कोटा निर्धारित करने के लिए मूल मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित मिट्टी के तेल की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) मिट्टी का तेल देश में एक कमी वाला उत्पाद है और इसकी 40 प्रतिशत से अधिक जरूरत आयात के द्वारा पूरी की जाती है। मिट्टी के तेल का आबंटन पिछले रिकार्ड अर्थात् विगत में आबंटन और खपत में अतिरिक्त उपलब्धता में से अनुमत वृद्धि के जोड़ के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त आबंटन के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। परन्तु उत्पाद उपलब्धता और विदेशी मुद्रा की कमी और अपेक्षित भारी राजसहायता के कारण इन राज्यों की मांग संपूर्णतः पूरी करना संभव नहीं हो सका है। मिट्टी के तेल पर भारी राजसहायता दी जाती रही है और इसमें गत वर्षों में वृद्धि होती रही है तथा इस समय यह राजसहायता 5 रुपये प्रति लीटर से अधिक है जो कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बनती है। तो भी 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान गत वर्षों की तुलना में पूरे देश के लिए आबंटन में 3 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। परन्तु प्रति व्यक्ति अपेक्षाकृत कम उपलब्धता वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि और इसके विपरीत अधिक उपलब्धता वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम वृद्धि प्रदान की गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिट्टी तेल का राज्य-वार आबंटन
एस के ओ का आबंटन

(आंकड़े एम॰टी॰ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4
हरियाणा	153992	159468	161040
हिमाचल प्रदेश	40374	42228	58282
जम्मू और कश्मीर	77815	85536	89500
पंजाब	325679	328932	335955
राजस्थान	305612	327344	352370
उत्तर प्रदेश	1015016	1087462	1142082
चंडीगढ़	20928	21132	21372

1	2	3	4
दिल्ली	238540	240924	243648
असम	251586	255232	258644
बिहार	558436	606924	652956
मणिपुर	22262	21638	22494
मेघालय	15703	16092	20070
नागालैण्ड	10324	11422	13728
उड़ीसा	194954	211452	233459
सिक्किम	7556	7632	7840
त्रिपुरा	22188	23112	30816
पश्चिम बंगाल	748188	757987	767110
अरूणाचल प्रदेश	9566	9576	10994
मिजोरम	6422	6360	7956
अंडमान और निकोबार	4348	4632	4912
गुजरात	805680	806280	826562
महाराष्ट्र	1507874	1527648	1549928
गोआ	29132	27408	27774
दियू	1468	1488	1506
दमन	1476	1488	1506
दादरा व नगर हवेली	3108	3144	3184
मध्य प्रदेश	444420	482555	517874
आंध्र प्रदेश	602688	621656	647148
कर्नाटक	455696	484690	503150
केरल	272537	287167	284753
तमिलनाडु	668258	675276	695436
पांडिचेरी	14860	15012	15200
लक्ष्यद्वीप	876	888	908
योग	8837562	9159785	9510157

राष्ट्रीय कैडेट कोर का अनिवार्य प्रशिक्षण

***177. श्री छीतूभाई गामीत :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण अनिवार्य बनाये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में रक्षा मामलों संबंधी समिति से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

रक्षा मामलों की स्थायी समिति (1996-97) ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी) का विस्तार सभी महाविद्यालयों में किया जाना चाहिए। एन सी सी कैडेटों को, विशेष रूप से अंडर ऑफिसर तथा सीनियर अंडर ऑफिसर स्तर का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उनमें अफसरों के से गुण विकसित किए जा सकें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि एन सी सी को सशस्त्र सेनाओं के पोषक संगठन के रूप में पुनर्जीवित करने की संभावनाओं का भी परीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही यह उल्लेख किया गया है कि एन सी सी का विकास इस ढंग से किया जाना चाहिए कि युद्ध की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के दौरान अल्पकालीन सूचना पर जनशक्ति प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय कैडेट कोर अनिवार्यतः एक युवा अभियान है जो युवाओं को स्वैच्छिक आधार पर आकर्षित करता है। यह महसूस किया जाता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का अनिवार्य चरित्र बनाए रखा जाए तथा इसे सारे देश की शैक्षणिक संस्थाओं में अनिवार्य बनाया जाना वांछनीय नहीं है।

हवाई अड्डों के लिए सुरक्षा बल

***178. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

श्री राजकेशर सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना देश में हवाई अड्डों के लिए एक समर्पित सुरक्षा बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बल को प्रशिक्षित किया जाएगा और यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) कुछेक हवाई अड्डों की सुरक्षा हेतु एक अनन्य सुरक्षा संगठन संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सड़क क्षेत्र के लिए धन

*179. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन मंत्रालय सड़क क्षेत्र पर खर्च करने के लिए अधिक धनराशि प्राप्त करने हेतु संघर्ष कर रहा है;

(ख) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने उन्हें सड़क क्षेत्र के लिए दी गई बहुमूल्य विदेशी सहायता का उपयोग नहीं किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये ऋण सड़क बनाने की दस विभिन्न योजनाओं हेतु इस वायदे पर दिए गए थे कि समय-सारणी के अनुसार धन का आहरण किया जाएगा;

(घ) किन-किन राज्यों ने इस धनराशि का उपयोग नहीं किया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने संबंधित परियोजनाओं के लिए धन लेने के पश्चात् ही ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) संवैधानिक रूप से केन्द्र सरकार देश में मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेवार है तथा अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्यतः जिम्मेदार होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए निधियों का आबंटन आवश्यकता से काफी कम रहा है।

(ख) उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत, विदेशी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में राज्यों के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग किया गया है। यद्यपि, निधियों का बेहतर उपयोग हो सकता था किन्तु परियोजना की तैयारी पूरी करने, भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं का स्थानान्तरण, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, कार्य का ठेका देने में विलम्ब और ठेकेदारों द्वारा कार्य न करने/धीमी धीमी गति से कार्य करने के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में कुछ कमियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका।

(ग) जी हां।

(घ) पैरा (ख) में उल्लिखित कारणों से प्रथम विश्व बैंक ऋण का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में परियोजनाएं या तो बजटगत संसाधनों से अथवा बी ओ टी आधार पर शुरू की जा रही हैं।

(ङ) और (च) मंत्रालय ने निम्नलिखित दो स्तरों में विदेशी एजेंसियों के साथ ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है:-

(i) निर्माण पूर्व कार्य - इसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं का स्थानान्तरण, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति शामिल है।

(ii) निष्पादन के लिए।

देश में हवाई अड्डों की संख्या

*180. श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने हवाई अड्डे हैं;

(ख) इनमें से कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और उनमें से लाभ कमाने वाले हवाई अड्डों की संख्या कितनी है;

(ग) घाटे में चल रहे हवाई अड्डे देश में कहां-कहां स्थित हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रहे हवाई अड्डों को राज्यों तथा निजी पार्टियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, 87 अंतर्देशीय हवाई अड्डों तथा रक्षा विमानक्षेत्रों पर अवस्थित 28 सिविल एन्क्लेवों की प्रबंध व्यवस्था करता है। उपर्युक्त में से दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता तथा तिरूवनन्तपुरम स्थित 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ-साथ अहमदाबाद, गोवा, मुम्बई (जूहू), बंगलौर, कालीकट, कोचीन, हैदराबाद तथा बोगडोगरा स्थित 8 अन्तर्देशीय हवाई अड्डे लाभ कमा रहे हैं।

(ग) देश में शेष सभी 107 हवाई अड्डे तथा सिविल एन्क्लेव घाटे में चल रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सिंचाई परियोजना के लिए धन देना

1776. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को सिंचाई के लिए दिये गये धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वर्ष-वार उपयोग में लाई गई और अप्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) योजना और गैर-योजना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अनुमोदित परिव्यय, प्रयुक्त और अप्रयुक्त धनराशि एवं उसे उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग न करने संबंधी कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (लाख रु॰ में)	प्रयुक्त निधियां (लाख रु॰ में)	अप्रयुक्त निधियां (लाख रु॰ में)	निधियों का उपयोग न करने के कारण
1994-95	250.00	140.01	109.99	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के योजना विभाग ने आबंटन घटा कर 150 लाख रु॰ कर दिया था।
1995-96	252.00	179.86	72.14	भूमि अधिग्रहण और पम्प सेटों की उपलब्धता में विलम्ब।
1996-97	64.00	46.11	17.89	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा "केशोपुर उपचार संयंत्र (के ई आई एस-फेज-III) से अपगामी सिंचाई स्कीम का विस्तार" की स्वीकृति में विलम्ब

गैर-योजना

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (लाख रु॰ में)	प्रयुक्त निधियां (लाख रु॰ में)	अप्रयुक्त निधियां (लाख रु॰ में)	निधियों का उपयोग न करने के कारण
1994-95	294.00	293.92	0.08	मामूली फेरबदल
1995-96	320.00	318.68	1.32	मामूली फेरबदल
1996-97	316.75	303.46	13.29	मामूली फेरबदल

शिक्षण कर्मचारी

1777. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोतीबाग तथा लोदी रोड के जूनियर नवयुग विद्यालय गत वर्ष से पांचवीं कक्षा से बढ़ाकर नौवीं कक्षा तक कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षण कर्मचारी जिन्हें पांचवीं तक पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था वे अब इन स्कूलों की सभी वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन स्कूलों को पर्याप्त तथा सक्षम शिक्षण कर्मचारी प्रदान कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) शिक्षकों के चयन तथा उन्हें शिक्षण कार्य सौंपने का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) नई दिल्ली नगर परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, मोती बाग और लोधी रोड स्थित जूनियर नवयुग विद्यालयों का 1990 में प्राथमिक स्तर से मिडिल स्तर पर और शैक्षिक सत्र 1997-98 से मिडिल से माध्यमिक स्तर पर उन्नयन किया गया। इन विद्यालयों के प्राथमिक से मिडिल स्तर पर उन्नयन के परिणामतः प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रदान किए गए। मिडिल से माध्यमिक स्तर पर उन्नयन को ध्यान में रखते हुए सक्षम शिक्षकों की भर्ती/नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

आई॰ए॰एफ॰ एवरो एच॰एस॰-748 विमान दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति

1778. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई॰ए॰एफ॰ एवरो एच॰एस॰-748 विमान में मारे गए असैनिकों और चालक दल के सदस्यों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या उक्त दुर्घटना में मारे गए असैनिकों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) भारतीय वायुसेना के एवरो एच एस-748 वायुयान की 14 दिसम्बर, 1996 को हुई दुर्घटना में 5 वायुकर्मी सदस्य और सत्रह वायुसेना कार्मिक मारे गए थे। इस दुर्घटना में कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सामाजिक-आर्थिक विकास

1779. श्री बाजू बन रियान : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई॰टी॰डी॰सी॰ निकट भविष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई विशेष योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम, सेवा उद्योग में एक वाणिज्यिक प्रतियोगी निगम होने के कारण, इसकी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, भर्ती एवं अन्य कार्मिक मामलों में भारत पर्यटन विकास निगम, सरकार के अपेक्षित मानदण्डों और अनुदेशों का अनुपालन करता है।

बागडोगरा से अन्य स्थानों के लिए उड़ानें

1780. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागडोगरा से देश के अन्य स्थानों के लिए उड़ान शुरू करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स/एलायंस एयर पहले से ही दिल्ली/बागडोगरा/गुवाहाटी/दिल्ली सेक्टर पर सप्ताह में तीन बार तथा कलकत्ता/बागडोगरा/कलकत्ता सेक्टर पर सप्ताह में पांच बार प्रचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त, बागडोगरा के गुवाहाटी तथा दिल्ली के लिए हवाई संपर्क अन्य विमानकंपनियों द्वारा भी उपलब्ध कराए गए हैं। बागडोगरा तथा अन्य स्थानों के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्री कलकत्ता/दिल्ली से होकर जाने वाली उड़ानों का भी लाभ उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

1781. श्री अशोक प्रधान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के अन्य जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) शून्य।

(ख) जी, हां।

(ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-II के तहत शामिल किए जाने के लिए 15 जिलों (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बदायूं, खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, बस्ती, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, हरदोई, बरेली, तथा फिरोजाबाद) की पहचान की गई है।

[अनुवाद]

अंतिम रूप-रेखा (ब्लू प्रिंट)

1782. श्री सुरेश प्रभु : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अगले दशक के लिए पर्यटन के विकास के लिए कोई अंतिम रूप-रेखा (ब्लू प्रिंट) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पर्यटन कार्यों के विनिर्दिष्ट क्षेत्र निजी पर्यटन की एजेन्सियों तथा संगठनों के लिए खोले जाने का है; और

(ग) क्या पर्यटन नीति संसद द्वारा पुनरीक्षित की जायेगी?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग द्वारा राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया गया है और उसे संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया है तथा परिवहन और पर्यटन पर स्थायी समिति के सदस्यों, राज्य सरकारों एवं औद्योगिक संघों को परिचालित कर दी गई है। दिनांक 26 जून, 1997

को आयोजित हुई कार्यशाला में और 27 जून, 1997 को हुए पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस नीति पर चर्चा की गई थी। नीति का उद्देश्य, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी सेक्टर के समन्वित प्रयासों से पर्यटन का निरन्तर विकास हासिल करना है। पर्यटन पर जागरूकता पैदा करना और पर्यटन के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना भी इस नीति का उद्देश्य है।

डॉक यार्ड, नौसेना के असैनिक अधिकारियों के लिए न्यायालय के आदेश

1783. **श्री ए॰ सम्पत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने 08 जुलाई, 1996 को यह आदेश पारित किया था कि सरकार याचिकादाता अर्थात् भारतीय नौसेना के डाक यार्ड असैनिक अधिकारियों के वेतनमानों में विसंगतियों के संबंध में अभ्यावेदन के निपटान पर शीघ्रतापूर्वक विचार करे जैसा कि डी॰आर॰ओ॰ में जे॰एस॰ ओज के मामले में किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, इस याचिका का निपटान कर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं अर्थात भारतीय नौसेना सिविलियन अधिकारी एसेसिएशन, नौसेना डाकयार्ड, विशाखापटनम को 29.7.1997 को उत्तर भेज दिया गया है।

राज्यों में वार्षिक वर्षा

1784. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है तथा इन राज्यों में कौन-कौन सी नदियां बहती हैं;

(ख) राज्यवार इन नदियों की सिंचाई और पन विद्युत क्षमता कितनी है और उस क्षमता का कितना उपयोग किया गया; और

(ग) क्या सिंचाई और पन विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और इस उद्देश्य हेतु इन राज्यों को परियोजनावार केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय राज्यों में औसत (सामान्य) वार्षिक वर्षा, वृहत नदी प्रणालियां, सिंचाई क्षमता एवं पन विद्युत क्षमता का उत्पादन एवं उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र॰सं॰	मद	राज्य		
		अरूणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय
1.	वार्षिक सामान्य वर्षा (मि॰मी॰ में)	2781	1382	4869
2.	वृहत नदी प्रणालियां/ उप प्रणालियां	ब्रहमपुत्र, सुबनसिरी, सियांग, लोहित, कामेंग, डिबांग नोआ, दिहिंग	बराक	मेघना, कोपिली, कुलसी, मरालु, दुधनोई, जिनराई जिनजीराम
3.	आठवीं योजना के अंत में सिंचाई क्षमता (अस्थायी) हजार हेक्टेयर में			
(i)	सृजित	82.1	151.1	53.1
(ii)	प्रयुक्त	73.1	127.7	46.7
4.	पन विद्युत क्षमता (60 प्रतिशत लोड फैक्टर मेगावाट)			
(i)	कुल क्षमता	2675.6	1176	1070
(ii)	विकसित क्षमता	8.33	73.17	121.67

(ग) जी, हां। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 में मणिपुर की खुगा सिंचाई परियोजना के लिए योजना आवंटन के अतिरिक्त 4.30 करोड़ रु॰ की केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध करायी गयी है। राज्य क्षेत्र में पन विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

[हिन्दी]

रसोई गैस बोटलिंग संयंत्र

1785. **श्री एन॰जे॰ राठवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में देश की जनसंख्या की तुलना में रसोई गैस बोटलिंग संयंत्रों का अनुपात कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में और नए बोटलिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी•आर• बालू) : (क) जी नहीं। फिलहाल देश में 91 एल पी जी भरण संयंत्र प्रचालनरत है जिनकी कुल भरण क्षमता 3457 टी एम टी पी ए है। इनमें से निम्नलिखित छः भरण संयंत्र गुजरात राज्य में प्रचालनरत हैः

स्थान	क्षमता (टी एम टी पी ए)
राजकोट	44
हजीरा	44
कोयाली	102
सूरत	12
गांधीनगर	26
अहमदाबाद	34
कुल	262

उपर्युक्त के अलावा 66 एम एम टी पी ए की क्षमता का एक भरण संयंत्र हाल ही में अहमदाबाद में चालू किया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित भरण संयंत्रों के अलावा कोयाली भरण संयंत्र के आंशिक रूप से पुनः स्थल निर्धारण के प्रति आई ओ सी गंधार में 68 टी एम टी पी ए की भरण क्षमता वाले एक भरण संयंत्र की स्थापना कर रही है तथा आठवीं योजना के अंतर्गत भावनगर में भी 44 टी एम टी पी ए की क्षमता के एक भरण संयंत्र की स्थापना कर रही है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानपत्तन

1786. **श्री द्वारका नाथ दास : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी विमानपत्तन को विमान सेवा के लिए एक केन्द्र बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिल्चर विमानपत्तन का शीघ्र विस्तार किया जाएगा और वहां विमानों के अवतरण और उड़ान की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, हां। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर राज्यों का एक क्षेत्रीय केन्द्र (हब) बनाए जाने की योजना है। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर सुविधाओं संबंधी स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले ही 101.26 लाख रु• की लागत से, विद्यमान अति उच्चावृत्ति सर्व परास (वी ओ आर) के स्थान पर दूरी मापक उपस्कर (डी एम ई) से युक्त डाप्लर अति उच्चावृत्ति सर्व परास (डीवीओआर) लगाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्य के नवम्बर, 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

तेलुगु गंगा परियोजना

1787. **श्री येल्लैया नंदी :**

डा• टी• सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने महत्वपूर्ण बहु–उद्देशीय तेलुगु गंगा परियोजना को जल विज्ञान संबंधी स्वीकृति देने से इनकार किया है;

(ख) इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति दिए जाने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए कितना समय लगाया?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) केन्द्रीय जल आयोग ने तेलुगु गंगा परियोजना को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करने में समर्थ नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जैसे ही अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान होता है केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

कलकत्ता से विदेशी एअर लाइनों का परिचालन

1788. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**

श्री महूबब जहेदी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के हित में कलकत्ता से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए किन्हीं विदेशी एयर लाइनों से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली और मुम्बई से कलकत्ता का हवाई मार्ग बदलने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं;

(घ) क्या इस दिशा में कोई कदम उठाये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (च) भारत सरकार कलकत्ता के लिए प्रचालन करने हेतु विदेशी विमान कम्पनियों को विभिन्न प्रोत्साहन दे रही है जैसे कलकत्ता को अन्य प्रमुख प्रवेश द्वारों से जोड़ने की शक्यता, उदार पंचम स्वतंत्रता अधिकार, वाणिज्यिक करारों की उदार शर्तें आदि वर्ष 1996-97 के दौरान अमेरिका, स्विटजरलैण्ड, स्लोवाक गणराज्य और इण्डोनेशिया की नामित विमान कम्पनियों को कलकत्ता एक प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में दिया गया है। आस्ट्रेलिया को दिनांक 16.10.96 से कलकत्ता की दिल्ली या मुम्बई के साथ जोड़ने की सुविधा दी गई थी। तथापि, वास्तविक प्रचालन विमान कम्पनी के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़े जाते हैं।

मुम्बई से कालीकट के लिए सीधी उड़ान

1789. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइन्स द्वारा कालीकट से मुम्बई घरेलू हवाई अड्डे के बीच सीधी उड़ान संचालित की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी उड़ान संचालित न करने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एअर लाइंस द्वारा संचालित कालीकट मुम्बई उड़ान के सहारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को उतार देने से घरेलू यात्रियों को परेशानी हो रही है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में निजी विमान सेवाओं के विमानों की सारी सीटें भरी होती हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस के कतिपय अधिकारियों की कालीकट मुम्बई घरेलू हवाई अड्डे से इंडियन एअर लाइन्स की उड़ान संबंधी प्रचालन की असफल करने के लिए निजी एअरलाइन्स से सांठगांठ कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) विमान क्षमता में कमी के कारण इंडियन एयरलाइंस कालीकट से मुम्बई अंतर्देशीय हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ान आरंभ करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस को यात्रियों को पेश आ रही कठिनाइयों के संबंध में कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जून, 1997 के दौरान, कालीकट-मुम्बई सेक्टर पर जेट एयरवेज का औसत सीट गुणक 85.9 प्रतिशत है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

चेन्नई और न्यूयार्क के बीच सीधी उड़ान सेवा

1790. श्री ए॰जी॰एस॰ रामबाबू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई और न्यूयार्क के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने के लिए काफी समय से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है और उक्त उड़ान के प्रचालन में विलंब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) चेन्नई से न्यूयार्क के लिए सीधी उड़ानें आरंभ करने के समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) एयर इंडिया चेन्नई से न्यूयार्क के लिए मुम्बई में विमान परिवर्तन करके एक सीधी फ्लाइट के रूप एक उड़ान का प्रचालन करता है। मुम्बई से होकर न्यूयार्क के लिए एक और उड़ान तत्काल सम्पर्क मुहैया करती है। इन दोनों उड़ानों पर, सीमा-शुल्क तथा आव्रजन औपचारिकताएं चेन्नई में पूरी की जा सकती है। एयर इंडिया, मुम्बई से होकर चेन्नई तथा न्यूयार्क के बीच प्रति सप्ताह तीन अन्य सम्पर्क भी उपलब्ध करता है। एयर इंडिया, अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता तथा वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए चेन्नई तथा न्यूयार्क के बीच सीधी उड़ानों के प्रचालन के सम्बन्ध में विचार करेगा।

मंदिरों का संरक्षण

1791. श्री महबूब जहेदी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल स्थित मिदनापुर जिले के पथरा ग्राम में मंदिरों के संरक्षण के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इसके संरक्षण का कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के पथरा गांव स्थित मंदिर समूह केन्द्र द्वारा संरक्षित नहीं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर उनकी ओर से धरोहर-कार्य के रूप में इन मंदिरों की मरम्मत का कार्य पूरा करेगा। लेकिन कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है।

सांस्कृतिक संगठनों के लिए स्वीकृत की गई राशि

1792. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान सरकार द्वारा भवन निर्माण कार्यालय सामग्री को खरीदने के लिए जितने सांस्कृतिक संगठनों को वित्त प्रदान किया गया, उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस सांस्कृतिक संगठनों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (ग) :

1994-95

राज्य का नाम	उन संगठनों की कुल संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया	कुल संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	3	8,00,000/-
केरल	4	16,02,500/-
बिहार	1	71,000/-
चंडीगढ़	2	11,75,000/-
नई दिल्ली	5	25,97,000/-
कर्नाटक	6	12,39,000/-
उड़ीसा	3	15,90,000/-
पंजाब	1	3,20,000/-
तमिलनाडु	2	10,00,000/-
उत्तर प्रदेश	3	1,95,000/-
पश्चिम बंगाल	1	33,000/-
हरियाणा	1	3,90,000/-
महाराष्ट्र	1	5,38,000/-
मणिपुर	3	13,60,000/-
असम	1	5,20,000/-
गुजरात	1	2,50,000/-
राजस्थान	1	6,00,000/-

1995-96

राज्य का नाम	उन संगठनों की कुल संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया	कुल संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
असम	2	7,50,000/-
गुजरात	1	3,00,000/-
महाराष्ट्र	3	10,50,000/-
उत्तर प्रदेश	3	15,65,000/-
बिहार	2	1,25,000/-
हरियाणा	3	40,41,000/-
पंजाब	1	1,80,000/-
मध्य प्रदेश	3	46,27,000/-
उड़ीसा	2	1,10,000/-
हिमाचल प्रदेश	1	10,00,000/-
मणिपुर	2	10,00,000/-
कर्नाटक	1	75,000/-
आंध्र प्रदेश	2	1,55,000/-
पश्चिम बंगाल	1	1,50,000/-
केरल	3	4,70,000/-

1996-97

राज्य का नाम	उन संगठनों की कुल संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया	कुल संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
मणिपुर	2	16,00,000/-
उत्तर प्रदेश	2	8,50,000/-
केरल	5	23,42,000/-
आंध्र प्रदेश	6	5,50,000/-
राजस्थान	1	50,000/-
महाराष्ट्र	3	30,00,000/-
असम	2	10,00,000/-
कर्नाटक	7	24,39,000/-
पश्चिम बंगाल	2	20,00,000/-
नई दिल्ली	3	16,00,000/-
मध्य प्रदेश	1	10,00,000/-
बिहार	1	1,00,000/-

आई॰एन॰एस॰ विक्रांत को संग्रहालय में बदलना

1793. **श्री राम नाईक : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने आई॰एन॰एस॰ विक्रांत को संग्रहालय के रूप में परिरक्षित करने के महत्व को स्वीकार किया है और इसको संग्रहालय के रूप में बदलने का प्रस्ताव भी जांचाधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव की जांच पूरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या सिफारिशें की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव की जांच करने और कार्यान्वित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) सेवा से हटाए गए पोत भा॰नौ॰पो॰ विक्रान्त को नौसैनिक संग्रहालय में परिवर्तित किए जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में निर्णय अन्य बातों के साथ–साथ इस प्रकार के परिवर्तन की व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

पश्चिम बंगाल हेतु विमान सेवाएं

1794. **श्री हाराधन राय : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कौन–कौन से स्थान वायु सेवा से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में कम स्थान वायु सेवा से जुड़े हुए हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में विमान सेवा के विस्तार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने खड़गपुर, हलदिया, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, जलपाईगुड़ी तथा मालदा को कलकत्ता के साथ वायु संपर्क उपलब्ध कराने पर विचार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) प॰ बंगाल में कलकत्ता तथा बागडोगरा के लिए नियमित विमान सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) किसी स्थान के लिए विमान परिवहन सेवाओं का प्रावधान यातायात संभाव्यता पर निर्भर करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) इंडियन एयरलाइन्स की इस समय पं॰ बंगाल में किसी नए स्थान को हवाई मार्ग से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। निजी विमानकंपनियों को व्यवहार्यता के अध्यधीन और अधिक स्थानों को हवाई मार्ग से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

सेंट्रल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फार हाकी

1795. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण के बंगलौर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में सेंट्रल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फार हाकी की स्थापना करने पर स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन और निदेश पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेनाल्टी कार्नर बदलने के क्षेत्र में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) उत्कृष्टता केन्द्र से संबंधित ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जब कभी आवश्यकता होगी, सहायता के लिए अनुरोध किया जाएगा।

विवरण

हाकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की संरचना शर्तें तथा संदर्भ

1. केन्द्र प्रशिक्षण के लिए पहचाने गये 50 उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए नियमित आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
2. खिलाड़ियों का चयन एक प्रतिभा खोज समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य शामिल होंगे :—
   क. एक व्यक्ति अध्यक्ष, भारतीय हाकी संघ द्वारा नामित किया जायेगा।
   ख. दो भूतपूर्व ओलंपिक खिलाड़ी महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नामित किये जायेगें।
3. समिति हरेक स्थान के लिए कम से कम चार खिलाडियों का चयन करेगी। किसी भी एक समय में लगभग आधे खिलाड़ी जूनियरों में से होने चाहिए। गोल कीपिंग तथा पेनल्टी कार्नर को गोल में बदलने के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की पहचान की जायेगी।

प्रतिभा खोज के दूसरे चरण में पहचाने गये खिलाड़ियों की एच॰पी॰एल॰ में जांच की जायेगी। अंतिम चरण में, शारीरिक उपयुक्तता तथा वैज्ञानिक जांच परिणामों पर आधारित चयन समिति 50 से अधिक हाकी के खिलाड़ियों का चयन नहीं करेगी।

4. खिलाड़ियों का चयन सभी प्रमुख टूर्नामेंटों से किया जायेगा।

5. 16 से 21 वर्ष का आयु वर्ग।

6. खिलाड़ियों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

7. यदि कोई खिलाड़ी 3 वर्ष की अवधि अथवा 23 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय टीम में नहीं आ पाता तो उसकी छंटनी कर दी जायेगी।

8. खिलाड़ियों को खेल वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराई जायेगी।

9. 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के चयनित खिलाड़ियों के लिए एक वर्ष में दो से तीन बार प्रशिक्षण शिविर चलाये जायेगें तथा यह उत्कृष्टता केन्द्र के लिए परिपूरक स्त्रोत के रूप में कार्य करेगा।

10. भारतीय हाकी संघ उत्कृष्टता केन्द्र की उस प्रबंध समिति में सक्रिय रूप से शामिल होगा जो कि महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा गठित की जायेगी। समिति की बैठक तिमाही में कम से कम एक बार होगी। परियोजना को भारतीय खेल प्राधिकरण, दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर द्वारा पूरा प्रशासनिक समर्थन प्रदान किया जायेगा।

11. खिलाड़ियों के आत्मविश्वास के स्तर तथा उनकी छवि बनाये रखने के लिए, उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए इस प्रकार से कोशिश की जायेगी जैसी सेना में एन॰डी॰ए॰ के कैडेटों के लिए की जाती है।

12. उत्कृष्टता केन्द्र राष्ट्रीय स्तर के हाकी टूर्नामेंट में भाग लेगा तथा टूर्नामेंटों में उनका प्रवेश संघ की टीम की भांति होगा।

13. योजना के लिए धनराशि भारतीय खेल प्राधिकरण को दिये गए अनुदान से प्राप्त होगी।

सुन्दर वन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास

1796. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रॉयल बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट के लिए विख्यात पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काटेजों की व्यवस्था करने जैसे किसी ढांचागत विकास के लिए चालू वर्ष के बजट में कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पयर्टन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से 35 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु सुन्दरवन क्षेत्र के पेरासरगंज में पर्यटक लॉज का निर्माण करने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

पोत विनिर्माण उद्योग के लिए समिति

1797. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में सचिवों की समिति ने देश में पोत विनिर्माण उद्योग के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें मान ली गई हैं, और कितनी सिफारिशें अस्वीकार कर ली गई हैं;

(ग) क्या बी आई सी पी ने इस उद्योग का अध्ययन करने के बाद इसके लिए वित्तीय राहत की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो ये सिफारिशें किस तरह की हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई तथा अस्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) से (ङ) वर्ष 1996 में सचिवों की समिति ने जहाज निर्माण उद्योग की समस्याओं की जांच की थी और अन्य बातों के साथ–साथ यह नोट किया था कि ऋणात्मक लाभप्रदता एक सामान्य घटना है और जहाज निर्माण उद्योग को कार्यक्षम प्रस्थापना बनाने की अत्यल्प संभावना है। यद्यपि एक उपयुक्त मात्रा में जहाज निर्माण उद्योग के विकास को बनाये रखना दीर्घकालीन हित में होगा परन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रचालन की वर्तमान प्रणाली में घाटों को कम करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं। समिति ने मंत्रालय को शिपयार्डों के कार्यक्रम के संबंध में एक स्थिति संबंधी दस्तावेज तैयार करने का निदेश दिया जिसमें उनके कार्य निष्पादन की आलोचनात्मक समीक्षा दी गई हो विभिन्न घटकों का विश्लेषण किया गया हो तथा लागत बचत उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर अधिकतम कार्य के एक पैकेज का प्रस्ताव भी किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप घाटा न्यूनतम हो जाए।

अनुवर्ती उपाय के रूप में दो उच्च शक्ति प्राप्त समितियां और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा एक अध्ययन में जहाज निर्माण उद्योग और वित्तीय समस्याओं की दीर्घकालीन समस्याओं की जांच की गई और मोटे तौर पर औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी :—

(1) शिपयार्डों को अंतर्राष्ट्रीय समता मूल्य पर शिपयार्ड की देय मूल्य और 40 प्रतिशत की अनुमति देना। अंतर्राष्ट्रीय समता मूल्य से अधिक राशि की क्रेता और सरकार द्वा

क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय समता मूल्य के 10 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से भागीदारी।

(2) यदि केवल आयातित सामग्री की लागत अंतर्राष्ट्रीय समता मूल्य से अधिक हो तो उत्पादन करना उचित नहीं होगा।

(3) घरेलू नौवहन उद्योग को विश्व स्तरीय निविदाओं के जरिए जलयान खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए और घरेलू शिपयार्डों को सरकार द्वारा विश्व स्तरीय निविदाओं में भागीदारी करने की अनुमति दी जाए जिसमें घरेलू शिपयार्डों को शत प्रतिशत निर्यात कार्य माना जाए।

उक्त समितियों और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने 2 वर्ष की अवधि के लिए सितम्बर, 1993 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के लिए मूल्य निर्धारण नीति का संशोधन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मूल कीमत से अधिक 30 प्रतिशत सब्सिडी (20 प्रतिशत सरकार द्वारा देय और 10 प्रतिशत जहाज मालिकों द्वारा देय), जलयान की लागत की 80 प्रतिशत सीमा तक 9 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण, अमेरिकी डालर/जापानी येन के अनुसार मूल्य का निर्धारण, जहाज मालिक द्वारा भुगतान की वास्तविक तारीख को उपलब्ध विदेशी मुद्रा बाजार में निर्धारित समता दर पर यार्ड को स्टेज भुगतान करने की परिकल्पना की गई थी।

ट्यूटोरियल कक्षाएं

1798. श्री विजय गोयल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में नियमित रूप से ट्यूटोरियल कक्षाएं चलाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान विश्वविद्यालय में आयोजित ट्यूटोरियल कक्षाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान अक्सर की जा रही उन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जिनमें बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की संख्या कम और कार्य के अधिक होने के कारण ट्यूटोरियल कक्षाएं पूरी तरह से नहीं लगती हैं; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए छात्र ट्यूटोरियल कक्षाओं के माध्यम से गहन कोचिंग के लाभ से वंचित ने रहे क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नवयुग विद्यालय

1799. श्री अशोक अर्गल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली में स्थानवार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कितने नवयुग विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में अब तक मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ विद्यालयों में नये प्रवेश प्राप्त छात्रों से कमरा उपलब्ध न होने के कारण कुछ समय बाद विद्यालय में आने के लिए कहा गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति मंदिर मार्ग स्थित नवयुग विद्यालय में भी पाई जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवयुग स्कूल शैक्षिक सोसायटी द्वारा पटौदी हाऊस, मन्दिर मार्ग तथा तिलक मार्ग पर एक-एक विद्यालय अर्थात् कुल तीन नवयुग स्कूल खोले गए।

(ख) यद्यपि इन स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; किन्तु नवयुग स्कूल और सम्बद्ध एन॰डी॰एम॰सी॰ स्कूलों के लिए खेल का मैदान सामान्य है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) नई दिल्ली नगर परिषद ने सूचित किया है कि उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। नवयुग स्कूल, मन्दिर मार्ग में, अब कुछ पुनरूद्धार/विभाजन कार्य पूरा कर लिया गया है।

नवयुग विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा

1800. श्री थ॰ चौबा सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के नवयुग विद्यालयों में 50,000 रुपये की वार्षिक आय से कम आय वर्ग के बच्चों को पुस्तकों, ड्रेस इत्यादि सहित मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सुविधाओं को इन विद्यालयों विशेष रूप से तिलक मार्ग स्थित नवयुग विद्यालय में इसकी स्थापना के पश्चात् से उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ये सुविधाएं बच्चों को कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) जी, हां। नवयुग विद्यालय, तिलक मार्ग के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगर परिषद् ने सूचित किया है कि वर्दियों की आपूर्ति के लिए आदेश पहले ही दे दिया गया है और उनकी आपूर्ति बहुत ही शीघ्र हो जाएगी।

मालदा और बेलूरघाट एयरफील्ड का उपयोग

1801. **श्री पी॰आर॰ दासमुंशी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि वायुदूत उड़ानों का संचालन न होने तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाई के कारण मालदा और बेलूरघाट (पश्चिम बंगाल) एयरफील्ड का गत आठ वर्षों से उपयोग नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर बंगाल में उत्तर दीनाजपुर के नए बनाए गए जिला मुख्यालय में एक हवाई पट्टी बनाने का है और कलकत्ता मालदा–रायगंज, पूर्णिया (बिहार)–कूचबिहार के लिए उड़ान शुरू करने का है जो वाणिज्यिक रूप से प्रतिदिन लाभकारी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वित्तीय कठिनाइयों के कारण पश्चिम बंगाल में रायगंज में एक हवाई पट्टी के निर्माण संबंधी कोई योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी भी विमान कंपनी ने इन मार्गों पर सेवाएं प्रचालन में कोई रुचि नहीं दिखाई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम

1802. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क क्षेत्र में नये प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन/अंतिम रूप से दे दिये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा ये इस समय किस स्तर पर हैं; और

(ग) राजमार्ग परियोजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में बेअर हाउसिंग तथा अन्य सुविधाओं को प्रदान करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। आवास निर्माण और अन्य विकास कार्य जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग हैं, के लिए भूमि को राजमार्ग विकास के लिए अपेक्षित भूमि और ऐसे अधिग्रहण को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि के रूप में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार इस संबंध में संसद में पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

(ग) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनी पुलोपरि सड़कों और फ्लाई ओवरों के नीचे के स्थान को वेयर हाउसिंग के लिए उपयोग करने हेतु राज्य सरकारों को वार्षिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर पहले ही अनुमति दे दी है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम अनुसंधान

1803. **श्री के॰वी॰ सुरेन्द्रनाथ** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी द्वारा तेल के लिए अरब सागर ओ एन जी सी आफ शोर में कोई अनुसंचालनात्मक कुएं खोदे गए है;

(ख) यदि हां, तो स्थान के साथ–साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने कुएं खोदे गये हैं तथा उन आंकड़ों के विश्लेषणों के परिणाम क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में ओ एन जी सी का विचार इस क्षेत्र में और अनुसंधान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) से (ग) जी, हां। गत 3 वर्षों के दौरान अरब सागर में अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 86 कूपों का वेधन किया गया है :

वर्ष	बेसिन	कूपों की संख्या	हाइड्रोकार्बन वाले
1994–95	बंबई अपतट	38	08
	कच्छ अपपट	01	शून्य
1995–96	बंबई अपतट	24	08
1996–97	बंबई अपतट	23	08

विश्लेषण परिणाम बंबई अपतट बेसिन के विषय में अपेक्षाकृत अच्छी आनुपातिक संभाव्यता सुझाते हैं। तथापि, ट्रेपे के नीचे प्रतिबिम्बित हो रहे उप–भूतल की समस्या के सफलतापूर्वक हल किए जाने के पश्चात कच्छ बेसिन की संभाव्यता के सुधरने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। नौवीं योजना के दौरान अरब सागर में अपतट क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित अन्वेषण कार्य की योजना है :—

क्षेत्र	द्विआयामी (एल के)	त्रिआयामी (एल के)	अन्वेषी कूप	अन्वेषी मीटरेज (000 एम) –
बम्बई अपतट	3,000	1,56,000	112	309.75
कच्छ सौराष्ट्र	–	11,000	09	34.60
केरल कोंकण	9,000	–	09	25.45
गहन जल	–	–	07	24.80
योग	12,000	1,67,000	137	394.60

योजनाओं का कार्यनिष्पादन

1804. **श्री अनंत गुढ़े : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में गत पांच वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा प्रायोजित तथा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के निष्पादन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्राप्त की गई मुख्य-मुख्य उपलब्धियों और ध्यान में आई कमियों सहित किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार योजना का पुनर्गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र ने वर्ष 1997-98 के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) से (घ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से प्रायोजित एवं कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। योजनाओं के कार्यान्वयन पर विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना के जरिए समय-समय पर निगरानी रखी जाती है। योजनाओं को आवश्यकतानुसार पुनः तैयार किया जाता है।

(ङ) संलग्न विवरण में संबंधित ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

वार्षिक कार्य योजना 1997-98 तैयार करने संबंधी मार्ग निर्देशों पर आधारित वर्ष 1997-98 के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए नियमित कार्यक्रमों की कार्य योजना

क्र॰सं॰	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रति कार्यक्रम बजट	कुल बजट आकलन
1.	युवा क्लब विकास कार्यक्रम	30	5,625	1,68,750
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	30	12,000	3,60,000
3.	जागरूकता अभियान	30	4,000	1,20,000
4.	कार्य शिविर	30	7,500	2,25,000
5.	राष्ट्रीय युवा दिवस, सप्ताह तथा पुरस्कारों सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों एवं सप्ताहों को मनाना	30	8,000	2,40,000
6.	खेल संवर्धन कार्यक्रम	30	10,000	3,00,000
7.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	30	4,000	1,20,000
	कुल	210	51,125	15,33,750

जोलकिया सुती असम में पुल

1805. **डा॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर असम के घेमाजी जिले के जोलकिया सुती क्षेत्र में पुल के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला कार्यान्वयन के लिए कब से लंबित है;

(ग) इस पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व किन संगठनों को सौंपा गया है; और

(ङ) इस परियोजना के निर्माण के लिए 1996-97 के दौरान कितना लक्ष्य रखा गया और कितनी धनराशि आबंटित की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जोलकियासुती पुल के लिए प्राक्कलन 1988 में संस्वीकृत किया गया था।

(ख) 1988 से।

(ग) क्षेत्र में व्याप्त असामान्य परिस्थितियों के कारण ठेकेदार पुल विशेष का कार्य निष्पादित नहीं कर सका।

(घ) मार्च, 1996 तक असम लो॰नि॰वि॰ और तत्पश्चात् सीमा सड़क संगठन।

(ङ) स्थल परिस्थितियों में बदलाव के कारण प्रस्तावों में संशोधन किया जाना है और परियोजना को 2001 तक पूरी करने का लक्ष्य है।

आई॰आर॰सी॰सी॰ में पदोन्नति

1806. श्री अंचल दास : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (आई॰आर॰सी॰सी॰) के भर्ती तथा पदोन्नति नियम मंत्रालय/कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित हैं तथा वर्तमान कंपनी सचिव को मंत्रालय/कार्मिक विभाग के अनुमोदन के बिना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा आई॰आर॰सी॰सी॰ बोर्ड द्वारा सचिव और महाप्रबंधक (प्रशासन) के पद पर पदोन्नत/कोटिउन्नयन कर दिया गया है;

(ख) आई॰आर॰सी॰सी॰ द्वारा "वृत्ति कदाचार" के लिए विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा क्या आनुदेश जारी किए गए तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) उन अधिकारियों का तारीख-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के एस॰एफ॰एस॰ फ्लैटों के लिए ऋण लिया परन्तु आई॰आर॰सी॰सी॰ को कागजात प्रस्तुत नहीं किए;

(घ) उन अधिकारियों का तारीखवार ब्यौरा क्या है जो निगम से प्राप्त लीज के आवास में रह रहे हैं तथा उसी शहर में उनकी पत्नियां मकान किराया भत्ता भी ले रही हैं;

(ङ) क्या अनेक मामलों में संलिप्त व्यक्ति को मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया गया है; और

(च) यदि हां, तो उपरोक्त (क) से लेकर (ङ) तक के क्या कारण हैं/ संबंधित नियम क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) निगम के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशक बोर्ड को निगम, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य के विनियमन के लिए समय-समय पर उप नियम बनाने, उप नियमों को बदलने और उन्हें निरसत करने की शक्ति प्राप्त है। निगम की आर एंड पी नियामावली निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी। कार्मिक विभाग का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। निगम में बोर्ड से नीचे के स्तर के पदों जिनमें सचिव और महा प्रबंधक (प्रशा॰) का पद भी शामिल है, पर समय-समय पर पदोन्नति/कोटि उन्नयन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/बोर्ड के अनुमोदन से किया गया है।

(ख) निगम के रिकार्ड में वृत्ति कदाचार के संबंध में विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के कोई विशिष्ट अनुदेश उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) निगम का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसने दिल्ली विकास प्राधिकरण (एस एफ एस) का फ्लैट खरीदने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय सड़क निर्माण निगम से ऋण प्राप्त किया हो।

(घ) निम्नलिखित अधिकारियों को निगम के पट्टे के आवास प्राप्त हैं, उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार उनकी पत्नियां रोजगार प्राप्त नहीं हैं। और इसलिए उनके द्वारा मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

(1) श्री पी॰सी॰ चटर्जी,
वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल)

(2) श्री एम॰एल॰ शर्मा, प्रबंधक (सिविल)

(3) श्री ए॰के॰ माथुर, उप प्रबंधक (एफ एंड ए)

उपर्युक्त मामलों में निगम की वित्तीय देयता निगम के नियमों के अनुसार अधिकारियों की संबंधित किराया पात्रता तक प्रतिबंधित है।

(ङ) जी नहीं। निगम में वर्तमान सी वी ओ की नियुक्ति 26.8.96 से की गई है और यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विधिवत् स्वीकृत है।

(च) उक्त भागों में नियम संबंधी स्थिति बताई गई है।

[हिन्दी]

यात्रियों से अतिरिक्त धन वसूलना

1807. श्री राधा मोहन सिंह :
डा॰ रमेश चन्द तोमर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एयर लाइंस के कर्मचारियों की मिली भगत से बुकिंग एजेंटों द्वारा आरक्षित (ओ॰के॰) टिकटें जारी करने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त धनराशि वसूल करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

असम में आतंकवादियों का सेना पर हमला

1808. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने पिछले तीन महीनों के दौरान सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त हमलों में कितने जवानों की जानें गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ङ) हाल ही में असम में कई घटनाएं हुई हैं जिनमें आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। पिछले तीन महीनों के दौरान इस प्रकार के हमलों में 25 सेना कार्मिक मारे गए हैं और 24 घायल हुए हैं। सेना इस राज्य में अर्द्ध सैन्य बलों के साथ मिलकर प्रति विद्रोही कार्रवाइयां करती रही है। इस अवधि में सेना के साथ हुई मुठभेड़ों में 41 आतंकवादी/संदिग्ध व्यक्ति मारे गए और 755 आतंकवादी/संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए। वहां अभी संक्रियाएं चल रही हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 31 पर बाइपास बनाना

1809. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें संसद सदस्य से शिकायत मिली है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 31 पर पश्चिम बंगाल के कोलिकाटा से पुन्डीनाड़ी तक बाइपास तथा टोरशा नदी पर पुल के निर्माण के बारे में संबंद्ध प्राधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार को इस योजना के लिए नियमित रूप से धन न देने के कारण विलम्ब हो रहा है, यदि हां, तो कारण क्या है तथा यदि नहीं, तो वर्षवार दिये गये धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार अत्यधिक विलम्ब से परियोजना की लागत दुगनी/तिगुनी हो गई है, जो दूसरे शब्दों में सरकार के राजस्व का नुकसान है जिससे बचा जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये जाने का विचार है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) कुछ संसद सदस्यों ने इस परियोजना को शीघ्र पूरी करने के लिए लिखा है।

(ख) राज्यों के लिए निधियों का आबंटन रा॰रा॰ क्षेत्र के लिए निधियों की समग्र उपलब्धता के आधार पर एक मुश्त रूप से किया जाता है तथा निधियों का कार्य–वार वितरण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है। इस कार्य के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा आबंटित निधि की तुलना में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित निधियों का आबंटन इस प्रकार है :—

(लाख रु॰)

वर्ष	पश्चिम बंगाल सरकार के लिए निधियों का आबंटन	राज्य सरकार द्वारा कार्य के लिए आबंटित निधियां
1993–94	3500.00	127.57
1994–95	3987.00	203.62
1995–96	3810.00	577.20
1996–97	3608.00	543.22
1997–98 (आबंटित राशि)	8200.00	700.00 (संभावित)

(ग) और (घ) पुनः संरेखण में सड़क कार्य लक्ष्य के अनुसार प्रगति पर है। पुल कार्य की धीमी प्रगति ठेकेदार और राज्य लो॰नि॰वि॰ के बीच दरों की वृद्धि के संबंध में कुछ विवाद के कारण है। राज्य सरकार को इस पुल के शीघ्र निर्माण के लिए इस विवाद का उचित समाधान करने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत आवंटन

1810. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण के साक्षरता पश्चात् कार्यक्रम तथा द्वितीय चरण के पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए गुन्टूर जिले के लिए 4.47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुन्टूर आन्ध्र प्रदेश अथवा देश का अकेला ऐसा जिला है जिसे प्रशासन द्वारा प्रस्तावित तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या राज्य के अन्य जिलों की तुलना में गुन्टूर जिले में साक्षरता दर बेहतर है; और

(घ) यदि हां, तो यह राशि किस प्रकार खर्च की जाएगी और कितनी साक्षरता प्राप्त करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की परियोजना अनुमोदन समिति ने उत्तर साक्षरता के प्रस्ताव पर विचार किया तथा इसमें दो वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 49.97 रु॰ की दर से प्रति शिक्षार्थी की लागत पर 3.25 लाख नव शिक्षार्थियों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके लिए 3.25 करोड़ रु॰ निर्धारित किए गए थे।

तथापि, अब तक 15 लाख रु॰ का तदर्थ अनुदान प्रदान कर दिया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिलाधीश ने एक विस्तृत संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है। अंतिम अनुदान अनुमोदित अनुमान के आधार पर दिया जाएगा।

(ख) यह आशा की गई है कि जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत लक्षित समूह के 25 प्रतिशत अथवा साक्षरता अभियान के अंग के रूप में प्रवेशिकों-II स्तर तक अध्ययन करने वाले 50,000 व्यक्तियों के लिए उत्तर साक्षरता के प्रस्ताव भेज दिए जाएंगे। इस स्तर को प्राप्त करने वाला प्रत्येक जिला तदनुसार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की परियोजना अनुमोदन समिति को विचारार्थ प्रस्ताव भेजता है। गुन्टूर जिला ने इस मानक को पूरा कर लिया था और उसने उत्तर साक्षरता परियोजना के अंतर्गत अपना प्रस्ताव भेज दिया था इस तरह की 178 परियोजनाएं हैं जिन्हें अब तक देश में तथा आंध्र प्रदेश के 19 जिलों में स्वीकृत किया गया है।

(ग) इसका मुख्य उद्देश्य इस कार्य क्षेत्र में निरक्षरता का उन्मूलन करना है और इन जिलों में हासिल की गई उपलब्धि अतुलनीय है। नीचे दी गई स्थिति से पता चलता है कि गुन्टूर जिले में उपलब्धि निम्नलिखित है :

शामिल किए गए लक्षित शिक्षार्थी	–	570873
नामांकित किए गए शिक्षार्थी	–	420414
प्रवेशिका-I पूरी करने वाले शिक्षार्थी	–	361178
जिन शिक्षार्थियों ने अभी तक प्रवेशिका-I पूरी नहीं की हैं।	–	3396
प्रवेशिका-II पूरी करने वाले शिक्षार्थी	–	295402
जिन शिक्षार्थियों ने अभी तक प्रवेशिका-II पूरी नहीं की है	–	25916
प्रवेशिका-III पूरी करने वाले शिक्षार्थी	–	260403
जिन शिक्षार्थियों ने अभी तक प्रवेशिका-III पूरी नहीं की है	–	10167

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए मानकों के अनुसार 6500 अक्षर प्रगति केन्द्रों के संचालन प्रशिक्षण लागत; निगरानी एवं मूल्यांकन; वातावरण निर्माण, कार्यालय प्रशासन, परिवहन लागत आदि के लिए अनुदान का उपयोग किया जाएगा।

पर्यटन विकास कार्यक्रम

1811. **श्री भक्त चरण दास :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री" (फिक्की) ने यह सुझाव दिया है कि शताब्दी के अन्त तक 50 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत को विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा अपने पर्यटन विकास कार्यक्रमों में सुधार लाना होगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में फिक्की द्वारा सुझाये गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फिक्की के सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सुझावों को कहां तक लागू किया जाएगा?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ ने देश में पर्यटन के विकास के लिए भिन्न-भिन्न अवसरों पर असंख्य सुझाव दिए हैं। इनमें विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना, पर्यटन उद्योग के लिए रियायती दरों पर भूमि का आवंटन करने जैसे प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना, भूमि की उच्चतम सीमा (लैंड सीलिंग) अधिनियम में संशोधन करना, पर्यटन को समवर्ती सूची में सम्मिलित करना आदि शामिल है। जून, 1997 को आयोजित हुए राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ विषयों पर चर्चा की गई है। जो विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वे राज्यों को विचारार्थ भेज दिए गए हैं।

ओ॰एन॰जी॰सी॰ और ओ॰आई॰एल॰

1812. **श्री के॰पी॰ नायडू :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड को 1994 में उनके कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को सौंप दिए जाने के एवज में क्षतिपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पता लगाए गए छोटे और मंझोले तेल क्षेत्रों से निकाले गए तेल और गैस पर किस दर से उपकर तथा रायल्टी का भुगतान किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. टी॰आर॰ बालू) : (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) 5 मध्यमाकारीय तथा 13 लघु आकारीय क्षेत्र, जिनके लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में हस्ताक्षर कर लिए है, क्रूड के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अनुसार देय उपकर तथा रायल्टी क्रमशः 900 रुपए प्रति टन तथा 481 रुपए प्रति टन है। प्राकृतिक गैस के लिए रायल्टी 10 प्रतिशत की यथामूल्य दर पर देय है तथा इस पर कोई उपकर देय नहीं है।

[हिन्दी]

यमुना नदी पर बैराज

1813. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण योजना केन्द्र सरकार के पास कब से लंबित है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 1996 में राष्ट्रपति शासन के दौरान इस परियोजना की आधारशिला रखी थी;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को मंजूर नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना को मंजूर करने में सरकार द्वारा उठायी गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन आपत्तियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) केन्द्रीय जल आयोग में उत्तर प्रदेश के आगरा बैराज परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अप्रैल, 1996 को प्राप्त हुई।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई तथा कुछ मामलों का मूल्यांकन किया गया। राज्य सरकार से अन्य तकनीकी आर्थिक मुद्दों को हल करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे पर्यटन केन्द्र

1814. **श्री चमन लाल गुप्त : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कुल कितने पर्यटन केन्द्र हैं;

(ख) क्या अनेक पर्यटन केन्द्र घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्र द्वारा उठाए गए घाटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) देश में ऐसे अनेक स्थान है जहां पर पर्यटक आते हैं। तथापि, इन केन्द्रों का घाटे में चलने वाले अथवा किसी अन्य ढंग से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।

नीतिगत निर्णय में त्रुटि

1815. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के असंतोषजनक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार नीतिगत निर्णय में त्रुटियों का पता लगाने के लिए जांच करा रही है; देरी के तथा परियोजना के विभिन्न चरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को नियंत्रण में रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) वृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा राज्य निधियों में से और योजना आंबटनों में से किया जाता है और वे ही इन परियोजनाओं के उचित तथा समय पर लागू करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। लेकिन जब भी कभी ऐसी अनियमितताओं के विशिष्ट उदाहरणों की सूचना मिलती है वहां संबंधित सरकारों से उपयुक्त कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

मूक और बधिरों के लिए महाविद्यालय

1816. **श्री लिंगाराज वल्याल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मूक बधिर व्यक्तियों के लिए कितने सरकारी तथा निजी अलग-अलग महाविद्यालय हैं;

(ख) क्या ये सभी महाविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन निजी संस्थाओं का चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की जा रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) महाराष्ट्र में किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मूक तथा बधिर व्यक्तियों के लिए अलग से किसी भी कालेज के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों को रसोई गैस और टेलीफोन कोटे की बहाली

1817. श्री गोरधन भाई जाविया :

श्री छीतुभाई गामीत :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के संसद सदस्यों से रसोई गैस कूपन और टेलीफोन कंनेक्शन आबंटन सुविधा वापिस ले लिए जाने के पश्चात जरूरतमंद लोगों को रसोई गैस और टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ख) यदि राज्य सभा के सदस्यों को रसोई गैस और टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा अभी तक उपलब्ध है तक लोक सभा के सदस्यों को इस विशेषाधिकार से क्यों वंचित रखा जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से सलाह–मशविरा करके लोक सभा के सदस्यों को पुनः यह सुविधा बहाल की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) और (ख) राज्य सभा सांसदों समेत सभी सांसदों के दूरभाष कनेक्शनों के आबंटन से संबंधित विवेकाधीन कोटे को किसी भी समय विशेष पर वापस नहीं लिया गया है।

तथापि, लोक सभा सदस्यों के एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाने वाले विवेकाधीन कोटे को बन्द कर दिया गया है। लोक सभा सदस्यों के एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाने वाले विवेकाधीन कोटे को बन्द करने के लिए निर्णय की घोषणा दिनांक 26 फरवरी, 1997 को सदन में माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की गई थी। इस निर्णय के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 1997 से लोक सभा सदस्यों को एल पी जी कूपन जारी नहीं किए गए है।

संशोधित तत्काल योजना के अधीन कोई भी व्यक्ति सामान्य प्रतिभूति समेत 4000 रुपए की एक बारगी, गैरवापसी धनराशि जमा करके तत्काल किसी भी एल पी जी वितरक से एल पी जी कनेक्शन प्राप्त कर सकता है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्तर्देशीय जलमार्गों का गैर–सरकारीकरण

1818. श्री सत्यदेव सिंह :

कुमारी उमा भारती :

श्री श्याम लाल बंशीवाल :

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में निवेश हेतु निजी कंपनियों को आकृष्ट करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) से (ग) अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित अ॰ज॰प॰ क्षेत्र के लिए विस्तृत नीतिगत मार्ग निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अतः फिलहाल समय के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है।

दिल्ली–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग

1819. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने संबंधी कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन खण्ड़ों के नाम क्या है जहां पर निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 (दिल्ली–जयपुर खंड) में चार लेन का निर्माण कार्य निम्न प्रकार है :—

(1) दिल्ली से गुड़गांव (36.63 कि॰मी॰)	100%
(2) कोटपुतली (162.5 कि॰मी॰) से अक्रोल (231.00 कि॰मी॰)	98.5%
(3) अक्रोल (231.00 कि॰मी॰) से जयपुर (263.00 कि॰मी॰)	100%

गुड़गांव (36.63 कि॰मी॰) से कोटपुतली (162.5 कि॰मी॰) तक 4 लेन बनाने का कार्य एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है और इसे मार्च, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित कालेजों में आरक्षण

1820. **श्री पी॰सी॰ थामस :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित कालेजों में उस समुदाय विशेष के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस अधिकार को अनुमोदित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय का अनुपालन दिल्ली के कालेजों में किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कितने विद्यार्थियों का चयन किया गया हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सेंट स्टीफेन्स कोलेज के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं को, संबंधित अल्पसंख्यक वर्ग के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को दाखिला देने की अनुमति प्रदान करता है। चूंकि यह अधिकार न्यायालय द्वारा घोषित कानून ही देश का कानून है। क्योंकि यह सुविधा अनुच्छेद-30 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त संस्थाओं को ही उपलब्ध है, अतः कालेजों में इसके लागू होने का सामान्यतया प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1821. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षिणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ओर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

सिंचाई क्षेत्र हेतु योजना

1822. **श्री छतर सिंह दरबार :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मानसून की अनिश्चितता के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई क्षेत्र के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप देश में खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) देश के अधिकांश भागों में सामान्य वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है। 1 जून से 16 जुलाई, 1997 तक देश के 35 उप-मंडलों में से 26 उपमंडलों में और 64 प्रतिशत जिलों में कुल वर्षा सामान्य से अधिक हुई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डी॰आर॰डी॰ओ॰ में जासूसी गतिविधियां

1823. **श्री सुधीर गिरि :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने रक्षा अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक गतिविधियों से युक्त कुछ फ्लापी डिस्क और दस्तावेज जब्त किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिस्कों की सूचना का डिकोडीकरण कर लिया गया है;

(घ) क्या जासूसी में संलिप्त व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰बी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ङ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने आसूचना ब्यूरो द्वारा जब्त की गई फ्लापियों तथा दस्तावेजों का विश्लेषण किया था तथा इस बात की पुष्टि की गई है कि इन फ्लापियों में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिक कार्य-कलापों के बारे में कोई सूचना नहीं थी।

[हिन्दी]

नर्मदा घाटी में जानमाल की हानि

1824. **श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र के कुछ जिलों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 22 मई, 1997 को जानमाल का नुकसान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हुए नुकसान का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नर्मदा घाटी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुनर्वास तथा विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या उपरोक्त क्षेत्र को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है तथा इस संबंध में उसे कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्क देशों के लिए सीधी विमान सेवा

1825. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदीव में मई 1997 में हुई सार्क देशों के सम्मेलन में सात सदस्य देशों में सीधी विमान सेवाएं शुरू करने संबंधी निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही/प्रगति की गई है; और

(ग) ये विमान सेवाएं कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) मई, 1997 में, माले में हुए नौंवे सार्क सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि सदस्य देशों के प्राधिकारियों को सार्क राजधानियों के बीच सीधी सेवाएं स्थापित करने की संभाव्यता के समन्वेषण के लिए निकट भविष्य में बैठक बुलानी चाहिए। सदस्य देशों के नागर विमान प्राधिकारियों की पहली बैठक दिनांक 27-29 अगस्त, 1997 को ढाका में होनी है।

[अनुवाद]

कर्मचारियों की संख्या

1826. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारतीय विश्वविद्यालय संघ में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या संगठन में कर्मचारियों को पदच्युत करना/बर्खास्त करना/निलम्बित करना एक आम बात है;

(ग) यदि हां, तो गत दस वर्षों में कितने कर्मचारियों को किस आधार पर पदच्युत/बर्खास्त/निलम्बित किया गया;

(घ) उन कर्मचारियों में से कितनों ने संगठन के विरुद्ध न्यायालय में मामले दायर कर रखे हैं;

(ङ) इन मुकदमों का क्या निष्कर्ष निकला; और

(च) संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को अन्याय पूर्ण तरीके से नौकरी से नहीं निकालने तथा उन्हें रोजगार संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (च) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 31 जुलाई, 1997 तक संघ के कर्मचारियों की संख्या 86 थी। संघ ने सूचित किया है कि पिछले दस वर्षों के दौरान सात कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही में (1) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (2) सेवा की समाप्ति (3) त्यागपत्र मांगना और (4) निलम्बन शामिल हैं।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय में दायर किए गए चार मामलों में से दो मामले अभी भी न्यायालय में लंबित हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने सूचित किया है कि एक स्थायी समिति, जिसमें 19 कुलपति शामिल हैं, कर्मचारियों की अपील पर मामलों की समीक्षा करती है।

[हिन्दी]

रसोई गैस

1827. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार को उसकी आवश्यकता की तुलना में कुल कितनी मात्रा में रसोई गैस की आपूर्ति की गई; और

(ख) राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए है अथवा किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों में बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की तेल कंपनियों द्वारा एल पी जी की बिक्रियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की तेल कंपनियों द्वारा बिक्रियां
	(आंकड़े टी एम टी में)
1994-95	99.4
1995-96	133.9
1996-97 (अनन्तिम)	126.2

(ख) आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके, नए संयंत्रों की स्थापना करके तथा मौजदा और नई सुविधाओं के माध्यम से अधिकाधिक आयात करके एल पी जी की अधिकाधिक उपलब्धता के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं।

[अनुवाद]

शिशु हत्या

1828. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालिका भ्रूण हत्याओं की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान देश में हुई बालिका शिशु हत्याओं की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) बालिका भ्रूण हत्या चिन्ता का विषय है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार ने प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (दुरूपयोग, विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 बनाया है, ताकि भ्रूण के लिंग निर्धारण की प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक के दुरूपयोग को रोका जा सके, जिसके कारण बालिका भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। शिशु हत्या भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध है। तथापि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 1995 और 1996 में बालिका शिशु हत्या के क्रमशः 139 और 106 मामले तथा बालिका भ्रूण हत्या के 38 और 34 मामले दर्ज किये गए।

भारत-पाक संधि

1829. श्री काशीराम राणा :

श्री पी॰एस॰ गढ़वी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच अप्रैल, 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये; और

(ग) दोनों देशों के हितों में यह संधि कहां तक सफल रही है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि, 1960 पर 19 सितम्बर, 1960 को हस्ताक्षर किए गए।

(ख) संधि के प्रावधान के अनुसार भारत और पाकिस्तान प्रत्येक ने सिंधु जल के लिए आयुक्त के एक स्थाई पद का सृजन किया है। ये दोनों आयुक्त साथ मिल कर स्थाई सिंधु आयोग बनाते हैं जिसने इस संधि के कार्यान्वयन के लिए सहकारी व्यवस्थायें संस्थापित की हैं तथा उन्हें बनाए रखा है।

(ग) इस संधि का पिछले 37 वर्षों से संतोषजनक प्रचालन किया गया है और कुल मिलाकर दोनों देशों के हितों की रक्षा की है।

इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करना

1830. श्री पी॰ षणमुगम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1997 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गवर्नमेन्ट इग्नोरिंग सिख्स रोल इन फ्रीडम मूवमेंट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाए जाने के अवसर पर उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की स्वधीनता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, कार्यक्रमों/समारोहों की योजना सभी ग्रामों, तहसीलों, जिलों, मुख्यालयों, राज्यों की राजधानियों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जा रही है, जिसमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उन ग्रामीणों को सम्मानित करना शामिल है, जिन्होंने गांव के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान में अपना योगदान दिया था। पंजाब सहित प्रत्येक राज्य ने वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव संबंधी कार्यक्रम तय करने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की है। सिखों सहित सभी समुदायों के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। किसी विशिष्ट राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और उनके योगदान की पहचान करने संबंधी निर्णय राज्य स्तरीय समितियों द्वारा लिया जाएगा।

बाल कल्याण केन्द्र

1831. **श्री ए॰के॰ पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान गुजरात के पिछड़े हुए और आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए बाल कल्याण केन्द्रों की संख्या कितनी है?

(ख) क्या इन कल्याण केन्द्रों के लिए राज्यों को कोई विदेशी सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) ऐसी कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम नहीं है, जिसके अन्तर्गत बाल कल्याण केन्द्र खोले जा सकें। तथापि, बच्चों के कल्याण और विकास के लिए गुजरात के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर बच्चों को महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आठवीं योजना अवधि में 103 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं, 22 शिशुगृह तथा 24 आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह मंजूर किये गए।

(ख) और (ग) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के लिए उपकरण तथा अन्य आपूर्ति, जिसमें वाहन, टंकण मशीनें, वजन करने की मशीनें, डूप्लीकेटर आदि शामिल हैं, के रूप में सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

अमरनाथ यात्रा हेतु सेना को सौंपे गए दायित्व

1832. **श्री श्याम लाल बंशीवाल :**

श्री पंकज चौधरी :

श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए सेना ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबन्ध किए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) अमरनाथ यात्रा के आयोजन का दायित्व राज्य सरकार का है। यात्रा के सुचारू आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता मांगे जाने पर सेना उसकी हर प्रकार से सहायता भी कर रही है। इस वर्ष सेना ने 500 डबल प्लाई टैंटों और 40,000 कम्बलों की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त सेना द्वारा चिकित्सा सुविधाएं और अन्य प्रकार की सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

राजस्थान नहर से संबंधित ऋणों पर ब्याज माफ करना

1833. **श्री निहाल चन्द चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर पर "पक्के खाले" बनाये हैं;

(ख) क्या सरकार ने निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किश्तों को जमा करने संबंधी किसानों को कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ग) क्या मूलधन का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा;

(घ) क्या ब्याज को माफ करने संबंधी केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या ऋणों को माफ करने के लिए राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता दिए जाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आई जी एन पी) के कमान में राजस्थान सरकार ने पक्के फील्ड चैनलों का निर्माण किया है।

(ख) और (ग) फील्ड चैनलों के निर्माण के बाद; इस प्रकार के कार्यों के लिए राजस्थान भूमि विकास निगम (आर एल डी सी) के माध्यम से किसानों द्वारा लिए गए ऋण की किसानों द्वारा अदायगी आर एल डी सी के नियमों के अनुसार की जानी थी। तथापि, राज्य सरकार ने 20.7.1987 से अगले आदेशों तक आई जी एन पी क्षेत्र में इस अदायगी पर रोक लगा दी है। इस उद्देश्य के लिए किसानों द्वारा सीधे व्यावसायिक बैंकों/सहकारी बैंकों से लिए गए ऋणों पर यह रोक लागू न होगी।

किसानों द्वारा आर एल डी सी के माध्यम से लिए गए ऋणों के वास्ते राज्य सरकार इस समय किसानों के लिए बैंकों को मूल धन एवं ब्याज की अदायगी कर रही है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथी डिस्पेंसरियां

1834. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया की होम्योपैथी डिस्पैंसरियां हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में होम्योपैथी डिस्पैंसरियां कब तक स्थापित की जाएंगी?

नागर विमान मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) एअर इंडिया का होम्योपैथी क्लीनिक पुराना हवाई अड्डा चिकित्सा केन्द्र, मुम्बई में है। इंडियन एयरलाइन्स की न तो कोई होम्योपैथी डिस्पेंसरी है और न ही इसकी इस समय ऐसी कोई डिस्पेंसरी खोलने की कोई योजना है।

[अनुवाद]

भूमिगत जल के बारे में प्रारूप विधेयक

1835. **श्री पी॰एस॰ गढ़वी :**

श्री हरिन पाठक :

श्री संतोष मोहन देव :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भूमिगत जल के बारे में सभी राज्यों को मॉडल प्रारूप विधेयक की कोई प्रति भेजी है ताकि राज्य सरकार उस पर अपने सुझाव और टिप्पणियां भेज सकें;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से इस संबंध में प्राप्त टिप्पिणियों/सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित विधेयक को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसे संसद में रखे जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब रखा जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) संघ सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की एक मॉडल बिल परिचालित किया है ताकि वे भू-जल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें। अभी तक इस उद्देश्य के लिए केवल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून बनाये हैं।

(ग) जल चूंकि राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारों की मॉडल बिल के अनुरूप उपयुक्त कानून बनाना होगा।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में भूजल स्तर में गिरावट

1836. **श्री पवन दीवान :**

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है जिसके कारण बहुत सारे हैंड पंप बेकार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पेयजल की उपलब्धता को बनाये रखने तथा भूजल स्तर के और नीचे जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या प्रभावित क्षेत्रों के भूजल स्तर को ऊपर जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र के कुछ भागों में भूजल के स्तर में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में कई हैंडपम्प बेकार पड़े हैं।

(ख) मध्यप्रदेश सरकार ने वैज्ञानिक पद्धति से जल संरक्षण, भूमि संरक्षण और साधनों के पुनर्भरण उपायों के लिए राजीव गांधी वाटर शेड मिशन को स्थापना की है। 340 ब्लाकों के 2000 गांवों में 440 लघु वाटरशेड लगाने का कार्य किया गया है। इन योजनाओं से भू-जल के भण्डारण के पुनर्भरण से इन क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के प्रबंध में सहायता मिलेगी।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने छः जिलों अर्थात राजनन्दगांव, धार, मांडला, करहल (मुरैना), शाजपुर तथा राजगढ़ में भूजल के पुनर्भरण के लिए 3257.59 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली उनके द्वारा तैयार की गई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते वर्ष 1994 में प्रस्ताव किया इसके अतिरिक्त खंडवा जिले में परकोलेशन टैंक तथा गुली प्लग के निर्माण के लिए 10.97 लाख रुपए की लागत वाली बोलना परकोलेशन टैंक संबंधी एक योजना दिसम्बर, 1996 में प्राप्त हुई थी। भू-जल पुर्नभरण में राज्यों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार की कुछ परियोजनाएं केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित की गई थी। तथापि, केन्द्र प्रायोजित योजना बन्द कर दी गई है क्योंकि इसे योजना आयोग ने अनुमोदित नहीं किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8

1837. **श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अजमेर-बियावर-उदयपुर-रतनपुर-अहमदाबाद से राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 को चार लेन वाला मार्ग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद खंड की कुल 515 कि॰मी॰ की लम्बाई में से अहमदाबाद के समीप 6 कि॰मी॰ अर्थात् 509 से 515 कि॰मी॰ तक खंड चार लेन का है। संपूर्ण रा॰रा॰ सं॰ 8 को चार लेन का बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण साध्यता अध्ययन कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेरियार बांध

1838. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तयन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेरियार बांध में संग्रहण क्षमता के स्तर को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या केरल 110 फीट के वर्तमान जल स्तर की तुलना में 150 फीट तक जल संग्रहण स्तर को बढ़ाने की मांग नहीं मान रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के किसानों की सहायता करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) मुल्ला पेरियार बांध के बहुत पुराने हो जाने से इसकी सुरक्षा सन्देहात्मक समझी गई थी। केरल और तमिलनाडु के अनुरोध पर केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा बांध का निरीक्षण किया गया था। यह सलाह दी गई थी कि जलाशय के जल स्तर को 152 फीट पूर्ण जलाशय स्तर से कम करके 136 फीट करने के लिए स्पिलवे के सभी शटर ऊंची स्थिति में रखे जायें और बांध को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश भी की। तमिलनाडु सरकार ने अधिकांश सदृढ़ीकरण उपाय पूरे कर लिए हैं।

(ख) केरल सरकार को सुदृढ़ीकरण उपायों के बाद भी बांध की सुरक्षा पर शंका है और वह पूर्ण जलाशय स्तर 152 फीट रखने पर सहमत नहीं हो रही है।

(ग) यह मामला केरल और तमिलनाडु सरकारों के बीच है और उन्हें इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार भी सौहार्दपूर्ण हल के लिए प्रयास कर रही है।

अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों में परिवर्तन

1839. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों में अचानक परिवर्तन किए जाने के कारण पर्यटन उद्योग को भारी–नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में विदेशी पर्यटकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) फ्रैंकफर्ट से जाने वाले 1570 यात्रियों तथा पेरिस से जाने वाले 745 यात्रियों को एअर इंडिया की रोम/लंदन से चलने वाली उड़ानों पर भेजकर उनके लिए वैकल्पिक प्रबंध व्यवस्था की गई थीं। इसके अतिरिक्त, ओसाका से 708 यात्रियों को अन्य वाहकों पर स्थानांतरित किया गया था।

पारादीप पोर्ट परियोजना का पूरा होना

1840. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पोर्ट का दर्जा मैकेनिकल कोल हैंडलिंग संबंधी सुविधाओं के विस्तार द्वारा बढ़ाने सम्बन्धी परियोजना के पूरा होने में काफी विलम्ब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो मूल लक्ष्य की तुलना में संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा लागत में और अधिक वृद्धि से बचने के लिए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) पारादीप पत्तन में यांत्रिक कोयला हैंडलिंग परियोजना 28 सितम्बर, 1998 के मूल लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1999 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

(ग) विलम्ब के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) रेलगाड़ी से माल उतारने और पटरियों की रूप रेखा के लिए रेलवे का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब।

(2) इस मामले में मुकदमेबाजी।

(3) बोली की वैधता के लिए बढ़ायी गई अवधि के दौरान सफल बोलीदाता द्वारा बोली वैधता को वापस लिए जाने के कारण इस पैकेज की पुनः बोली करवाने के कारण विलम्ब।

(घ) पत्तन द्वारा परियोजना की संशोधित लागत का आकलन किया जा रहा है।

(ङ) सरकार ने इस परियोजना की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। पत्तन और मंत्रालय स्तर पर भी परियोजनाओं के निगरानी कार्य को सुदृढ़ कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पेट्रोल की सुचारू आपूर्ति

1841. **श्री कुंवर सर्वराज सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई ओ सी, बी पी सी और एच पी सी अपने निर्धारित स्थानों से अपने–अपने डीलरों को सरलता से पेट्रोल की आपूर्ति कर रहे हैं परन्तु आई बी पी कम्पनी लिमिटेड सुचारू ढंग से आपूर्ति करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है;

(ग) क्या तेल समन्वय समिति इस स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आई बी पी कम्पनी लिमिटेड को चुस्तदुरूस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) से (ङ) आई बी पी कम्पनी ऐसे स्थानों से, जहां कि इसके अपने निजी आपूर्ति स्थल है, अपने डीलरों को पेट्रोल की सहज आपूर्तियां कर रही है। अन्य स्थलों पर अन्य प्रमुख तेल कंपनियों के साथ आतिथ्य व्यवस्था विद्यमान है जो सामान्य उद्योग व्यवहार के अनुरूप है। तथापि कांडला में टैंकरों के स्लिपेज, खराब मौसम के कारण विपरीत रेल/सड़क दशाओं, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन रिफाइनरी की बन्दी तथा विजाग, कोचीन एवं कोयाली स्थित एफ सी सी यूनिट की बन्दी के कारण जून, 1997 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के कुछ एक भागों में पेट्रोल आपूर्तियां प्रभावित हुई थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर पुल बनाना

1842. **श्री शिव राज सिंह :** क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर बरेली के नजदीक बरना नदी पर छोटे पुल का विस्तार करने या नया पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) बरना नदी पर नए पुल के पुनर्निर्माण को पारस्परिक अग्रता और निधि की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मोनोर से ताले सराय तक चार लेन वाली सड़क

1843. **श्री चिन्तामन वानगा :** क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोनोर से ताले सराय मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लेन वाली सड़क बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार को मंजूरी हेतु प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) से (ग) जी हां। महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 के प्रश्नगत सड़क भाग को चार–लेन का बनाने का प्रस्ताव है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य और परियोजना के अन्य प्रारंभिक कार्य इस समय चल रहे हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा संबंधी समझौते

1844. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री सत्यदेव सिंह :
कुमारी उमा भारती :
डा॰ राम कृष्ण कुसमरिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ देशों के साथ शिक्षा संबंधी समझौते किये हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता किये गये देशों के नाम सहित तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौतों के कब से प्रभावी होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के राष्ट्रीय राजमार्ग 45 तथा 7

1845. **श्री के॰ परसुरामन :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु के दो राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग–45 और राष्ट्रीय राजमार्ग–7 का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चेन्नई के इर्द गिर्द बाई पास सड़क लिंक का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) रा॰ रा॰–45 और रा॰रा॰–7 के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव विचारधीन हैं :—

रा॰रा॰–45

निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण (बी ओ टी) स्कीम के तहत 67/0 कि॰मी॰ से 122/0 कि॰मी॰ तक (पक्कातुरई–तिंडीवनम) मौजूदा दो लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करने सहित चौड़ा करके चार लेन करना।

(2) विश्व बैंक-III के तहत 122/0 कि॰मी॰ से 324/0 कि॰मी॰ तक (तिंडीवनम से त्रिची) मौजूदा दो लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करने सहित चौड़ा करके चार लेन करना।

रा॰रा॰–7

95/0 कि॰मी॰ से 130/0 कि॰मी॰ तक और 141/0 से 150/0 तक कमजोर दो लेन को सुदृढ़ करना। वार्षिक 1997–98 के तहत तिरूपंगलम बाइपास के लिए भूमि–अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी हां। चेन्नई बाइपास (लम्बाई 31.30 कि॰मी॰) का कार्य 2 चरणों में किया जाना है, जिसके लिए संरेखण को पहले ही अनुमोदन दिया जा चुका है और भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।

पत्तनों की सम्पत्ति को पट्टे पर देना

1846. **श्री अयन्ना पटरूधु :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के पत्तनों की वर्तमान सम्पति को पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रभावी और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। निजी क्षेत्र की सहभागिता के दिशा–निर्देशों में जहां अतिरिक्त निवेश किया जाना हो और मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि की जानी हो और जहां उसके फलस्वरूप यातायात थ्रोपुट में वृद्धि हो, सेवा की गुणता ओर उत्पादकता में सुधार हो, निजी क्षेत्र को पत्तनों की मौजूदा परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देने की व्यवस्था है।

(ग) सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

सेना प्राधिकारियों तथा आयुध कारखानों के संबंध में सी॰ए॰जी॰ की रिपोर्ट

1847. **श्री आई॰डी॰ स्वामी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने संसद के दोनों सदन में दिनांक 9 मई, 1995 को प्रस्तुत 1995 की अपनी 8वीं रिपोर्ट में सेना प्राधिकारियों, आयुध कारखानों के संबंधित प्रबंधनों तथा मंत्रालय को खराब उपस्करों, गोला बारूद के आयात उपलब्ध सामग्रियों का अनुपयोग न करने, सामान के धोखाधड़ीपूर्ण फर्जी रूप पर भुगतान किए जाने, दावों और खराब सामग्री को बदले जाने में विलंब करने आदि को दोषी ठहराया है। जिसके परिणामस्वरूप भारी वित्तीय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच तथा कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) सेना, आयुध निर्माणियों और रक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 1995 की रिपोर्ट संख्या–8 में कुल 88 लेखापरीक्षा पैरे प्राप्त हुए थे। इनमें से 51 लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किए जाने के लिए पहले ही वित्त मंत्रालय के मॉनिटरिंग सेल को भेजी जा चुकी है तथा शेष 37 लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। की गई कार्रवाई संबंधी प्रत्येक टिप्पणी में जहां आवश्यक होता है की गई विशिष्ट प्रशासनिक कार्रवाई तथा किए गए उपचारात्मक उपायों के सभी ब्यौरे होते हैं।

(ख) और (ग) लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उल्लिखित कमियों और अनियमितताओं के संदर्भ में प्रभावी तथा समयवद्ध अनुवर्ती कार्रवाई और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए रक्षा मंत्रालय में सुस्थापित प्रणाली मौजूद है। इस प्रकार के सुधारात्मक उपाय सम्बद्ध वित्त और लेखापरीक्षा से सम्पर्क करके किए जाते हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

1848. श्रीमती सुभावती देवी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा जिले में पेट्रोल पम्पों की संख्या क्या है तथा कितने पेट्रोल पम्पों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) से (ग) बिहार राज्य में दरभंगा जिले में तेईस (23) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें है। संबंधित तेल कंपनी को एक डीलर के विरुद्ध शिकायत मिली है। जांच किए जाने पर यह पाया गया था कि डीलर ग्राहकों से अधिक प्रभार ले रहा था। विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत, गलती करने वाले डीलर के विरुद्ध पन्द्रह दिन के लिए आपूर्तियों की बन्दी, 2,000 रुपए का जुर्माना तथा एक चेतावनी पत्र के रूप में उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर पुल का निर्माण

1849. श्री एन॰ डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर कुइनी थुराई नदी पर बने पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) रा॰रा॰ 47 (तमिलनाडु का कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम खंड) पर कुझीतुरै नदी के पुल का निर्माण कार्य 4.00 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से वार्षिक योजना 1997-98 में शामिल किया गया है।

एअर बसों और बोइंग विमानों के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण

1850. श्री शरत पटनायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रस्तावित एअर बसों और बोइंग विमानों की लागत के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो ऐसे ऋणों की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु किन-किन एजेंसियों का पता लगाया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) एअर इंडिया द्वारा विमानों की खरीद के लिए वित्त व्यवस्था आंशिक रूप से आंतरिक संसाधन सृजन से तथा आंशिक रूप से बाजार से ऋण जुटाकर की जाती है।

[हिन्दी]

शिक्षा का स्तर

1851. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) शैक्षिक स्तर के ह्रास संबंधी आमतौर पर दिए जाने वाले वक्तव्यों के गुण-दोष से संबंधित निर्णय के लिए कोई मानकीकृत कसौटी नहीं है। सभी संस्थाओं के मानक समय-समय पर बदलते रहते हैं। फिर भी, सरकार विभिन्न संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता एवं उसकी अंतर्वस्तु के स्तरोन्नयन की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सजग है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में इस संदर्भ में कई विशेष कार्यक्रम अपनाती रही है। प्राथमिक शिक्षा के विकास कार्यक्रम के साथ-साथ शिक्षक-शिक्षा, केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाएं हैं। सभी स्तरों पर शिक्षा की अंतर्वस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार के लिए अनेक उपाय भी किए गए हैं। इनमें कुछ उपाय इस प्रकार हैं :-

पाठ्यक्रमों का नवीकरण, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की पेशागत क्षमता में सुधार के लिए उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग। तकनीकी और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायन परिषदों की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

असम को धनराशि का आवंटन

1852. श्री केशव महन्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत असम राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई और इस प्रयोजनार्थ 1997-98 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) 1996-97 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितना कार्य आरम्भ किया गया;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और अभी भी कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(घ) असम में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो शेष प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के तहत असम राज्य को 10 लाख रु॰ की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 1997-98 के लिए आबंटन बता पाना अभी संभव नहीं है।

(ख) और (ग) सी आर एफ के तहत संस्वीकृत की गई स्कीमों के निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है और राज्य सरकारों से ऐसी आशा की जाती है कि वे निधियों के उपयोग की निगरानी करें।

(घ) और (ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान 38.43 लाख रु॰ राशि की एक स्कीम संस्वीकृत की गई थी। 31.3.97 की स्थिति के अनुसार असम राज्य के पास डेबिट शेष है और इस समय अन्य कोई स्कीम संस्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

नदियों का जल स्तर

1853. श्री नवल किशोर राय :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत कई वर्षों से नदियों को गहरा करने का कार्य न किए जाने के कारण देश की नदियों के जल-स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नदियों के जल-स्तर संबंधी कोई आकलन कराया है, नदियों के जल स्तर को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार के जलस्तर हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) नदी भण्डारण (केरिइंग) क्षमता में परिवर्तन प्राकृतिक स्थलाकृतिक प्रक्रिया है। तथापि, नदी में गाद भराव को कम करने के लिए विभिन्न नदी घाटियों में वनरोपण, मृदा संरक्षण एवं तलछट क्षेत्र सुधार (केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) जैसे विविध उपाय अपनाए गए हैं।

रिक्त पद

1854. श्री रामचन्द्र डोम :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्री महबूब जहेदी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तथ्य को बावजूद कि इन पदों को भरने के लिए अगस्त-सितम्बर, 1996 में विज्ञापन दिया गया था, परीक्षायें आयोजित नहीं कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) 1.4.96 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 3720 पद रिक्त पड़े थे। शिक्षकों के पद भरने के लिए एक विज्ञापन जून, 1996 में जारी किया गया था। साक्षात्कारों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए 2001 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की लगभग 500 रिक्तियों को भरने के लिए साक्षात्कार 30 सितम्बर, 1997 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है। संगीत शिक्षकों, ड्राइंग शिक्षकों, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य (एस॰यू॰पी॰डब्ल्यू॰) शिक्षकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के 680 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

कोटा निगम-वार विमानपत्तन का नवीकरण

1855. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कोटा विमानपत्तन के नवीकरण पर कितनी राशि व्यय की गई और वहां पर कौन-कौन से कार्य किए गए;

(ख) क्या निजी विमानों को दिल्ली-जयपुर कोटा हवाई मार्ग पर उड़ने की अनुमति दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके विमान इस मार्ग पर कितनी अवधि तक चलते रहे और उपरोक्त विमान सेवाओं को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन एअरलाइंस की सेवाएं शुरू करने के पहले इनके साथ कोई समझौता किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार को इस संबंध में कितनी राशि प्राप्त हुई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) गत तीन वर्ष के दौरान कोटा हवाई अड्डे के नवीकरण पर लगभग 1.53 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई।

(ख) से (च) विमान कंपनियां नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदन, मार्ग–आवंटन संबंधी मार्गदर्शी–सिद्धांतों तथा सरकार द्वारा विहित नियमों के अन्य संगत उपबंधों की पूर्ति; उनको जारी परमिटों की अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन देश में किसी भी हवाई अड्डे के लिए अपनी विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार विमान कंपनियों के साथ संविदा नहीं करती।

वेतन को कम करना

1856. श्री राममूर्ति सिंह वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के कुछ इतिहासकारों का वेतन कम करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में परिषद के मार्ग निर्देश क्या हैं;

(घ) कुल कितने इतिहासकारों के मामले में यह निर्णय लिया गया है; और

(ङ) उनमें से कितने इतिहासकार अभी सेवा में है और कितने सेवा निवृत हो चुके हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने दिनांक 01/01/1986 से प्रभावी सरकार द्वारा अनुमोदित निदेशक और उप–निदेशक के वेतनमान को मान लिया है। परिषद द्वारा ये वेतनमान अप्रैल, 1992 में सरकार के अनुमोदन के बिना ही संशोधित किये गये थे। स्टाफ के एक वर्ग के लिए परिषद के अनधिकृत वेतनमान के वापस लेने से वेतन में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश नहीं है।

(घ) और (ङ) अनुमोदित वेतनमान को मानने के निर्णय में केवल 11 व्यक्ति शामिल हैं जिनमें से तीन व्यक्ति सेवा–निवृत्त हो चुके हैं।

[अनुवाद]

स्कूली शिक्षा के संबंध में कराया गया अध्ययन

1857. श्री विजय हान्डिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर हाल में कराए गए अध्ययन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के शिक्षक शिक्षा और विस्तार विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली राज्यों के 15 जिलों शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में मानव संसाधन विकास के माहौल पर एक प्रारंभिक अध्ययन कराया है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन संस्थाओं में मानव संसाधन विकास के माहौल की गुणवत्ता का पता लगाना था।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उपर्युक्त अध्ययन के अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति पर एक अध्ययन की आयोजना कर रही है ताकि इन संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार के लिए कार्य–योजनाएं तैयार की जा सके।

भोपाल हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम

1858. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भोपाल हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम (आई॰एल॰एस॰) कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) ऐसे अन्य कौन–कौन से हवाई अड्डे हैं जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है या आई॰एल॰एस॰ कार्य नहीं कर रहा है; और

(घ) भोपाल में आई॰एल॰एस॰ पुनः बहाल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क), (ख) और (घ) भोपाल हवाई अड्डे पर उपस्कर अवतरण प्रणाली की सभी प्रणालियां संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। धावनपथ विस्तार कार्य के कारण दिनांक 30.11.93 को ग्लाइड–पथ को हटा लिया गया था। धावनपथ के विस्तार के साथ ग्लाइड–पथ को दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाना था। इस सुविधा के अगस्त, 1997 के अन्त तक अंशाकित तथा आरंभ हो जाने की आशा है।

(ग) हवाई क्षेत्र में आई॰एल॰एस॰ का प्रावधान, दृश्यता स्थितियों हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्र के प्रकार तथा प्रचालित किए जाने वाले विमानों के प्रभार पर निर्भर करता है। आई॰एल॰एस॰ सुविधा 28 हवाई अड्डों पर प्रदान की गई है तथा वर्ष, 1998 के मध्य तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की छः और अड्डों पर इस सुविधा के संस्थापन की योजना है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

1859. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम से कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विशेष कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में निर्णय लिए जाने में पूर्व जनता तथा उद्योगपतियों की राय मांगी गई थी और उस पर विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में जारी किए गए पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर हाल ही में जारी नियमों और विनियमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मोदीलुफ्त के लाइसेंस का नवीकरण किया जाना

1860. **श्री संतोष मोहन देव :**

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर, 1996 के "इकोनोमिक टाइम्स" में डी॰जी॰सी॰ए॰ वोन्ट रिन्यू मोदीलुफ्त लाइसेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मोदी लुफ्त के लाइसेंस का नवीकरण न करने के क्या कारण हैं;

(घ) अन्य निजी एयरलाइंस कौन-कौन सी हैं जो अभी भी बिना लाइसेंस के प्रचालन कर रही हैं;

(ङ) किन-किन एयरलाइंस ने अपने लाइसेंस की अवधि समाप्ति के बावजूद नए लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है;

(च) देश में इस समय कुल कितने निजी विमान आपरेटरों के विमान प्रचालन में है; और उनमें से कितने विमान खराब पड़े हैं; और

(छ) सरकार द्वारा और एयरलाइंस को परिचालन की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स मोदीलुफ्थ एयरलाइंस के पास विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए विमान नहीं हैं जो परमिट के नवीकरण के लिए पूर्व अपेक्षा है।

(घ) कोई भी एयरलाइन वैध प्रचालन परमिट के बिना विमान परिवहन सेवाओं को प्रचालन नहीं कर सकती।

(ङ) कोई नहीं।

(च) सात गैर-सरकारी अनुसूचित एयरलाइनों में से, वर्तमान में, चार प्रचालन नहीं कर रही हैं।

(छ) अप्रैल, 1997 में अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवाओं के संबंध में एक नई नीति तैयार की गई थी, जिसके तहत इस सेक्टर में प्रवेश तथा वहिर्गमन पर बाधाएं खत्म हो गयी।

[हिन्दी]

फरक्का बांध

1861. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बांध निर्मित किए जाने के कारण उत्तरी भारत में कई लाख एकड़ जमीन बंजर हो गई है और इसके परिणामस्वरूप समुद्री मछलियों की नदी में आवा-जाही बंद हो गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) जी, नहीं। फरक्का बराज के फिशलाक द्वारों के जरिए हिल्सा मछली के स्थानान्तरण के मामले का अन्वेषण केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यिकी अधिग्रहण अनुसंधान संस्थान (सी आई सी एफ

आर आई) बैरकपुर द्वारा किया गया था। यह देखा गया था कि फरक्का बराज के मौजूदा फिशलाक द्वारा हिल्सा मछली के बराज के पार स्थानान्तरण के लिए अपर्याप्त थे।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि फरक्का बैराज के समीप बायें तट पर एक हिल्सा अंडज उत्पत्तिशाला के साथ-साथ तालाब, प्रयोगशाला, भंडार आदि भी स्थापित किया जाये। केन्द्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अभिग्रहण अनुसंधान संस्थान ने फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह पर हिल्सा मछली के प्रजनन पर अनुसंधान संचालन शुरू किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परीक्षा सुधार

1862. **श्री मंगल राम प्रेमी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** परीक्षा-सुधार के बारे में 17 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3519 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित सूचना अभी आनी बाकी है। मामले में आगे कोई भी कार्रवाई सूचना प्राप्त होने के पश्चात ही संभव हो सकेगी। तथापि, सरकार ने परीक्षा सुधार पर व्यापक रूप से बातचीत आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

1863. **श्री सोहन बीर :**

डा॰ राम विलास वेदान्ती :

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में राज्यवार कितने मामले मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ख) उन्हें कब तक मंजूरी दी जाएगी; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) देश में (राज्य-वार) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रायोजक अभिकरणों के प्राप्त प्रस्ताव जो लम्बित पड़े हैं, उनकी संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालयों को उपयुक्त तथा पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने के आधार पर खोला जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त भूमि, अस्थाई भवन और अन्य आधारभूत. सुविधाओं की प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा पेशकश की गई हो 1997-98 के लिए, 20 केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए लम्बित प्रस्तावों की राज्यवार सूची

1.	आन्ध्र प्रदेश	01
2.	असम	01
3.	बिहार	04
4.	हरियाणा	03
5.	हिमाचल प्रदेश	03
6.	जम्मू व कश्मीर	02
7.	केरल	03
8.	महाराष्ट्र	01
9.	मध्य प्रदेश	05
10.	उड़ीसा	01
11.	राजस्थान	02
12.	उत्तर प्रदेश	06
13.	पंजाब	01
14.	पश्चिम बंगाल	04
15.	त्रिपुरा	02
		39

[अनुवाद]

ओ एन जी सी की परियोजना

1864. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा चलाई जाने के लिए प्रस्तावित 2190 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : वर्ष 1997-98 के लिए सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में उल्लिखित निम्नांकित प्रमुख विकासात्मक परियोजनायें, जिनमें लगभग 2190 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, वर्तमान में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है :

(करोड़ रुपए में)

	परियोजनाएं	स्वीकृत लागत
1.	बलोल चरण-2 में स्थानिक कम्बश्चन का वाणिज्यीकरण	118.49
2.	संथाल चरण-2 में स्थानिक कम्बश्चन का वाणिज्यीकरण	278.37
3.	पश्चिमी अपतट में बी-121/119 का विकास	151.88
4.	पश्चिमी अपतट में बी-173 ए का विकास	120.17
5.	पश्चिमी अपतट में बी-55 का विकास	376.74
6.	पश्चिमी अपतट में हीरा चरण-3 का विकास	954.20
7.	हजीरा टर्मिनल विस्तार चरण-3 ए	191.00

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1865. श्री रनजीव बिसवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र (सी॰ए॰डी॰पी॰) में शामिल करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/करने का विचार है;

(ग) विभिन्न राज्यों ने इस प्रयोजन हेतु कितने किसानों/संघों का गठन किया है; और

(घ) सरकार ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी हां। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सिंचाई जल के प्रबंधन में किसानों की शामिल करने की सलाह दी थी।

(ख) और (ग) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) केन्द्र सरकार कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को इस आशय के दिशा-निदेश जारी कर रही है, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधाओं की पहचान करने के लिए, कुछ परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए हैं, गहन मानीटरिंग की है, अपनी समस्याओं और प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की हैं।

विवरण

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में किसानों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई शुरू किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा इसके लिए गठित किए गए किसान संघों की संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र॰सं॰	राज्य की गई कार्रवाई की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और बनाए गए किसान संघों की संख्या
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश : राज्य सरकार ने जल प्रयोक्ता संघों को वैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए "आन्ध्र प्रदेश किसान प्रबंधन सिंचाई प्रणाली अधिनियम-सं-11-1997 अधिनियमित किया है। जल प्रयोक्ता संघों के सृजन की व्यवस्था है। जल प्रयोक्ता संघों के लिए चुनाव किए गए हैं और सरकार ने 10, 110 जल प्रयोक्ता संघ गठित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
2.	असम : राज्य सरकार से सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के लिए नीति गत मामलों को तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया है। दो किसान संघ बनाए गए हैं।
3.	बिहार 75 गांवों सहित 12,200 हेक्टेयर कमान क्षेत्र वाले सोन कमान में पालीगंज वितरणी का संचालन एवं प्रबन्ध जल प्रयोक्ता संघों को सौंपा गया है।
4.	गुजरात : सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के संबंध में नीतिगत मामलों को तैयार करने के लिए मुख्य सचिव को अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल मार्च, 1994 में गठित किया गया है। इकहत्तर किसान संघ गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसान संघों में गठित करने के लिए तेरह प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है।
5.	हरियाणा : कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, किसान संघों का निर्माण राज्य सरकार के विचाराधीन है।
6.	कर्नाटक : कर्नाटक सरकार ने किसानों की भागीदारी के सफल कार्यान्वयन के लिए नीतिगत मामलों को तैयार करने के वास्त अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया है। अब तक 193 किसान संघ गठित किए गए हैं।

1	2
7.	केरल : केरल सरकार ने केरल में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अब तक 3700 किसान संघ गठित किए गए हैं।
8.	मध्य प्रदेश : पैंसठ किसान संघ बनाए गए हैं।
9.	महाराष्ट्र : अब तक 118 किसान संघ बनाए गए हैं।
10.	मणिपुर : अब तक 62 किसान संघ बनाए गए हैं।
11.	उड़ीसा : सहभागिता सिंचाई प्रबंधन का कार्यान्वयन करने के लिए नीतिगत मामलों को तैयार करने के वास्ते मुख्यसचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया गया है। सात सौ सतहत्तर किसान संघ गठित किए गए हैं।
12.	राजस्थान : राज्य सरकार ने किसानों की भागीदारी के लिए नीति तैयार करने के वास्ते अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया है। अब तक 3843 किसान संघ बनाए गए हैं।
13.	तमिलनाडु : तीन सौ अठ्ठाइस किसान संघ वितरिका स्तर पर बनाए गए हैं।
14.	उत्तर प्रदेश : राज्य सरकार ने राज्य में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत मामले और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया है। एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।
15-22	अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल — कोई कार्रवाई नहीं की गई

[हिन्दी]

क्रिकेट टीम पर खर्च की गई राशि

1866. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय क्रिकेट टीम पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और क्या इस धन के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार भारतीय टीम की टाइटन कप के अलावा देश-विदेश में हर बार हुई हार पर चिंतित है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय टीम की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) कुछ नहीं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) और (घ) सरकार हाल ही में हुए मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बारे में काफी चिंतित है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, जो क्रिकेट के संवर्धन हेतु एक शीर्षस्थ निकाय है, असफलता का कारण टीम के खिलाड़ियों में हराने की भावना का अभाव बताया है। यह बोर्ड भविष्य में ऐसी मिलती-जुलती समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से, आधुनिक तकनीकें अपनाने के लिए कदम उठा रहा है।

सरकार क्रिकेट समेट विभिन्न खेल विधाओं में भारतीय टीम के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उपाय कर रही है। राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता करने के लिए हाल ही में मार्ग-निर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि खेलों के संवर्धन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान की जा सके।

पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां

1867. श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल पम्प खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया तथा ये एजेंसियां और पेट्रोल पम्प कब से चालू हो जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

व्यावसायिक योग्यता में सुधार

1868. प्रो॰ ओमपाल सिंह निडर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अध्यापकों की स्थिति और व्यावसायिक योग्यता में सुधार करने संबंधी कोई महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार में उपर्युक्त योजना के लिए धनराशि आवंटित कर दी थी;

(ग) क्या उस धनराशि में से अभी तक एक चौथाई धनराशि भी खर्च नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

भूजल संसाधनों का मानचित्र बनाना

1869. श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :
श्री मधुकर सरपोतदार :
डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदिक कालीन नदी सरस्वती (अब लुप्त हो गई है) के तलहटी में भूजल संसाधनों का मानचित्र तैयार करने हेतु कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा उपग्रह से चित्र आदि लेने का कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान जल संसाधनों के पुनरूद्धार हेतु एशियाई विकास बैंक के भूतपूर्व प्रबंधक द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त योजना को लागू करने के सम्बंधी उपायों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी भारत में पालेव जल निकास नेटवर्क, जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जिसे कभी वैदिक कालीन सरस्वती नदी कहा जाता था, के पुनर्निमाण के लिए अन्तरिक्ष विभाग द्वारा क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदन सेवा केन्द्र, जोधपुर और अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद तथा कुछ अन्य संगठनों के जरिए भारतीय दूरस्थ संवेदी उपग्रह और यूरोपियन दूरस्थ संवेदन उपग्रह के आंकड़ों का प्रयोग करके संयुक्त अध्ययन किए गये हैं। पश्चिमी राजस्थान के पालेव जल निकास नेटवर्क का पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र, जोधपुर द्वारा भी एक संयुक्त दल गठित किया गया है जिसमें विभिन्न केन्द्रीय और राज्य संगठनों के सदस्य शामिल हैं।

(ग) से (ङ) "सरस्वती नदी क्षेत्र विकास परियोजना-संकल्पना और प्रस्ताव" नामक एक अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव एशियन विकास बैंक के एक भूतपूर्व कार्यपालक से अक्टूबर 1996 में जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। परियोजना में यह परिकल्पना है. कि :-

(i) उत्तर-पश्चिमी भारत में पवित्र सरस्वती नदी क्षेत्र को बारामासी झरनों, झीलों तथा नदियों के क्षेत्र के रूप में पुनःजीवित करना;

(ii) घरेलू आवश्यकताओं, पशुधन और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता और जल की गुणवत्ता में सुधार लाना;

(iii) क्षेत्र के एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

(iv) पुरातत्वीय खुदाई को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक परम्परा की रक्षा करना और उसे संरक्षित करना तथा लोगों के लिए स्व-स्थाने संग्रहालयों की स्थापना करना ताकि वे हमारी पुरानी संस्कृति को समझ सकें।

स्कीम के पहले फेज में विस्तृत परियोजना योजना प्रलेख (व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट) तैयार करने के लिए 20.67 लाख रुपये की अनुमानित लागत का प्रस्ताव किया गया है। किये जाने वाले कार्य के शेष चरणों को विस्तार में नहीं दर्शाया गया है। कार्य के पहले फेज के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव परामर्शी चरण पर है।

[हिन्दी]

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण

1870. डा॰ सत्यनारायण जटिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक संबद्ध राज्य द्वारा नदी जल वितरण न्यायाधिकरण के अंतर्गत आवंटित जल के उपयोग पर प्रत्येक संबंधित राज्य द्वारा अपने धन तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि में से अलग-अलग कितना कम किया गया है;

(ख) इस संबंध में लागू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराये गये जल में से कितने जल का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी तथा तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के अनुसार, सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा नदी में उपलब्ध प्रवाह की मात्रा 75 प्रतिशत विश्वसनीयता पर 28 मिलियन एकड़ फुट आंकी गई है। जिसमें से चार पक्षकार राज्यों को आबंटित हिस्सा इस प्रकार है।

गुजरात – 9.00 मि॰ ए॰ फु॰
मध्य प्रदेश – 18.25 मि॰ ए॰ फु॰
महाराष्ट्र – 0.25 मि॰ ए॰ फु॰
राजस्थान – 0.50 मि॰ ए॰ फु॰

नर्मदा जल विवाद अधिकरण में नर्मदा घाटी की सभी परियोजनाओं को 2024 ई॰ सन् तक पूरा करने की परिकल्पना है।

सम्बंधित राज्य सरकारों ने नर्मदा जल के अपने-अपने हिस्से का उपयोग करने के लिए वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना की है। तथापि, इन परियोजनाओं का वास्तव में पूरा होना राज्यों द्वारा अपेक्षित संसाधन जुटाने और जहां आवश्यक हो, सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने पर निर्भर करेगा।

विवरण

नर्मदा बेसिन में विभिन्न पूर्ण और चल रही वृहद ओर मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर किये गये व्यय का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु॰ में)

गुजरात – 5521.2 [सरदार सरोवर परियोजना के (मार्च, 1997 तक) लिए मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की अंश लागत शामिल है]

मध्य प्रदेश – 1194.99 (मार्च 1996 तक)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के सिंचाई घटक और मध्य प्रदेश में इन्दिरा सागर परियोजना को क्रमशः 71.25 करोड़ रु॰ और 37.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई थी। इस धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया था।

भारत सरकार ने 484.21 करोड़ रुपये के प्रतिपूर्ति योग्य व्यय के बदले में सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात के लिए मार्च, 1997 तक 430.76 करोड़ रुपये की विश्व बैंक ऋण सहायता के बदले अतिरिक्त केन्द्रीय ऋण सहायता भी स्वीकृत की है। जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे निम्नवत हैं:-

(करोड़ रु॰)

मध्य प्रदेश	–	172.21
महाराष्ट्र	–	81.58
गुजरात	–	176.97
कुल	–	430.76

केन्द्रीय जल आयोग के चेयरमेन के खिलाफ शिकायतें

1871. श्री सुख लाल कुशवाहा :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक केन्द्रीय जल आयोग के कार्यकारी चेयरमेन तथा मुख्य अभियंता के विरुद्ध अनियमितताओं तथा धोखाधड़ी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु इन शिकायतों तथा दोषी अभियंताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान आज तक केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियन्ता और अध्यक्ष के विरूद्ध विभिन्न आरोपों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से तीन शिकायतें आधारहीन पाए जाने के कारण फाइल कर दी गई हैं। शेष पांच शिकायतों की जांच की जा रही हैं।

इंदौर विमानपत्तन का उद्घाटन

1872. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवनिर्मित इंदौर विमानपत्तन के उद्घाटन के लिए किसी विशेष योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक प्रभावी किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान विमानपत्तन के चालू न होने के कारण जनता को हो रही असुविधा की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) जी, नहीं। इन्दौर विमानपत्तन पहले से ही मौजूद है। केवल टर्मिनल का आशोधन और विस्तार किया गया है।

(घ) और (ङ) इन्दौर विमानपत्तन के आशोधित और विस्तारित टर्मिनल भवन के प्रथम चरण की कमीशनिंग दिसम्बर, 1996 में हुई थी। द्वितीय और तृतीय चरण का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है तथा अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के बाद भवन की कमीशनिंग की जाएगी जिसके लिए आवश्यक धनराशि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पास जमा करा दी है।

[अनुवाद]

अध्यापकों की वेतन वृद्धि

1873. श्री सत्यपाल जैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के दक्षिण जिले में वर्ष 1996 में नियुक्त किये गये सर्वोदय विद्यालयों (कम्पोजिट स्कूल) के अनेक सहायक अध्यापकों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वेतन वृद्धि रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(घ) वेतन वृद्धि के कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दक्षिणी जिला में सर्वोदय विद्यालयों के सभी सहायक शिक्षकों को नियमित वेतनवृद्धियां दी जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक ऋण

1874. डा॰ रामविलास वेदान्ती : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा फूलपुर से आजमगढ़ बरास्ता मुगराबाद, शाहपुर, सथारिया, मछली शहर, सुजानगंज–बदलापुर सड़क के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सड़क के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में फूलपुर से आजमगढ़ सड़क का निर्माण प्रारंभ में विश्व बैंक की ऋण सहायता से शुरू करने का प्रस्ताव था। स्कीम को बाद में छोड़ दिया गया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विमानपत्तन डिवीजन के कर्मचारियों की हड़ताल

1875. श्री जी॰ वेंकटस्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राष्ट्रीय हवाईपत्तन डिवीजन के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन्हें स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां। एयरपोर्ट्स ऑथरिटी कामगार यूनियन और एयरपोर्ट्स ऑथरिटी टैक्नीकल स्टाफ यूनियन ने क्रमशः 24.6.97 और 23.6.97 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के नोटिस दिए थे। परन्तु, दोनों ही यूनियनों ने हड़ताल के नोटिस वापस ले लिए थे।

(ख) एयरपोर्ट्स ऑथरिटी कामगार यूनियन की मांगों की सूची में जो उप–मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में सुलह के लिए लम्बित पड़ी है, ये मांगें शामिल है :–

(1) बोनस, उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन, महंगाई भत्ते के बकाया आदि का भुगतान न होना; (2) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग के कर्मचारियों की तुलना में मकान किराया भत्ता और अन्य भत्तों के भुगतान में भेदभाव, (3) आवासीय भवनों का निर्माण, (4) कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के वेतन ढ़ांचे का संशोधन; (5) उत्तर पूर्व क्षेत्र के कर्मचारियों को विशेष भत्ता; (6) कैंटीन कर्मचारियों को खपाना तथा (7) मेडीकल दावों के नियमों में ढील।

भारतीय वायु सेना में कल पुर्जों की कमी

1876. श्री राम बहादुर सिंह :
श्री दिनेश चंद्र यादव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना को विशिष्ट सहयोगी वाहनों तथा उपस्करों की कमी के साथ–साथ अपने युद्ध विमानों के रख–रखाव हेतु अपेक्षित कल पुर्जों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय वायु सेना के युद्धक विमानों के उचित रखरखाव हेतु कल पुर्जों की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) भारतीय वायुसेना युद्धक वायुयानों और विशिष्ट सहायता वाहनों तथा उपस्करों के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की कुछ कमी महसूस करती आ रही है।

(ख) यह कमी मुख्य रूप से पूर्व सोवियत संघ के विघटन के कारण रूसी आपूर्तिकर्ता एजेंसियों द्वारा भारतीय वायुसेना की सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूरी न कर पाने की वजह से है।

(ग) इस मामले में समय-समय पर रूसियों के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की गई है। परिणामस्वरूप, स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

साक्षरता योजनाएं

1877. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय साक्षरता के प्रसार हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) साक्षरता दर में 1997-98 में वृद्धि करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) दिसम्बर, 1996 के अंत तक राज्यवार साक्षरता दर कितनी थी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वर्ष 1999 तक 15-35 आयु वर्ग के 10 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा गया है। इसका प्रमुख दृष्टिकोण साक्षरता की दिशा में जिलों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के आधार पर शुरू किए गए स्वयंसेवक आधारित संपूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से है। ये संपूर्ण साक्षरता अभियान जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इन समितियों में स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में अभी तक संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू नहीं किए जा सकें है उन क्षेत्रों के छोटे छोटे क्षेत्रों में साक्षरता संबंधी कार्य करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) दस वर्षीय जनगणना कार्यों के माध्यम से देश में साक्षरता के आंकडे एकत्रित किए जाते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर देश में विभिन्न राज्यों की साक्षरता दरें उपलब्ध हैं। बाद में कितनी साक्षरता दर बढ़ी है, इसका पता तभी चलेगा जब अगली जनगणना कराई जाएगी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा साक्षरता दर में वृद्धि के लिए कोई वर्ष वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रारंभ करने की अवधि से इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	79,15,717
2.	अरूणाचल प्रदेश	59,612
3.	असम	10,80,861
4.	बिहार	42,73,168
5.	गोवा	71,237
6.	गुजरात	61,27,821
7.	हरियाणा	3,05,780
8.	हिमाचल प्रदेश	5,26,229
9.	जम्मू और कश्मीर	1,63,892
10.	कर्नाटक	40,08,810
11.	केरल	15,60,152
12.	मध्य प्रदेश	47,12,956
13.	महाराष्ट्र	51,48,526
14.	मणिपुर	67,371
15.	मेघालय	84,284
16.	मिजोरम	61,919
17.	नागालैंड	63,123
18.	उडीसा	21,17,957
19.	पंजाब	5,53,922
20.	राजस्थान	27,50,767
21.	सिक्किम	13,604
22.	तमिलनाडु	61,49,032
23.	त्रिपुरा	1,74,130
24.	उत्तर प्रदेश	62,07,640
25.	पश्चिम बंगाल	89,01,669
26.	अंडमान और निकोबार	14,492
27.	चंडीगढ	41,404
28.	दादर और नागर हवेली	7,293
29.	दमन और दीव	3,451
30.	दिल्ली	3,78,187
31.	लक्षद्वीप	986
32.	पांडिचेरी	99,965
		6,36,45,457

[अनुवाद]

निजी एयरलाइनों को समाप्त करना

1878. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी मुम्बई आधारित विमान सेवाओं ने जनवरी, 1997 से अपनी उड़ान सेवाएं बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विमान सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उड़ानों को रद्द किए जाने के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कितने राजस्व का नुकसान हुआ है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) मैसर्स स्काईलाइन-एन ई पी सी एयरलाइंस ने जनवरी, 1997 से प्रचालन निलम्बित कर दिया है।

(ग) 31.5.97 की स्थिति के अनुसार, उक्त एयरलाइन की भारतीय विमानपत्तन को देय 174.16 लाख रुपए की राशि बकाया है।

कावेरी नदी प्राधिकरण

1879. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कावेरी नदी प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) क्या ऐसा प्राधिकरण स्थापित करना कर्नाटक के हितों के विपरीत होगा क्योंकि कर्नाटक ने अंतरिम आदेश को कार्यान्वित किए जाने के आदेश का विरोध किया है क्योंकि उसमें तमिलनाडु को कावेरी नदी का 205 टी॰एम॰सी॰ फिर पानी छोड़ने की बात कही गई है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी डब्ल्यू डी टी) के 25.6.1991 के अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन के वास्ते अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 6-क के तहत केन्द्र द्वारा "कावेरी नदी प्राधिकरण" के गठन की संकल्पना से संबंधित मसौदा स्कीम तैयार की गयी थी और 30.5.1997 को इसे पक्षकार राज्यों को उनके विचार जानने के लिए भेजा गया।

सभी बेसिन राज्यों के विचारों की जांच करने के बाद स्कीम को केवल गुणों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद मतभेदों को यथासंभव कम करने के लिए इन राज्यों के साथ एक बैठक की जा सकती है। तत्पश्चात अंतिम रूप से दी गयी स्कीम अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी। मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिलने पर इसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिनों के लिए रखा जाएगा।

संसद को संशोधन करने का अधिकार होगा, जिसमें इस प्रकार की स्कीम के न होने का निर्णय भी शामिल है और तब स्कीम केवल संशोधित रूप में प्रभावी होगी।

(ग) तमिलनाडु और संघ शासित राज्य पांडिचेरी की सरकारों ने कुछ परिवर्तनों के साथ कुल मिलाकर मसौदा स्कीम पर सहमति व्यक्त की है और केरल सरकार ने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय मांगा है। तथापि, कर्नाटक सरकार ने मसौदा स्कीम का कड़ा विरोध किया है और उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ विवाद का समाधान आपसी विचार विमर्श द्वारा करने के वास्ते कार्रवाई शुरू करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त. उन्होंने केन्द्रीय सरकार से इसके साथ ही राज्यों के बीच जल आबंटन के लिए राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों को शीघ्र अंतिम रूप देने के वास्ते कदम उठाने का भी अनुरोध किया है।

एयर डिफेंस शिप का विनिर्माण

1880. श्री एल॰ रमना :
श्री छतर सिंह दरबार :
लेफ्ट॰ जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी :
श्री के॰पी॰ सिंह देव :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर डिफेंस शिप का देश में ही निर्माण करने का निर्णय लिया है जैसा कि 23 जून, 1997 को "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर डिफेंस शिप को बनाने में 10 वर्ष लग सकते हैं तथा अब से एक दशक बाद जहाजों तथा पनडुब्बियों की वर्तमान संख्या में काफी कमी हो जायेगी;

(घ) यदि हां, तो उक्त जहाज के निर्माण पर कितना खर्च होने की संभावना है;

(ङ) क्या मझगांव डॉक लिमिटेड की क्षमता उपयोगिता विशेषरूप से पनडुब्बियों के क्षेत्र में निम्न स्तर की है जो मई, 1994 से व्यावहारिक रूप से बेकार पड़ी है और इसमें तकनीकी विशेषज्ञता का ह्रास होगा; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) हवाई रक्षा पोत के निर्माण का एक प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां। हवाई रक्षा पोत का निर्माण करने में लगभग 10 वर्ष लगेंगे। इस बीच, उपयुक्त बदलाई, अर्जनों आदि के माध्यम से पर्याप्त बल स्तर बनाए रखा जाएगा।

(घ) इस पर लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है।

(ङ) और (च) सरकार ने हाल ही में मॉझगांव डॉक लिमिटेड में दो पनडुब्बियों का निर्माण किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है ताकि मॉझगांव डॉक लिमिटेड में उपलब्ध विशेषज्ञता और सुविधाओं का उपयोग किया जा सके और बल-स्तर प्राप्त किए जा सकें।

यू॰एन॰डी॰पी॰ की रिपोर्ट

1881. **श्री सनत मेहता :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू॰एन॰डी॰पी॰, 1997 की रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधन विकास सूचकांक में विश्व के 175 देशों में भारत का स्थान 138वां है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) जन्म के समय अपेक्षाकृत निम्न जीवन प्रत्याशा, निम्न साक्षरता स्तर और निम्न वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, निम्न श्रेणी में होने के कारण हैं।

(ग) नौवीं पंच वर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण दस्तावेज (एप्रोच पेपर) के अनुसार योजना के लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: आर्थिक विकास दर में वृद्धि लाना, स्वच्छ पेय जल की न्यूनः म बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, सभी को समयबद्ध तरीके से आवास देना और उन्हें एक सूत्रबद्ध करना।

इसरो द्वारा टिटैनियम की खरीद

1882. **डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 1997 को "दक्कन क्रॉनिकल" में इसरो बाईस टिटैनियम, गेट्स ब्रिक्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिश्र धातु निगम ने एक जर्मन फर्म से एल्यूमिनियम वैनॉडियम मिश्र धातु का आयात किया था और बाद में इसी को टिटैनियम मिश्र धातु में परिवर्तित कर इसे इसरो को बेच दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) यह पाया गया था कि मिश्रधातु निगम लिमिटेड (मिधानि) द्वारा जर्मनी से आयातित 7.5 लाख रुपए मूल्य की अल्म्यूनियम वैनेडियम मास्टर एलॉय के 1,000 किलोग्राम की एक खेप को चुराकर उसके स्थान पर निर्माण ईंटें रख दी गई थी। इस चोरी का तत्काल ही उसी समय पता चल गया था जब मिधानी के निकासी एजेंट ने कम्पनी के प्रतिनिधियों को मुम्बई में इस खेप की सुपुर्दगी सौंपी थी।

(ग) और (घ) जी, हां। मिधानि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को आपूर्ति करने के लिए टिटेनियम एलॉय की अपनी उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जर्मनी से एल्म्यूनियम वैनेडियम मास्टर एलॉय का आयात करता आ रहा है।

(ङ) पुलिस में इस चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और महाराष्ट्र सरकार से इसकी शीघ्र जांच करने का अनुरोध किया गया है।

अमृतसर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देना

1883. **श्री सुखबीर सिंह बादल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब के अमृतसर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाही तथा अमृतसर के विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए उसे दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा तथा सुविधाएं कब तक दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) अमृतसर हवाई अड्डे पर सीमित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की पूर्ति के लिए कुछ सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। धावनपथ के विस्तार, तकनीकी ब्लाक व नियंत्रण टावर के निर्माण तथा एप्रन के विस्तार संबंधी कार्यों की योजना बनाई जा रही है। एअर इंडिया को भी बर्मिंघम के लिए अपनी उड़ाने पुनः शुरू करने के लिए कहा गया है। सुविधाओं का और स्तरोन्यन यातायात के परिमाण तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ताज महल में दरारें

1884. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल में अनेक दरारें आ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दरारों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और मरम्मत के इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) पुराने रिकार्डों के अनुसार ताजमहल में निर्माण-कार्य के तुरन्त बाद कुछ संरचनात्मक दरारें बढ़ गई थी। इनमें से अधिकांश दरारों को भर दिया गया है किन्तु उनमें से कुछ दरारों को पुनः अवलोकन के लिए मूल स्थिति में रखा गया है। पिछले वर्षों में लौह संधरों जिसे तापीय दरारों (धूप आदि के कारण) एवं दाब दरारों के अलावा पत्थरों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, के आक्सीकरण के कारण कुछ जमीनी दरारें भी हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निरन्तर इन दरारों पर ध्यान दिया जा रहा है।

कश्मीर में सैनिकों द्वारा वरिष्ठ साथियों को मारने की घटना

1885. श्री चित्त बसु :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

श्री उत्तम सिंह पंवार :

श्री जी॰ वेंकट स्वामी :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1997 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "जवान रन्स अमोक किल्स कॉल" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं जिनमें सैनिक अपने वरिष्ठ साथियों की हत्या कर रहे हैं, के कारणों की जांच कराई है अथवा कराए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सेना में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सेना के एक हवलदार ने जम्मू-कश्मीर में 15 जून, 1997 को एक कर्नल, एक कैप्टन और दो सूबेदारों को गोली से मार दिया था और उसके बाद स्वयं को गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

इन घटनाओं की जांच करने के लिए सेना मुख्यालय के स्तर पर एक अध्ययन के आदेश दे दिए गए हैं।

भारतीय वायु सेना हेतु "एयर बोर्न वार्निंग एण्ड कंट्रोल" प्रणाली

1886. श्री अजमीरा चन्दूलाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने "एयर बोर्न वार्निंग एण्ड कंट्रोल" प्रणाली हेतु 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो वायु रक्षा विमानों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रक प्रणाली की अधिप्राप्ति/विकास के लिए भारतीय वायुसेना से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सेना प्रशिक्षण कमान

1887. श्री डी॰पी॰ यादव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध के तात्कालिक तथा भविष्य के तरीकों के संबंध में सिद्धान्तों को तैयार करने हेतु सेना प्रशिक्षण कमान स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ नियम तैयार तथा प्रकाशित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितने प्रशिक्षण कमान स्थापित किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) सेना को संक्रियात्मक व सामरिक स्तरों पर वर्तमान व भावी युद्धपद्धति के लिए संकल्पनाएं और सिद्धान्त (संभारिकीय सहित) तैयार करके तथा उनका प्रचार-प्रसार करके युद्ध के लिए उसकी तैयारी में सहायता करने के लिए सेना प्रशिक्षण कमान की स्थापना की गई है जो संस्थागत प्रशिक्षण के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

सेना मुख्यालय ने सेना प्रशिक्षण कमान के कार्यों और ड्यूटी चार्टर के संबंध में आन्तरिक परिचालन के लिए प्रशासनिक अनुदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

बीजापुर में विमानपत्तन का निर्माण

1888. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बीजापुर में विमानपत्तन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पहले ही कराया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीजापुर में प्रस्तावित विमानपत्तन के निर्माण के लिए किसी स्थान का पता लगा लिया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार प्रस्तावित विमानपत्तन के लिए भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) क्या प्रस्तावित विमानपत्तन के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान कोई बजट प्रावधान किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त विमानपत्तन का निर्माण निजी क्षेत्र से कराने का है;

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित विमानपत्तन का निर्माण करने के लिए सरकार और निजी पक्षों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(छ) प्रस्तावित विमानपत्तन की अनुमानित लागत कितनी होगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार के अनुरोध पर 50 सीटों वाले विमानों के लिए एक नए विमानपत्तन के निर्माण के लिए भा॰वि॰प्रा॰ के एक दल ने बीजापुर शहर से 8 कि॰मी॰ दूर एक स्थल का पता लगाया है।

(ग) राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए लगभग 300 एकड़ भूमि का पता लगा लिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) अभी तक इस पक्ष पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

सैन्य अधिकारियों द्वारा भारी संख्या में पद छोड़ना

1889. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद बडी संख्या में सैन्य अधिकारी अपना पद छोड़ देंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूसरे क्षेत्रों में अधिक आकर्षक और बेहतर सुविधाओं के मद्देनज़र तकनीकी रूप से कुशल अधिकारी भी नौकरी छोडने पर विचार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद सेना अधिकारी बड़ी संख्या में सेवा छोड़ देंगे।

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद सेना से समय-पूर्व सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले तकनीकी अर्हता प्राप्त सेना अधिकारियों का प्रतिशत उनके संवर्ग की वास्तविक नफरी के एक प्रतिशत से भी कम है। जिन्हें समयपूर्व सेवानिवृत्ति मंजूर की गई है, उनकी संख्या तो और भी कम है। अतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि तकनीकी अर्हता प्राप्त लोग बड़ी संख्या में सेना छोड़ने की योजना बना रहे हैं।

मौजूदा नियमों में, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने, वैयक्तिक स्वरूप के सहानुभूतिशील कारणों आदि जैसी कुछ स्थितियों में सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। तथापि समयपूर्व सेवानिवृत्ति संबंधी प्रत्येक अनुरोध की समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जांच की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाती हैं कि सेवाओं के हितों पर कोई संकट न आए अथवा उनसे समझौता न करना पड़े।

[हिन्दी]

पत्तनों पर किया गया व्यय

1890. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों के दौरान देश के विभिन्न पत्तनों पर खर्च की गई भारी धनराशि का कोई लाभकारी परिणाम नहीं निकला;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पत्तन पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों के माध्यम से उपर्युक्त अनावश्यक खर्च की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे खर्च को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर क्या निर्देश दिए गए हैं; और

(ङ) मार्च, 1997 तक प्रयुक्त न किए गए पत्तनों और संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) कुछ मामलों में तथाकथित निष्फल व्यय के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और इनकी संबंधित महापत्तनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

(ङ) 1996-97 के दौरान विभिन्न महापत्तनों द्वारा किए गए योजना परिव्ययों के उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1996-97 के दौरान विभिन्न महा पत्तनों द्वारा किए गए योजना परिव्ययों के उपयोग के ब्यौरे

(करोड़ रु॰)

पत्तन का नाम	1996-97 के लिए अनुमोदित परिव्यय	किया गया व्यय	उपयोग का प्रतिशत
1. कलकत्ता/हल्दिया	42.50	26.21	(63%)
2. मुम्बई	74.60	89.95	(121%)
3. जे॰एल॰ नेहरू	68.00	49.88	(73%)
4. चेन्नई	115.00	96.57	(84%)
5. कोचीन	7.00	7.56	(108%)
6. विजाग	45.00	42.79	(95%)
7. कांडला	35.00	15.84	(45%)
8. मुरगांव	12.50	18.51	(148%)
9. पारादीप	107.00	62.01	(58%)
10. नव मंगलूर	40.00	56.61	(142%)
11. तूतीकोरिन	30.00	18.30	(61%)
जोड़	576.60	484.23	(84%)

मध्य प्रदेश में नीमच को विमान सुविधा प्रदान किया जाना

1891. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नीमच के "एविएशन क्लब" अन्य जन प्रतिनिधियों ने इस स्थान को विमान सेवा से जोड़ने की मांग की है;

(ख) क्या नीमच में सी॰आर॰पी॰एफ॰ का एक बड़ा केन्द्र है;

(ग) क्या नीमच में कभी-कभी विमानपत्तन सुविधा उपलब्ध रहती है और सामान्यतः सी॰आर॰पी॰एफ॰ सरकार के तथा अन्य विमान यहां उतरते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) नीमच स्थित हवाई पट्टी संबंधी नियंत्रण भारतीय वायुसेना का है और इस हवाई अड्डे के लिए कोई अनुसूचित विमान सेवाएं प्रचालित नहीं की जा रही हैं।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे पर यात्री संबंधी सुविधाएं विकसित करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1892. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनका उनके विरूद्ध कार्रवाई किये जाने से पहले उनके तैनाती के स्थानों से स्थानान्तरण कर दिया गया है;

(ख) प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है या आरंभ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारियों पर यथा लागू सी॰सी॰एस॰ (सी॰सी॰ए॰) नियमावली, 1965 के तहत कार्रवाई शुरू करने से पूर्व एक अधिकारी को उसके तैनाती स्थान से स्थानांतरित किया गया था। संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) और (घ) नियुक्तियों में अनियमितताओं तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर यथा लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन करने से संबंधित विभिन्न प्रकार के कदाचार के लिए तीन अन्य अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

काली सूची में शामिल फर्म द्वारा बिचौलिए के माध्यम से हथियारों की बिक्री

1893. श्री अमर पाल सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिनांक 5 जुलाई, 1997 "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में यथा प्रकाशित इस समाचार से अवगत है कि वर्ष 1986 के घूस के मामले के बाद काली सूची में शामिल स्वीडन की हथियार

निर्माण कंपनी "बोफोर्स" द्वारा प्रतिबंधों की अवहेलना करके भारत में बिचौलिए के माध्यम से हथियारों की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या स्वीडन की किसी फर्म से आयुध फैक्टरी बोर्ड द्वारा कुछ संघटकों की खरीद की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में फर्म का नाम तथा अन्य ब्यौरे क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) जब तक मैसर्स बोफोर्स एफ एच 77 बी तोप प्रणाली और तत्संबंधी गोलाबारूद की आपूर्ति के लिए की गई संविदा में कमीशन लेने वालों के नाम और पूरे ब्यौरे नहीं दे देती व धनराशि नहीं लौटा देती तब तक उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यह प्रतिबंध जारी है।

2. आयुध निर्माणी बोर्ड ने शस्त्र एवं गोलाबारूद के निर्माण के लिए स्वीडन की मैसर्स माइप्रो ए बी से 1993-94 से 1996-97 के दौरान लगभग 10.16 करोड़ रुपये मूल्य के संघटकों के वास्ते संविदा की थी। स्वीडन में भारतीय दूतावास ने इस बात की पुष्टि की थी कि मैसर्स माइप्रो ए बी के मैसर्स बोफोर्स के साथ कोई संबंध नहीं हैं।

एयर इंडिया के सदस्यों के सहयात्रियों को निःशुल्क टिकटें

1894. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के विशिष्ट क्लब-महाराजा के सदस्यों के सहयात्रियों को एयर इंडिया द्वारा निःशुल्क टिकटें प्रदान करने की पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से लाभान्वित हो चुके लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रियायत समाप्त करने के संबंध में प्रमुख विमान कम्पनियों के बीच कोई समझौता (औपचारिक अथवा अनौपचारिक) हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सह यात्रियों को विमान की निःशुल्क टिकटें प्रदान करने की योजना जारी रखने का क्या औचित्य है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां। एअर इंडिया ने महाराजा क्लब के सदस्यों को, एअर इंडिया के नेटवर्क में किसी भी श्रेणी में किसी भी गंतव्य के लिए पूर्ण किराया टिकट की खरीद की शर्त पर सहयात्री निःशुल्क टिकटों की पेशकश की।

(ख) 12 मई से 30 जून, 1997 की अवधि के दौरान 129 हिताधिकारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

(ग) और (घ) प्रमुख वाहकों के बीच छूट को पूरी तरह खत्म करने के लिए कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक समझौता नहीं हुआ है। तथापि, सभी एयरलाइनें आय में सुधार तथा छूट के स्तरों में कमी लाने की आवश्यकता को महसूस करती हैं।

(ङ) सह यात्री निःशुल्क योजनाएं मूल रूप से बिक्री प्रोन्नति योजनाएं हैं तथा अल्प अवधियों के लिए प्रचालन में रहती हैं।

जे॰एल॰एन॰ पत्तन न्यास का उन्नयन

1895. श्री नारायण अठावले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने सरकार को जहाज खड़ा करने हेतु स्थानों के विस्तार और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि मुम्बई पत्तन पर भीड़-भाड़ में काफी वृद्धि हुई है और गत दो वर्षों के दौरान एकत्र किए गए विलम्बनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुम्बई में पत्तनों पर अगले पांच वर्षों के लिए कितने यातायात भार का अनुमान लगाया गया है और इससे निपटने के लिए क्या नई पहल की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने समुद्री रसायन टर्मिनल के निर्माण और सभी श्रेणियों के तरल कार्गो हैंडल करने के लिए एक बर्थ के निर्माण के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ग) प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(घ) जी नहीं। मुम्बई पत्तन में भीड़-भाड़ के स्तर में बहुत वृद्धि हुई है तथा विलम्ब शुल्क पत्तन द्वारा वसूल नहीं किए जाते हैं।

(ङ) पत्तन क्षेत्र संबंधी कार्यदल ने सन् 2002 तक मुम्बई पत्तन पर 24.51 मिलियन टन यातायात का अनुमान लगाया है। 9वीं योजना के दौरान अनुमानित यातायात को हैंडल करने के लिए योजनागत निधियों तथा आबद्ध प्रयोक्ताओं और गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी मे माध्यम से अतिरिक्त क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 और 5 पर बाईपास बनाना

1896. श्री पी॰ उपेन्द्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजयवाड़ा शहर के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 9 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को एक बाईपास से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बाईपास की लम्बाई क्या है और इस परियोजना की लागत राशि क्या है; और

(ग) इस सड़क के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी के कारण बाइपासों को कम अग्रता प्रदान की जाती है। तथापि, व्यवहार्य परियोजनाओं पर निर्माण-प्रचालन और हस्तांतरण स्कीम के तहत विचार किया जा सकता है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आयुध एकक

1897. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आयुध एककों के लिए उन्नयन, विस्तार आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा क्षमता बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदर्भ क्षेत्र में परियोजना-वार रक्षा उत्पादन एककों में इस संबंध में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है और क्रियान्वित/विचाराधीन नए प्रस्तावों सहित उनके क्या परिणाम रहे और उनकी अनुमानित लागत क्या थी; और

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदर्भ क्षेत्र में नए एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) रक्षा मदों का उत्पादन संभावित खतरों और बदलती हुई प्रौद्योगिकी के अनुसार किया जाना होता है। यह लक्ष्य नए हार्डवेयर का विकास और उत्पादन करके प्राप्त किया जाता है। आयुध निर्माणियों में उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य पुराने और घिस चुके संयंत्र एवं मशीनरी के नवीकरण और प्रतिस्थापन के भाग के रूप में व्यवस्थित आधार पर किया जाता है। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार नई/अतिरिक्त क्षमताएं भी जुटाई जाती हैं। आयुध निर्माणियां रक्षेत्रर ग्राहकों के लिए उत्पादन के वास्ते अपनी अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग करके विविधीकरण के लिए भी सतत प्रयास कर रही है।

2. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में तीन आयुध निर्माणियां नामतः आयुध निर्माणी चांदा, आयुध निर्माणी अंबाझरी व आयुध निर्माणी भण्डारा अवस्थित हैं। आयुध निर्माणी भंडारा में 15.04 करोड़ रुपए के निवेश की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। आयुध निर्माणी अंबाझरी में 25 करोड़ रुपए के निवेश की परियोजना विचाराधीन है। इन तीनों निर्माणियों में वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान उन्नयन/आधुनिकीकरण पर व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

निर्माणी	उन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी व्यय		
	1994-95	1995-96	1996-97
आयुध निर्माणी चांदा	0.96	0.31	1.31
आयुध निर्माणी भण्डारा	0.91	0.82	0.57
आयुध निर्माणी अंबाझरी	7.11	5.88	4.17

3. चूंकि देश में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए इस समय महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अथवा देश में अन्यत्र कोई नई रक्षा उत्पादन यूनिटें स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान

1898. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर मंच कलाकारों के स्वयं सेवी संगठन और थियेटर एसोसियेशनों को अनुदान देने का प्रावधान किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : जी, हां।

संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समिति ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जन्में लगभग 100 प्रख्यात कलाकारों को आमंत्रित किया है ताकि उन्हें स्वतंत्रता को श्रद्धांजलि अर्पित करने और अपनी पसंद के किसी प्रदर्शन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की उपलब्धियों को उजागर करने हेतु अवसर प्रदान किया जा सके। प्रत्येक मामले में अधिकतम 50,000/- का अनुदान संस्वीकृत किया जाएगा।

नये डिपो खोलना

1899. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए कितने नये डिपो स्थापित किये गये हैं;

(ख) इनमें से कितने डिपो मध्य प्रदेश में है;

(ग) मध्य प्रदेश के नरयावाली, सागर जिलों मे इंडियन आयल तथा एच पी सी के डिपो शुरू किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन डिपो के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) विभिन्न अतिरिक्त उत्पाद टैंकेज कार्यक्रमों के अधीन गत 3 वर्षों के दौरान 12.3 लाख किलो लीटर वाले टैंकेज चालू किए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में निम्नांकित स्थानों पर टैंकेज चालू किए गए थे :-

स्थान	कंपनी	टैंकेज (किलो लीटर)
देहरी	आई ओ सी	8000
इटारसी	आई ओ सी	8376
भिट्टोनी	एच पी सी	5210
रायपुर	एच पी सी	12210
सतना	एच पी सी	500
योग		34296

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में सागर जिलान्तर्गत नरयावाली में इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के डिपो पूरी तरह चालू नहीं किए जा सके क्योंकि मध्य रेलवे द्वारा साइडिंग को मुख्य रेलवे ट्रेक से संबद्ध करने का काम पूरा नहीं किया जा सका। मध्य रेलवे द्वारा दिए गए नवीनतम संकेतों के अनुसार अगस्त, 1997 तक समस्त कार्य पूरा कर लिया जाएगा तथा सितम्बर/अक्तूबर, 1997 तक डिपुओं के चालू हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

मिथेन गैस हेतु लाइसेंस

1900. श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1997 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस" में "गुजरात गर्वनमेंट रिफ्यूजेज 6 टु लेट सेन्टर क्लेम राइट्स टु कोल गैस काल इट्स ऑन ग्लोबल बिड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में मिथेन गैस के अब तक बनाए गए कुल अनुमानित भंडार का ब्यौरा क्या है और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस स्रोत की खोज के लिए क्या कदम उठाए गए है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) जी हां।

(ख) फरवरी, 1994 और मार्च, 1997 में गुजरात सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य सरकार के भूविज्ञान एवं खनन विभाग द्वारा कोयला/लिग्नाइट बेड मिथेन (सी बी एम) के संबंध में संभावित प्रचालनों की अनुमति देने वाले खान और खनन (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की हैं।

(ग) राज्य सरकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि "सी बी एम" तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अंतर्गत यथा परिभाषित "पेट्रोलियम" और "प्राकृतिक गैस" की परिभाषा के भीतर आता है जिसके परिणामस्वरूप सी बी एम का अन्वेषण और दोहन केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रधिकार के दायरे में आते है।

(घ) देश में कोल बेड मिथेन (सी बी एम) के वर्तमान अनुमान अनन्तिम रूप से लगभग 1000 बिलियन घन मीटर होने के अनुमान लगाया गया है।

सी बी एम के अन्वेषण और दोहन की नई नीति को सरकार ने हाल ही में अनुमोदन दिया है। नीति प्रस्तावों में सी बी एम के अन्वेषण और दोहन के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली, इस प्रयोजन के लिए राजकोषीय और संविदात्मक कार्य ढांचे की व्यवस्था है तथा निवेशकों के लिए विशिष्ट प्रोत्साहनों का प्रावधान है।

बडे पत्तनों का विकास

1901. श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर–सरकारी सहयोग से मुख्य जिन्सों का निर्यात और आयात करने के लिए पूर्व और पश्चिम तटों के बड़े पत्तनों को विकसित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये पत्तन कौन–कौन से हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा नियुक्ति

1902. डा॰ बलिराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने रोटेशन सिस्टम से डीन और विभागाध्यक्ष के पद पर नए प्रोफेसर की नियुक्ति करने के बजाय मौजूदा डीन को अगले तीन वर्षों के लिए डीन और विभागाध्यक्ष नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विश्वविद्यालय कानून की धारा 25 का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उपकुलपति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निधियों का उपयोग

1903. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेल-कूद के विकास के लिए खेल परिसंघों सहित राज्य सरकारों तथा अन्य संबद्ध संगठनों द्वारा निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान खेल परिसंघों, अन्य संगठनों तथा राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उनके द्वारा. कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान, खेल परिसंघों तथा राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों/परिसंघों को केवल उसी सूरत में धनराशि जारी की जाती है जब पहले जारी की गयी धनराशि के संबंध में लेखे तथा उपयोग प्रमाण-पत्र मिल जाता है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष-वार मंजूर की गयी रकम

क्र॰सं॰	परिसंघ का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आल इंडिया कैरम फेडरेशन	31,113	1,08,093	56,250	2,90,772	3,72,389
2.	आल इंडिया चैस फेडरेशन	15,33,031	22,26,757	23,30,332	20,66,319	35,58,937
3.	आल इंडिया कराटे डो फेडरेशन	2,25,000	28,125	84,375	—	—
4.	अखिल भारतीय बधिर खेलकूद परिषद	4,77,403	10,85,130	1,45,633	8,37,317	9,42,564
5.	एमेच्योर हैंडबाल फेडरेशन	5,20,350	11,99,960	3,06,250	3,12,500	4,87,500
6.	बास्केटबाल फेडरेशन आफ इंडिया	4,09,756	1,87,500	1,31,250	4,12,500	4,86,870
7.	रोलर स्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया	-	-	-	-	-
8.	साइकिल पोलो फेडरेशन आफ इंडिया	30,570	1,77,275	-	-	2,40,571
9.	जिमनास्टिक फेडरेशन आफ इंडिया	3,83,291	7,29,816	7,90,766	4,67,404	8,76,324
10.	इंडियन बाडी बिल्डिंग फेडरेशन	2,20,914	1,12,500	-	75,000	12,500
11.	इंडियन गोल्फ यूनियन	23,298	-	47,985	-	-
12.	इंडियन पोलो एसोसिएशन	30,895	35,847	-	42,523	94,423
13.	जूडो फेडरेशन आफ इंडिया	5,38,421	20,58,115	41,02,454	9,46,086	26,28,624
14.	साफ्ट बाल एसोसिएशन आफ इंडिया	3,93,750	93,750	2,81,250	1,33,100	1,68,750
15.	लाइकबोडो फेडरेशन आफ इंडिया	77,691	1,06,800	65,623	1,48,010	-
16.	ठेन्नीकोइट फेडरेशन आफ इंडिया	50,000	-	3,00,000	1,68,750	2,06,250
17.	वालीबाल फेडरेशन आफ इंडिया	11,75,080	11,45,988	12,58,329	21,32,297	20,99,561

1	2	3	4	5	6	7
18.	वूमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन आफ इंडिया	-	-	-	31,755	-
19.	थ्रोबाल फेडरेशन आफ इंडिया	-	-	-	-	3,93,750
20.	ब्रिज फेडरेशन आफ इंडिया	1,48,734	-	-	-	-
21.	इंडियन कायकिंग एण्ड कैनोइंग फेडरेशन आफ इंडिया	-	7,31,300	-	9,12,140	1,08,050
22.	स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया	42,250	6,95,588	9,89,824	6,32,415	11,99,187
23.	नेटबाल फेडरेशन आफ इंडिया					3,18,750
24.	भारतीय ओलंपिक संघ	31,32,102	19,82,902	53,83,543	84,49,493	-
25.	फिजीकल हैंडीकेप्ड स्पोर्ट्स काउन्सिल आफ इंडिया (मान्यता प्राप्त नहीं)	2,59,920	-	-	-	6,94,395
26.	विंटर गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (मान्यता प्राप्त नहीं)	1,74,840	-	-	-	1,18,560
27.	बाल बैडमिंटन फेडरेशन आफ इंडिया	68,958	4,43,750	19,750	1,68,500	2,81,250
28.	एमेच्योर बेसबाल फेडरेशन आफ इंडिया	2,21,040	2,25,000	75,000	2,18,750	3,82,075
29.	याटिंग एसोसिएशन आफ इंडिया	26,19,282	17,00,056	10,53,111	14,41,550	18,66,557
30.	रोइंग फेडरेशन आफ इंडिया	-	16,23,956	-	-	3,08,790
31.	आर्चरी एसोसिएशन आफ इंडिया	5,46,054	17,93,890	10,36,956	6,04,336	12,19,507
32.	बैडमिण्टन एसोसिएशन आफ इंडिया	5,10,593	29,88,541	4,87,194	7,26,321	4,45,980
33.	बिलयर्ड्स एण्ड स्नूकर फेडरेशन आफ इंडिया	69,127	1,90,185	93,511	1,60,315	87,750
34.	इंडियन एमेच्योर बाक्सिंग फेडरेशन आफ इंडिया	8,03,331	20,14,077	11,09,362	22,58,734	11,98,690
35.	साइक्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया	10,61,032	17,95,495	2,31,760	-	-
36.	भारतीय घुड़सवारी संघ	3,36,914	7,25,327	3,09,402	8,36,501	2,08,410
37.	आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन	3,39,852	12,27,715	11,74,930	19,40,619	23,07,800
38.	भारतीय हाकी संघ (पुरूष)	22,07,057	46,77,326	39,70,402	80,54,831	23,15,087
39.	भारतीय महिला हाकी संघ	12,60,232	28,43,820	33,85,231	12,70,006	25,98,914
40.	आल इंडिया टेनिस एसोसिएशन	5,13,062	2,57,594	1,50,170	-	-
41.	इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन	-	2,75,000	1,75,000	10,31,250	1,75,000
42.	स्क्वैश रैकेट फेडरेशन आफ इंडिया	83,924	-	1,38,998	-	75,000
43.	भारतीय तैराकी संघ	11,29,700	16,06,010	7,15,000	4,94,218	12,25,728
44.	नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया	5,64,487	13,27,095	21,74,548	23,67,730	55,92,688
45.	टेबल टेनिस फेडरेशन आफ इंडिया	3,99,319	17,35,807	24,28,144	15,19,312	12,79,629
46.	भारतीय भारोत्तोलन संघ	14,40,157	21,21,776	8,87,153	14,20,846	11,69,624
47.	भारतीय कुश्ती संघ	31,78,708	43,75,488	23,09,219	33,28,797	25,89,435
48.	एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया	18,58,048	33,20,780	47,59,662	2,02,383	9,23,005
49.	एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन आफ इंडिया	2,73,750	75,000	3,18,750	3,50,000	-
50.	ज॰ ने॰ हाकी टूर्नामेंट सोसायटी (मान्यता प्राप्त नहीं)	81,060	1,33,268	1,82,654	2,31,462	8,98,769
51.	विकलांगों के लिए भारतीय पुनर्वास एवं खेलकूद परिषद (मान्यता प्राप्त नहीं)	12,000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
52.	इंडियन वेटरन एथलीट्स फेडरेशन (मान्यता प्राप्त नहीं)	–		1,84,975	–	–
53.	खो-खो फेडरेशन आफ इंडिया	–		–	75,000	5,81,250
54.	वूमेन फुटबाल फेडरेशन आफ इंडिया	–	–	–	4,26,588	–
55.	आत्या-पात्या फेडरेशन आफ इंडिया	–	–	–	–	–
56.	शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया	–	–	–	–	2,16,171.

पिछले 5 वर्षों के दौरान खेल अवस्थापना के सृजन हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए अनुदानों का विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	13,00,000	21,50,000	शून्य	12,50,000	21,50,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	10,86,000	20,65,000	शून्य
3.	असम	4,50,000	–	शून्य	46,20,000	8,00,000
4.	बिहार	–	34,50,000	शून्य	25,92,400	शून्य
5.	गोवा	20,00,000	10,00,000	19,00,000	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	52,62,758	–	शून्य	5,17,242	43,200
7.	हरियाणा	4,49,000	–	97,50,000	38,88,000	98,33,400
8.	हिमाचल प्रदेश	37,250	70,78,000	45,50,000	1,86,000	89,10,400
9.	जम्मू व कश्मीर	–	22,50,000	शून्य	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	20,02,500	12,32,500	15,74,250	64,34,000	836,37,058
11.	केरल	17,19,250	18,08,250	16,59,800	6,00,100	19,13,400
12.	मध्य प्रदेश	44,10,000	13,00,000	85,00,000	70,00,000	शून्य
13.	महाराष्ट्र	1,17,37,443	6,82,28,000	10,00,000	1,17,90,500	18,00,000
14.	मणिपुर	–	–	87,50,000	शून्य	43,50,000
15.	मेघालय	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	–	–	शून्य	1,07,74,500	86,19,600
17.	नागालैंड	–	40,00,000	75,00,000	25,00,000	शून्य
18.	उड़ीसा	19,50,000	1,95,000	45,000	4,95,000	90,00,000
19.	पंजाब	51,73,225	–	शून्य	शून्य	2,50,000
20.	राजस्थान	4,17,250	1,04,95,00	शून्य	8,25,000	12,30,000
21.	सिक्किम	5,93,257	–	13,15,918	शून्य	2,48,454
22.	तमिलनाडु	1,33,32,525	7,42,625	54,770	3,32,925	35,15,575
23.	त्रिपुरा	–	–	64,50,000	शून्य	14,50,000
24.	उत्तर प्रदेश	–	1,06,50,000	1,31,45,512	54,39,488	8,00,000

1	2	3	4	5	6	7
25.	पश्चिम बंगाल	41,15,542	40,18,500	4,95,000	5,86,490	35,00,000
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
27.	चण्डीगढ़	38,800	17,50,000	शून्य	1,75,500	1,75,500
28.	दादर व नागर हवेली	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दवन व दीव	19,69,200	2,00,000	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली	–	50,000	शून्य	शून्य	12,50,000
31.	पांडिचेरी	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	–	–	शून्य	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बाई पास

1904. श्री एस॰पी॰ जायसवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में वाराणसी-रामनगर-नियताबाद-चंदौली बाई पास के निर्माण में हो रहे विलम्ब की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस बाई पास को यथाशीघ्र कब तक निर्मित करा दिए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) माननीय सदस्य संभवतः उत्तर प्रदेश में रा॰रा॰-2 पर वाराणसी-रामनगर-मुगलसराय बाइपास का उल्लेख कर रहे हैं।

(ख) विलम्ब के कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) मूल ठेके दार की असफलता जिसे घटिया कार्य निष्पादन के कारण दिसम्बर, 1992 में निष्कासित किया गया।

(2) शेष कार्य जून, 1993 में सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया जो उसके संसाधन जुटाने के पश्चात् फरवरी, 1994 में कार्य को दोबारा शुरू कर सका।

(3) समग्र वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपर्याप्त संसाधन।

(ग) इस कार्य को दिसम्बर, 97 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाना

1905. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महिला और बाल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश में कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई;

(ख) क्या सभी स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आवश्यक सामान का वितरण जिलों या मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया है और यदि यह मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया है तो क्या इसे जिलों को सप्लाई कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) केन्द्रीय सरकार महिला एवं बाल विकास स्कीम नामक कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रही है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

उड़ीसा में यात्री निवास

1906. श्री मुरलीधर जैना : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुल कितने यात्री निवास हैं तथा वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्यम वर्ग के घरेलू पर्यटकों को रहने की सुविधाएं प्रदान कराने के लिए राज्य में नया यात्री निवास बनाने का था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य के वर्तमान यात्री निवास में क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं तथा उसमें कमरों का वर्तमान प्रभार कितना है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने उड़ीसा में चांदीपुर और पुरी में यात्री निवास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। उड़ीसा में नए यात्री निवासों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वर्ष 1997-98 के दौरान मध्यम वर्ग के स्वदेशी पर्यटकों को रहने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्यटक परिसरों के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता दी गई है।

(घ) से (च) दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्री निवासों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं मे कमरे, शयनशालाएं, रेस्तरां, स्वागत क्षेत्र आदि हैं।

द्रविड़ भाषा के विद्यालय/विश्वविद्यालय

1907. श्री सिद्दैया कोटा :

श्री के॰पी॰ नायडू :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में द्रविड़ भाषाओं के कितने विद्यालय/विश्वविद्यालय हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या द्रविड़ भाषाओं के नये विद्यालयों/विश्वविद्यालयों को स्थापित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास द्रविड़ भाषा के स्कूलों की संख्या से संबंधित कोई ब्यौरा नहीं है क्योंकि ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। द्रविड़ विश्वविद्यालयों की संख्या के संबंध में ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) कन्नड़ विश्वविद्यालय (हम्पी),

(2) पोट्टी श्रीरामुलू तेलुगू विश्वविद्यालय (हैदराबाद),

(3) तमिल विश्वविद्यालय (तंजावूर)

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने एक द्रविड़ विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया है। कतिपय पूर्व शर्तों को पूरा करने की शर्त पर राज्य विश्वविद्यालयों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्रीय अनुदान की सहायता प्राप्त करने के वास्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक स्थापित और निर्धारित प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इन पर कार्यवाही होती है।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

1908. श्री कचरू भाऊ राउत :

श्री एन॰जे॰ राठवा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों/उपक्रमों में विभिन्न पदों पर कुल कितनी भर्ती की गई है;

(ख) इन पदों पर चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का पदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों/उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कुछ और पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पदवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) आरक्षित रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसके प्राप्त होते ही उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

1909. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा में छात्र और छात्राओं के नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक नामांकन पर व्यय में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने नए प्राथमिक स्कूल खोले गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूलों में छात्र और छात्राओं के नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर उपलब्ध सूचना के आधार पर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रत्येक नामांकन पर व्यय में हुई वृद्धि के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन की वृद्धि दर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिशत (1993-94)		प्रतिशत (1994-95)		प्रतिशत (1995-96)	
	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1.90	2.91	3.15	4.46	2.39	3.99
अरुणाचल प्रदेश	3.26	7.63	3.41	4.38	2 64	7.60
असम	8.80	24.27	0.86	0.51	1.02	1.03
बिहार	*	*	2.37	2.78	*	2.60
गोवा	*	*	*	*	*	*
गुजरात	2.85	3.18	1.15	0.83	*	*
हरियाणा	*	*	*	4.30	5.82	6.94
हिमाचल प्रदेश	6.45	2.65	1.19	1.19	1.10	1.09
जम्मू और कश्मीर	0.36	4.90	2.49	3.68	0.02	0.00
कर्नाटक	0.25	0.31	2.03	4.06	3.51	3.02
केरल	*	*	*	*	*	*
मध्य प्रदेश	0.74	0.64	1.11	*	3.39	7.46
महाराष्ट्र	2.00	2.77	2.66	4.35	1.24	2.56
मणिपुर	10.35	10.11	*	*	6.60	10.65
मेघालय	4.58	5.97	5.66	3.75	*	0.23
मिजोरम	1.73	0.69	*	*	2.60	2.09
नागालैंड	2.11	1.48	1.29	0.93	1.67	7.37
उड़ीसा	*	*	*	0.95	0.84	1.13
पंजाब	0.41	0.96	*	1.89	*	0.97
राजस्थान	7.72	1.68	5.46	8.96	4.25	12.87
सिक्किम	1.11	0.62	3.63	6.07	2.28	7.72
तमिलनाडु	*	3.36	2.78	*	0.96	1.16
त्रिपुरा	*	*	4.00	5.84	1.90	1.66
उत्तर प्रदेश	उ०न०	उ०न०	0.00	0.00	उ०न०	उ०न०
पश्चिम बंगाल	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.84	0.61	0.44	1.01	*	*

1	2	3	4	5	6	7
चंडीगढ़	9.66	9.90	0.46	1.55	*	2.38
दादर और नागर हवेली	8.67	12.11	7.59	12.76	7.60	6.90
दमन और दीव	1.24	0.75	1.80	4.76	4.12	4.94
दिल्ली	0.98	*	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.93	*	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.39	*	*	0.46	*	*

* इस अवधि के दौरान कोई सकारात्मक वृद्धि नहीं हुई हैं।

पाकिस्तान द्वारा जमा किए गए प्रक्षेपास्त्र

1910. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेनाध्यक्ष ने हाल ही में यह कहा है कि पाकिस्तान ने भारत से लगी अपनी सीमा पर प्रक्षेपास्त्र तैनात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने सियाचिन से अपने सैन्य बलों को हटाए जाने का खंडन किया है;

(ग) क्या भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर कोई भी प्रक्षेपास्त्र तैनात नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां। सेनाध्यक्ष ने एक साक्षात्कार में बताया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर प्रक्षेपास्त्र तैनात किए हैं।

(ख) पाकिस्तान के पास प्रक्षेपास्त्र होने और सियाचिन में हमारे सैनिकों की मौजूदगी का कोई सीधा सह-सबंध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगी भारत की सीमा पर पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तैनाती से संबंधित रिपोर्टों का खंडन किया है।

शासन संबंधी आदर्श आचार संहिता

1911. **श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शासन संबंधी आदर्श आचार संहिता बनाने का आग्रह किया है ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप कम किया जा सके और शैक्षणिक स्तर में सुधार लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) योजना आयोग के सदस्य सचिव ने, एक पत्र में उच्च शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालयों में कार्य-निष्पादन के आधार पर वित्त पोषण की एक प्रणाली का सुझाव दिया है। वास्तव में यह सुझाव न्यायमूर्ति के पुन्नैया की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया में इस विचार का व्यापक समर्थन किया है। तथापि, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को शासित करने वाले विधान में निहित प्रावधानों के अनुसार ब्यौरे तैयार करने पड़ते हैं।

[हिन्दी]

संयुक्त उद्यम में विमान सेवाएं

1912. **श्री नन्द कुमार साय : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी एयरलाइनों द्वारा संयुक्त उद्यम में विमान सेवा के प्रचालन पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अनिवासी भारतीयों ने घरेलू विमानन क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, हां। जिन कंपनियों में एन आर आई इक्विटी मंजूर की गई है उनको दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मौजूदा नीति के अनुसार, अंतर्देशीय परिवहन सेवा क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक एन॰आर॰आई॰/ओ॰सी॰बी॰ निवेश अनुमत्य है। तदनुसार, एन आर आई भागीदारी वाली विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए अनुमति देने के लिए प्रस्तावों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत विचार किया जाता है।

विवरण

जिन कम्पनियों में अनिवासी भारतीय इक्विटी को मंजूरी दी गई है उनके नाम

क्र॰सं॰	कम्पनी का नाम	विदेशी/एनआरआई इक्विटी का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1.	जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड*	गल्फ एयर द्वारा 20 प्रतिशत विदेशी इक्विटी कुवैत एयर द्वारा 20 प्रतिशत विदेशी इक्विटी 60 प्रतिशत एन आर आई इक्विटी।	एक अनुसूचित निजी प्रचालक
2.	लुफ्थांसा कार्गो इंडिया प्रा॰ लि॰**	95 प्रतिशत एन आर आई/ओसीबी इक्विटी (हिन्दुजा समूह द्वारा 57 प्रतिशत एन आर आई) (लुफ्थांसा एनजी, जर्मनी द्वारा 38 प्रतिशत)	एयर कार्गो सेवाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारी।
3.	टी॰सी॰जी॰ एविएशन प्रा॰लि॰	टी सी जी एविएशन, मारीशस द्वारा 100 प्रतिशत एन आर आई/ओ सी बी इक्विटी।	एयर कार्गो सेवाएं प्रचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है।
4.	एलबी एयरलाइंस	सीएलएलबी एविएशन होल्डिंग (मारीशस) लिमिटेड द्वारा 55.84 प्रतिशत एन आर आई/ओ सी बी इक्विटी।	एक गैर अनुसूचित एयर कार्गो प्रचालक।
5.	मैसर्स ट्रांस इंडिया एयरलाइंस प्रा॰लि॰	50 प्रतिशत एन आर आई/ओ सी बी इक्विटी	अनुसूचित विमान सेवाएं प्रचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र पहले से ही है।
6.	मैसर्स एश्योर्ड एयरवेज लिमिटेड	मैसर्स अजीत राघव एण्ड ऐसोशिएट्स द्वारा 50 प्रतिशत एन आर आई निवेश।	गैर अनुसूचित विमान सेवाएं प्रचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र पहले से ही है।
7.	मैसर्स डेक्कन एयरलाइंस	51 प्रतिशत एन आर आई इक्विटी निवेश	अनुसूचित विमान सेवाएं प्रचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने हेतु आवेदन कर चुका है।
8.	मैसर्स महर्षि इंटरनेशनल विजिनेस डिवेलपमेंट लिमिटेड	100 प्रतिशत एन आर आई इक्विटी।	गैर-अनुसूचित विमान सेवाएं प्रचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने हेतु आवेदन कर चुका है।

* अंतर्देशीय विमानकम्पनियों में विदेशी विमान कम्पनियों के इक्विटी निवेश को निषिद्ध करने वाले मंत्रिमंडलीय निर्णय के बाद 6 माह के अंदर विदेशी विमानकंपनियों से इंक्विटी का विनिवेश किया जाना है।

** यह कम्पनी अंतर्देशीय सेक्टर पर प्रचालन नहीं करती।

[अनुवाद]

तेल योजनाएं

1913. डा॰ राम कृष्ण कुसमरिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की विभिन्न तेल योजनाएं और परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो ये कब से लम्बित पड़ी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) से (घ) बीना में मध्य भारत तेल शोधन कारखाने के लिए एक विपणन टर्मिनल की स्थापना हेतु भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव सरकार के पास अनुमोदन के लिए लम्बित है। परियोजना की अनुमानित लागत (सितम्बर, 1996 की कीमतों पर) 463.4 करोड़ रुपए है। सरकार के अनुमोदन की तारीख से 36 महीनों में परियोजना के पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जलाशय

1914. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश में मण्डाला से नर्मदा नदी जल को निकालकर राजीव गांधी जलाशय में डालने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना धनराशि खर्च होने की संभावना है और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा;

(घ) इस संबंध में स्वीकृति कब तक दे दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय नदियों पर पत्रिका

1915. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय नदियों तथा उनके संरक्षण के संबंध में एक पत्रिका प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी पत्रिका प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मिग-29 विमानों को "ओवरहाल" किया जाना

1916. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के कई मिग-29 विमानों की ओवहालिंग की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते के अनुसार इनका ओवरहाल रूस की कंपनी द्वारा किया जाना था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनी ने इन मिग विमानों का ओवरहाल करने से इन्कार कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार रूस की कंपनी से और अधिक मिग-29 विमान खरीदने पर बातचीत कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) मिग-29 वायुयान की 11 वर्ष पश्चात अथवा 800 घंटे की उड़ान भर लेने के बाद भारी संपूर्ण मरम्मत की जानी होती है। यह वायुयान 1986 से सेवा में रहा है और अब इसकी संपूर्ण मरम्मत की जानी है।

(ग) से (च) इन वायुयानों की संपूर्ण मरम्मत के लिए किसी रूसी कंपनी अथवा किसी अन्य विदेशी एजेंसी के साथ कोई संविदा नहीं है। मिग-29 वायुयानों की संपूर्ण मरम्मत के लिए भारत में सुविधाएं स्थापित कर ली गई हैं।

(छ) इस समय कोई और मिग-29 वायुयान खरीदे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली के लिए एअर कौरीडोर का विभाजन

1917. श्री सुरेश कलमाडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली-कराची मार्ग पर पड़ने वाले एअर कौरीडोर का विभाजन किया है; और

(ख) नई मार्ग पद्धति को कब से शुरू किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) 14 अगस्त, 1997 से।

भारतीय सड़क निर्माण निगम को बंद करना

1918. श्री चित्रसेन सिंकु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सड़क निर्माण निगम को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय सड़क निर्माण निगम की लीबिया स्थित परियोजना में मशीनरी और उपकरणों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भेजे जाने की बजाय भारतीय सड़क निर्माण निगम के अधिकारियों को भेजे जाने के क्या कारण है; और

(च) यदि भारतीय सड़क निर्माण निगम को बंद किया जा रहा है, तो 1996 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भारतीय सड़क निर्माण संगठन के कर्मचारियों के "बायोडाटा" पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) भारतीय सड़क निर्माण निगम को बंद करने अथवा उसका पुनरूद्धार करने के मुद्दे पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) और (घ) भारतीय सड़क निर्माण निगम की लीबिया स्थित परियोजना में मशीनरी और उपकरणों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) भारतीय सड़क निर्माण निगम के अधिकारियों को मशीनरी की स्थिति, मरम्मत की संभावित लागत, मशीन को स्थानीय रूप से बेचने अथवा उसका पुनर्निर्यात करने की संभावना का पता लगाने के लिए और अपनी सिफारिशें देने के लिए भेजा गया था।

(च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में पद प्रतिनियुक्ति/चयन आधार पर भरे जाते हैं और इसके लिए भारतीय सड़क निर्माण निगम के कर्मचारियों पर भी विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

रानी अवंती बाई सागर बांध

1919. श्री प्रहलाद सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर में भूकंप के कारण रानी अवंतीबाई सागर बांध को कितनी क्षति हुई;

(ख) क्या इस संबंध में कोई वैज्ञानिक जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के एक संयुक्त दल ने 24 मई, 1997 को रानी अवन्ती बाई सागर (बार्गी) बांध का निरीक्षण किया। उपर्युक्त दल द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, भूकप के कारण अवन्ती बाई सागर बांध को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित फाइलें

1920. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और उन्नीस सौ चालीस के दशक से संबंधित आजाद हिन्द फौज पर बनी उन फाइलों की संख्या कितनी है जो उनके मंत्रालय में पड़ी हुई हैं;

(ख) क्या इन फाइलों को राष्ट्रीय अभिलेखागार को अंतरित किए जाने की कोई योजना है ताकि शोधकर्त्ता उनका अध्ययन कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो इन फाइलों के कब तक अंतरित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) 990 फाइलें/फोल्डर।

(ख) जी, हां।

(ग) अगस्त, 1997 के अंत तक।

रक्षा बलों से अधिकारियों का पलायन

1921. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों के चार हजार से भी अधिक अधिकारियों ने अपनी सेवा की अनिवार्य अवधि पूरी होने के बाद उन्हें सेवामुक्त करने का अनुरोध करते हुए अर्जी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन अधिकारियों का सेवावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टियों का निर्माण

1922. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों (उतरांचल) में पर्यटकों की सुविधा के लिए कुछ स्थानों पर हवाई पट्टियों (रनवे) का निर्माण किया जा रहा है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पिथौरागढ़ और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा मंत्रालय की हवाई पट्टियों का विस्तार करके यात्री विमानों के लिए ट्रांजिट सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर नवोदय विद्यालय को आबंटन

1923. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन पर प्रतिमाह कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या विद्यालय प्रबन्धन में भ्रष्टाचार के कारण विद्यार्थियों को उचित भोजन से भी वंचित रहना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान नवोदय विद्यालयों को किए गए वित्तीय आवंटन का विवरण निम्न प्रकार है :—

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	योजनेतर	योजनागत	कुल
1995-96	56.39	192.09	248.48
1996-97	58.57	196.68	255.25
1997-98	61.65	166.84	228.49

(ख) 1996-97 के दौरान योजना पर किया गया खर्च 362 रुपए प्रतिछात्र प्रतिमाह था। 1997-98 में 425 रुपए प्रतिछात्र प्रतिमाह की राशि भोजन के लिए आवंटित की गई है और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के मामले में यह राशि 450 रुपए है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण

1924. डा॰ साहेबराव सुकराम बागूल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेलकूद प्राधिकरण, पटियाला द्वारा कितने जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) क्या जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण देने के संबंध में कोई आरक्षण है;

(ग) यदि हां, तो आरक्षण का लाभ उठाने वाले जनजातीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्य केन्द्रों में प्रशिक्षण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षक बनने के लिए 48 जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों से लिए गए 694 युवा खिलाड़ियों को, भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, प्रशिक्षण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के दौरान जनजातीय उम्मीदवारों को आयु में अधिकतम तीन वर्ष की छूट उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी योजनाओं के अंतर्गत सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करता है।

[हिन्दी]

नकली रसोई गैस सिलेंडर

1925. श्री देवी बक्स सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार कुल कितने एल॰पी॰जी॰ सिलेंडरों का उत्पादन हुआ और इसके उत्पादन के कौन-कौन सी कंपनियां लगी हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को उपभोक्ताओं को नकली सिलेंडर की आपूर्ति किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान समग्र देश में अनुमोदित एल पी जी सिलेन्डर निर्माताओं से तेल उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए एल पी जी सिलेन्डरों की कुल संख्या निम्नवत् है :—

वर्ष	सिलेन्डरों की संख्या
1994-95	6443067
1995-96	5684541
1996-97	7241298

(ख) और (ग) नकली सिलेन्डरों की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, नकली सिलेन्डरों का पता भरण संयंत्रों पर चलता है, जहां पता लगने पर ऐसे सिलेन्डर अलग कर दिए जाते हैं, विकृत कर दिए जाते हैं तथा अंतिम निपटान के पूर्व कुचल दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

राज्यों के बीच विवाद

1926. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के बीच विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक के संबंध में जल बंटवारे संबंधी कितने विवाद हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन विवादों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) दो अन्तर्राज्यीय विवादों अर्थात (1) कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पाण्डिचेरी के बीच कावेरी जल विवाद तथा (2) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू व कश्मीर के बीच रावी व्यास जलविवादों पर निर्णय देने के लिए गठित दोनों अधिकरणों के समक्ष ये विवाद प्रस्तुत हैं। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य ने कर्नाटक ओर महाराष्ट्र राज्यों द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णय का उल्लंघन करने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है। इसी प्रकार कर्नाटक राज्य ने कावेरी जल विवाद अधिकरण के निर्णय एक तरफ कर्नाटक राज्य और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच विवाद से संबंधित मामले में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य और संघ सरकार प्रतिवादी हैं।

चूंकि यह मामला पहले से ही न्यायालय में प्रस्तुत है इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार ही की जा सकती है।

शिक्षकों की कमी

1927. श्री खेलसाय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नवयुग विद्यालय के शिक्षकों को वेतनमान अन्य सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से अधिक है;

(ख) क्या इन विद्यालयों में विशेषकर पेशवा रोड स्थित विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या किसी एक विषय के शिक्षक को अन्य विषय पढ़ाने के लिए कहा जाता है जबकि उसे उस विषय का बहुत कम ज्ञान होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर परिषद् ने सूचित किया है कि नवयुग विद्यालयों के शिक्षकों का वेतनमान अन्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान से अधिक है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। मुख्य कारण कुछ शिक्षकों के त्याग-पत्र और स्कूलों का स्तरोन्नयन हैं।

(घ) और (ङ) उन शिक्षकों को उत्तरदायित्व सौंपकर के स्टॉप गैप व्यवस्था की गई है जिनके पास स्नातक स्तर पर संबद्ध विषय अथवा बी॰एड॰ स्तर पर एक शिक्षण विषय रहा है।

रिक्त पदों के लिए नियुक्तियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देश के कारण रोक दी गई थीं। इसका समाधान कर लिया गया है और शिक्षकों की भर्ती/नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर पुल

1928. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर जुआरी नदी के ऊपर पुल की क्या स्थिति है;

(ख) मोल्टमेकडोनाल्ड रिपोर्ट के बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह पुल यातायात के लिए सुरक्षित है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस नदी पर एक नए पुल के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जुआरी पुल को 14.4.1983 को यातायात के लिए खोला गया था। संक्षारक वातावरण के कारण 1988 में जुआरी पुल में कुछ विकृतियां देखी गई थी। सी ई सी आर आई की सिफारिश के आधार पर यू॰के॰ के मैसर्स मोट मैकडोनाल्ड परामर्शदाता से पुल के विशेष निरीक्षण, जांच-पड़ताल रिपोर्ट और मरम्मत प्रस्ताव मांगा गया है। इसी बीच एक पीअर पर स्पैनों में कुछ दरारें देखी गई जिनका मैसर्स मोट मैकडोनाल्ड द्वारा अप्रैल, 1997 में निरीक्षण भी किया गया।

(ग) परामर्शदाताओं की सिफारिशों के आधार पर इस समय पुल से केवल हल्के वाहनों वाले यातायात के गुजरने की अनुमति दी जा रही है।

(घ) जुआरी नदी पर बी ओ टी (निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण) के आधार पर एक नए पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

विषयों को महत्व दिया जाना

1929. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छात्रों की उम्मीदवारी पर विचार करने के समय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा गृह विज्ञान/पेंटिंग/शारीरिक शिक्षा को पांच अनिवार्य विषयों में से एक विषय के रूप में कोई महत्व नहीं दिया जाता है जबकि इन विषयों को मानविकी विषय समूह में सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य विषयों के रूप में पढ़ाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा छात्रों, जो इन विषयों को पढ़ने के लिए विवश हैं क्योंकि इन विद्यालयों में अन्य किसी विषय का विकल्प उपलब्ध नहीं है, की इस कठिनाई को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में "डेजर्ट ट्राइएंगल" योजना

1930. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की मदद से राजस्थान सरकार ने बीकानेर, जैसलमेर ओर बाडमेर जिलों के लिये कोई "डेजर्ट ट्राइएंगल" योजना तैयार की है और जिसमें बाद में जोधपुर और नागौर जिलों को भी शामिल किया गया है;

(ख) क्या उपर्युक्त शहरों के विकास के लिये उक्त योजना की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसे स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) राजस्थान सरकार ने जापान सरकार की सहायता से कोई "डेजर्ट ट्राइएंगल" योजना नहीं तैयार की है।

राजस्थान सरकार ने 1992 में ड्रेजर्ट ट्राइएंगल जोधपुर, बीकानेर जैसलमेर में संरचनात्मक पर्यटन के विकास के लिए, विदेशी आर्थिक सहयोग कोष जापान से आर्थिक सहायता हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया था। इसे विचारार्थ आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया था। क्योंकि प्रस्ताव ज्यादा विस्तृत नहीं था, इसलिए 1994 में राजस्थान सरकार द्वारा एक संशोधित प्रस्ताव फिर प्रस्तुत किया गया और इसे आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया। 1996 में आर्थिक कार्य. विभाग ने सुझाव दिया कि राजस्थान सरकार, राजस्थान के डेजर्ट ट्राइएंगल हेतु एकीकृत क्षेत्र विकास योजना के लिए, तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अधीन, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (जेआईसीए) के माध्यम से, विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तदनुसार राजस्थान सरकार ने 1997 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे फिर आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया। इसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर के जिले सम्मिलित किए गए हैं।

[अनुवाद]

हिन्दी को बढ़ावा

1931. श्री शिबु सोरेन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार आरंभ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में हिंदी माध्यम के विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि भारत सरकार पश्चिम बंगाल सहित अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है :—

(1) अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण

(2) पत्राचार पाठयक्रमों के माध्यम से हिंदी का शिक्षण

(3) हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रसार कार्यक्रम

(4) स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

(5) हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ग) और (घ) विशेष क्षेत्र में स्कूल तथा उच्च शिक्षा की जरूरत तथा उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, आमतौर पर राज्य सरकार/निजी प्रबंधनों द्वारा स्कूलों तथा कालेजों की स्थापना की जाती है।

तरल ईंधन की आपूर्ति

1932. श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1997 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "लिक्वड फ्यूल सप्लाई पैक्ट फोर पावर प्रोडूसर्स इज रैडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार के तेल पूल खाते में वृद्धि करने में इससे किस सीमा तक मदद मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) जी, हां।

(ख) आदर्श ईंधन आपूर्ति करार को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। प्रारूप ईंधन आपूर्ति करार के आधार पर आई पी पीज, विद्युत मंत्रालय, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के साथ चर्चाएं जारी है।

(ग) आई पी पीज के लिए तरह ईधनों का मूल्य निर्धारण प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (ए पी एम) के बाहर होगा तथा इसका तेल पूल लेखे के साथ, किसी भी तरीके से, कोई संबंध नहीं होगा और इस प्रकार विद्युत ईधन आपूर्ति का तेल पूल लेखे पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-23 का विकास

1933. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला से रांची तथा राउरकेला से बनारपाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-23 की स्थिति बहुत ही खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन राजमार्गों के विकास हेतु एशियायी विकास बैंक अथवा किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी को वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गयी है तथा इन राजमार्गों के विकास हेतु कदम उठाने के लिए क्या समय तालिका निर्धारित की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 23 को उपलब्ध संसाधनों के भीतर सामान्यतः यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एयर इंडिया विमानों का आपातकाल में उतरना

1934. श्री ई॰ अहमद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान एयर इंडिया के विमानों का आपातकाल में उतारे जाने का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आपातकाल में विमानों को इस प्रकार उतारे जाने के क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) पहती जुलाई, 1996 से 30 जून, 1997 तक की अवधि के दौरान, दो घटनाएं घटित हुई जिनमें निम्न विवरणानुसार विमानचालक ने अवतरण पूर्व आपात स्थिति की घोषणा की थी अथवा आपात क्रियाविधि का अनुसरण किया था :—

(1) एअर इंडिया का विमान जब 17/18.11.96 को तेल अबीव से मुम्बई के लिए प्रचालन उड़ान पर था तो जिबटी में उसकी डी सी पावर में खराबी आ गयी। मुंबई में संघटकों की बदला गया।

(2) एअर इंडिया का विमान जब 15.12.96 को सिंगापुर से त्रिवेन्द्रम के लिए प्रचालन उड़ान पर था तो उसमें सिंगापुर में बहुविध उड़ानगत खराबियां पैदा हो गई। मुम्बई में इसका जनरेटर नियंत्रण यूनिट प्रतिस्थापित किया गया।

[हिन्दी]

यशपाल समिति

1935. श्री नीतीश कुमार :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मार्च, 1997 तक किन-किन राज्यों द्वारा इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कौन-कौन से राज्य सहमत नहीं हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) दिनांक 2.3.94 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 50वीं बैठक में राज्य सरकारों ने मोटे तौर पर यशपाल समिति की सिफारिशों के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। ऐसे विचारों पर आम सहमति का पता लगाया गया और उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य योजना का सुझाव दिया गया। इन सिफारिशों पर आंशिक रूप से कार्यान्वयन अधिकतर राज्य और केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। समिति की सिफारिशें दो संवर्गों की हैं :

(1) ऐसी सिफारिशें जिनके लिए एक कालिक कार्रवाई अपेक्षित है; और

(2) ऐसी सिफारिशें जिनके लिए दीर्घकालिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

सरकार ने कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए कार्य-बिन्दुओं के दो सैट जारी किए हैं—एक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तथा दूसरा केन्द्रीय एजेन्सियों के लिए।

राज्य सरकारों द्वारा सिफारिशों का कार्यान्वयन स्कूली शिक्षा के विकास के लिए उनके चल रहे कार्यक्रम का एक अंग है।

[अनुवाद]

असम की ब्रह्मपुत्र वेली एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट

1936. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड असम में ब्रह्मपुत्र वेली एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत तेल की खोज तथा उत्खनन का कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रह्मपुत्र वेली एकप्लोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन कार्यों के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयल इंडिया लिमिटेड का उत्तरी लखीमपुर जिले में बीहुपराई क्षेत्र में उत्खनन कार्य करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) से (ग) जी हां। आयल इंडिया लिमिटेड ने असम में अपनी ब्रह्मपुत्र घाटी अन्वेषण परियोजना के अंतर्गत छः अन्वेषण कूपों का वेधन करने की योजना तैयार की है। प्रथम कूप· अब प्रगति पर है। अन्य पांच स्थान वेधन प्रचालन जारी रखने के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। ओ आई एल ने उत्तरी लखीमपुर जिले में बीहपुरिया में वेधन प्रचालनों का संचालन करने की योजना बनाई तथा तदनुसार प्रथम कूप बीहपुरिया-I की फावड़े से खुदाई दिनांक 16.6.97 को की गई थी। इस कूप का वेधन 4500 मीटर की लक्ष्य गहराई तक करने की योजना बनाई गई है।

पेट्रो-ईंधन विद्युत संयंत्र

1937. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में पेट्रो-ईंधन विद्युत संयंत्र लगाने के लिए भारतीय तेल निगम में साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने पंजाब के अंतर्गत भटिंडा में 100-150 मेगावाट क्षमता की नाफ्था आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मिर्जा गालिब का मकबरा

1938. श्री इलियास आजमी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में मिर्जा गालिब का मकबरा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) मिर्जा गालिब का मकबरा जिसकी देखभाल अंजुमन तराई उर्दू, हिन्दी एवं गालिब अकादमी द्वारा की जाती है, की हालत जीर्ण-शीर्ण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चार लेनों वाले मार्ग में परिवर्तित करना

1939. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 को चार लेनों वाले मार्ग में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) रा॰रा॰ 47 की कुल लम्बाई 416 कि॰मी॰ है जिसमें से 36.452 कि॰मी॰ लम्बाई अलवई से वायटिल्ला और अरूर से शेर तलै तक में चार लेन बनाई जा रही है। तथापि, राज्य के लोक निर्माण विभाग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 233.76 कि॰मी॰ की लम्बाई में चार लेन बनाने का प्रस्ताव किया है जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) मार्च, 1999 तक लगभग 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) पूरे रा॰रा॰ 47 के लिए अभी कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

केरल में पर्यटन परियोजनाएं

1940. श्री एन॰एन॰ कृष्णादास : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय केरल में केन्द्र सरकार की सहायता से चल रही पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : वर्तमान में, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अन्तर्गत केरल में पर्यटन परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु॰ में)
1	2	3
1.	वैकेम में जल सुविधाएं	13.05
2.	पनमुडी में तम्बुओं का आवास	5.80
3.	बेकल का एकीकृत विकास	190.00
4.	कोराकुरम पर्यटक कैम्प में नाव	16.30
5.	माइक्रोलाइट उपकरण	4.20
6.	जल क्रीड़ा उपकरण	23.21
7.	कालाडे में पर्यटक परिसर	63.08
8.	गुरूवायुर में पर्यटक लॉज	49.50
9.	पर्वतारोहण के लिए साइकिलों की खरीद	1.50
10.	त्रिवेन्द्रम संग्रहालय की प्रकाशपुंज व्यवस्था	14.81
11.	पारावूर में बीच रिजार्ट	26.13
12.	चेरथला में बीच रिजार्ट	24.69
13.	चंगानचेरी में पर्यटक रिजार्ट	14.45
14.	कल्लार में पर्यटक लॉज	14.90
15.	कुराविलंगड में पयर्टक लॉज	14.23
16.	गोल्फ कोर्स, त्रिवेन्द्रम	36.00
17.	मार्गस्थ कैफेटेरिया अदूर	11.19
18.	ऐलपी में यात्री निवासी	38.93
19.	अरनमुला में पर्यटक लॉज	22.40
20.	कालीकट में यात्री निवास	41.14
21.	मलयात्तूर में यात्री निवास	34.26
22.	पीरमेड में यात्री निवास	34.98
23.	फाइबर ग्लास टेट की खरीद, परियार झील	49.00
24.	कोवलम और कुइलिन के लिए नावों की खरीद	17.65
25.	कोंडाती (मलापुरम) में यात्री निवास	35.00
26.	कुमिली में यात्री निवास	35.00
27.	नीलांबर (मालेपुरम जिला) में मार्गस्थ सुविधाएं	20.82
28.	कुमारगम में मार्गस्थ सुविधाएं	20.82
29.	कोचीन और तिरूवनन्तपुरम के लिए 2 नं॰ कारवां की खरीद	42.90
30.	कोजीकोड के लिए 1 कारवां की खरीद	21.00
31.	इंदिरा गांधी बोट रेस, 1995 के लिए सहायता	15.00
32.	प्रचार साम्रगी के उत्पादन के लिए सहायता	3.00
33.	बोलघाटी पैलेस कोछी, केरल का जीर्णोद्धारा	49.60
34.	इक्विटी स्कीम के तहत मुन्नार में रिजार्ट	70.00
35.	अलूवा पैलेस का नवीकरण और पुनर्निर्माण	48.00
36.	कायमकुलम में जल सुविधाएं	35.79
37.	वादकुपनाथन मंदिर की प्रकाशपुंज व्यवस्था	17.20
38.	राइस बोट	10.00
39.	नेहरू ट्राफी बोट रेस	5.00
40.	अंगमाली में मार्गस्थ सुविधाएं	18.90

भाषाओं को बढ़ावा देना

1941. **श्री आर॰बी॰ राई :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं का संवर्धन और प्रसार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : सरकार ने नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी सहित भारतीय भाषाओं के संवर्धन तथा विकास के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की स्थापना की है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने इन भाषाओं के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए हैं :—

नेपाली :– नेपाली में सचित्र शब्दकोश प्रकाशित किया है। नेपाली–बंगला–हिन्दी शब्दकोश प्रकाशित किया गया और नर्सरी कविताएं तैयार की जा रही हैं। नेपाली लिपि के उच्चारण के प्रचार के लिए कैसेटे तैयार की गईं।

कोंकणी :– कोंकणी में शब्दकोश तैयार किया गया और नर्सरी कविताएं प्रकाशित की गईं। कोंकणी शिक्षकों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम और कोंकणी के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने हेतु एक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रशासन के क्षेत्र में कोंकणी के प्रयोग में प्रशासकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

मणिपुरी : मणिपुरी में ध्वन्यात्मक (फोनेटिक) रीडर प्रकाशित किया गया और नर्सरी कविताएं प्रकाशित की गई। सचित्र शब्दकोश तैयार किया जा रहा है।

सरकार उपर्युक्त तीनों भारतीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए निजी व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना भी कार्यान्वित कर रही है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद और उनके निःशुल्क वितरण की एक योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

भारतीय वायुसेना में दुर्घटनाएं

1942. **श्री थामस हंसदा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 1997 के "द एशियन एज" में "एक्सिडेंट रेट इन आई ए एफ बिकमिंग काज फार कन्सर्न" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत तथा विदेश में विमान दुर्घटना दर के तुलनात्मक अध्ययन हेतु रक्षा अनुसंधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट में मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और उसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में दुर्घटना दर घटी है। इन दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने तथा इस प्रकार की दुर्घटनाएं फिर से न हों इसके लिए उपचारात्मक उपाए करने के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ॰ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में गठित लड़ाकू वायुयान दुर्घटना संबंधी समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

शैक्षिणिक रूप से पिछड़े राज्य

1943. **श्री मंगत राम शर्मा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिणिक रूप से पिछड़े राज्यों की शत–प्रतिशत अनुदान देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर को इस योजना में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में निरक्षरता को दूर करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) शेयरिंग पैटर्न जो योजना दर योजना भिन्न–भिन्न होती है, के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनाओं के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों समेत सभी राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान जारी किए जाते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्रों में संपूर्ण साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर विशेष बल दिया जाता है।

(ग) वर्ष 2005 तक देश में सभी को साक्षर बनाने का सरकार का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यटन सर्किट

1944. **श्री बुद्धसेन पटेल :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए पहचान किए गए पर्यटन सर्किटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997–98 के दौरान पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए कितना धन आबंटित किया गया और क्या कोई सर्किट बनाने का विचार है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना धन आबंटित किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या इन्दौर–ओंकारेश्वर–महेश्वर–मांडु–उज्जैन सर्किट का रतलाम–मंदसौर तक विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) मध्य प्रदेश में गहन विकास के लिए निम्नलिखित दो यात्रा परिपथों की पहचान की गई है :–

1. ग्वालियर–शिवपुरी–ओरछा–खजुराहो
2. भोपाल–सांची–इन्दौर–उज्जैन–महेश्वर–औंकारेश्वर–मांडु

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के परामर्श से वर्ष 1997 के दौरान उपरोक्त परिपथों पर 153.00 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है:–

1. ओरछा में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन
2. खजुराहो और ओरछा में जल–क्रीड़ा सुविधाएं।
3. सांची में पर्यटक स्वागत केन्द्र।
4. सांची/मांडु के लिए आडियो गाइड्स।
5. मांडु और ओरछा उत्सव।

नए केन्द्रों और परिपथों की पहचान करना और विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मौजूदा परिपथों का विस्तार करने के लिए इस समय केन्द्र सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सिंचाई व्यवस्था

1945. श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश कृषि क्षेत्र के विकासार्थ इसकी सिंचाई व्यवस्था का पुनर्गठन करने हेतु केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को 325 मिलियन डालर की सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा विकास के लिये दी गई सहायता किन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य को कुल कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराई गई;

(घ) इस ऋण से आन्ध्र प्रदेश में कौन–कौन सी परियोजनाओं के आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में कौन–कौन सी परियोजनाएं शुरू किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश–II सिंचाई परियोजना की स्पिल–ओवर के कार्यों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक तीसरी आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजन के लिए 325 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता देने के लिए सहमत हुआ है, इस परियोजना में श्रीसैलम दांयी शाखा नहर और श्रीरामसागर उप–परियोजना कृषि सम्बन्धी सहायता सेवायें, पुनः स्थापना तथा पुनर्वास, पर्यावरणीय प्रबंध कार्यक्रम तथा बांध सुरक्षा आश्वासन कार्य शामिल है।

(ङ) श्रीरामसागर उप–परियोजना कमान में निजामाबाद जिले का हिस्सा भी शामिल है।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय को अनुदान

1946. श्री बादल चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी पिछली त्रिपुरा यात्रा के दौरान त्रिपुरा विश्वविद्यालय के विकास के लिए प्रचुर मात्रा में अनुदान देने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा विश्वविद्यालय के विकास के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) त्रिपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना त्रिपुरा विधान के अधिनियम द्वारा की गई है अतः मुख्य रूप से ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त योजनागत व योजनेत्तर अनुदान प्रदान करे। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता के प्रस्तावित मानदण्डों और पद्धति अनुसार विकास अनुदान प्रदान करता है। अपेक्षित निधियों के आवंटन के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को, नौवी पंचवर्षीय योजनावधि के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देशों के प्रकाश में विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा दिया गया है।

विजाग में संचार सुविधा

1947. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम में औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप विजाग में स्थानीय हवाई अड्डे पर रात में विमान उतरने की सुविधा

के अतिरिक्त और अधिक विमान सेवा और एयर कार्गो सेवाएं उपलब्ध होंगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) विमानकंपनियों द्वारा यातायात संभाव्यता/आर्थिक व्यवहार्यता को मद्देनजर रखते हुए, यात्री अथवा कार्गो में से किसी एक के संबंध में विमान सेवाओं के प्रचालन संबंधी निर्णय लिया जाता है। विशाखापत्तनम हवाई अड्डा रक्षा मंत्रालय का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र का विफल होना

1948. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को जमीन से हवा में मार करने वाले त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र के विफल होने से धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो इसके विफल होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या इस परियोजना पर अब तक खर्च की गई धनराशि की तुलना में रूस में निर्मित टार वाक एस–300 प्रेक्षपास्त्र सस्ता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इस परियोजना पर फिर से विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) जी, नहीं। 'त्रिशूल' जमीन से हवा में मार करने वाला एक कमान निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहित तीव्र प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रत्युपाय क्षमताएं हैं। इसमें कई उप प्रणालियां तथा ग्राउंड कॉमप्लेक्स हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया है। अब तक इसके 33 उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं जिनके परिणाम महत्वपूर्ण रहे हैं। एकीकृत उड़ान प्रणाली परीक्षण आरंभ हो चुके हैं और इस प्रणाली के प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए दिए जाने तक ये परीक्षण किए जाते रहेंगे। प्रेक्षपास्त्र प्रणाली 1998 में उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

(ग) अब तक "त्रिशूल" के विकास पर कुल 104 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

(घ) और (ङ) एस–300, टार तथा त्रिशूल अलग–अलग श्रेणी के प्रेक्षपास्त्र हैं। एस–300 प्रेक्षपास्त्र 150 कि॰मी॰ की दूरी तक मार करने वाला रक्षा प्रेक्षेपास्त्र है, टार लम्बवत जाने वाली कम दूरी (12 कि॰मी॰) तक मार करने वाला रक्षा प्रक्षेपास्त्र है, जबकि त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र वायुयानों के विरूद्ध इस्तेमाल किया जाने वाला कम दूरी (9 कि॰मी॰) तक मार करने वाला एक तीव्र प्रतिक्रिया प्रक्षेपास्त्र है। इन तीनों प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों की तुलना करना सही नहीं है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

धोलावीरा में हड़प्पा संस्कृति

1949. श्री पी॰एस॰ गढ़वी :

श्री गोरधन भाई जावीया :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र के धोलावीरा में हड़प्पा संस्कृति का पता लगाने तथा उसे विकसित करने में प्रशंसनीय कार्य किया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस स्थल को देश के पर्यटन–मानचित्र पर दर्शाया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने हेतु आधारभूत ढांचा तैयार करने की अत्यधिक आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग ने धोलावीरा में पर्यटन सुविधाओं का सृजन करने के लिए वर्ष 1997–98 के दौरान 28 लाख रु॰ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को प्राथमिकता दी है।

भर्ती के लिए मानदंड

1950. श्री बाजू बन रियान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भर्ती के लिए समान भर्ती मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पृथक–पृथक मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में खुले चयन के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती करने का आधार एक समान है। सभी प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए पद विज्ञापित किए जाते हैं ओर विधिवत गठित की गई चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है।

एन्टी–सबमरीन टॉरपीडो का विकास

1951. **श्री सुरेश प्रभु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एन्टी–सबमरीन टॉरपीडो का देश में विकास करने संबंधी कार्य पूरा कर लिया है जिससे एडवांस्ड एक्सपेरीमेंटल टॉरपीडो (ए॰ई॰टी॰) में और सुधार होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) देश में निर्मित उन्नत प्रायोगिक तारपीडो नामक पनडुब्बीरोधी तारपीडो विकास के अंतिम चरण में है। इसे 1999 तक नौसेना में शामिल किए जाने की आशा है। उत्पाद में पूर्वनियोजित सुधार एक सतत् प्रक्रिया है।

श्रीराम सागर परियोजना

1952. **श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की तीसरी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत श्रीराम सागर परियोजना तथा श्री सलाम राइट ब्रांच नहर को पूरा करने हेतु एक महत्वकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इन परियोजनाओं हेतु 1,300 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है;

(ग) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी; और

(घ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) जी, हां। दिनांक 3.6.1997 के करार के अन्तर्गत विश्व बैंक राम सागर परियोजना ओर श्री सलाम दांयी शाखा नहर उप–परियोजनाओं वाली तीसरी आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना के लिए 325 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है। ऋण देने की अंतिम तारीख 31.1.2003 है। चूंकि यह परियोजना 3.7.97 से लागू होगी अतः अभी तक इसमें से राशि का प्रयोग नहीं किया गया है।

एयर इंडिया की उड़ानें शुरू करना

1953. **श्री तरित वरण तोपदार :**
श्री हाराधन राय :
श्री अनिल बसु :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से हांगकांग, जर्मनी, कनाडा, इटली, संयुक्त राज्य अमरीका, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों को एयर इंडिया की सीधी उड़ानें शुरू करने की मांग निरंतर की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त देशों को एयर इंडिया की उड़ानें कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) कलकत्ता से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गन्तव्यों को सीधी उड़ाने प्रचालित करने हेतु समय–समय पर अनुरोध मिलते रहे हैं;

(ख) और (ग) फिलहाल, एअर इंडिया कलकत्ता से बैंकाक तथा टाक्यो को सीधी उड़ानें प्रचालित कर रहा है। फिलहाल विमानों की कमी के कारण, एअर इंडिया कलकत्ता से अपने अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों में और बढ़ोतरी नहीं कर सकता। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जब और जैसे अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो जाएगी इसकी संवीक्षा की जाएगी।

[हिन्दी]

राजीव गांधी शिक्षा मिशन

1954. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन–किन जिलों में "राजीव गांधी शिक्षा मिशन" चलाया जा रहा है और वर्ष 1996–97, 1997–98 के लिये प्रत्येक जिले के लिये कुल कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या ऐसी शिकायत को ध्यान में रखते हुए कि इस मिशन को चलाने का उददेश्य पूरा नहीं हो रहा है और इसके वित्तीय प्रावधानों का दुरूपयोग हो रहा है, शिक्षा मिशन के अंतर्गत किये गये कार्य के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत वयस्कों को शिक्षित करने वाले कार्यक्रम के लिये प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के वर्तमान शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही है जिससे छात्रों और छात्राओं की पढाई प्रभावित हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनायी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की एक समिति है जो मध्य प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इस समय, यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के 19 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों को सम्मिलित करने के लिए 15 अतिरिक्त जिलों को पता लगाया गया है। वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के नाम और प्रत्येक जिले को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यकलापों का मूल्यांकन समय समय पर संयुक्त निरीक्षण मिशन द्वारा किया जाता है। इन मिशनों से प्राप्त

रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि निधियों के दुरूपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। इस कार्यक्रम की वृहत गहन समीक्षा सितम्बर-अक्तूबर, 1997 में निर्धारित की गई है। इस समिति के वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लेखों की लेखा परीक्षा पहले ही चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जा चुकी है।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए न केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की ही सेवाएं ली गई बल्कि उन सभी सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों की भी सेवाएं ली गई जिन्होंने अपने नेमी कार्य को प्रभावित हुए बिना स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं प्रदान की। इस प्रकार लड़के और लड़कियों का अध्ययन प्रभावित नहीं हुआ।

विवरण

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश मे शामिल किए गए जिलों तथा उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता राशि

क्र॰सं॰	जिलों के नाम	प्रदान की गई वित्तीय सहायता राशि (लाख रु॰) 1996-97	1997-98 प्रस्तावित
1.	बिलासपुर	683.03	531.53
2.	शहडौल	585.77	655.51
3.	मंदसौर	466.43	457.03
4.	रतलाम	412.55	394.72
5.	सरगुजा	730.38	536.94
6.	रायगढ़	606.80	592.42
7.	धार	577.23	533.25
8.	रीवां	524.53	458.37
9.	राजगढ़	372.60	390.72
10.	रायसेन	431.30	326.89
11.	छतरपुर	445.83	415.98
12.	गुना	470.77	404.11
13.	राजनंद गांव	554.43	416.36
14.	वैतूल	404.50	365.78
15.	सीधी	524.67	492.77
16.	पन्ना	271.62	255.64
17.	सतना	483.68	511.19
18.	सिहोर	395.34	306.28
19.	टीकम गढ़	356.65	405.89

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त जिलों की सूची

1. मांडला
2. सिबनी
3. शिवपुरी
4. भिंड
5. मुरैना
6. बस्तर
7. विदिशा
8. झाबुआ
9. दतिया
10. खरगौन
11. देवास
12. शाजापुर
13. रायपुर
14. खंडवा
15. दमोह

(इन जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।)

[अनुवाद]

केरल में चार लेन वाला राजमार्ग तथा बाईपास

1955. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भाग को चार लेन वाला बनाने हेतु प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव भेजा है जिसमें राज्य में बाईपास बनाने हेतु स्वीकृति देने की बात कही गयी हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। राज्य के लोक निर्माण विभाग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रा॰रा॰ 47 के चुनिंदा खंडों (कुल लम्बाई 233.76 कि॰मी॰) में 4 लेन बनाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) जी हां। रा॰रा॰ 47 पर कोल्लम बाईपास (चरण-II) और तेलीचेरी महे बाइपास (चरण-I) का निर्माण कार्य वार्षिक योजना 1997-98 में शामिल किया गया है। कोल्लम बाइपास चरण-II का तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और इस पर कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में छावनियों के विकास के लिए आबंटन

1956. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में छावनियों का विकास कार्य शुरू करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में छावनियों में जल और विद्युत आपूर्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो छावनी बोर्डों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि दिल्ली के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) विकास कार्यों के लिए निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गई थी :-

1994-95	3,11,64,726 रुपए
1995-96	6,05,82,211 रुपए
1996-97	5,37,72,990 रुपए

(ख) और (ग) छावनी बोर्ड ने दिल्ली छावनी में अपने निवासियों के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते दिल्ली नगर निगम से बड़ी मात्रा में प्राप्त होने वाली जल आपूर्ति के अलावा, नलकूपों, ओवरहैड टैंकों, हौजों और पम्प हाउसों से जुड़ी वितरण लाइनों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए जल मुहैया/सप्लाई करने के लिए भी योजनाएं शुरू की हैं। विद्युत की आपूर्ति दिल्ली छावनी में उपभोक्ताओं को सीधे ही दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

केरल के हवाई अड्डों के लिए हवाई सुरक्षा समिति

1957. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सभी हवाई अड्डों की हवाई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रत्येक हवाई अड्डों की खामियों सहित समिति की रिपोर्ट/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पाठयपुस्तकों से राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय-गीत को हटाना

1958. श्री राम नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰) ने कक्षा एक से लेकर बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की प्रत्येक पुस्तक के कवर पृष्ठ के अन्दर की ओर राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय गीत को प्रकाशित करने की प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय-गीत को प्रकाशित न करने के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किये गये परिवर्तन की पहल को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय-गीत को पुनः प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

सांस्कृतिक परियोजनाओं का निजीकरण

1959. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा तैयार की गई सांस्कृतिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें निजी क्षेत्र की कितनी भागीदारी होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) भारत सरकार ने दिनांक 29.11.96 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन॰सी॰एफ॰) की स्थापना की है। इस अधिसूचना की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं। उल्लिखित अधिसूचना में एन॰सी॰एफ॰ के संचालन की बाबत एक स्कीम का ब्यौरा भी दिया गया है, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि एन॰सी॰एफ॰ केन्द्रीय व

राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदानों के अतिरिक्त संसद या राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकायों, संयुक्त राष्ट्र और उसके संबद्ध निकायों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी व सार्वजनिक निगमित क्षेत्रों, न्यासों, सोसायटियों व व्यक्तियों से भी अंशदान स्वीकार कर सकती है।

एन॰सी॰एफ॰ संस्कृति से संबंधित प्रयासों में बड़े पैमाने पर संस्थाओं व जन-सामान्य के योगदान को कार्यरूप देने, सार्थक अंतर-सांस्थानिक हिस्सेदारी करने, संस्कृति के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने तथा इस विषय पर और अधिक जागृति उत्पन्न करने के मामले में महत्वपूर्ण पहल करेगी कि संस्कृति निःसंदेह समग्र विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह देश के सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रबंधन में संस्थाओं व व्यक्तियों को सरकार के बराबरी के हिस्सेदारों के रूप में स्वीकार करेगी और संस्कृति संबंधी प्रयासों के संबंध में संसाधन की समस्या से निपटने में मदद करेगी।

(ग) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लिए अंशदान स्वैच्छिक होगा।

खेल परिसंघ

1960. श्री विजय गोयल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या भारतीय खेल प्राधिकरण ने विभिन्न खेल परिसंघों के साथ किसी संबद्धता संबंधी अनुमोदन को सहमति दी है;

(ख) ये खेल परिसंघ अपने द्वारा आयोजित किये गये खेलों/प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता तथा विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए धन के लिए किस प्राधिकारी के प्रति जवाबदेह होंगे;

(ग) क्या सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण को इन प्राधिकरणों के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं और खेलों के कुप्रबंधन संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परिसंघों के कार्यकरण में सुधार करने और उनकी वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां। भारत सरकार विभिन्न खेल परिसंघों को मान्यता देती है।

(ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वायत्त निकाय हैं तथा ये अपने-अपने संविधान में निर्धारित उद्देश्यों के सैट का अनुपालन करते हैं। ऐसे परिसंघों के मामले में जो भारतीय ओलंपिक संघ से सम्बद्ध है, भारतीय ओलंपिक संघ परिसंघों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार अथवा किसी अन्य अवांछित गतिविधियों के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है। परिसंघों के लेखे भारत सरकार द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहते हैं। परिसंघों को मान्यता प्रदान करते समय, भारत सरकार द्वारा उन पर लगाई गई शर्तों में से एक शर्त यह है कि परिसंघों के लेखों की सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी तथा लेखों को लेखा परीक्षित विवरण लेखांकन की समाप्ति की तिथि से छह महीने के अंदर भारत सरकार को भेज दिया जाएगा।

(ग) जी, हां। दो मामलों में सरकार को परिसंघों द्वारा वित्तीय अनियमितताएं बरते जाने की शिकायतें मिली हैं।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए हाल ही में संशोधित मार्ग निर्देश जारी किए हैं। संशोधित मार्ग निर्देशों के अंतर्गत, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्त, प्रशासन तथा प्रशिक्षण में योग्य कार्मिक नियुक्त करके अपने प्रशासनिक तथा वित्तीय ढांचे में सुधार करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को, उन खेलों के सम्पूर्ण विकास के लिए जिनसे वे संबंधित हैं, दीर्घावधिक विकास योजनाएं तैयार करने के लिए भी कहा गया है।

कलकत्ता से चीन के लिए उड़ान

1961. डा॰ असीम बाला : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीन और भारत के बीच वायु सेवा शुरू करने के लिए चीनी सरकार के साथ बातचीत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कलकत्ता से चीन के लिए एयर इंडिया की उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) मई, 1997 में आयोजित करार संबंधी द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान चीन के साथ एक करार किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक देश की नामित विमान कंपनियां भारत तथा चीन व किसी तीसरे देश के पटे के स्थल के बीच प्रति सप्ताह दो उड़ानें प्रचालित कर सकेंगी। एअर इंडिया की विमान क्षमता की कमी के कारण दोनों देशों के बीच सीधे प्रचालन शुरू करने की तुरन्त कोई योजनाएं नहीं हैं।

राष्ट्रीय पुस्तकालय/एशियाटिक सोसाइटी को अनुदान

1962. श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता और एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता को योजना और गैर-योजना शीर्षों के अंतर्गत आठवीं योजना अवधि के दौरान कुल कितना अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) उक्त राशि का उपयोग कैसे किया गया है;

(ग) राष्ट्रीय पुस्तकालय और एशियाटिक सोसायटी की स्थापना के बाद उनकी कितनी बहुमूल्य पुस्तकें और पांडुलिपियां 31 मार्च, 1997 तक खराब रख-रखाव के कारण नष्ट और चोरी हो गई हैं;

(घ) क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय/एशियाटिक सोसायटी के संबंध में आठवीं योजनावधि के दौरान योजनागत व योजनेत्तर के अंतर्गत अनुदानों और उनके उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय पुस्तकालय (लाख रुपयों में)

वर्ष	योजनागत		योजनेत्तर	
	प्राप्त अनुदान	उपयुक्त अनुदान	प्राप्त अनुदान	उपयुक्त अनुदान
1992-93	175.00	171.54	295.00	293.21
1993-94	113.00	100.32	334.00	331.16
1994-95	120.00	102.02	310.00	333.58
1995-96	150.00	126.95	386.00	376.40
1996-97	150.00	119.58	412.00	402.85

एशियाटिक सोसायटी

वर्ष	योजनागत		योजनेत्तर	
	प्राप्त अनुदान	उपयुक्त अनुदान	प्राप्त अनुदान	उपयुक्त अनुदान
1992-93	58.40	58.20	90.00	89.95
1993-94	141.15	141.35	100.97	101.01
1994-95	200.00	200.00	124.00	124.00
1995-96	220.00	220.00	100.00	100.00
1996-97	221.14	217.56	103.00	103.00

(ग) से (ङ) जहां तक राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता का संबंध है, खराब रख-रखाव के कारण, पुस्तकालय की बहुमूल्य पुस्तकों या पांडुलिपियों के नष्ट होने का कोई मामला नहीं है।

जहां तक चोरी का मामला है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रीडर, श्री उत्पल मुखर्जी को 16.10.91 को उस समय रंगे हाथों पकड़ा गया, जब वह पुस्तकालय के सल्वोनिक प्रभाग से स्पैनिश पुस्तक चुरा रहे थे और पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पुस्तकालय से बड़ी संख्या में पुस्तकें चुरायीं थीं। तदनुसार उनके घर से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की 19 स्पैनिश पुस्तकों सहित इस पुस्तकालय की 54 स्पैनिश पुस्तकें बरामद की गयीं। तथापि, श्री मुखर्जी के घर से बरामद सभी स्पैनिश पुस्तकों को संबंधित पूछताछ के लिए ताला-बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी विभागीय पूछताछ और स्टॉक सत्यापन के आदेश नहीं दिए गए हैं।

जहां तक एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता का मामला है, सितंबर, 1996 में पत्रिकाओं को मेटकाफ हॉल में अंतरित करने के कारण, लगभग 20,000 पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं।

कलकत्ता पुस्तक मेला, 1997 में भीषण आग लगने से 78,770/- रुपये के मूल्य की 1,176 पुस्तकें जल गई।

स्टॉक को 1, पार्क स्ट्रीट से सी॰एम॰सी॰ भवन में अंतरित करने के कारण कुछ अन्य पुराने व भंगुर प्रकाशन क्षतिग्रस्त हो गए। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

एशियाटिक सोसायटी के संग्रहालय अनुभाग से निम्नलिखित वस्तुएं खो गयीं हैं:-

(I) शाहगौड़ा उत्कीर्णन के खोने की जानकारी मई, 1997 में मिली, जिसकी विधिवत सूचना कलकत्ता पुलिस एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गयी।

(II) सोसायटी से "अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा परिमिता" नामक पांडुलिपि के दो फोलियो खो गए। बाद में, निदेशक, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम, न्यूयार्क ने डॉ॰ प्रतापादित्य पाल की सहायता से इनको खोजकर जनवरी, 1996 को वापस सोसायटी को सौंप दिया।

(III) संग्रहालय में पांडुलिपियों के सत्यापन के दौरान, यह पता चला कि "ऋग्वेद पदपाठ" (सी॰ 6608)" नामक पांडुलिपि का विशिष्ट फोलियो गुम हो गया है।

(IV) सोसायटी के संग्रहालय से सोने के सिक्कों के खोने के मामले की जांच कलकत्ता पुलिस द्वारा की जा रही है।

(V) बौद्ध पांडुलिपियों के सूची-पत्र खंड-I के क्रमांक 49 व पृष्ठ सं॰ 7 के अंतर्गत "बोधिकार्यक्तरा पंजिका" (3830) नामक पांडुलिपि युद्ध के पहले प्रोफेसर लुई डि ला वैले पाउसिल को उधार दी गयी थी जो कि अभी तक वापस नहीं की गयी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर बाईपास

1963. डा॰ अरूण कुमार शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर उत्तरी लखीमपुर बाईपास के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान परियोजना हेतु कितने धन का आवंटन किया गया; और

(ग) परियोजना पूरी होने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) असम लो॰नि॰वि॰ ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिणी ओर संरेखण की व्यवहार्यता की जांच करने का सुझाव दिया है। संशोधित संरेखण योजना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) वार्षिक योजना 1997-98 में उत्तरी लखीमपुर बाइपास के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 9वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अतः इस कार्य के लिए किसी विशिष्ट लक्ष्य के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

तीस्ता बांध परियोजना

1964. श्री अमर राय प्रधान : क्या **जल संसाधन मंत्री** तीस्ता बांध परियोजना के बारे में 7 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1318 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध परियोजना का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) इस परियोजना द्वारा कितने भूमि क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है;

(ग) क्या कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) इस समय तीस्ता बैराज परियोजना (फेज-I) के चरण-V के उप-चरण-I पर कार्य चल रहा है। मार्च, 1997 तक परियोजनाओं के विभिन्न घटकों की वर्तमान निर्माण की स्थिति निम्न प्रकार है :

1. तीस्ता बैराज	पूर्ण
2. महानन्दा बैराज	पूर्ण
3. डाउक बैराज	पूर्ण
4. तीस्ता महानन्दा लिंक नहर	पूर्ण
5. महानन्दा मुख्य नहर	पूर्ण
6. डाउक नगर मुख्य नहर	66 प्रतिशत
7. नगर तानगान मुख्य नहर	0 प्रतिशत
8. तीस्ता जलढाका मुख्य नहर	55 प्रतिशत
9. वितरण प्रणाली	25 प्रतिशत

(ख) से (घ) 527000 हेक्टेयर क्षेत्र की चरम सिंचाई क्षमता में से जून, 1997 तक 99610 हेक्टेयर की क्षमता के सृजन की संभावना थी।

[हिन्दी]

गुजरात में जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं

1965. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या **जल संसाधन मंत्री** 10 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2231 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह जानकारी कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां। और आश्वासन मई, 1965-1997 तक पूरा कर दिया था।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में दो मुख्य और 17 मध्यम (अनुलग्नक) और विभिन्न लघु सिंचाई कार्य शुरू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य के पिछड़े क्षेत्र में भी विभिन्न लघु सिंचाई कार्य शुरू किये गये हैं।

मुख्य और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यों के लिए दी गई विशिष्ट केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	केन्द्रीय सहायता की राशि (लाख रुपयों में)
1994-95	200
1995-96	200
1996-97	200

इस समय जो लघु सिंचाई कार्य किये जा रहे हैं उसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र॰सं॰	योजना का नाम	कार्यों की संख्या
1.	लघु सिंचाई योजनायें	13
2.	परिस्रवण टैंक	8
3.	जांच बांध	34
4.	लिफ्ट सिंचाई योजनायें	6

इस समय जिन मध्यम सिंचाई योजनाओं पर कार्य हो रहा है उनके नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अगले तीन वर्षों में पूरा किये जाने की योजना है जबकि इस समय चल रही लघु सिंचाई योजनाओं के 1997-98 के दौरान पूरा किये जाने की योजना है।

अनुलग्नक

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

योजनावार विवरण

मुख्य मध्यम योजनायें

(लाख रुपए में)

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	परिव्यय 1994-95	परिव्यय 1995-96	परिव्यय 1996-97
1.	कर्जन नहर	1350.00	1150.00	1150.00
2.	झंकारी	50.00	150.00	140.00
3.	सिदूम्बर	-	200.00	10.00
4.	वर-II	100.00	100.00	110.00
5.	मछानाला	70.00	10.00	16.00
6.	केलिया	200.00	265.00	200.00
7.	झुझ	300.00	225.00	450.00
8.	हरनाव-II	50.00	5.00	16.00
9.	उमरिया	50.00	5.00	18.00
10.	मेन	1.00	0.25	1.00
11.	अनी	1.00	0.25	1.00
12.	जलोदा	1.00	50.00	1.00
13.	सिंगौर	1.00	50.00	25.00
14.	कोलीआरी	10.00	100.00	368.00
15.	कबूतारी	40.00	---	---
16.	वालन	---	---	100.00
17.	ननी बर्सन	---	---	5.00
18.	वर्धा	---	---	5.00
19.	एस॰आर॰सी॰पी॰	8.40	11.40	11.40
		2232.40	2321.90	2627.40
	लखीगाम		1.00	1.00
	इदलवाड़ा		4.00	4.00
	बलदेवा		3.00	3.00
	पिगुट		2.00	2.00
	वंकलेश्वर भोय		0.40	0.40
	रामी		1.00	1.00
			11.40	11.40

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल आयोग

1966. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने गुंटूर जिले के पुलिचिनताला गांव के नजदीक कृष्णा नदी पर 1,289 मीटर लंबे पक्के बांध के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने बांध के निर्माण के लिए केवल 506.20 करोड़ रुपए दिए हैं;

(ग) इस बांध की कुल कितनी भंडारण क्षमता है;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप जंगल भूमि, गुंटूर तथा नालगोंडा के गांवों सहित काफी बड़ी भूमि डूब जाएगी;

(ङ) सरकार द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) किस हद तक पुलिचिनताला परियोजना के निर्माण से खेती तथा सिंचाई के लिए जलापूर्ति में सहायता मिलेगी?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने 3.4.1996 को अपनी बैठक में गुन्टूर जिले के पुलिचिन्ताला गांव के निकट कृष्णा नदी पर 506.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 1.289 कि॰मी॰ लम्बे चिनाई बांध के निर्माण के प्रस्ताव को पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने और कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास पुनर्स्थापना योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी कुछ टिप्पणियों की शर्त पर स्वीकार्य पाया। बांध की कुल भण्डारण क्षमता 1296 मिलियन घन मीटर (45.75 टी एम सी) है।

(घ) परियोजना के निर्माण से 12,044 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। 7155 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि है और 975 हेक्टेयर डिग्रेड वन भूमि है। गुंटूर और नालगोंडा जिलों में 12 गांव (7 पूर्णतः और 5 आंशिक रूप से) जलमग्न हो जायेंगे।

(ङ) परियोजना प्रभावित लागों के पुनर्वास के लिए परियोजना अनुमान में प्रावधान किया गया है। तथापि, राज्य सरकार को पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के लिए कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।

(च) परियोजना में कृष्णा डेल्टा के अंतर्गत 4,21,692 हेक्टेयर के वर्तमान आयकट की स्थिरीकरण की परिकल्पना है तथा इससे धाना की शीघ्र प्रतिरोपण आसान हो जाएगा जिसे चक्रवात के कारण फसल की हानि कम और फसल प्राप्ति में वृद्धि होगी।

कच्चे तेल का आयात

1967. श्री ए॰जी॰एस॰ रामबाबू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कच्चे तेल का कितना आयात किया गया;

(ख) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी;

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष तेल का अधिक आयात हुआ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का कुल घरेलू उत्पादन कितना था;

(च) क्या गत वर्षों में कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में कमी आई है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) से (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल की मात्रा और उस पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा निम्नवत् है:

वर्ष	मात्रा एम एम टी में (अनन्तिम)	व्यय की गई विदेशी मुद्रा (मिलियन अमेरीकी डालर)
1995–96	27.342	3345.3
1996–97	33.906	5135.0 (अनन्तिम)

पिछले वर्षों में कच्चे तेल के आयातों में वृद्धि, मुख्यतया कच्चे तेल के संसाधन कार्य में वृद्धि और स्वदेशी कच्चे तेल का अपेक्षाकृत कम उत्पादन के कारण हुई है।

कच्चे तेल के संसाधन में वृद्धि शोधन क्षमता में वृद्धि और अपेक्षाकृत अधिक क्षमता उपयोग के कारण हुई।

(ङ) और (च) पिछले 3 वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन निम्नानुसार था :–

1994–95	32.24	एम एम टी
1995–96	35.147	एम एम टी
1996–97	32.88	एम एम टी

बम्बई हाई और नीलम तेल क्षेत्रों के अप्रत्याशित रिजर्वायर आचरण, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रतिकूल प्रचालनात्मक परिस्थितियों और पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में बिजली की कमी के कारण वर्ष 1996–97 में उत्पादन कम हो गया।

(छ) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित है :–

– नई तेल विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास।

– हाईड्रोकार्बनों के अन्वेषण में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की घोषणा।

– तेल/गैस के अन्वेषण और विकास में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहन।

– सिद्ध बेसिनों और नए क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयासों को गहन करना तथा गहरे समुद्र और सीमावर्ती क्षेत्रों तक इसका विस्तार।

– कूप के क्षैतिज और नालिका छिद्र वेधन, लांग ड्रिफ्ट साइड ट्रैक, कूपों के उद्दीपन आदि जैसे निकासी घटकों में सुधार करने के लिए विशेष प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना।

– रिजर्वायरों की बेहतर समझ के लिए त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण।

[हिन्दी]

बाढ़ के कारण गुजरात में हुआ नुकसान

1968. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बाढ़ का प्रकोप अभी भी बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात में इस वर्ष कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य को मुआवजा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के प्रकोप में वृद्धि होने का कोई संकेत नहीं है। बाढ़ चूंकि प्राकृतिक घटना है, इसलिए इसकी तीव्रता हर वर्ष अलग-अलग होती है।

(ख) 1997 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण आई बाढ़/भारी वर्षा/भू-स्खलन से गुजरात सहित देश के 10 प्रभावित राज्यों में 624 व्यक्तियों की जानें गई, 2.34 लाख घरों और 9.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को हानि हुई। गुजरात में 1.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ।

(ग) से (ङ) गजरात को वर्ष 1997–98 के दौरान आपदा राहत निधि में से 147.31 करोड़ रुपये आबंटित किए गये जिसमें 110.48 करोड़ रु॰ केन्द्र का हिस्सा भी शामिल है। आपदा राहत निधि का 82.48 करोड़ रु॰ के केन्द्रीय हिस्से की तीन किश्तें राज्य सरकार को जारी की गई हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय दल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए 22 से 26 जुलाई, 1997 तक राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

दस सूत्री कार्यक्रम

1969. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजमहल संरक्षित क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित दस सूत्री कार्यक्रम में से कितने सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये हैं तथा शेष कार्यक्रम कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ख) आगरा तथा मथुरा स्थित तेल शोधक कारखानों की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) पांच मुद्दों नामतः घरेलू उपयोग के लिए एल पी जी की आपूर्ति, सीसा रहित/कम सीसे वाले पेट्रोल की आपूर्ति, उद्योगों के लिए एल पी जी के वरीयतापूर्ण आबंटन, परिवहन के लिए कम सल्फर वाले डीजल की आपूर्ति और मथुरा रिफाइनरी के लिए प्राकृतिक बैस का कार्यान्वयन कर दिया गया है। शेष मुद्दे नामतः मथुरा रिफाइनरी द्वारा पर्यावरण प्रबन्धन की गहनता, आगरा और फिरोजाबाद क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) की आपूर्ति तथा एशियाई विकास बैंक के साथ परामर्श से पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए वैकल्पिक कार्यनीतियों की पहचान वर्ष के दौरान कार्यान्वयनाधीन है। मथुरा रिफाइनरी में हाइड्रक्रेकर यूनिट की स्थापना करने के लिए परियोजना मई, 1996 में अनुमोदित कर दी गई है तथा अनुमोदन की तारीख से 42 महीनों में इसे पूरी कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) जबकि आगरा में कोई रिफाइनरी नहीं है, मथुरा रिफाइनरी के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 30.12.1996 से आरंभ हो गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रतियोगियों का निष्पादन

1970. श्री चमन लाल गुप्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्यालय खेल संघ द्वारा आयोजित विभिन्न खेलों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रतियोगियों के निष्पादन की मापजोख के लिए कोई सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय विद्यालय खेल संघ द्वारा पिछले वर्षों के दौरान आयोजित खेलों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रतियोगियों के निष्पादन का स्तर क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इण्डिया में एक राज्य के रूप में भाग लेता है और छात्रों की उपलब्धियां उनके कार्यनिष्पादन की सूचक होती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन की उपलब्धि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

एस॰जी॰एफ॰आई॰ में केन्द्रीय विद्यालय की उपलब्धियां

1992–93

जलक्रीडा

खेल

उप–कनिष्ठ बालिकाएं	आयु–समूह	स्थिति
1	2	3
50 मीटर फ्री स्टाइल	(यू–14)	प्रथम
100 मीटर फ्री स्टाइल	(यू–14)	प्रथम
200 मीटर फ्री स्टाइल	(यू–14)	प्रथम
टीम चैम्पियनशिप		
उप–कनिष्ठ बालिकाएं		तृतीय
पृथक–चैम्पियनशिप		
उप–कनिष्ठ बालिकाएं		प्रथम
1993–94		
तैराकी		
उप–कनिष्ठ बालक		
50 मीटर फ्री स्टाइल	(यू–14)	द्वितीय
100 मीटर फ्री स्टाइल	(यू–14)	प्रथम
खेदकूद		
ऊंची कूद	कनिष्ठ बालक	प्रथम
तार गोला फेंकना	कनिष्ठ बालक	छठवां
चक्रीय रूप में फेंकना	उप–कनिष्ठ बालिकाएं	चौथा
400 मीटर दौड़	कनिष्ठ बालक	पाचंवा

1	2	3
1994–95		
वरिष्ठ बालक		
100 मीटर दौड़	वरिष्ठ बालक	द्वितीय
गोला फेंकना	वरिष्ठ बालक	चौथा
कनिष्ठ बालिकाएं		
तैराकी		
100 मीटर फ्री स्टाइल	कनिष्ठ बालिकाएं	द्वितीय
50 मीटर फ्री स्टाइल	कनिष्ठ बालिकाएं	तीसरा
200 मीटर फ्री स्टाइल	कनिष्ठ बालिकाएं	द्वितीय
उप–कनिष्ठ बालक		
50 मीटर फ्री स्टाइल	उप–कनिष्ठ बालक	द्वितीय
200 मीटर फ्री स्टाइल	उप–कनिष्ठ बालक	द्वितीय
200 मीटर इन्ड एम॰एल	उप–कनिष्ठ बालक	तीसरा
वरिष्ठ बालक		
4×100 मीटर फ्री स्टाइल रिले	वरिष्ठ बालक	छठवां
4×100 मीटर फ्री स्टाइल रिले	वरिष्ठ बालक	छठवां
4×100 मीटर फ्री स्टाइल रिले	उप–कनिष्ठ बालिकाएं	छठवां
क्रिकेट		
अखिल भारतीय विनोद मंकड क्रिकेट टूर्नामेंट, 1995		दूसरा
सी॰के॰ नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट, 1995		चौथा
1995–96		
जल–क्रीडा		
कनिष्ठ बालक		
50 मीटर फ्री स्टाइल	(यू–17)	दूसरा
100 मीटर फ्री स्टाइल	(यू–17)	दूसरा
200 मीटर फ्री स्टाइल	(यू–17)	चौथा
खेलकूद		
बालक समूह–II		
100 मीटर फ्री स्टाइल	(यू–17)	पांचवां
कनिष्ठ बालिकाएं		
चक्रीय रूप में फेंकना	(यू–17)	पांचवां
उप–कनिष्ठ बालिकाएं		
100 मीटर दौड़	(यू–14)	चौथा
400 मीटर दौड़	(यू–14)	चौथा
अखिल भारतीय विनोद मंकड क्रिकेट टूर्नामेंट, 96		प्रथम
सी॰के॰ नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट, 1995		चौथा
टी॰टी॰ बालिकाएं	(यू–19)	चौथा
बालक समूह–II		
100 मीटर दौड़	(यू–17)	पांचवां
चक्रीय रूप में फेंकना	(यू–17)	पांचवां
उप–कनिष्ठ बालिकाएं		
200 मीटर दौड़	(यू–14)	चौथा
400 मीटर दौड़	(यू–14)	चौथा

[हिन्दी]

विद्यालयों का दर्जा बढ़ाना

1971. श्री लिंगराज वल्याल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान प्रयोगशाला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने सरकारी विद्यालयों का दर्जा बढाया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विज्ञान तथा गणित के शिक्षकों को प्रशिक्षिण दिया गया; और

(ग) तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत स्कूलों में अपूर्ण विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तर को ऊंचा करने और शिक्षको को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरें सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1994–95 से 1996–97 के दौरान "विज्ञान शिक्षा के सुधार की" योजना के अंतर्गत अपूर्ण विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तर को ऊंचा करने के लिए सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या और प्रशिक्षित किए गए शिक्षकों की संख्या

क्र॰सं॰ राज्य		स्कूलों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
1		2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	144	570
2.	असम	16	1545

1		2	3
3.	गोवा	26	880
4.	कनार्टक	1463	5900
5.	केरल	876	44 प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की संख्या दर्शाई नहीं गई है)
6.	मध्य प्रदेश	307	शून्य
7.	महाराष्ट्र	1492	8304
8.	मिजोरम	28	507
9.	नागालैंड	33	1344
10.	उड़ीसा	534	1628
11.	पंजाब	517	2720
12.	त्रिपुरा	33	800

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्

1972. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् ने राज्यों के मध्य अन्तर राज्य नदी जल के बंटवारे के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) 6 फरवरी, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की तीसरी बैठक में अन्तर्राज्यीय नदी जल का बटॅवारा करने के लिए तथा जलाशय परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की पुर्नस्थापना और पुर्नवास के लिए राष्ट्रीय नीति दिशा-निर्देशों के मसौदे पर विचार किया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने यह निर्णय किया कि इन मसौदों पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा और आगे विचार करने तथा उन्हें अपनायें जाने से पहले इस बैठक के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इनकी समीक्षा की जानी चाहिए और इनमें संशोधन किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

1973. **श्री पवन दीवान : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और तत्संबंधी सुविधाएं विकसित करने के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी कार्य योजनाएं शामिल की गई हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में चल रही केन्द्र प्रायोजित पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ङ) आठवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मध्य प्रदेश में 10 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 79.96 लाख. रुपयों की राशि स्वीकृत की। इन परियोजनाओं में से दो पूरी हो गई हैं।

रसोई गैस वितरक

1974. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में रसोई गैस वितरक की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उन स्थानों पर रसोई गैस वितरकों को नियुक्त करने का अनुरोध किया है जहा राज्य में कोई रसोई गैस वितरक नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से समय-समय पर राज्य विशेष में और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। ये आवेदन बाजार सर्वेक्षण करने के लिए तेल उद्योग को भेजे जाते हैं। व्यवहार्य पाए गए स्थान, वहां एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए विपणन योजना में शामिल कर लिए जाते हैं।

वर्तमान नीति के अनुसार, एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप 10,000 और अधिक की जनसंख्या वाले सभी कस्बों में चरणबद्ध ढंग से खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि 15 कि॰मी॰ के दायरे के भीरत के आने वाले गांवों सहित उक्त कस्बे की ग्राहक संभाव्यता आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

1975. श्री राधा मोहन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्यवार कितना धन खर्च किया गया;

(ख) गत कुछ वर्षों के दौरान बार-बार आने वाली बाढ़ के नियंत्रण के लिए क्या केन्द्र सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) गत तीन वर्षो के दौरान बाढ़ प्रबंध कार्यो पर किए गए राज्य-वार व्यय को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चूंकि बाढ़ प्रबंध राज्य का विषय है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं की आयोजना और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी राज्य योजना निधि में से किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान (1994-95 से 96-97) जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल आयोग/गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में 137 स्कीमें प्राप्त हुई और उनकी जांच की गई। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी एफ सी सी) और ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने क्रमशः गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में बाढ़ प्रबंध के लिए व्यापक योजनाएं बनाकर पूर्ण स्कीमों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेज दी हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने देश के पांच क्षेत्रों की बाढ़ समस्याओं की जांच करने के लिए, वर्तमान सुधारात्मक उपायों की समीक्षा करने के लिए और बाढ़ पर नियंत्रण पाने कि उद्देश्य से समाधानों की सिफारिश करने के लिए पांच क्षेत्रीय कार्यबलों की स्थापना की है जिसमें वरिष्ठ केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं।

विवरण

बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय 1994-95	अनुमानित व्यय 1995-96	अनुमानित व्यय 1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	55.75	30.0	10.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.48	3.22	3.85
3.	असम	19.53	22.97	20.17
4.	बिहार	25.56	50.00	41.35
5.	गोआ	0.22	0.30	0.80
6.	गुजरात	3.60	1.60	1.60
7.	हरियाणा	9.02	10.00	11.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.49	2.04	3.54
9.	जम्मू एवं कश्मीर	11.07	13.71	15.71
10.	कर्नाटक	8.53	9.72	10.00*
11.	केरल	26.19	21.00	35.5
12.	मध्य प्रदेश	0.57	1.00	1.08*
13.	महाराष्ट्र	0.62	0.55	103.21
14.	मणिपुर	6.81	5.00	5.94
15.	मेघालय	0.86	1.60	1.43
16.	मिजोरम	0.00	0.0	0.0
17.	नागालैंड	0.00	0.20	0.16*
18.	उड़ीसा	7.90	8.80	13.00*
19.	पंजाब	13.40	15.79	65.90
20.	राजस्थान	5.50	22.41	43.45
21.	सिक्किम	0.12	0.34	2.34
22.	तमिलनाडु	0.15	3.49	1.59
23.	त्रिपुरा	1.88	2.04	2.04
24.	उत्तर प्रदेश	14.71	13.23	16.70
25.	पश्चिम बंगाल	38.65	43.00	35.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.71	1.00
27.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00*
28.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00*
29.	दिल्ली	8.97	14.15	24.00
30.	दमन व द्वीप	0.32	0.35	0.35
31.	लक्षद्वीप	2.35	1.85	1.86*
32.	पांडिचेरी	2.75	3.54	3.77

* योजना आयोग द्वारा दिए गए संशोधित परिव्यय

[अनुवाद]

एन॰सी॰सी॰ कैडेटों का डूबना

1976. श्री दत्ता मेघे :

कुमारी उमा भारती :

श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

श्री चुनचुन प्रसाद यादव :

श्री राम बहादुर सिंह :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्रीमती केतकी देवी सिंह :

श्री सौम्य रंजन :

डा॰ असीम बाला :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री विजय गोयल :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 1997 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एन॰ सी॰ सी॰ कैडेटस् डाउन इन मशिंग वाटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दुर्घटना की जांच करायी गई है जिसमें एन॰सी॰सी॰ कैडेट डूब गये थे;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले, किन व्यक्तियों ने जांच की थी तथा इसके लिए किन व्यक्तियों/संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(घ) इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस दुर्घटना में जिन्होंनें अपने प्रिय बच्चों को गंवा दिया उनके परिवारों को क्या सहायता दी गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस घटना की जांच एक ब्रिगेडियर द्वारा की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) प्रत्येक मृत कैडेट के निकट संबंधी को राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा 1.00 लाख रुपए की अनुग्रह राहत राशि अदा की गई है।

[हिन्दी]

सिंचित क्षेत्र के लिए कार्य योजना

1977. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मानसून की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को लागू करने से देश में खाद्यानों का उत्पादन बढ़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) देश के अधिकांश भागों में सामान्य वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है। 1 जून से 16 जुलाई, 1997 तक देश के 35 उप-मंडलों में से 26 उपमंडलों में और 64 प्रतिशत जिलों में कुल वर्षा सामान्य से अधिक हुई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय विश्वविद्यालय संघ को अनुदान

1978. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ को वित्तीय अनुदान प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ को वर्ष 1993-94, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कितना वित्तीय अनुदान दिया गया;

(ग) संघ द्वारा वास्तव में प्रयुक्त की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कुल राजस्व में अनुदान कितना प्रतिशत है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आने वाले वर्षों में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अनुदानों में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) अनुदान में वृद्धि के लिए अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और युवा मामले एवं खेलकूद विभाग) से प्राप्त अनुदान राशि

(लाख रुपए में)

	शिक्षा विभाग			युवा मामले एवं खेलकूद विभाग		
	1993–94	1995–96	1996–97	1993–94	1995–96	1996–97
वर्ष 1993–94,	13.00	15.00	15.00	59.51	89.49	84.03
1995–96 और	7.10	23.00	8.37			
1996–97 के दौरान भारतीय	+4.90*		+6.63*			
विश्वविद्यालय	25.00	38.00	30.00			
संघ को प्राप्त अनुदान						
				* पिछले वर्ष से उपयोग में नहीं लाई गई राशि		
वास्तव में उपयोग में लाई गई वर्षवार अनुदान राशि	25.24	34.18	28.22	59.51	89.49	84.03
भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कुल राजस्व में अनुदान की प्रतिशतता	14.63%	13.27%	13.57%	*	*	*

युवा मामले एवं खेलकूद विभाग भारतीय विश्व–विद्यालय संघ को अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन निधियों का खर्च विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यकलापों पर किया जाता है।

सिंचाई जल का उपयोग

1979. डा॰ कृपा सिंधु भोई : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सिंचाई जल के उचित उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षण दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक राज्य में चलाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां। संघ सरकार सिंचाई जल के उचित उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने के वास्ते वित्तीय सहायता उपलब्ध करती है।

(ख) से (घ) किसानों को संघ सरकार के विभिन्न स्कीमों के तहत सिंचाई के लिए जल के उचित उपयोग सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी स्कीमों के ब्यौरे निम्नलिखित है :–

किसानों को प्रशिक्षण देना केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है इसका प्रचालन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह सुविधा उन 22 राज्यों तथा 2 संघ शासित राज्यों में उपलब्ध कराई गई है जो इस कार्यक्रम में शामिल है। किसानों को प्रशिक्षण देना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल

संसाधन समेकन परियोजना के तहत किसान संगठन तथा कारोबार कार्यक्रम का एक भाग है। यह परियोजना हरियाणा, उड़ीसा एव तमिलनाडु राज्यों में चलाई जा रही है।

जहां राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है वहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से भी किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कृषि मंत्रालय का कृषि एवं सहकारिता विभाग किसानों को जल प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने के लिए बहुत सी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमें चलाता है। इसमें शामिल है (I) किसान विनिमय केन्द्र (II) किसान वैज्ञानिक अन्योन्यक्रिया कार्यक्रम (III) विभिन्न फसलों के लिए जल प्रबंधन सहित फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षण इन स्कीमों को देश के सभी राज्यों में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया है।

[हिन्दी]

बरौनी तेल शोधक कारखाना

1980. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाना कच्चा माल न मिलने के कारण अपनी संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित कच्चा माल उसे कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है;

(ग) तेल शोधक कारखाने द्वारा माह में कितने पेट्रोल और रसोई गैस का उत्पादन किया जाता है;

(घ) तेल शोधक कारखाने के सह-उत्पाद कौन-कौन से है तथा से किस प्रकार से इस्तेमाल किये जा रहे हैं;

(ङ) तेल शोधक कारखाने द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये है; और

(च) शहरी विकास में तेल शोधक कारखाने का क्या योगदान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) जी हां।

(ख) बरौनी रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की उपलब्धता में वृद्धि हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल की नई पाइपलाइन चालू किए जाने के बाद की जाएगी। यह पाइपलाइन जुलाई, 1999 में पूरी कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) वर्ष 1996-1997 के दौरान बरौनी रिफाइनरी में मासिक औसत पेट्रोल और एल पी जी उत्पादन क्रमशः 1200 मीट्रिक टन की दर से था। तथापि, केटेलिटिक रिफार्मर्स यूनिट के हाल में चालू किए जाने के बाद पेट्रोल उत्पादन स्तर 18000 मी॰टन प्रति मास तक बढ़ गया है।

(घ) एल पी जी, एम एस, नाफ्था, एच एस डी, एस के ओ, एल एस एच एस आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के अतिरिक्त बरौनी रिफाइनरी एम टी ओ, आर पी सी, सी पी सी फिनाल एक्सट्रेक्ट, स्लैक वैक्स और डी-वैक्सड आयल-10 जैसे विशिष्ट उत्पादों का उत्पादन भी करती है।

(ङ) बरौनी रिफाइनरी ने संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित निस्सारी जल विसर्जन और गैस उत्सर्जनों के मानक पूरे करने के लिए व्यापक प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए हैं।

(च) शहरी विकास में रिफाइनरी के अंशदान में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :-

- लगभग 1974 क्वार्टरों वाले एक पूरे नगर क्षेत्र की स्थापना करना।
- विशेष कम्पोनेंट प्लान और आदिवासी उपयोजना सहित व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं :-

  स्वच्छ पेय जल, स्वास्थय और चिकित्सा देखभाल, शिक्षा के विस्तार, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के कल्याण, युवाओं के लिए नए अवसरों आदि की व्यवस्था करना।

खारे पानी से भूमि को बचाना

1981. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में खारे पानी के कारण भूमि बंजर हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पानी से कितनी भूमि प्रभावित हुई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा खारे पानी से भूमि को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकार को कोई सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्णय लेने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ और श्री गंगा नगर, राजस्थान के जिलों में जलजमाव के कारण 17,220 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं :

हनुमान गढ़ पर सिंचित कृषि भूमि में जलजमाव और खारेपन के नियंत्रण पर प्रचालनात्मक अनुसंधान के लिए इन्डो-डच नेटवर्क कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने मिट्टी के खारेपन और जलजमाव के नियंत्रण के लिए श्री गंगा नगर में जल प्रबंधन परियोजना शुरू की है। भारत सरकार ने जलजमाव और भूमि के खारेपन में सुधार करने संबंधी एक मैनुअल तैयार किया है और इसे राज्य सरकारों को परिचालित किया है।

(घ) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जलजमाव क्षेत्रों के सुधार के लिए पचास प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ जल का बंटवारा

1982. श्री पी॰सी॰ थॉमस : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के साथ जल के बंटवारे और अन्य मामलों के संबंध में की गई वार्ता सफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) जी, हां। 19 से 20 जुलाई, 1997 के दौरान ढाका में आयोजित भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की 32वीं बैठक में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के साझे जल संसाधनों के क्षेत्र में आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया। साथी नदियों के साथ तटबंध बांधने के मुद्दे को हल करने के लिए स्थायी समिति और स्थानीय स्तर की समितियों को तत्काल पुनर्जीवित करने पर सहमति व्यक्त की गई। भारत-बंगलादेश संधि 1996 के अंतर्गत बंटवारे की व्यवस्था के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा तीस्ता और अन्य सभी नदियों के जल के बंटवारे, बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रबन्ध में विद्यमान सहयोग को सुदृढ करने तथा बंगलादेश की गंगा बराज परियोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

तुंगभद्रा सिंचाई परियोजना

1983. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने जल के अभाव को कम करने के लिए तुंगभद्रा सिंचाई परियोजना में जल भूतल तथा भू-जल संसाधनों का आनुमानिक उपयोग का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण ने यह बता दिया है कि यदि यह न्यायपूर्ण ढंग से कार्यान्वित हो जाता है तो कम जल वाले क्षेत्र का 85 प्रतिशत भू-जल सिंचाई के अंतर्गत लाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट में अन्य किन बातों का जिक्र किया गया है तथा उनको कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार कहां तक सहमत हो गई है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि संयुक्त उपयोग की योजनाओं का विवेकपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन करके आंध्रप्रदेश और कर्नाटक के तुंगभद्रा कमान क्षेत्र का 85.8 प्रतिशत क्षेत्र भू-जल सिंचाई के अधीन लाया जा सकता है।

(ग) रिपोर्ट में शामिल किये गये अन्य मुद्दे इस प्रकार है :-

(I) वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए कृषक सहकारी समितियों की स्थापना तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में किसानों की भागीदारी।

(II) सामान्य क्षेत्रों में प्रवर्धन कुओं के स्थानों का चयन करने के लिए तथा उनका ठीक-ठीक पता लगाने के लिए तथा ये कुऐं कितनी दूरी छोड़कर बनाये जायें इसके लिए सावधानीपूर्वक मानकों का अनुपालन करने के लिए अनुभवी भू-तल विशेषज्ञों की तैनाती।

(III) पानी ले जाने में होने वाली हानियों को कम करने के लिए चैनल को पक्का करके चैनलों का आधुनिकीकरण।

(IV) पानी के रिसाव से होने वाली हानियों पर यथोचित रूप से विचार करने के बाद फसल जल अपेक्षाओं के लिए खेत शीर्ष तक जल आबंटन करना।

विद्युत संयंत्र के लिए गैस मूल्य

1984. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न विद्युत संयंत्रों के लिए गैस मूल्यों के निर्धारण हेतु क्या मानदंड है;

(ख) राजस्थान के जैसलमेर जिले में रामगढ़ गैस विद्युत संयंत्र के लिए आपूर्ति की जा रही गैस के मूल्य का ब्यौरा क्या है और क्या यह वही मूल्य है जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से गैस मूल्यों की पुनरीक्षा करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मरूस्थल और कम गैस वाले क्षेत्र के लिए रियायती दर अधिसूचित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या रामगढ़ संयंत्र को आपूर्ति की जा रही गैस में नाईट्रोजन जिसका कि उष्मीय ऊर्जा/विद्युत उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता की मात्रा बहुत अधिक होती है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) रायल्टी, करों एवं परिवहन प्रभारों को छोड़कर प्राकृतिक गैस का मूल्य 1850 रुपये प्रति हजार धन मीटर है। उत्तर पूर्व में यह कीमत 400 रुपए प्रति हजार घन मीटर के छूट-प्रावधान के साथ 1000 रुपये प्रति हजार घन मीटर है।

(ख) से (ङ) राजस्थान सरकार की प्रार्थना पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने, रामगढ़ विद्युत संयंत्र को एक विकासशील क्षेत्र से भेजी जाने वाली गैस की कीमत पर 15 प्रतिशत की छूट दी है। विद्युत संयंत्र, गैस के निम्न कैलोरीफिक मूल्य के कारण, गैस की कीमत में और भी छूट पाने का हकदार है।

(च) जी, हां।

(छ) राजस्थान में अपेक्षाकृत अच्छी गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस को खोजने के लिए, अन्वेषण प्रयास जारी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च

1985. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य–वार कुल कितनी लम्बाई है; और

(ख) 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान प्रत्येक राज्य में तथा विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण पर कितना खर्च किया गया?

जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ख) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है।

विवरण–I

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की राज्यवार कुल लम्बाई

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	कुल लम्बाई (कि॰मी॰)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2898
2.	अरूणाचल प्रदेश	330
3.	असम	2296
4.	बिहार	2547
5.	चंडीगढ़	24
6.	दिल्ली	72
7.	गोवा	229
8.	गुजरात	1631
9.	हरियाणा	698
10.	हिमाचल प्रदेश	854
11.	जम्मू तथा कश्मीर	648
12.	कर्नाटक	1996
13.	केरल	940
14.	मध्य प्रदेश	2946
15.	महाराष्ट्र	2918
16.	मणिपुर	431
17.	मेघालय	472
18.	मिजोरम	551
19.	नागालैण्ड	113
20.	उड़ीसा	1649
21.	पांडिचेरी	23
22.	पंजाब	892
23.	राजस्थान	2931
24.	सिक्किम	62
25.	तमिलनाडु	1896
26.	त्रिपुरा	200
27.	उत्तर प्रदेश	2733
28.	पश्चिम बंगाल	1638
	जोड़	34,608

विवरण–II

पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का राज्य वार आबंटन

(लाख रु॰)

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	1995–96	1996–97
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4010.00	3700.00
2.	अरूणाचल प्रदंश	–	-
3.	असम	1650.00	1700.00
4.	बिहार	1750.00	1500.00

1	2	3	4
5.	चंडीगढ़	25.00	24.00
6.	दिल्ली	400.00	400.00
7.	गोवा	500.00	700.00
8.	गुजरात	4398.00	2800.00
9.	हरियाणा	5535.00	7900.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1200.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	50.00	100.00
12.	कर्नाटक	2600.00	3300.00
13.	केरल	3980.00	5000.00
14.	मध्य प्रदेश	2020.00	1020.00
15.	महाराष्ट्र	2899.00	1920.00
16.	मणिपुर	500.00	360.00
17.	मेघालय	600.00	900.00
18.	मिजोरम	–	–
19.	नागालैंड	50.00	10.00
20.	उड़ीसा	3304.00	5510.00
21.	पांडिचेरी	50.00	50.00
22.	पंजाब	5860.00	5800.00
23.	राजस्थान	6070.00	4200.00
24.	सिक्किम	–	–
25.	तमिलनाडु	1100.00	1905.00
26.	त्रिपुरा	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	7670.00	7610.00
28.	पश्चिम बंगाल	3810.00	3410.00
29.	बी आर डी बी	5100.00	5300.00
30.	जोगीघोपा	2000.00	2790.00
31.	मंत्रालय	1218.00	4455.00
32.	एन एच ए आई	2000.00	2400.00
	जोड़	70749.00	75964.00

हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय

1986. डा॰ अरविन्द शर्मा :

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के हवाई अड्डों पर किए गए सुरक्षा उपाय विदेशों के हवाई अड्डों के समतुल्य हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सुरक्षोपायों में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए गए;

(ग) क्या हवाई अड्डों के लिए किया जा रहा वित्तीय आबंटन संतोषजनक है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा हवाई अड्डों के नवीकरण हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) इस समय कुछ हवाई अड्डों पर नवीकरण कार्य चल रहा हैं; और

(च) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं तथा उन पर नवीकरण संबंधी कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) देश मे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(ग) और (घ) हवाई अड्डों का नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है। अपेक्षाओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य चरण–बद्ध रूप से किया जाता है।

(ङ) और (च) इस समय, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद, तिरूपति, गुवाहाटी, लीलाबाड़ी, पटना, बडोदरा, कारगिल, बंगलौर, कालीकट, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, इम्फाल, औरंगाबाद, दीमापुर, भुवनेश्वर, अगरतला इत्यादि हवाई अड्डों पर नवीकरण कार्य किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों पर अगस्त, 1997 से जनवरी, 2000 तक के बीच की अवधि के दौरान कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

राजस्थान में पवन हंस विमान सेवा

1987. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पवन हंस विमान सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो किन–किन शहरों के लिये सेवा शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग

1988. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्यन : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों में श्रेणी–वार कुल कितने सड़क क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ख) उनके विकास और रख–रखाव हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु में इन राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करने हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि आंबटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 2003.664 कि॰मी॰ है। ब्यौरा इस प्रकार है :-

(i)	इकहरी/मध्यम लेन	112.00 कि॰मी॰
(ii)	2 लेन	1824.664 कि॰मी॰
(iii)	4 लेन	67.00 कि॰मी॰

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है तथा उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। तथापि, मूल कार्यो और अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए तमिलनाडु राज्य को 1997-98 के दौरान क्रमशः 25.00 करोड़ रु॰ और 21.38 करोड़ रु॰ आबंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

मनतलाई, जम्मू में हवाई पट्टी

1989. डा॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू में मनतलाई में सामरिक महत्व की निजी हवाई पट्टी का अधिग्रहण कर लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो कब्जा कब लिया गया था और यदि कब्जा नहीं लिया गया है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस हवाई पट्टी का उपयोग निजी प्रचालकों द्वारा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो वहां से उड़ानों के प्रचालन पर सिविल प्राधिकारियों का क्या नियंत्रण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना मांगी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जैसाकि बताया गया है कि इस समय की स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र में कोई सिविल वायुयान उड़ान नहीं भरते।

नई रसोई गैस एजेंसी

1990. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल के किन-किन स्थानों के लिए रसोई गैस आबंटित करने संबंधी विज्ञापन दिए गए थे;

(ख) राज्य में स्वीकृति के लिए लंबित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) नई एजेंसियों की स्वीकृति में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली नई एजेंसियों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) और (ख) केरल में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1994-95 से 1996-97 के दौरान अड़तालीस (48) स्थानों के विज्ञापित किए जाने की रिपोर्ट मिली है। इनमें से पांच मामलों में चयन कर लिया गया है। शेष 43 मामलों में चयन लम्बित है।

(ग) चयन में विलम्ब डीलर चयन बोर्डों के कार्यरत न होने के कारण है।

(घ) ज्योंही चयन प्रक्रिया पुनः चालू होगी, लम्बित प्रस्तावों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन शीघ्र किए जाएंगे। आशयपत्र जारी किए जाने के बाद किसी एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने में सामान्यतः छः माह से एक वर्ष का समय लगता है।

[हिन्दी]

भारत और चीन के बीच वायुसेवा

1991. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :
श्री पंकज चौधरी :
कुमारी उमा भारती :
डा॰ कृपासिंधु भोई :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच सीधी वायु सेवा प्रारम्भ करने पर कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या शर्तें हैं; और

(ग) कब तक इस समझौते को लागू कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) मई, 1997 में हुई द्विपक्षीय वार्त्ताओं के दौरान चीन के साथ एक समझौता हुआ जिससे दोनों देशों की नामित विमानकम्पनियां भारत और चीन के बीच तथा आगे किसी तीसरे देश तक प्रति सप्ताह दो उड़ानें प्रचालित कर सकेंगी। एयर इंडिया की विमान क्षमता की कमी के कारण दोनों देशों के बीच सीधा प्रचालन आरंभ करने की तुरन्त कोई योजना नहीं है। चीनी एयरलाइनों की योजनाओं का अभी तक पता नहीं हैं।

[अनुवाद]

एम॰सी॰एल॰आर॰ विमान

1992. श्री प्रमोद महाजन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का इरादा एम॰सी॰एल॰आर॰ विमानों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एअर इंडिया ने कब निर्णय लिया था;

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एअर इंडिया बोर्ड को इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पुलों की मरम्मत

1993. श्री अशोक प्रधान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित क्षतिग्रस्त हुए पुलों की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितने पुलों की मरम्मत कर दी गई है और शेष पुलों की मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन पुलों की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिन पुलों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उनकी संख्या इस प्रकार है :-

1994-95	-	3
1995-96	-	3
1996-97	-	1
जोड़ :	-	7

दो पुलों पर मरम्मत कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष पुलों पर कार्य मार्च, 1998 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) इन पुलों की मरम्मत पर लगभग 79.00 लाख रु॰ की कुल राशि खर्च किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

त्रुटियां

1994. श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली सिक्ख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस जी एम सी) के अंतर्गत आने वाले कुछ पब्लिक स्कूलों के अध्यापकों द्वारा वर्ष 1996-97 के शैक्षिक सत्र के दौरान बारहवीं कक्षा के परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके माता पिताओं को भी अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विचार दोषी अध्यापको के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्हें इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

1995. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कानपुर, उत्तर प्रदेश में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा साक्षरता अभियान पूरी तरह से असफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शहर में प्रस्तावित 19 प्रौढ शिक्षा केन्द्रों में से अभी तक एक भी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय कानपुर शहर में साक्षरता अभियान प्रारंभिक चरण में है। अभियान के अंतर्गत अभी पठन पाठन प्रक्रिया आरंभ की जानी है।

(ग) से (ङ) साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपनाएं गए स्वयं सेवक आधारित अभियान दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रौढ शिक्षा केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, 8 से 10 पहचान किए गए नवसाक्षरों के प्रत्येक समूह के लिए, एक स्वयंसेवक को शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवक दोनों की सुविधा के अनुसार किसी एक निर्धारित स्थान पर शिक्षार्थी को साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा गया है। अतः प्रौढ शिक्षा केन्द्र की स्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने कानपुर शहर में साक्षरता अभियान चलाने के लिए 2,02,45,000/- रु॰ का अनुमोदन किया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का अंशदान 137.97 लाख रु॰ था। इसमें से अब तक जिला साक्षरता समिति को अभियान कार्यान्वित करने के लिए 101.22 लाख रु॰ जारी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में विदेशी पर्यटक

1996. श्री सुरेश आर॰ जाधव : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कितने पर्यटक भारत आये;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कितने प्रतिशत पर्यटक महाराष्ट्र गये थे; और

(ग) महाराष्ट्र में और अधिक पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 23,34,438 है। यह अनुमान है कि देश में आने वाले विदेशी पर्यटक के लगभग 41 प्रतिशत लोग महाराष्ट्र में आये।

(ग) किसी राज्य में पर्यटक स्थलों की पहचान करने और विकास करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग, दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1996-97 के दौरान, कुकेश्वर और पिगुंली में पर्यटक परिसर और धामापुर झील में रेस्ट हाउस एवं जल क्रीड़ा और हरिबारेश्वर तथा गणपति फुले में कोकंणी कुटीरों के निर्माण सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को 187.69 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गई।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें

1997. श्री शिवराज सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शुरू की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं के क्या नाम हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितना खर्च किया गया; और

(घ) यह कार्य कब तक समाप्त कर लिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षेत्रवार (सिंचाई सहित) प्रस्ताव योजना आयोग को अभी तक नहीं भेजे हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

1998. श्री छीतुभाई गामीत :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1997 में बहु राज्य सरदार सरोवर परियोजना पर काम ठप्प हो गया और इस पर पुनः कार्य शुरू होने की संभावना बहुत कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के निर्माण में विलम्ब के कारण इसकी लागत अधिक हो गयी है और यह संबद्ध राज्यों के हित में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं। मई, 1995 से सरदार सरोवर बांध के स्पिलवे भाग की ऊंचाई 815 मी. से उपर बढ़ाने सम्बन्धी कार्य को छोड़कर परियोजना के अन्य घटकों पर कार्य चल रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना को पूरा करने में देरी होने का मुख्य कारण हैं बांध के निर्माण के समरूप राज्यों द्वारा पुनर्स्थापना और पुनर्वास उपाय कार्यान्वित न करना तथा स्पिलवे ब्लाकों को 815 मी के वर्तमान स्तर से आगे बढ़ाने सम्बन्धी मामले का उच्चतम न्यायाधीन होना है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निजी विमान सेवाएं

1999. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री ए॰जी॰एस॰ रामबाबू :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइनों ने अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर विमान सेवा शुरू करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एयरवेज के नाम क्या हैं जिन्हें अनुमति जारी करने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने प्रचालन हेतु ऐसे हवाई-मार्गों की पहचान की है;

(घ) क्या सरकार ने निजी एयरलाइनों को ऐसी अनुमति देने से राष्ट्रीय यात्री विमानों की सेवा पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन आरम्भ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ङ) मैसर्स सहारा एयरलाइन्स तथा मैसर्स एलबी एयरलाइन्स से अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार के अनुरोध पहले भी मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स तथा मैसर्स मोदी लुफथ एयरलाइन्स से प्राप्त हुए थे, जो इस समय प्रचालन नहीं कर रहे हैं। इस समय, सरकार किसी भी गैर-सरकारी एयरलाइन के अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर प्रचालन हेतु नामन को प्रस्तावित नहीं करती।

[अनुवाद]

भारतीय वायुसेना में महिला पायलट

2000. **श्री के॰ परसुरामन :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना के विमानों को चलाने वाली महिला पायलटों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या उड़ान पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के पश्चात् महिला कैडेट सेना छोड़कर जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) विंग कमांडर और उससे नीचे के रैंकों में महिला पायलट कुल पायलटों का 1.9 प्रतिशत हैं।

(ख) प्रशिक्षित होने और कमीशन प्राप्त करने के बाद कोई भी महिला कैडेट उड़ान से अलग नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-संख्या 47 का चौड़ा किया जाना

2001. **श्री एन॰ डेनिस :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम राष्ट्रीय राजमार्ग (एन॰एच-47) का तमिलनाडु वाला हिस्सा जो खराब हालत में है, के उचित रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चौड़ा किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) रा॰रा॰-47 के कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम खंड में 611/0 कि॰मी॰ से 625/0 कि॰मी॰ तक कमजोर दो-लेन पेवमेंट के सुदृढ़ीकरण और 604/4 कि॰मी॰ में कुझीतुरई नदी पर बड़े पुल के पुनर्निर्माण को वार्षिक योजना 1997-98 में शामिल कर लिया गया है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

सशस्त्र बलों में अनुशासन

2002. **श्री शरत पटनायक :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। सशस्त्र सेनाओं के पास अनुशासन की स्थिति पर बराबर कड़ी नजर रखने और आवश्यक समझे गए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था है।

[हिन्दी]

विदेशों में शिक्षा

2003. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान शिक्षा ग्रहण करने कितने विद्यार्थियों को विदेश भेजा गया, और

(ख) विदेशों में देश-वार कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) भारी संख्या में छात्र अपने प्रयासों से ही अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं। वे विदेश स्थित

शैक्षिक संस्थाओं से दाखिला के लिए और वीजा के लिए संबंधित विदेशी मिशनों से सीधे संपर्क करते हैं। इसलिए विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों के बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

कुछ विदेशी राष्ट्र अपने यहां की शैक्षिक संस्थाओं में भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) चयन से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग से संबंधित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा विभिन्न देशों में उच्च अध्ययन के लिए भेजे गए छात्रों की संख्या

	देश	1995-96	1996-97
1.	यूनाइटेड किंगडम	35	34
2.	कनाडा	1	2
3.	न्यूजीलैंड	1	-
4.	चीन	14	11
5.	जापान	13	15
6.	इजराइल	-	2
7.	मेक्सिको	-	1
8.	फ्रांस	2	2
9.	जर्मनी	16	10
10.	इटली	2	4
11.	आयरलैंड	7	5
12.	दक्षिण कोरिया	2	1
13.	पोलैंड	1	-
14.	बेल्जियम	-	1
15.	आस्ट्रेलिया	21	16
		115	104

असम में पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग

2004. श्री केशव महन्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम में कितने पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किए गए;

(ख) क्या इन पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का शूरू किया गया निर्माण कार्य समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारोपाय किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 39.95 करोड़ रु॰ की कुल संस्वीकृत लागत के 26 पुलों और 52 सड़क कार्यों का निर्माण किया गया/को पूरा किया गया था।

(ख) से (घ) असम सरकार की वित्तीय समस्याओं के कारण और राज्य के भागों में अशांत स्थितियों के कारण पुल और सड़क कार्यों को पूरा करने में विलम्ब हुआ है। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी और लगातार प्रयासों से परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड

2005. श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन मार्च, 1997 को अनेक विकास संबंधी परियोजनाएं निर्माणाधीन थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर निर्धारित समय-सीमा के बहुत बाद तक काम जारी था;

(घ) विलंब के कारण वास्तविक लागत की तुलना में प्रत्येक परियोजना में कितनी लागत वृद्धि हुई है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना संबंधी निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू) : (क) मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार चार प्रमुख परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं।

(ग) और (ङ) चान परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

परियोजनाएं	पूर्ण होने की संभावित तिथियां
(1) एल पी जी निकासी परियोजना, लकवा (असम)	अक्तूबर, 1998
(2) एल पी जी निकासी परियोजना, उसार (महाराष्ट्र)	नवम्बर, 1998
(3) गैस पुनर्स्थापन एवं विस्तार परियोजना	नवम्बर, 1997
(4) उत्तर प्रदेश पेट्रो रसायन परियोजना, याता (उ॰प्र॰)	फरवरी, 1998

उपर्युक्त चारों परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है। जैसे राज्य सरकारों द्वारा देरी से भूमि उपलब्ध कराना, उपकरण भेजने में विलंब और कानून और व्यवस्था समस्याएं

(घ) इन चारों परियोजनाओं की लागत में कोई वृद्धि होने की संभावना नहीं है क्योंकि सभी आदेश निविदा आधार पर निर्धारित मूल्यों पर दिए गए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच 1997-98 के लिये समझौता ज्ञापन

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया/*देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2227/97]

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन पर लेखा परीक्षित लेखे तथा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा इत्यादि

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : श्री एस॰आर॰ बोम्मई की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/*देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2228/97]

(3) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/*देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2229/97]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल आफ साइन्स म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ साइन्स म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल आफ साइन्स म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/*देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2230/97]

(7) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/*देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2231/97]

(9) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल॰टी॰ 2232/97]

(11) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल॰टी॰ 2233/97]

(13) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल॰टी॰ 2234/97]

व्यापारी बेड़ा विभाग, मुम्बई, जामनगर और मारमुगांव तथा क्षेत्रीय कार्यालय (पाल) मुम्बई और जामनगर (समूह ग और समूह घ के पद) संशोधन नियम 1996 आदि।

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी व्यापारी बेडा विभाग, मुम्बई, जामनगर और मारमुगांव तथा क्षेत्रीय कार्यालय (पाल), मुम्बई और जामनगर (समूह ग और समूह घ के पद) संशोधन नियम, 1996, जो 30 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 543 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल॰टी॰ 2235/97]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जल-यान) नियम, 1997, जो 1 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 129 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय जलयानों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 1997, जो 15 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 155 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल॰टी॰ 2236/97]

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) आदेश, 1996 तथा क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : श्री मुही राम सैकिया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) आदेश, 1996 जो भारत के राजपत्र में दिनांक 6 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 170 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल॰टी॰ 2237/97]

(2) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल॰टी॰ 2238/97]

(4) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल॰टी॰ 2239/97]

अपराह्न 12.01 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड की सिफारिशें

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं श्री एस॰आर॰ बोम्मई की ओर से राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड द्वारा स्व-सहायक समूह का अपने सदस्यों को ऋण देने की ब्याज दर नियत करने की अनुमति देने हेतु बोर्ड की सिफारिशों के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिये 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि प्रदान करता रहा है। गैर-सरकारी संगठन इस राशि को अन्ततोगत्वा ऋण प्राप्तकर्ताओं को अधिकतम 12 प्रतिशत ब्याज दर पर देते है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक स्व-सहायता दलों के माध्यम से ऋण को बढावा दे रहा है। स्व-सहायता दलों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 12 प्रतिशत है। स्व-सहायता दल को दल के सदस्यों के निर्णय के आधार पर दल के सदस्यों के लिये ऋण की दर निर्धारित करने की अनुमति है। इससे स्व-सहायता दलों को 12 प्रतिशत से अधिक ब्याज लेने की अनुमति मिल जाती है। सदस्यों से लिये जाने वाले ब्याज की दर में अन्तर को दल के लाभार्थ इस्तेमाल किया जाता है। नाबार्ड ने राष्ट्रीय महिला कोष को बताया है कि यदि नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष को पुनः वित्त दिया जाना है तो राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा स्व-सहायता दलों को दिये जाने वाले ऋण की शर्तें नाबार्ड द्वारा स्व-सहायता दलों को दिये जाने वाले ऋण की शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए।

नाबार्ड के साथ स्व-सहायता दलों के लिये कार्यों को संगत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड ने सिफारिश की है कि :-

(1) राष्ट्रीय महिला कोष संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देगा।

(2) संगठन/गैर-सरकारी संगठन ऋण को आगे स्व-सहायता दलों/सीधे लाभार्थियों को 12 प्रतिशत ब्याज पर देंगे; तथा

(3) स्व सहायता दल अन्ततोगत्वा सदस्यों/ऋण प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त किये जाने वाली ब्याज की दर का निर्णय स्वयं करेंगे। तथापि, ऐसी दर 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा असुरक्षित ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही आवश्यक विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। आज 4 अगस्त है। इस सदन में 14 अगस्त को हम जो ऐतिहासिक मध्यरात्रि सत्र बुलाने जा रहे हैं उसमें बस दस दिन बाकी बचे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस अवसर पर हमें श्री जवाहर लाल नेहरू का वह विख्यात भाषण "टिरिस्ट विद डेस्टिनी" सुनने को मिलेगा हम जानते है कि महात्मा गांधी उस दिन बहुत उदास हो गए थे। वह तब कलकत्ता में थे और उनकी आंखों से अश्रु बह निकले थे। परन्तु हमें यह भी बताया गया है कि किसी पिछले अवसर की कोई समुचित भाषण भी सुनाया जाएगा।

भारत की स्वतन्त्रता की पचासवीं वर्षगांठ का आयोजन करने सम्बन्धी समिति में यह मामला उठाया गया था कि इस ऐतिहासिक अवसर पर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के किसी प्रेरणायुक्त भाषण की कुछ पंक्तियों का टेप बजाया जाए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नेताजी के भाषण का छोटा सा अंश अवश्य शामिल किया जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे लिए एक सम्मान की बात होगी।...*(व्यवधान)*

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : पूरा सदन श्रीमती कृष्णा बोस का समर्थन करता है...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा बोस : क्या मैं अपना भाषण समाप्त कर लूं... मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

हम जानते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेता विशिष्ट महापुरूष रहे हैं।

परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि गांधी जी, नेताजी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरु स्वतंत्रता संग्राम के तीन ऐसे महान नेता थे

[श्रीमती कृष्णा बोस]

जो सबसे अलग थे। इसलिए हम उस रात उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। इनमें से किसी को भी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण और दुस्साहसपूर्ण होगा।

धन्यवाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है करतल ध्वनि से पूरे सदन ने पहले ही उनका समर्थन कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है।

श्री पी॰सी॰ चाक्को (मुकन्दपुरम) : महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन का ध्यान देश में बैंक कर्मचारियों द्वारा शुरू किए गए आन्दोलन की ओर दिलाना चाहता हूं। बैंकों के अधिकारियों की परिषद् तथा कर्मचारी यूनियनें जो देश के 13 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, आज देश में 'संसद मार्च' करने जा रही हैं।

क्या मैं आपको याद दिला सकता हूं कि जब आप श्रम मंत्री थे तो 1993 में भारत में आपके योग्य नेतृत्व में आई॰बी॰ए॰ और कर्मकार यूनियन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

अपराह्न 12.06 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

आई॰बी॰ए॰ देश के बैंकों की अधिकारी परिषदों के प्रबंधकों तथा विभिन्न यूनियनों का प्रतिनिधित्व कर रही है। आई॰बी॰ए॰ ने 1993 में इन संघों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में तो समझौते का कार्यान्वयन हो गया। परन्तु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सम्बन्धी जो समझौता लागू होता था वह लागू नहीं किया गया। यह सरकार द्वारा अथवा प्रबन्धकों द्वारा किया गया उल्लंघन है। एक ऐसे समझौते पर चार साल तक कोई अनुपालन नहीं हुआ जिस पर यूनियन और प्रबन्धन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 1996 को पेंशनभोगी लाभों के लिए प्रभावी अवधि के रूप में चुना गया। परन्तु विगत दस वर्षों के दौरान जो लोग सेवा-निवृत हुए वे अपने पेंशन लाभों के लिए इन्तजार कर रहे हैं। उसको लागू नहीं किया जा रहा। यह तो मात्र हड़ताल है। जुलाई में वे पहले भी हड़ताल पर रहे हैं। बैंक में नियुक्त सभी कर्मचारियों ने 28 और 29 अप्रैल को आम हड़ताल की घोषणा की है। परन्तु इस सबसे किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही। सरकार त्रिपक्षीय वार्ता में किए गए समझौते को लागू करने को इच्छुक नहीं है। यदि स्थिति को इस तरह बरकरार रहने दिया जाता है तो देश का सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र रुक कर रह जायेगा। यह सरकार द्वारा की गई उपेक्षा और कोताही का परिणाम है। बैंकों के कर्मचारियों और आई॰बी॰ए॰ के बीच समझौते को सरकार ने लागू नहीं किया। जैसा कि समझौते में तय हुआ था देश के निजी बैंकों को भी पेंशन लाभों का अनुमति दी जानी चाहिए।

एक और बात भी है। सरकार अब स्थानीय क्षेत्र के बैंक शुरू करने के बारे में सोच रही है। अतः ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा सम्पूर्ण बैंक उद्योग आन्दोलन करने के मूड में है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे है। एक समझौता हुआ और उसे लागू नहीं किया गया। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह देश के बैंक कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करे और आगे आकर समझौते को लागू करे।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : इसी पर आज मेरा भी नोटिस है।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं रक्षा मंत्री का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। इन्होंने बहुत बार भाषण देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को हमारी सेनाएं पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम हैं। मैं अभी जम्मू से आया हूं। कठुआ से लेकर छम्ब तक 150 किलोमीटर के बार्डर पर लोग अपने घर-बार छोड़कर पीछे हट रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान पिछले 6 महीने से लगातार गोलाबारी कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी फौजें उनको जवाब दे रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर हमारी माताओं को घरों में रोटी पकाते हुए भी गोलियां लगी है और हमारे 40 मवेशी भी पाकिस्तान की गोलियों से मर गये हैं।

बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। खास तौर से परगवाल का एरिया जो कि तीन तरफ से दरिया से घिरा हुआ है और उसके चौथी तरफ पाकिस्तान है, वहां की बीस हजार आबादी पूरी तरह से पाकिस्तान की इन रेंजर्स की गोलियों की मर्सी पर बैठी हुई है। ये जो हालात वहां बन रहे हैं, इसके कारण बॉर्डर के लोग अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप इस तरफ ध्यान दें और खास तौर से जितनी हमारी फोर्सिज है, उनको बाकायदा यह डायरैक्शन दे कि वे पाकिस्तान की गोलियों का जवाब दें। जवाब नहीं देने के कारण लोगों के अन्दर हासमैंट है। बहुत सारे गांव विशेषकर परगवाल, रणबीरसिंहपुर का एरिया, कटुआ का एरिया, हीरानगर का एरिया, ये चारे बॉर्डर के इलाके ऐसे हैं जहां से लोग अपने घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। साथ ही हजारों एकड़ भूमि ऐसी है, जहां पर फसल लग नहीं पा रही है। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वे अनाज बो नही पाते। वे जैसे ही अनाज बोने के लिए जाते हैं तो गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। इस कारण किसान भूखों मर रहे हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इन दोनों बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। विशेषकर अनाज पैदा नहीं करने के कारण लोग परेशान हैं। जो किसान अनाज लगा नहीं पा रहे हैं, उनको सरकार कम्पैनसेट करें।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। आप उन्हें इस पर जवाब देने के लिए कहें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बात हो गई है। एक सबजैक्ट पर कई आदमी बोलने के लिए इंटरस्टिड होते हैं लेकिन जिस का नाम होता है, उसी को बुलाया जाता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम जुड़ गया है, उनको जवाब देने दीजिए।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है। मैंने इस पर लिख कर भी दिया है। मुझे इस पर बोलने के लिए क्यों मौका नहीं देते? आप रिकॉर्ड में मेरा नाम देख सकते हैं।...*(व्यवधान)* जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पुंछ, राजौरी और जम्मू जो तीन जिले बॉर्डर के हैं, ये मेरे निर्वचन क्षेत्र में आते हैं। मैं यहां से एम॰पी॰ हूं। जैसा कि चमन लाल जी ने कहा कि छः महीने से करीबन हर रोज वहां फायरिंग हो रही है। बोर्डर के गांवों में लोग फसल नहीं लगा पा रहे हैं और न ही वहां फैंसिंग हो पा रही है। मैंने पहले भी इस बारे में अर्ज किया था। परसों मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र जम्मू से आया हूं। एक औरत जो कि खेत में काम कर रही थी, परसों उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। इससे पहले एक नौजवान जख्मी हो गया था। बहुत से मवेशी फायरिंग से मर रहे हैं। खेतों में लोग काम नहीं कर पाते। वे रात को सो नहीं पाते। वे घरों को छोड़ कर सेफ जगह में आने की सोच रहे हैं। आप फायरिंग रोकिए या उनको इसका मुअसिर जवाब दीजिए। आप उनसे बातचीत करिए। भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच बातचीत के लिए हॉट लाइन लगी हुई है। प्रधान मंत्री जी की इस सबजैक्ट पर उनसे बातचीत क्यों नहीं होती? आप उनसे बात करो और अगर वे बातचीत से नहीं मानते तो जबर्दस्ती करिए। आपने जैसा जवाब कारगिल में दिया, उसकी हम तारीफ करते हैं। पुंछ और राजौरी दो जिलों में इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। अफगानी, सूडानी और पाकिस्तान टैरारिस्ट पुंछ और राजौरी के पहाड़ों में बैठ कर कई वाकंयात कर चुके हैं। वह इलाका जो सात साल तक नॉर्मल रहा, वहां टैरारिज्म फैल गया है। वहां के लोग अच्छे और शरीफ हैं। वहां मुस्लिम आबादी है लेकिन वहां बाहर से लोग आ रहे हैं। हमारी फोर्सिस उन्हें चैक नहीं कर पा रही है। मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जह दीजिए और इसका जवाब दीजिए।

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक फायरिंग का सवाल है, यह छः महीने से नहीं हो रही हैं, यह कई साल से सीमा पर हो रही है। यह कहना गलत है कि उसका जवाब नहीं दिया जाता। इसका जवाब दिया जा रहा है और मजबूती से दिया जा रहा है।

जहां तक किसानों की फसल का सवाल है, यह सच्चाई है कि जब फायरिंग होती है तो उससे केवल भारत के किसान ही परेशान नहीं होते, पाकिस्तान के किसान भी परेशान होते हैं। हॉट लाइन से बातचीत करने का जहां तक सवाल है, इसके माध्यम से बातचीत की जाती है। इस विषय पर बातचीत हुई थी और उनसे कहा गया था कि वहां फायरिंग बंद की जाए। बातचीत में उनसे कहा गया कि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फायरिंग इससे भी ज्यादा होगी।

हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर वह फायरिंग करते हैं तो हम इससे ज्यादा फायरिंग करेंगे लेकिन जहां तक बातचीत का सवाल है, बातचीत अभी चल रही है और हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों। इसकी वजह से यहां सदन में बहुत घोषणाएं इस तरह की हम नहीं करना चाहते लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि कारगिल की तरह उन्हें फायरिंग बंद करनी पड़े।

श्री चमन लाल गुप्त : जो लोग फसल नहीं लगा पाते, उनके लिए आप क्या करेंगे? या तो सरकार उनको कंपनसेट करे ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है।

श्री चमन लाल गुप्त : आप हर बार कहते हैं और लोग अपने गांव खाली करके जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, गुप्त जी।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं।

देश भर में ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक ऑपरेटर्स को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका बहुत हैरैसमेंट हो रहा है। ओवरलोडिंग के मामले में, ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में और अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग टैक्स प्रणाली के मामले में उनको बहुत हैरैस किया जाता है। दुख की बात यह है कि पंजाब से देश भर को जो अनाज जाता है, देश का पेट भरने के लिए जो ड्राइवर्स अनाज लेकर जाते हैं, उनको रास्ते में लूट लिया जाता है। उनका पैसा लूट लिया जाता है और केस भी दर्ज नहीं होता। अगर किसी रेलगाड़ी में डाका पड़ जाए तो चर्चा होती है, कोई और बात हो जाए तो चर्चा होती है पर प्रतिदिन कितने ही ट्रक ड्राइवर्स हैं जिनको मार दिया जाता है जिनको लूट लिया जाता है, मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया व्हीकल ऐक्ट में संशोधन होना चाहिए। सात लाख रुपये का एक ट्रक आता है, उसकी दस टन की केपेसिटी है। दो लाख रुपये का एक ट्रैक्टर है, वह भी 10 टन ले जाता है। अगर 14-15 टन लोडिंग केपेसिटी हो और टैक्स प्रणाली देश भर में एक हो और ट्रक जहां बनता है वहीं टैक्स लग जाए तो अच्छा होगा। नेशनल हाईवे का टैक्स भी देश भर में एक होना चाहिए। ये जो परेशानियां आती हैं और ट्रक ड्राइवर्स का हैरैसमेंट होता है, इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान खीचना चाहता हूं कि ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रक ड्राइवर्स को आ रही परेशानियां को तुरन्त रोकें।

[अनुवाद]

श्री एस॰पी॰ उदयप्पन (रामनाथपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय 17-7-77 को पम्बान के पांच मछुआरे वेदारण्य करां के निकट भारतीय सीमा में मछली पकड़ रहे थे। अचानक शाम को पांच बजे श्रीलंका की सेना के लोगों ने हैलीकाप्टर में वहां आकर उनकी नाव पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी के फलस्वरूप

[श्री एस॰पी॰ उदयप्पन]

इन्बाराज और फ्रांसीज जो पम्बान के मछुआरे थे, घटनास्थल पर मारे गए, और तीन अन्य घायल हो गए।

विगत कई महीनों से श्री लंका की सेना तथा नौसेना ने पाम्बन तथा रामेश्वरम के अनेक मछुआरों को निर्दयतापूर्वक हमला करके मार डाला गया है। श्री लंका सरकार को उन्हें मारने का कोई हक नहीं है। यदि हमारे मछुआरों ने कुछ गलत किया था तो उन्हें चाहिए था कि वे उन्हें गिरफ्तार कर लेते और उनके विरुद्ध जांच करते परन्तु उन्हें वहीं मारा नहीं जाना चाहिए था। यह निन्दनीय कार्य है।

अतः मैं भारत सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी इस आपत्ति को श्रीलंका सरकार को सम्प्रेषित करके हमारे गरीब मछुआरों की जान बचाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे उनके मामले पर सहृदयता से विचार करें और प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए एक लाख रुपए का मुआवजा मंजूर करें।

[हिन्दी]

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में पर्यटन के लिए जो सुविधाएं हैं, देश भर के अधिकारी जिस स्तर की नीति और नियम होने चाहिए उनका नितान्त अभाव चल रहा है। सरकार भी कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। पर्यटन विभाग में ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच हो चुकी है, जो ऐग्रीड लिस्ट में है, जिनकी निष्ठा संदिग्ध है, और वह सबसे ऊंचे पद पर आसीन हैं। उनका कोई विकल्प नहीं खोजा जा रहा है। साक्षात्कार में उन्हें अकेले बुलाया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कि पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने का एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है।

इसलिए उसके जो बड़े-बड़े पदाधिकारी एग्रीड लिस्ट में है और जिन पर कोर्ट में मुकदमें लम्बित हैं ओर जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कम से कम उन्हें हटायें और उनकी जगह योग्यतम ओर अच्छे व्यक्ति लाकर बैठायें जो अपना पेट भरने को बजाय देश के बारे में सोचें। यही मेरा पर्यटन मंत्री और पूरी सरकार से अनुरोध है।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को आजाद हुए 50 साल हो गये हैं। मैं यहां कुछ अपने बारे में कहना चाहूंगी। सदस्य भाइयों से अनुरोध है कि वे एतराज न करें। मैं अपने लिए कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा ब्रीफ में बोलिये।

श्रीमती फूलन देवी : मैं अपने बारे में बोलना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 1983 में मैंने आत्मसमर्पण किया था। मैं क्या थी, कौन थी, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। परन्तु मैंने 1983 में शर्तों के साथ समर्पण किया था। हमसे मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि जिस तरह 1972 में डकैतों ने समर्पण किया था, वह समर्पण आचार्य विनोबा भावे ने करवाया था जिसमें माधो सिंह, मनोहर सिंह, तहसीलदार सिंह और पता नहीं कौन-कौन लोग थे, उन पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान यानी तीन-तीन प्रदेशों में मुकदमें थे और उनके तीनों प्रदेशों के मुकदमें एक ही जगह यानी मध्य प्रदेश सैंट्रल जेल के अंदर चलाये गये थे। उसी तरह मेरे से भी वादा किया गया था कि आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जहां कहीं के भी केस हैं, सब मध्य प्रदेश में चलाये जायेंगे और जिस तरह 1972 में डकैतों को माफ किया गया था, उसी तरह आठ साल आठ महीनें में मुझे भी छोड़ दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 11 साल तक इसी इंतजार में यातना सहकर एक-एक दिन काटती रही थी मुझे कभी न कभी न्याय मिलेगा। मुझे बगैर केस चलाये 11 साल तक जेल के सीखचों में रखा गया। मैं बीमार थी और शक था कि मुझे कैंसर न बन जाए तो मुझे ग्वालियर से तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। तभी उत्तर प्रदेश में जो लोकप्रिय सरकार आई, उसने फैसला किया कि क्यों नहीं फूलन देवी के केस माफ कर दिये जाएं और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1984 में केस वापस ले लिये। वे केस वापस लिये हुए आज इतने साल हो गये हैं। अभी जो दलितों और पिछड़ों की सरकार आई है और जिसकी मुख्य मंत्री एक महिला हैं, उन्होंने फैसला किया है कि फूलन देवी के केस फिर चलाये जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कठपुतली नहीं हूं। अगर आप सबने माफ कर दिया है तो माफ कर दें, नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आत्मदाह की बात यहां नहीं कहनी चाहिए।

श्रीमती फूलन देवी : मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं कहां जाऊं, मैं किससे न्याय मांगू। मैं 11 साल तक बगैर केस के जेल में रही हूं। आज वह सरकार फिर से मेरे ऊपर केस चला रही है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि 16 लाख जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मैं मिर्जापुर भदोही नहीं जा पा रही हूं। मैं वहां जब भी जाती हूं तो जनता पूछती है कि तुमने जो वादे किये थे, वे वादे कहां गये। मैं कहती हूं कि मैं बीमार हूं। मैं उन्हें यह नहीं बता पाती हूं कि मैं कोर्ट की वजह से बिजली हूं। मैं नहीं बता पाती हूं कि आज पुलिस मुझे उत्तर प्रदेश में खोज रही है कि फूलन देवी कहां है। पुलिस गाड़ियों में तलाश कर रही है कि मैं कहां हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। नहीं तो मैं आजादी का 50वीं वर्षगांठ पर आत्मदाह करूंगी, मैं मरूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आत्मदाह की बात मत कहिये।

श्रीमती फूलन देवी : मैं कांशीराम के दरवाजे पर जाकर मरूंगी। आप मुझे बताइये कि दो तरह का कानून कैसे है। सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। एक केस में एक बाहर आता है और एक अंदर जाता है। ढाई सौ, तीन सौ डकैतों को छोड़ दिया गया है। मैं कहती हूं कि अगर मैं अपराधी हूं तो कानून मुझे सजा दें। मैं जीना नहीं चाहती

हूं। अगर सबने माफ किया है तो माफ कर दें। समाज के बीच में रहने दें, समाज के बीच में उठने–बैठने दें। उपाध्यक्ष जी, यही मेरा निवेदन है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम लिस्ट में नहीं है।

श्रीमती भगवती देवी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला का सवाल है, वह हरिजन है, उपेक्षित है। इस वजह से उसके केस माफ नहीं हो रहे हैं। तो फिर फूलन तुम रायफल उठाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। यह क्या है, एक तरफ एक को न्याय मिलेगा और एक को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। वह भी एक सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के दौरान में एक अति–महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों पंजाब में कुछ उग्रवादी लड़के पकड़े गए थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वे पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहां आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनमें से एक लड़का ह्यूमन बॉम्ब के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री, श्री प्रकाश सिंह बादल की हत्या के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। इससे पहले भी हम पंजाब के एक मुख्यमंत्री को ह्यूमन बॉम्ब के माध्यम से खो चुके हैं और लगभग दस हजार लोग अब तक पंजाब में मारे जा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से, सब लोगों के प्रयास के बाद, अब पंजाब में शांति स्थापित हुई है लेकिन पिछले दिनों जो 4–5 लड़के पकड़े गए, उन्होंने बहुत सी बातें बताई, जिनमें 3–4 बातें ध्यान देने योग्य हैं।

उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए हैं और हमें वहां आई॰एस॰आई॰ ने पूरा समर्थन और सहायता दी है। उन्होंने यह भी बताया कि हमें पाकिस्तान में शरण मिली और हम वहां आते–जाते रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान की आई॰एस॰आई॰ ने उन्हें, इस समय पंजाब में जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ नेता हैं, उनकी हत्या की साजिश करने यहां भेजा है। मैं समझता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। वहां एक ह्यूमन बॉम्ब पकड़ा गया है तथा संभव है कि कुछ और ह्यूमन बॉम्ब भी वहां आए हों। यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है, किसी भी नेता के पास जाकर उसकी हत्या की जा सकती है।

मैंने पहले भी एक दिन इस सवाल को सदन में उठाया था। उस समय प्रधानमंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने यह बात कही थी कि पाकिस्तान, जो इन गतिविधियों को मदद दे रहा है, उग्रवादियों को सहायता दे रहा है, उसके बारे में कार्यवाही करेंगे, उनसे प्रोटैस्ट करेंगे।

मैं आपके माध्यम से दो मांग करना चाहता हूं। मेरी पहली मांग है कि पंजाब के सभी पार्टियों के जितने नेता हैं, खास तौर पर अकाली दल और बी॰जे॰पी॰ के नेता और पंजाब के मुख्य मंत्री, श्री प्रकाश सिंह बदल, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। दूसरी मेरी मांग है कि पाकिस्तान बोर्डर से जिस तरह खुले रूप में लोग जब चाहे आते जाते हैं, जब चाहे चले जाते हैं, वहां अधिक निगरानी और सख्ती की जाए ताकि वहां से लोग न आ सकें। मेरी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ इस मामले को कड़ाई के साथ ले, केवल प्रोटैस्ट करने से पत्र लिखने से, सीरियस कन्सर्न करने से यह मामला हल होने वाला नहीं है अन्यथा इस क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से जो शांति स्थापित हुई है, उसे फिर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है तथा पंजाब और इस क्षेत्र में और ज्यादा शरारतें हो सकती हैं क्योंकि जिस तरह खास तौर पर पंजाब में जो नया भाईचारा बना है, हिन्दू–सिक्ख एकता बनी है, नई भाजपा–अकाली दल की सरकार आई है, उसे डि–स्टेबिलाइज करने की कोशिशें हो रही हैं, उनके चलते स्थिति और खराब हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन गतिविधियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय मैं अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित एक मामले की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसका सम्बन्ध बर्न स्टेण्डर्ड को बोगी उत्पादन इकाई के कर्मचारियों से है।

सरकार ने उद्योग मंत्रालय के माध्यम से यह आश्वासन दिया था कि जब तक बी॰आई॰एफ॰आर॰ इस मामले को नहीं निपटाता तब तक जास्सोप ब्रेटवाईट तथा बार्न स्टैण्डर्ड जैसे उद्योग को सहायता प्रदान करने वाले पैकेजों को जारी रखा जाएगा। दुर्भाग्य से, चाहे बी॰आई॰एफ॰आर॰ ने अभी तक इस मामले को नहीं निपटाया जैस्सोप और ब्रेटवाईट मंत्रालय के पैकेजों को अनुमति प्रदान कर दी गई। परन्तु वर्न स्टैण्डर्ड के पैकेज को अभी स्वीकृति नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप रेल मंत्रालय ने बोगियों की आपूर्ति बन्द कर दी है और इससे बर्न स्टैण्डर्ड के आगे के कार्यक्रम प्रभावित होंगे। इस पैकेज को स्वीकृति न मिलने के कारण हजारों कामगार, जिनमें अनुषंगी इकाईयों भी शामिल हैं, अब संकट का सामना कर रहे हैं।

मैं ईमानदारी से उद्योग मंत्रालय को अपील करता हूं कि वे बांटो और राज करो की नीति न अपनाएं। समान व्यवहार होना चाहिए। तथा बर्न स्टैण्डर्ड के पैकेज को भी जेस्सोप तथा ब्रेटवाईट के समान ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में रेल मंत्री से विशेष अपील करता हूं। उन्होंने एक नई प्रणाली सृजित की है। रेल विभाग अपने सामान की आपूर्ति सही ढ़ंग से कर सके, इस हेतु पर्याप्त अग्रिम राशि की अदायगी के साथ बोगियों के आपूर्ति आदेश जारी किए जाते हैं। बर्न स्टैण्डर्ड के संशोधित बोगी आपूर्ति आदेश अवश्य पूरे किए जाने चाहिएं ताकि इकाई को बचाया जा सके और मेरे चुनाव क्षेत्र के कर्मकारों को बचाया जा सके।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने स्वयं यह आश्वासन दिया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान, आज सारे पैट्रोल पम्पों में हो रही हड़ताल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पिछले अनेक वर्षों से पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं, बैंक ड्राफ्ट्स के चार्जेज भी बढ़े हैं जिससे पैट्रोल पम्पों की लागत पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है परन्तु उनका कमीशन विगत 20 वर्षों से नहीं बढ़ाया जा रहा है। उनकी दूसरी मांग है कि आवश्यक वस्तु (विशेष संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत पैट्रोल पम्पों के चालान किए जा रहे हैं तथा उत्पीड़न के नाम पर उनका दोहन किया जा रहा है। आवश्यक वस्तु (विशेष संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत इन्सफैक्ट्री राज इन पैट्रोल पम्पों पर पूर्ण रूप से काबिज है जिसकी वजह से वे बहुत परेशान हैं।

इन दों मांगों को लेकर पूरे देश के पेट्रोल पंप आज हड़ताल पर हैं। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री जी ने और नागरिक आपूर्ति मंत्री जी ने अभी पिछले सप्ताह एक इंटरव्यू दिया था और अखबारों में भी आया था और मुझे भी बताया था कि कैबीनेट ने यह निर्णय लिया है कि हम इस संशोधन को केवल एक साल के लिए बढ़ाएंगे और उन्होंने यह भी कहा था कि हम इसमें कुछ संशोधन करेंगे, लेकिन यहां पर जो विचार्रथ विधेयक पेश किया गया है वह एक साल के लिए न होकर पांच साल के लिए है। अब कैबीनेट का यह कैसा निर्णय है जिसके बारे में पहले समाचारपत्रों में आया था कि केवल एक साल के लिए वे यह कर रहे हैं, लेकिन यह अब पांच साल के लिए आया है। इस प्रकार से तो हम लोगों के साथ यह विश्वासघात किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में पेट्रोल पंप बन्द हैं। स्थिति बड़ी नाजुक है। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय उनकी परेशानियों के संबंध में विचार करे। कमीशन बढ़ाने तथा लागत कितनी आती है, इन सभी बातों पर विचार करे। मैं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान में पुनः आकर्षित करना चाहता हूं। आज तो केवल पेट्रोल पंप वाले हड़ताल पर हैं, लेकिन 8 अगस्त को पूरे देश के व्यापारी संसद को घेरने आ रहे हैं। 26 अगस्त को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के विरोध में पूरा देश बंद हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे ताकि हमें आंदोलन न करना पड़ें और व्यापारियों की जायज मांगें मान ली जाएं।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, ये पेट्रोल पंप वाले लोग पेट्रोल में मिलावट करके सारे देश की पेट्रोल से चलने वाली मशीनों को खराब करने के जिम्मेदार हैं और मिलावटी पेट्रोल बेचकर पूरे देश के लोगों की लूट मचा रखी है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इनका कमीशन न बढ़ाया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए अलग कानून बने हुए है। अगर मिलावट के अपराध में कोई पकड़ा जाता है, उसे कानून के अंतर्गत सजा हो सकती है और उसे दंडित किया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो मसला है वह 3/7 का है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय संचार मंत्री का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध डाक विभाग में कार्यरत ई॰डी॰ कर्मचारियों की दयनीय स्थिति से है। डाक विभाग में काम करने वाले तीन लाख कर्मचारियों को ई॰डी॰ कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन विगत वर्षों में उनसे साथ बहुत रूखा व्यवहार किया गया है। विभाग ने इन वर्षों में बन्धुआ मजदूरों का सा व्यवहार किया है। दलगत विचारधारा से ऊपर उठ कर अनेक बार मान्नीय सदस्यों ने इस मामले को सदन में उठाया है। अन्ततः न्यायमूर्ति तलवार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। कुछ महीने पूर्व इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। परन्तु उसकी सिफारिशों को लागू करने सम्बंधी कोई कार्यवाही माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं की गई। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह न्यायमूर्ति तलवार समिति द्वारा की गई सिफारिशों को बिना कोई और विलम्ब किए लागू करें।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजभाषा सेवा के अनुवादकों/सहायक निदेशकों के वेतनमानों में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न विसंगतियों और मंत्रिमडंल द्वारा शीघ्र अनुकूल निर्णय कराने हेतु अनुरोध कर रहा हूं। पांचवे वेतन आयोग ने केन्द्रीय ब्यूरो के तकनीकी सहायकों का वेतनमान 1400-2300 रुपए से बढ़ाकर 1640-2900 रुपए कर दिया है, परन्तु केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादकों का वेतनमान (1400-2600) नहीं बढ़ाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के हिन्दी प्राध्यापकों और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के वरिष्ठ अनुवादकों, जिन दोनों का वर्तमान वेतनमान 1640-2900 रुपए है, के लिए 2000-3500 रुपए के बढ़े हुए वेतनमान की सिफारिश की गई है जबकि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के वरिष्ठ अनुवादकों के वेतनमान 1640-2900 रुपए में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) मुख्यालय है जबकि केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो इसके अधीनस्थ कार्यालय है। स्पष्ट है कि मुख्यालय के समकक्ष पदधारियों को उसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के अपने समान पदधारियों के मुकाबले न केवल कम वेतनमान में रखा गया है बल्कि मुख्यालय के राजपत्रित पद (सहायक निदेशक) को अधीनस्थ कार्यालयों के अराजपत्रित पदों (हिन्दी अध्यापक तथा वरिष्ठ अनुवादक) के बराबर वेतनमान में रखकर अभूतपूर्व विसंगतियां पैदा कर दी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादकों का वेतनमान पारम्परिक रूप से केन्द्रीय सचिवालय के सहायकों के बराबर और वरिष्ठ अनुवादकों का वेतनमान अपेक्षाकृत अधिक होता था, परन्तु जुलाई, 1990 में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के एक आदेश द्वारा समानता की यह परम्परा टूट गई जिसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी न्यायालय ने भी पांचवें वेतन आयोग पर डाली थी, परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे उपर्युक्त नई विसंगतियां पैदा हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादकों, वरिष्ठ अनुवादकों और सहायक निदेशकों को क्रमशः 1640-2900 रु॰, 2000-3500 रु॰ और 2200-4000 रु॰ के समकक्ष वेतनमान तत्काल दिलाने के लिए इस मामले को हाल में गठित सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति को भिजवाने की कृपा करें ताकि मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों के कार्मिकों का वेतनमान समान हो सके और मामले में अनावश्यक देरी से बचने के लिए विसंगति समिति को भेजे जाने से रोका जा सके।

अतः विनम्र अनुरोध है कि आप मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कनिष्ठ अनुवादकों, वरिष्ठ अनुवादकों और सहायक निदेशकों को क्रमशः 1640-2900/- रु॰, 2000-3500/- रु॰ और 2200-4000/- रु॰ के समकक्ष वेतनमान तत्काल दिलाने के लिए इस मामले को हाल में गठित सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति को भिजवाने की कृपा करें ताकि मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों के कार्मिकों का वेतनमान समान हो सके और मामले को अनावश्यक देरी से बचने के लिए विसंगति समिति को भेजे जाने से रोका जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें लाचार होकर सामूहिक अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री यादव जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। हिन्दी को अनुवाद करने वालों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सवाल पर भेदभाव कैसे किया जा सकता है। लेकिन राजभाषा की उपेक्षा है, राजभाषा के अनुवादक की उपेक्षा है। हम स्वयं देखते हैं कि यहां सदन की बैठकें चलती है और अनुवादक को देर तक रूकना पड़ता है। अफसर तो देर तक काम चलने पर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं लेकिन अनुवादक बस ढूंढते हुए मारे-मारे फिरते हैं। अगर अनुवादकों की यही स्थिति रहेगी तो हमें अच्छे अनुवादक नहीं मिलेंगे और फिर भारतीय भाषाओं के विकास का काम रूकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में और कठिनाइयों को देखते हुए इस सवाल पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत अहम मसला है। इस पर सरकार कुछ ध्यान दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी खड़े हैं। कृपया उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अनेक अवसरों पर सदन देर तक बैठा है। यह ठीक है कि संसद सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के पास परिवहन की सुविधाएं हैं। परन्तु इनके अलावा भी, हमारे अन्य कर्मचारी और संसदीय रिपोर्टर है, जिनमें बहुत सी महिलाएं हैं।

मैंने पहले भी माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। इसका कोई स्थायी प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि जब जब सदन देर तक बैठे परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इसे सुनिश्चित सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

एक माननीय सदस्य : उन्हें किसी तरह का विशेष परिवहन भत्ता दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर कुछ कहें।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजभाषा का सवाल है, राजभाषा अधिनियम भी बन गया है। सारी चीजों के बावजूद राजभाषा का जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। आजादी के 50 वर्ष के बाद भी यह हमारे लिए बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है। अभी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है और लीडर ऑफ ओपोजिशन ने भी उसकी ताईद की है व तमाम पक्ष के सदस्यों ने भी कहा है, तो निश्चित रूप से हम इस मामले को सरकार की नजर में लायेंगे और चाहेंगे कि उसमें जो भी कठिनाइयां हैं उसको दूर किया जा सके।...*(व्यवधान)* सरकार नहीं है तो फिर क्यों बैठे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप सरकार को कह देंगे। ...*(व्यवधान)* आप ही तो सरकार है।...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : श्री राम विलास पासवान जी को यह बताने की आवश्यकता है कि वे आप ही सरकार हैं। सरकार कोई अलग नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सरकार है कौन और सरकार क्या अलग है? श्री राम विलास पासवान जी कहते हैं कि हम सरकार की नजर में लाएंगे, तो सरकार कहां है? कहां रहती है, उसका नाम क्या है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री थामस को अब बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं अभी सदन में लीडर ऑफ दी हाउस की हैसियत से बोल रहा हूं। सरकार के एक अंग की हैसियत से कह रहा हूं लेकिन सरकार सरकार होती है।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। देश के कुछ भागों में विशेष रूप से केरल में किसानों के खेती करने के अति मूल्यवान संवैधानिक और मौलिक अधिकार को कुछ लोगों के द्वारा हड़पा जा रहा है। हाल ही में केरल में एक दल के तत्वावधान में एक घरना दिया गया; और केरल में जिस दल का शासन चल रहा है वह शासन उस हड़पने के कार्य को पूरा समर्थन दे रहा है। यह असभ्यतापूर्ण कार्य है। जब किसानों की फसल पक जाती है तो कुछ लोग कानून–व्यवस्था की कोई परवाह न करते हुए किसानों के खेत में जबर्दस्ती घुसकर पूरी फसल को काट ले जाते हैं।

महोदय, हाल ही के कुछ वर्षों में सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा जो आन्दोलन किए गये उनसे कुछ किसानों को लाखों और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। मैं यह मुद्दा यहां इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यह एक संवैधानिक मुद्दा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसान भी भारतीय संविधान के अन्तर्गत सुरक्षा पाने के हकदार हैं? यह बहुत ही क्षोभपूर्ण स्थिति है कि भारत सरकार एक मूक दर्शक की भांति देख रही है। सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस है, लेकिन वह हड़पने वालों को सभी समर्थन दे रही है और किसानों की पूरी फसल लूटी जा रही है। बहुत ही अधिक हानि की गई है। मैं संसद को सुझाव देना चाहता हूं कि इस पर संज्ञेय ले और भारत सरकार कुछ कार्यवाही करें क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जो गरीब किसानों से संबंधित मौलिक संवैधानिक मुद्दों की जड़ें काट रहा है।

श्री पी॰ उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, जिस प्रकार से श्री चाक्को ने बैंक कर्मचारियों की समस्या उठाई है, पहले मैं भी इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और इसके पश्चात् ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की विशेष समस्या पर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सन् 1987 में, उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार न्यायमूर्ति ओबुल रेड्डी के सभापतित्व में एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित किया गया था और उस न्यायाधिकरण ने प्रवर्तक बैंकों के समान वेतन की सिफारिश की। श्री कोटय्या की अध्यक्षता वाली इक्वेजशन समिति द्वारा इसका पुष्टिकरण किया गया। सरकार ने समानता बनाये रखने के लिए 1991 में आदेश जारी किये लेकिन 1992 में बिना किसी सूचना के सारा मामला भारतीय रिजर्व बैंक को दे दिया गया जिसने श्री महालिक के सभापतित्व में एक समिति गठित की जिसने इन कर्मचारियों के लिए अलग वेतनमानों की सिफारिश की। इसके विरोध में कर्मचारी न्यायालय में चले गए, इस मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया और कर्मचारी अब प्रवर्तक बैंकों के कर्मचारियों के समान समानता के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी शिकायतों पर ध्यान दें और शीघ्रता से निर्णय करें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर–दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं दिल्ली में चरमराती काननू–व्यवस्था पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिल्ली अपराधों में आज पूरे भारत में सबसे आगे हैं। आप 1996 के आंकड़े देखें तो 59,871 गंभीर अपराधों के मामले दर्ज किए गए। परसों मेरी कौन्सटीटूऐंसी सदर में कल्याण विहार एक पौश कालोनी है। इस साफ–सुथरी कालोनी में पांच अपराधी घर की दूसरी मंजिल में घुसते हैं। लूटपाट करते हैं, महिलाओं के जेवर उतारते हैं, सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं और वह भी रात का समय नहीं है, दिन–दहाड़े साढ़े चार बजे की बात है। यह केवल कल्याण विहार का मामला नहीं है। मेरी ही कौन्सटीटूऐंसी के मुखर्जी नगर में डकैती हुई। डकैतों का आज तक पता नहीं चला। पंजाबी बाग में इसी तरह से लोग पहली मंजिल में घुसे किन्तु डकैतों का आज तक पता नहीं चला। रूप नगर मेन रोड़ में एक दुकानदार की सरेआम हत्या कर दी गई। हत्यारों की शिनाख्त कर ली गई, हत्यारों का पता चल गया, गाड़ी नम्बर मिल गया किन्तु आज तक भी उनका पता नहीं लगा। आज दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। दिल्ली सरकार से उसका कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली सरकार पर हम इल्जाम लगा देते हैं कि दिल्ली में अपराधों में वृद्धि हो रही है। किन्तु आज गृह मंत्रालय को इस बात को देखना होगा कि वह इन अपराधों को चैक कर पा रही है या नहीं। अगर एक डकैती के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हम फोन पर कौन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो दो–दो दिन तक उनका पता नहीं चलता। वे फोन पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई एरिया, जिसमें डकैती हुई है, पुलिस कमिश्नर विजिट करने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री को तो पता नहीं घटना का पता भी चलता है या नहीं। दिल्ली के जो इलैक्टेड सातों एम॰पीज हैं, उनके साथ आज तक एक भी मीटिंग पुलिस कमिश्नर या गृह मंत्री की नया पुलिस कमिश्नर बनने के बाद नहीं हुई। दिल्ली की ऐसी भयावह स्थिति है। हम सारे संसद सदस्य दिल्ली में रहते हैं। जब तक दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहेगी और जब तक यह सरकार उसके प्रति उदासीन रवैया अपनाती रहेगी, तब तक दिल्ली सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। यदि दिल्ली सरकार एक आदमी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, दिल्ली वालों की मीटिंग नहीं कर सकती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में अपराधों में किस प्रकार से वृद्धि हुई है।

पिछले तीन महीनों में 3,133 वाहन चोरी की घटनाएं हुई हैं, 326 लूटपाट के केसेस हुए हैं, 1247 घरों में चोरी हुई है और इसमें से शायद

20 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ट्रेस कर पाई होगी।

उपाध्यक्ष जी, दिल्ली में आज़ जो लॉटरी बिक रही है।

दिल्ली के अन्दर जो अवैध शराब बिक रही है, सब दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से बिक रही है और वह भी गृह मंत्रालय के सीधे नाक के नीचे बिक रही है। मैं चाहता हूं कि सदन के अन्दर इसके ऊपर विशेष चर्चा की जाये। गृह मंत्रालय इस बात को देखे कि दिल्ली पुलिस या तो दिल्ली राज्य सरकार को सौंपी जाये, नहीं तो गृह मंत्रालय इस बात का जवाब दे कि इतने अपराधों के लिए कौन जिम्मेदार है।

पिछले दिनों अपहरणों की जो संख्या थी, उसके अन्दर 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेप के केसेज में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मोलेस्टेशन के अन्दर 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गृह मंत्रालय सो रहा है। जो केन्द्र सरकार के मंत्री रहते हैं, वे दिल्ली के अन्दर रहते हैं, इनकी कोठियां दिल्ली में हैं। जो दिल्ली कभी सबसे अधिक सुरक्षित समझी जाती थी, आज दिल्ली के अन्दर दिल्ली के नागरिक असुरक्षा का भाव अनुभव करते हैं और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि दिल्ली राज्य के पास दिल्ली पुलिस नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ राज्यों विशेष रूप से केरल में पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को भारी खतरा है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि न्यायालय के कथनानुसार तथाकथित 'सम्पन्न वर्ग' पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सम्पूर्ण प्रणाली के लिए विध्वंसकु हैं। यहां बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। एक आन्दोलन है बढ़ रहा और समस्याएं पैदा हो रही हैं।

यह आवश्यक होगा कि सरकार इस तनाव–इस आन्दोलन को ध्यान में रखे और यह सच है कि तथाकथित सम्पन्न वर्ग के आने से विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से केरल में पिछड़े वर्गों की सम्पूर्ण प्रणाली के लिए नुकसान कायम होगी, जैसा कि मैंने कहा है कि पिछले कई वर्षों से पिछड़े वर्गों की स्थिति विध्वंसक है।

अब, केरल से कल एक प्रतिनिधि मोर्चा संसद में आ रहा है। मैं 24 घंटे पहले सरकार को इसलिए बता रहा हूं ताकि सरकार सभा में आने से पहले अपना वकतव्य तैयार कर सके। अब देखना है कि सरकार क्या करती है। यदि आवश्यक हुआ तो आरक्षण प्रणाली, जो कि कुछ राज्यों में विद्यमान है, के संरक्षण के लिए विधान–व्यवस्था और संविधान में संशोधन आदि के द्वारा सरकार क्या कदम उठाती है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज दिल्ली में हजारों ग्रामीण बैंक के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। लालकिले से उनका जुलूस जन्तर मन्तर तक आ रहा है। ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण नीति यह सरकार अपना रही है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग ने निर्णय लिया था कि सब बैंकों को समान स्तर पर वेतन विसंगतियां समाप्त करके इनको वेतन दिया जायेगा। आज सारे बैंकों में तो छठा वेतन आयोग लागू होकर उन लोगों को सन् 1995 में धनराशि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन जो ग्रामीण बैंक हैं, इनके लिए अगर बहाना बनता है, चूंकि ये घाटे में चल रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीयकृत 27 बैंकों में से 11 बैंक नुकसान में चल रहे हैं और उसके बावजूद उनके कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को समाप्त करके उनको भरपूर धनराशि दी जा रही है।

मेरा निवेदन है कि इस बहाने को समाप्त करके ग्रामीण बैंक वर्कर्स को, जो वास्तव में गांवों में रहकर बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, उनकी वेतन विसंगतियां समाप्त करके राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान उनको वेतन दिया जाये। आज यहां उनका प्रदर्शन हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी उनके साथ बात करें।. ..*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस विषय पर विचार करें। ग्रामीण बैंक का जो विषय है, यह कई सालों से चल रहा है।

अच्छा होगा अगर वित्त मंत्री जी स्वयं इस पर ध्यान देकर इसका समाधान शीघ्र करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों सहित लगभग 30,000 बैंक कर्मचारी दिल्ली आये हैं। वे माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में घोषित स्थानीय बैंकों के गठन का विरोध कर रहे हैं। ऐसे तीन बैंकों के गठन के लिए लाइसेंस पहले ही जारी कर दिये गये हैं। इन बैंकों की यूनियनों से बैंक यूनियनों का संयुक्त फोरम तैयार किया है। वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के साथ आये हैं। उनकी मांग है कि स्थानीय और निजी बैंकों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। वे बैंकों के निज़ीकरण के विरुद्ध हैं।

महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी, एक लम्बे समय से अपने वेतनमानों में समानता की मांग करते रहे हैं। उनके लिए कोई भेद-भाव क्यों हो? ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान वाणिज्यिक बैंकों के वेतनमान से कम क्यों होने चाहिए? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुद्दे का समर्थन करें और मामलें को यहीं समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, राष्ट्रीय संदाय प्राधिकरण ने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है और इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और मजदूरी में समानता होनी चाहिए लेकिन इसके बावजूद, तीन वर्ष पूर्व वह द्विपक्षीय वेतन समझौते को के बाद भी, ग्रामीण बैंक को कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। इनके वेतनमान अभी तक संशोधित नहीं किये गये हैं। हम

[श्री बसुदेव आचार्य]

ग्रामीण बैंक, निजीकरण और बीमा क्षेत्र खोलने का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं।

महोदय, आज 30,000 बैंक कर्मचारी दिल्ली आये हैं। हमारी मांग हैं कि बैंक का निजीकरण और स्थानीय बैंकों का गठन नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

छठा द्विपक्षीय समझौता, जो वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के मामले में लागू किया गया था, के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया जाये,

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम बुलाऊंगा। मुझे एक मिनट कहने दें।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : अवार्ड इम्प्लीमेंट किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : लोढा जी, एक मिनट, पहले मुझे कहने दें। आप भी इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जिन पर एक माननीय सदस्य ने नोटिस दिया होता है, लेकिन उस पर सब बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

उसमें पार्टियों के लीडर एक–दो बोल लें तो बात समझ में आती है, अगर सभी बोलेंगे तो जिनके नाम मेरे पास हैं, उनके साथ अन्याय होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की बात का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपके समर्थन को रिकार्ड कर लिया गया है।

हां, क्या श्री संतोष मोहन देव इस मुद्दे पर आप भी अपने समर्थन को रिकार्ड करवाना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं कांग्रेस दल की ओर से माननीय सदस्य - चिंता से सहमत हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री चित्त बसु : महोदय, आप सदस्य को उसका वाक्य पूरा करने की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, मैं मुंगेर जिले का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। मुंगेर में कल साढ़े तीन बजे गुलालपुर और बांक गांवों के बीच ताड़ी की दुकान पर व्यक्तिगत झगड़े हुए। गुलालपुर मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का गांव है और बांक जाटवों का गांव है। उसके बाद बांक गांव से लोगों को संगठित किया गया और मुसलमानों के गांवों पर हमले किए गए। जिसमें एक मुसलमान मारा गया और एक जाटव मारा गया। उस जाटव की लाश दरियापुर और मुंगेर रोड पर लाई गई और अभी तक उस लाश को वही रखा गया है। जाटवों के सारे गांवों के लोगों को दंगे के लिए संगठित किया जा रहा है।

सात घर अल्पसंख्यकों के उजाड़ दिए गए हैं। चार बच्चे लापता हैं और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। हमने इस संबंध में बिहार के गृह सचिव से भी बात की, मुंगेर के डी॰आई॰जी॰ से बात की और बिहार के आई॰जी॰ से भी बात की लेकिन स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है और उससे यादवों और मुसलमानों के बीच दंगे की स्थिति पैदा हो गई है। वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सवाल पर वह बयान दें कि बिहार का प्रशासन इस संबंध में क्या कर रहा है? एक तरफ मुसलमानों के घर पर छापे पड़ते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हो गया। हो गया। बिहार पर हर रोज चर्चा हो रही है।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : दूसरी तरफ जो खासकर...*(व्यवधान)* लाश को अभी तक उठाने नहीं दे रहे हैं जबकि मुसलमानों की लाशें हैडक्वार्टर में आ गई हैं। लेकिन उस लाश को अभी तक उठाने नहीं दे रहे हैं। पूरे मुंगेर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए गृह मंत्री जी इस बात पर बयान दें। हम आपसे अपील करते हैं कि आप गृह मंत्री जी को आदेश दें कि वह इस पर अपना बयान दें।

जस्टिस गुमान मल लोढा : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सारे राष्ट्र का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जलियांवाला बाग अभी तक सारे देश को प्रेरणा देता रहा है। तब स्वर्ण जयन्ती मनाते समय इंग्लैंड से एलीजाबैथ और उनके साथ दो अंग्रेज, डायर और दूसरे लोग आ रहे हैं। इन्हीं अंग्रेजों ने जिन्होंने जलियांवाला बाग में 500 से ज्यादा लोगों को गोली से भून दिया था और सारे देश के अंदर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद,

सुखदेव सिंह और राजगुरू जैसे महान क्रांतिकारियों को फांसी लगाई थी, अब उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। यह राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से जापान की सरकार ने कोरिया की महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया था और जापान के सैनिकों ने कोरिया की महिलाओं का यौन शोषण किया था, उसके लिए कोरिया से जापान की सरकार ने क्षमा मांगी थी, उसी प्रकार से जब तक एलीजाबैथ और ब्रिटेन की सरकार हमसे क्षमा नहीं मांगती हैं, शहीदों के प्रति क्षमा याचना नहीं करती हैं...*(व्यवधान)* और भारत सरकार जब तक उन्हें क्षमा नहीं करती, उनको यहां आने की अनुमति नहीं दी जाए।...*(व्यवधान)* पंजाब में भगत सिंह के भतीजे ने कहा है कि मैं इस पर आंदोलन करूंगा और भगत सिंह का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर जागरूक रहे और उनको क्षमा-याचना करने के लिए कहे। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति जी, इन्होंने तो चंद्रशेखर के लिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : सभापति जी, चंद्रशेखर आजाद के लिए तो इन्होंने आतंकवादी कहा था। पहले इनसे उसके लिए माफी मंगवाएं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूंची में नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री ए॰सी॰ जोस (इदुक्की) : महोदय, मैं आपके द्वारा इस माननीय सभा का ध्यान एक बहुत गंभीर स्थिति को ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि भारत के निर्यात क्षेत्र में उत्पन्न हुई है।

वर्ष 1996-97 में, भारत से 4000 करोड़ रु॰ के समुद्री उत्पादों का निर्यात विभिन्न देशों को किया गया था। उसमें से 20 प्रतिशत केवल यूरोप से ही भेजा गया। अब यूरोपीयन देशों ने भारत से समुद्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कारण यह बताया गया है कि इनमें एक प्रकार के रोगाणु पाए गए है। जबकि वास्तविक कारण यह है कि पहले काफी बड़ी संख्या में यह उत्पाद भारत से यूरोप जाते थे जिनकों उनके मजदूरों द्वारा पैक किया जाता था और अब भारत से पैकिंग की कीमत लगाकर उत्पाद भेजे जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनको उनका श्रम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए, अब यह कहकर कि उन्हें उन उत्पादों में जीवाणु का पता चला है उन्होंने भारत से सभी समुद्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इन समुद्री उत्पादों में लगभग आधे उत्पाद केरल राज्य से जा रहे हैं। इस प्रतिबंध की घोषणा से लाखों मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं। वहां मछुआरे भूखों मर रहे हैं। अनेक फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इसके अतिरिक्त इससे पूरे देश के निर्यात के अवसर प्रभावित होंगे। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है पिछले वर्ष 4,000 करोड़ रु॰ के समुद्री उत्पाद निर्यात किए गए थे। जब तक कि सरकार इस संबंध में कोई कड़े कदम नहीं उठाती, जब तक कि प्रधानमंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इस पर ध्यान नहीं देते और यूरोपीयन देशों से बात नहीं करते और यह नहीं देखते कि इन उत्पादों को निर्यात किया जा रहा है, 15 अगस्त के बाद कोई निर्यात नहीं होगा।

अपराह्न 1.00 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

व्यावहारिक रूप से, 15 जुलाई के बाद निर्यात का व्यापार बंद हो गया है, समुद्री उत्पादों का निर्यात बंद हो गया और मछली पकड़ने का काम बंद हो गया है। यह एक गंभीर स्थिति है। सरकार को इस संबंध में कुछ करने के लिए आगे आना चाहिए।

श्री पी॰सी॰ थामस : यह एक बहुत गंभीर मामला है। इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया अवश्य होनी चाहिए...*(व्यवधान)* पूरा निर्यात प्रभावित हो रहा है...*(व्यवधान)*

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, असम में हाल ही का भयंकर बाढ़ो से अनेक गांव तबाह हुए है जिनमें दक्षिण असम के गांव भी शामिल हैं। कम से कम पांच सौ गांव डूब गए हैं और धान के खेतों में अनाज पूर्णतः नष्ट हो गया है। बाढ़ों से 17 लाख से अधिक जानवर प्रभावित हुए है ओर सैंकड़ो मकान वह गए हैं।

महोदय, दक्षिण असम में-करीमगंज, हेलाकन्डी, केचार जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और एक सप्ताह से ऊपर समय से वहां की सड़क संचार व्यवस्था ठप्प पड़ी है। धीमाजी, उत्तरी लखीम पुर तिनसुकिया ऊपरी असम में सिबसागर, नलबरी, डूबरी, निचले असम में गोलपाडा जैसे क्षेत्रों की स्थिति अवरणीय है। इस भीषण बाढ़ो से हुई हानि को अभी आंका जाना है लेकिन इससे निश्चय ही 250 करोड़ रु॰ से ऊपर की हानि हुई होगी।

अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बाढ़ के शिकार लोगों के लिए तत्काल राहत उपाय करें ओर इसके साथ-साथ ब्रह्मपुत्र बोर्ड की परियोजनाओं को कार्यान्वित करें ओर असम में बाढ़ो पर रोक लगाने के लिए बारक बांध का निर्माण कर दीर्घावधि उपाय करें, चूंकि असम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।

सभापति महोदय : अब, मद संख्या 7-नियम 377 के अन्तर्गत मामले।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : दोपहर के भोजन के लिए समय नहीं दिया जाएगा। आप भोजन के पश्चात् वापस आ सकते हैं।

श्री के॰एल॰ शर्मा।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.03 बजे

मुम्बई में रेल मंत्री के प्रवेश के बारे में

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि केन्द्र तथा राज्य में चिन्ता का विषय बना हुआ है। राज्य में एक राजनीतिक दल के नेता द्वारा हमारे रेल मंत्री के विरुद्ध वर्तमान में जो खतरा है, उसे सुना नहीं गया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है और यह सत्तारूढ़ दल, शिवसेना के नेता द्वारा महाराष्ट्र में खुले तौर पर कहा जा रहा है। कथित कारण यह है कि रेल मंत्री ने एक विशिष्ट स्टेशन से कोंकण रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। उस वजह से उनके दल के लोगों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे श्री राम विलास पासवान को राज्य में न घुसने दें। अपने अनुभव में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि इसका वास्तविक कारण मंत्रीजी का वक्तव्य है जो कि उन्होंने उन क्षेत्रों का दौरा करने के बाद दिया कि वहा दलितों को प्रताड़ित किया गया था और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। चाहे मैं मंत्रीजी से सहमत होऊं अथवा नहीं यह एक भिन्न बात है। मान लीजिए हमारे देश में भारत संघ के माननीय मंत्री कहीं भी इस मामले के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं अथवा मंत्री के रूप में निर्णय लेते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : दलित करके उन्होंने विरोध नहीं किया है।...*(व्यवधान)* उसके बारे में विरोध नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-पूर्वोत्तर) : शून्य काल नहीं हुआ और यदि कोई मुद्दा उठा है...*(व्यवधान)* आपको उसे अनुमति देनी चाहिए। आपको हमें अवश्य अवसर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : आप इस मामले पर मत बोलिए। बिहार के अंदर जब लालू यादव ने दोनों मंत्रियों को रोकने की धमकी दी थी और उन पर हमला हुआ था, तब आप क्यों नहीं बोले?...*(व्यवधान)* आपकी पार्टी के लोग तो अपने प्रधान मंत्री को भी नहीं बोलने देते और वह कल वाक आउट कर गए थे। उनके बारे में भी आप कुछ बोलिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : श्री राम विलास पासवान को राज्य में घुसने नहीं दिया गया। यहां, हम देखते हैं कि माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई।...*(व्यवधान)* आपको उन्हें बोलने की अनुमति देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : आप क्या बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* बालठाकरे की बात को हाउस में बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : पंडित जवाहर लाल नेहरू भी बंद गाड़ी से गए थे, उन्हें भी रोका गया था।...*(व्यवधान)* वहां के लोग मांग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* जब पासवान जी के ऊपर बिहार में हमला किया था तो आप क्या कर रहे थे?

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चाक्को (मुकुन्दपुरम्) : यदि वे चाहते हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। लेकिन वे उस पर क्यों चिल्ला रहे हैं जो बोल रहा है? जो कुछ श्री प्रमोद महाजन ने कहा है, वह कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाना चाहिए...*(व्यवधान)* यदि किसी नेता ने किसी भी राज्य में यह कहा हो कि एक विशिष्ट नेता को राज्य में घुसने नहीं दिया जाएगा तो हम यह मामला सभा में उठा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : यह भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चाक्को : महाराष्ट्र किसी की जागीर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही यदि सदन की यह प्रतिक्रिया है तो मुम्बई में क्या होने जा रहा है, यह सोचकर ही मैं कांप जाता हूं और यदि उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले ससंद के माननीय सदस्यों की यही प्रतिक्रिया है तो मैं नहीं जानता मुम्बई की गलियों में क्या होगा?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : इससे मुंबई में दोबारा तनाव हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल एक या दो और वाक्यों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। यदि किसी राजनीतिक मुद्दे पर किसी राजनीतिक दल के नेता की ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है तो भी मैं उसका विरोध ही करता, किसी ने ऐसा कहा था। मैंने श्री प्रमोद महाजन को यह कहते सुना था कि पार्टी ने भी ऐसी ही बात कही थी। यदि किसी मंत्री के निर्णय को यह कह कर चुनौती दी जा रही है कि उसे राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : अगर मिनिस्टर काम नहीं करेंगे तो पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : क्या यह प्रोटेस्ट करने का तरीका है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

क्या विरोध करने का यही तरीका है कि एक मंत्री को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोपाल : अगर मिनिस्टर काम नहीं करेंगे तो सारे देश में प्रोटेस्ट होगा। मेरे यहां कम्युनिटी सेंटर नहीं बना है, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अड़सूल (बुलढाना) : अगर कोई काम नहीं होता है तो नेचूरल है, ऐसे ही बोला जाता है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड) : वहां आपके दल की सरकार है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चाको, कृपया उन्हें समाप्त करने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ कानून हाथ में लेने की यह एक दुष्प्रेरणा है...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, सदन इस तरह की बातों की अनदेखी नहीं कर सकता और मुझे आशा है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान जी ने इस चुनौती को स्वीकार कर वहां जाने का निश्चय किया है।

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अड़सूल : आप उनको कहने दें कि, चैलेंज एक्सैप्ट किया है। आप क्यों कह रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों के विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। इससे देश में असंतुलन पैदा हो जायेगा, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : क्या आपको बिहार के बारे में कुछ नहीं कहना है?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप केवल बिहार के संबंध में ही सोचते हैं, आपके पास और कुछ नहीं है सोचने के लिये...*(व्यवधान)* इसीलिये मैं कहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सोमनाथ जी, मुम्बई में जो मीटिंग में बम चला उसके बारे में भी कुछ बोलिए। क्या उस पर आपको कुछ नहीं कहना है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमारे देश का संवैधानिक ढांचा अर्द्धसंघीय है। केन्द्र और राज्यों के अपने-अपने क्षेत्र हैं। इसीलिये यह एक ऐसा चिंता का विषय है जिसमें मैं सदन की भागीदारी चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : हमारे स्टेट से संबंधित बातें हो रही हैं, हमको बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : सभापति जी, एक जिम्मेदार नेता द्वारा इस प्रकार गैर-जिम्मेदाराना बातें करना अपने आप में यह प्रकट करता है

[श्री राम नाईक]

कि उनका दिल कितना छोटा है। यह इस बात का एक उदाहरण है। सभापति जी, बात यह है कि मुम्बई में कोंकण रेलवे एक साल से चल रही है और उसके सारे यात्री दादर या बोरीबंदर से चलना चाहते हैं। एक साल से यह मांग है कि कुरला-स्थानन से जो गाड़ी छूटती है वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या दादर स्टेशन से छोड़ी जाए। इस बात का निवेदन हमने रेल मंत्री से किया। लोक सभा में भी हमने यह बात उठाई। बाद में मुम्बई के सभी एम॰पीज॰ ने यह बात रेल मंत्री को बताई। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहां आये थे तब भी उन्होंने रेल मंत्री जी को यह बात बताई कि इस प्रकार की हमारी मांग है। आप यह गाड़ी बोरीबंदर या दादर से छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बात को लेकर एक आंदोलन भी मुम्बई के यात्रियों का चल रहा है। हमने बार-बार मंत्री महोदय को यह बताया है कि केवल दो गाड़ियां चलती हैं। उसमें से एक तो दादर से छूटती है, अगर दूसरी भी दादर से जाए तो जाने वाले लोगों की सुविधा होगी।

कोकण रेलवे बनाने के लिए केवल महाराष्ट्र सरकार ने या केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, बल्कि जब कोकण रेलवे बनाने के लिए फायनेंशियल क्रंच था तो उस समय पर हमने मुम्बई के कोओपरेटिव बैंकों से कोकण रेलवे के 350 करोड़ रुपये के बोन्ड खरीदे थे, एक प्रकार से मदद की। अब जब मुम्बई की जनता, एम॰पीज॰ और सरकार की मांग है कि गाड़ी यहां के बदले वहां से चलाई जाए तो यह मांग सरकार क्यों नहीं मान रही है। उसके बारे में आंदोलन हुआ और आंदोलन होने के बाद भी सरकार उसे नहीं कर रही है। तीस अगस्त को मेरा यहां एक प्रश्न था।

उस प्रश्न में यह पूछा था कि

> "क्या सरकार जनता की इस मांग से अवगत है कि सभी कोंकण रेलगाड़ियां छत्रपति शिवाजी और दादर टर्मिनल से चलनी चाहिए।"

उसके उत्तर में उन्होंने यह कहा कि

> "सभी कोंकण रेल गाड़ियों को दादर से चलाने की मांग ज्यादा है।"

केवल दो गाड़ियां चलती हैं। यहां सदन को गुमराह करने के लिए यह बताया गया कि वहां के लिए बहुत गाड़ियां चलती हैं। एक गाड़ी दादर से जा रही है, इस प्रकार का उत्तर यहां देने के कारण मुम्बई के आम यात्रियों में गुस्सा पैदा हो गया। डैमोक्रेटिक जन तंत्र में अपनी मांग को रखने का कोई तरीका होता है। उन्होंने अपनी मांग को पूरा कराने के लिए कहा कि हम इसके लिए आन्दोलन करेंगे। उनकी इस बात को बढ़ा-चढ़ा कर बताना...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कांग्रेस की ओर से, सी॰पी॰एम॰ की ओर से जनता दल की ओर से और दूसरी पार्टियों की ओर से इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाता था कि कांग्रेस के रूल में मंत्रियों को गांवों में प्रवेश नहीं करने देंगे।

इस प्रकार के ढेर सारे वक्तव्य सैकड़ों बार आए थे। राम विलास पासवान जी में ऐसी क्या विशेषता है उनको इससे इतना कष्ट हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आन्दोलन करने का एक तरीका होता है। वे रास्ता रोक कर उन्हें बताना चाहते हैं। अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए वे आन्दोलन करने वाले हैं। अब यह कहते हैं कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। इसका क्या मतलब है? वे जनतांत्रिक तरीके से आन्दोलन करना चाहते हैं। इस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ भाजपा शिव सेना के बारे में फोबिया हो गया है। फोबिया वाले ही इस प्रकार की बात कहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टेट गवर्नमैंट की ओर से सैंटर के खिलाफ बंद का आह्वान किया था...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : यह कहने का क्या मतलब है कि मिनिस्टर को स्टेट में घुसने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : पहले एक रेलवे आन्दोलन में कहा था।

[अनुवाद]

यह कोई आम वक्तव्य नहीं है। पिछले दो हफ्तों में श्री राम विलास पासवान महाराष्ट्र में दो बार जा चुके हैं। किसी ने ऐसा नहीं कहा। महाराष्ट्र आने का उन्हें पूरा अधिकार है। चूंकि वे हमारी वाजिब मांगों से सहमत नहीं हैं तो उन्हें ऐसा कहना आंदोलन का ही एक हिस्सा है जैसे कि कहा जाता है कि "जब तक आप इस मांग को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक मैं आपको अपने घर में आने की अनुमति नहीं दूंगा" तो उसमें क्या बहुत बड़ी गलती है?...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : फतवा उनके जाने के बाद ही जारी किया गया।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यदि मंत्री अनुत्तरदायी हो तो पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली से यह फतवा आना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, कोंकण रेलवे में रहने वाले बहुत सारे लोग खेत मजदूर हैं। वे लोग दादर, परेल, शिवरी, लोअर परेल, लाल बाग, चिंचपोली, मझगांव, घोड़पदेव, काला चौकी, परेल गांव, प्रभा देवी, बड़ाला, खेड़ा बाजार और बोरीबंदर में रहते हैं। एक बरस पहले कोंकण रेलवे शुरू हुई...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : ऐसा कहने का उनका अधिकार है। हम भी इसका समर्थन करते हैं। किंतु मुद्दा वह नहीं है। आप विषय से भटक रहे हैं। यहां प्रश्न केन्द्र और राज्यों के आपसी संबंधों का है। यह लोकतंत्र का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महाराष्ट्र के सभी एम॰पीज॰ ने राम विलास जी से इस बारे में निवेदन किया था। मैं स्वयं राम विलास जी से मिला था। मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी मिला था। उन्होंने कहा कि हम दादर से गाड़ी शुरू कर सकते हैं लेकिन फंड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम इसे देखने मुम्बई में आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने राम विलास जी से बात की थी। मैंने पेपर में पढ़ा था कि उन्होंने भी ऐसी मांग की थी। आप दादर स्टेशन से गाड़ी चलाने के बारे में सोच भी रहे हैं।

मुम्बई से अब तीन रेलगाडियां शुरू हो रही हैं।

सभापति महोदय : वह राम नाईक ने बताया है।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : मेरी बात तो सुनिये। वे गाडियां छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू हो रही हैं। हमारी मांग है कि उनको दादर से शुरू किया जाये। इसलिये हम लोग आन्दोलन करने जा रहे हैं। इसके पहले भी संयुक्त महाराष्ट्र के समय पूर्व प्रधानमंत्री स्व॰ जवाहर लाल नेहरू जब वहां गये थे तो सब पक्षों ने बंद किया हुआ था और कांग्रेस ने साथ दिया था...*(व्यवधान)*...जो श्री सोम नाथ जी ने कहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनका आदर करते हैं। बिहार में रेल मंत्री जी पर हमला हुआ था तब तो आप की जुबान नहीं खुली कि हमारे रेल मंत्री को मार रहे हैं...*(व्यवधान)* क्या आपको डर लग रहा था? इस बात को राजनैतिक मामला न बनाया जाये। दलितों के विरोध की बात कहकर जातीय तनाव बढ़ सकता है...*(व्यवधान)* इसलिये मेरा निवेदन है कि सारी रेलगाड़ियां दादर से चलाई जायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : संतोष मोहन देव जी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री संतोष मोहन देव जी को बुला लिया है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री संतोष मोहन देव के भाषण के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

*(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री राम नाईक की बात से यह स्पष्ट हुआ कि रेल मंत्री के प्रवेश पर पाबंदी की धमकी दलित मंत्री के रूप में...

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले मेरी बात सुन लीजिये तभी आप रूलिंग दीजियेगा। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि श्री राम राईक जी की बात से यह स्पष्ट हो गया कि रेल मंत्री श्री पासवान जी के प्रवेश को चुनौती दी गई लेकिन दलित मंत्री पासवान के प्रवेश को चुनौती नहीं दी गई...*(व्यवधान)* लेकिन श्री सोम नाथ चटर्जी ने जो बात यहां रखी है, यदि वह बात कल पेपर में छपती है तो बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति मुम्बई में पैदा हो सकती है कि दलित मंत्री पर रोक लगाई गई है, इसलिये मेरा आग्रह है....

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिये मेरा निवेदन है कि यह बात रिकार्ड में से निकाल दी जाये ताकि कल यह न छपे कि दलित मंत्री के प्रवेश को चुनौती दी गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्होंने आपत्तिजनक कुछ नहीं कहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अच्छा, यदि यह रिकार्ड में है तो आप निकाल दीजिए, यदि यह कल छप गई तो इसकी प्रतिक्रिया होगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह बिल्कुल गलत कह रही हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रूप चंद पाल (हुगली) : यहां टेप-रिकार्डर है।

सभापति महोदय : उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे चलने दीजिए। मुझे कोई फरक नहीं पड़ता।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : यदि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तब ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सभापति जी, ये इस तरह से बोलना चाहते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदग : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री संतोष मोहन देव को बोलने के लिये बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमती सुषमा स्वराज ने इसे रिकार्ड में ला दिया है।

श्री रूपचंद पाल : आप इसे रिकार्ड में लाये हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था किंतु आप इसे रिकार्ड में लाये हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने ऐसा कहा था। मैंने अपने कानों से सुना है...*(व्यवधान)* और पूरा सदन सुन रहा था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान लें। मैंने हर किसी की बात सुनी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, जो मैंने कहा...*(व्यवधान)* क्योंकि वे वहां गये थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनके भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सभापति जी, श्री चटर्जी साहब ने यह बात ऐसे ही जोड़ दी है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप रिकॉर्ड को देखें।

सभापति महोदय : श्री मोहन रावले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रूप चंद पाल : आप लोग रिकॉर्ड को पढ़ लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया धैर्य रखें।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : इस सभा में बैठे किसी भी सदस्य का महाराष्ट्र के लोगों की उस मांग से कोई विवाद नहीं हो सकता है जिसमें कोंकण रेल की एक विशेष जगह से प्रारम्भ करने की मांग की गई है। हम सभी इसका समर्थन करते हैं। वह समाचार जो आज आया है, चाहे भले ही वह ठीक हो या गलत, हम सभी के लिए एक अचरज भरा समाचार है। मंत्री चाहे वह दलित हो या उच्च वर्ग का हो या फिर निम्न वर्ग का, वह एक मंत्री होता है। उनके वहां जाने का किसके द्वारा विरोध किया जा रहा है? यह वह भद्रपुरूष हैं। जिनके आचरण पर इस देश के गृह मंत्री ने इस सभा को बताया है कि वह और उनका दल भविष्य में ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करेंगे। अब श्री मोहन रावले ने कहा है कि उन्हें अपना आक्रोश जाहिर करने का अधिकार है। इस बात को कोई विरोध नहीं करता। लेकिन श्री प्रमोद महाजन जो कि मेरे एक अच्छे मित्र है तथा जो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, ने कहा है कि 'मेरे घर में वह आएंगे या नहीं इसका निर्णय मैं करूंगा। मुम्बई आपका घर नहीं है यह मेरा भी घर है। ...*(व्यवधान)* आपकी सरकार की इस तरक्की प्रवृति में परिवर्तन लाना चाहिए। चुनाव जीतने से क्या आप यह समझते हैं कि मुम्बई आपकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो गई है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कृपया आप रिकॉर्ड पढ़ें। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि यह मेरा घर है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष मोहन देव : राम नाईक जी ने एक छोटी सी बात लेकर क्या शुरू किया? एक छोटी बात नहीं है?

[अनुवाद]

मंत्री को देश में किसी भी जगह का भ्रमण करने का अधिकार है। लोगों को यह अधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदस्यों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आपने वैसा बर्ताव किया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वह कुछ भी कहें और हम जवाब नहीं दें।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : लोगों को हमारे विरुद्ध प्रदर्शन करने का अधिकार है। जब मैं, एक असम का मंत्री बना तो असम गण परिषद

के लोगों ने मेरा दो वर्ष तक कभी सत्कार नहीं किया; किसी बैठक में नहीं गए लेकिन अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वे मुझे असम में नहीं जाने देंगे। इसका श्रेय मैं उन्हें देता हूं।

इसलिए, जो कुछ भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है यदि वह ठीक है और यदि वह उस नेता विशेष द्वारा कहा गया है तो मैं अपने दल की ओर से इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आपकी पार्टी के एक एम पी को गिरफ्तार करने पुलिस गई...*(व्यवधान)* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : हमने आपकी बात में व्यवधान नहीं डाला।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री संतोष मोहन देव को कह रहे हैं उसके अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : हम इसकी जोरदार भर्त्सना करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसकी पुष्टि 8 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के उस व्यवहार से होगी जब श्री राम विलास पासवान वहां की यात्रा करेंगे। चाहे उनकी यह मांग मानी जाए या नहीं लेकिन श्री राम विलास पासवान लोगों को समझाने-बुझाने में सक्षम हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि वहां धन और अन्य चीजों का अभाव है। मेरे विचार से वह इसका समाधान निकाल सकते हैं...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा था ...*(व्यवधान)*

प्रसंगवश, इस सभा में मैं आज यह बताना चाहता हूं कि डिब्रुगढ़ से आने वाले एक सदस्य जब एक रेलगाड़ी को डिब्रुगढ से शुरू किए जाने का मामला उठाना चाहते थे तो श्री राम विलास पासवान ने उन्हें आश्वासन दिया था। वह यहां हल्ला करना चाहते थे। मैंने कहा "नहीं" मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं आप जाकर उन्हें ज्ञापन दे दीजिए। मैं भी उनसे बातचीत करूंगा...*(व्यवधान)* अतः, हमें मांग का विरोध नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बहन श्रीमती सुषमा स्वराज से एक बात सीखने को मिली कि शून्य-काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह तो चेयर डिसाइड करेगी कि पाइंट ऑफ ऑर्डर है या नहीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह मुद्दा अब समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : कोंकण रेलवे के संबंध में यह वक्तव्य है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : श्री राम विलास पासवान सदन के नेता हैं। वह इस सरकार के एक सक्रिय और कार्यकुशल मंत्रियों में से एक है। उन्हें किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष जाति का नहीं बताया जाना चाहिए। यदि लोग ऐसा कहते हैं या लोग सभा के बाहर कहते हैं तो यह समझा जा सकता है।

आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस सभा में उनका पिछडा या दलित या उच्च जाति के रूप में उल्लेख नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्हें ठीक ढ़ंग से सुना नहीं गया है। लेकिन श्री सोमनाथ चटर्जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह कहा था कि उसका वहां जाने का कारण यह हो सकता है कि उन्होंने उस जगह की यात्रा की जहां दलितों पर अत्याचार किए गए।...*(व्यवधान)* मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि क्योंकि वह एक दलित हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हो सकता है, बोलने की क्या जरूरत थी? हो सकता है यानी हो सकता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप रिकॉर्ड देखकर पता करें... *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि यदि वह वक्तव्य प्रेस में आया है और उससे यहां बैठे सदस्यों के मन में उत्तेजना बढ़ी है तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनकी उत्तेजना बढ़े या स्थिति गंभीर होती हो। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि उन्हें मुम्बई में घटित दलित समस्या का उल्लेख नहीं करना चाहिए था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रूप चंद पाल : सभापति महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तान्त में यह सब सम्मिलित है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चन्द्रशेखर : यदि उन्होंने नहीं बोला है और यदि उन्होंने बोला भी है और वह कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला तो सभा की यह शिष्टता होगी कि वह उस कथन को माने जो वह कहते हैं कि ठीक है। संसदीय प्रक्रिया की यह प्रारम्भिक मर्यादा है और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि मुम्बई में कुछ टिप्पणी की गई थी। मुझे उम्मीद है कि इस पक्ष के नेतागण और मेरे शिव सेना के मित्र इसे मात्र एक वक्तव्य के रूप में ही लेंगे और इसकी परीक्षा नहीं करेंगे जैसा कि मेरे मित्र श्री संतोष मोहन देव ने कहा है हम देखेंगे कि वे '8 अगस्त को उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।' सभा में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे स्थिति और भड़के। मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि श्री प्रमोद महाजन ने कहा है कि ऐसी भाषा बोलचाल तक ही सीमित होनी चाहिए और व्यवहार में नहीं लायी जानी चाहिए। हमारे राजनीतिक जीवन में हमेशा ऐसा होता ही रहता है और आजकल में ज्यादा होने लगा है। लेकिन ऐसी बातों को इस सभा में प्रयोग करने से रोका जाना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि जारी वक्तव्य न केवल सभा द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए... *(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि श्री राम विलास पासवान लोगों के इस मांग के प्रति जागरूक हैं और यदि ऐसी मांग की जाती है, और जैसा कि श्री राम नाईक ने कहा है कि गत एक वर्ष से ऐसा हो रहा है, तो हमें इसे एक प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तीन रेलगाडियां शुरू करने का प्रस्ताव है और इसमें एक कोई नुकसान नहीं है कि उसमें से एक गाड़ी को उस स्थान से शुरू किया जाए जहां से इसकी मांग उन लोगों द्वारा की जा रही है...*(व्यवधान)* क्या रेल मंत्रीजी को मैंने कुछ बताने का प्रयास नहीं किया है? मैं रेलों से संबंधित मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। मैं इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप उस मुद्दे पर उत्तेजित होना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहना है कि इस तरह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। और यदि ऐसा ऐसी बात उस भावना से कही गयी है जैसा कि श्री महाजन ने कहा है तो हमें इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्थिति को काबू में रखा जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, यह कोंकण रेलवे के संदर्भ में चर्चा हो रही है इसलिए हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस पर कोई नियमित बहस नहीं हो सकती।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, इस सदन के अंदर भी हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है और बाहर भी हम कोई आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मेरा अनुरोध है कि जो कुछ मैंने कहा उसका ब्यौरा विपक्ष के नेता और श्री चंद्रशेखर को भेज दिया गया है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी जो मुझ पर डाली गई है वह सही नहीं है। इसके लिए सदस्य को सदन में माफी मांगनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : महोदय, हम क्षमा क्यों मांगें?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो कुछ मैंने कहा उसकी एक प्रति विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी जी को और चंद्रशेखर जी को भेजी जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, श्री चटर्जी ने कहा है कि जिस शब्द पर आपत्ति हो रही है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस शब्द का उपयोग नहीं किया है। हम उनकी बात को स्वीकार करते हैं और बात को खत्म करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : राम नाइक जी आपने कह दिया कि यह छोटे दिल की बात है, यह अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है, लेकिन इस बात के ऊपर भी आप मान जाएं तो...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं। यह छोटे दिल की बात नहीं है, बड़े दिल की बात है, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैंने केवल इतना ही कहा है कि पीलिया जैसा होता है। उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : नहीं, अनपालियामेन्ट्री नहीं है लेकिन... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूप चंद पाल : महोदय, श्री प्रमोद महाजन और श्री राम नाइक जी ने जो कुछ कहा उससे केवल यहां व्यक्त दृष्टिकोण का ही पता चलता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। सभापति जी, मैं कोंकण रेलवे के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, आप बैठिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : रेल मंत्री जी सुनने के लिए तैयार हैं ..*(व्यवधान)* आप मुझे एक मिनट का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रूप चंद पाल, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपके दल के श्री मोहन रावले को बोलने की अनुमति दी है। अब माननीय रेल मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय हमारे नेता बोल चुके हैं। अगर आप उन्हें अनुमति देते हैं तो हमें भी देनी चाहिए।...*(व्यवधान)* हमें स्पष्ट करने का एक मौका दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं श्री सुरेश प्रभु को एक मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : कोंकण रेलवे पूरे देश की जनता के लिए हैं। आप हमारी बात सुन तो लीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं। आपकी बात राम नाईक जी कह चुके हैं, मोहन रावले जी कह चुके हैं। आप बैठिए।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : कोंकण रेलवे की शुरूआत जिस दिन हुई, उस दिन तत्कालीन रेल मंत्री वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा था कि लोगों ने जो मांग की है, वह मांग जायज है और उसके ऊपर बहुत जल्द कार्यवाही करेंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने उस अवसर पर दिया था। उस बात को एक साल हो गया और इस दौरान हम संसद में और संसद के बाहर, जब भी मौका मिलता है, इस मांग को दोहराते हैं लेकिन इस सबके बावजूद यह सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। ऐसी स्थिति में हर राजनैतिक दल का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह जनता की मांग को लेकर कुछ कहे। यदि किसी बात के लिए पूरा सदन इकट्ठा होकर, ओब्जैक्शन ले सकता है तो मैं उनसे विनती करूंगा कि इस डिमांड को आप कंसीड करें। महात्मा गांधी ने हमें यही सिखाया था कि जब जायज मांग भी न मानी जाए तो उसके लिए सत्याग्रह करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री रूप चन्द पाल : इन्होंने जो धमकी दी है, उसके बारे में कुछ बताइए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चव्हाण जी, क्या आपके पास बोलने के लिए कोई नई बात है? मैं आपको एक मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय यह कोई रेलवे का मामला नहीं है। हमारे नेता ने हमारी मांग के बारे में स्पष्ट रूप से कहा और समर्थन किया है। केन्द्र-राज्य संबंधों पर दृष्टिकोण ही मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब आप बोले थे तो उन्होंने व्यवधान नहीं डाला था। श्री चव्हाण जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : यह बात नहीं है कि विपक्ष के नेता बोल रहे है। जिस व्यक्ति ने यह बात कही है वे महाराष्ट्र राज्य का कार्य संभाल रहे हैं। वे एक इतर सांवैधानिक व्यक्ति हैं। वे एक 'रिमोट कन्ट्रोल' है...*(व्यवधान)* जिस व्यक्ति ने यह बात कही है वह वास्तव में राज्य को नियंत्रित और शासित कर रहा है। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं कि श्री राम विलास पासवान को संरक्षण दिया जाएगा...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं।...*(व्यवधान)* गृहमंत्री श्री इंद्रजीत गुप्त ने इस स्थान का दौरा किया था...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र के कई मुद्दे हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए। आपकी बात को रेलमंत्री जी कह देंगे।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मुझे कोंकण रेलवे के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहनी है...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। रेल मंत्री जी से पहले आप मुझे मौका दीजिए... *(व्यवधान)* मैं रेल बजट पर हुई चर्चा के समय से मांग करता आ रहा हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने आपके दल के श्री मोहन रावले और श्री सुरेश प्रभु को अनुमति दी है। आप वहां नहीं थे। आप अभी-अभी आए हैं और इसके लिए कह रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने श्री सुरेश प्रभु और श्री रावले को अनुमति दी है। क्या मुझे आप सभी को अनुमति देनी होगी? मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बात सुनिए फिर मैं बैठ जाऊंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, श्री सरपोतदार जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने आपके दल से दो सदस्यों, श्री मोहन रावले और श्री सुरेश प्रभु जी को बोलने की अनुमति दी है।

अब श्री राम विलास पासवान जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : जब से रेल बजट पारित हुआ है, श्री अनन्त गंगाराम गीते इस बात पर जोर देते रहे हैं जिसके बारे में श्री राम विलास पासवान ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया है। श्री अनन्त गंगाराम गीते जी कोंकण क्षेत्र के संसद सदस्य हैं, अतः उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री मधुकर सरपोतदार जी, श्री राम विलास पासवान जी अपनी मांग जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : अनुदानों (रेलवे) की अनुपूरक मांगों के संबंध में चर्चा आरम्भ होने वाली है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सप्लीमेंट्री डिमांड में वे बोल लेंगे। अगले सप्ताह में सप्लीमेंट्री डिमांड पर चर्चा होने वाली है। उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : सभापति महोदय, मंत्री महोदय जवाब देने वाले हैं। जब मंत्री महोदय जवाब दे देंगे, तब बोलने का क्या फायदा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, अभी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री डिमांड के ऊपर मंत्री जी बाद में बोलेंगे। यह चर्चा डिमांड के ऊपर नहीं है। यह बयान के ऊपर चर्चा है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, मंत्री महोदय, कोंकण रेलवे शुरू कर दें। सारी बात ही समाप्त हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नहीं। सिर्फ राम विलास पासवान जी के अलावा और कोई नहीं बोलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, एक पार्टी के नेता ने क्या कहा, या नहीं कहा, मैं उस संबंध में जाना नहीं चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा, मैं आठ तारीख को वहां जाऊंगा। जो होना है, वह होगा। हम लोग जब पब्लिक लाइफ में हैं, तो धमकियों या डराने से नहीं डरते हैं और न इनसे काम चलने वाला है।...*(व्यवधान)*

वह चीज अलग है। इमरजैंसी का मामला अलग है। यहां पर तो मामला सिर्फ पाइंट का है। हमारे आदरणीय चन्द्र शेखर जी है, अटल जी हैं। मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि एज ए रेल मिनिस्टर मैं किसी पार्टी से बिलौंग करता हूं। बल्कि आपको मालूम है सभापति जी, हमारे रावले साहब हैं, वे सप्ताह में तीन दिन रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय में आते हैं। हमारे और भी बहुत से माननीय सदस्य आते हैं। मैं उनकी ओर से रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के सामने एज ए अपोजीशन नेता की तरह से लड़ता हूं और मुझे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड एवं अधिकारियों के विरोध के कोप का भाजन बनना पड़ता है और उनसे लड़-लड़ कर एक-एक चीज को निकालने का काम मैं करता रहता हूं।

श्री मोहन रावले : उसके लिए तो मंत्री महोदय हम आपकी तारीफ करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : यहां पर आदरणीय चन्द्रशेखर जी हैं या और भी कोई माननीय सदस्य हैं, वे जो भी बात कहते हैं हम फौरन उस पर कार्रवाई कराने का प्रयास करते हैं। अभी नई रेल गाड़ियां चलीं, चन्द्र शेखर जी ने कहा कि बलिया से चलाएंगे या नहीं। हम उसके लिए मंत्रालय में लड़ रहे हैं और वहां मंत्रालय और बोर्ड में सब लोग हमारे अपोजीशन में हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं या हमारी उमा भारती जी हैं, उन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि हम आ कर धरना देंगे, तो हमने उनके कहे अनुसार काम करने के लिए पूरा प्रयास किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि उनकी पार्टी के भी यदि कोई रेल मंत्री यहां होते, तो भी वे सिंगरौली-ललितपुर रेलवे लाइन को नहीं बनवा पाते, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है।

यहां हमारे पाटिल साहब नहीं बैठे हैं। हमारी रजनी पाटिल हैं, उनकी जो बीड़ वाली रेलवे लाइन है, वह कभी नहीं बन पाती। इसी प्रकार से दौसा से गंगापुर की गिरिजा व्यास के क्षेत्र की रेलवे लाइन है या कोई और मामला है, हम किसी मामले में कोई पार्टी पालिटिक्स नहीं लाते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, अब यह मामला है, हमें तो इस बात की खुशी है कि यहां पर राम नाइक जी हैं, प्रमोद महाजन जी हैं, जो हमेशा बोलने के लिए और हमें याद दिलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और उधर जाएं, तो प्रो॰ राम कापसे तैयार रहते हैं। अब यह मामला इनकी नालेज में नहीं रहता है और जिस आदमी को इसकी कोई जानकारी नहीं है उनकी नालेज में सारा मामला है, तो यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती है। ये एक्सपर्ट हैं। अब यह मामला कोंकण रेलवे का है। रेलवे में सबसे ज्यादा प्रैस्टीजियस ट्रेन कोंकण रेलवे है और सबसे ज्यादा प्रैस्टीजियस रूट कोंकण का है और इस संबंध में एक पालिटिकल पार्टी से नही, बी॰जे॰पी॰ नहीं, शिव सेना नहीं, बल्कि कांग्रेस से लेकर, समाजवादी पार्टी से लेकर, जनता दल से लेकर, सी॰पी॰आई॰ से लेकर, सी॰पी॰एम॰ से लेकर सभी पार्टियों की मांग रहती है कि जब भी कोई प्रैस्टीजियस ट्रेन चले, तो वह मैन रेलवे स्टेशन से चलनी चाहिए। अब हमने स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर बहुत सी नई ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन उनको कहां से चला रहे हैं, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चला रहे हैं।

किस को शौक नहीं है कि निजामुद्दीन की बजाय नई दिल्ली से चले। अब हम नई दिल्ली में 15-16 नम्बर के प्लेटफार्म बना रहे हैं। हर पार्टी के साथी हमारे पास आये कि वहां झुग्गी झोंपड़ी है, तो वह कैसे होगा? हमने स्टेट गवर्नमैंट से बातचीत की। किसी भी तरीके से हम वहां बना रहे है। और एक के बनने के बाद दूसरा प्लेटफार्म बनायेंगे। हम भी चाहते हैं कि हर ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चले। उसी तरीके से मुंबई है। नई दिल्ली में तो आप बढ़ा सकते हैं लेकिन मुंबई एक ऐसा इलाका है जहां जितना प्लेटफार्म बचा है उस प्लेटफार्म से ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते हैं या तो आप कोई दूसरा अरेन्जमैंट कीजिए। हर पार्टी के लीडर हमारे पास यह कहने के लिए गये कि आप एक ट्रेन दो मिनट के लिए थाणे में रोक दीजिए। हमको लगा कि इतने बड़े-बड़े लीडर आये हैं और वे कहते हैं कि दो मिनट के लिए एक ट्रेन को थाणे में रोक दीजिए तो इसमें क्या दिक्कत है। हमने रेलवे बोर्ड को लिख दिया। रेलवे बोर्ड ने हमसे कहा कि आपका आदेश हम मानने के लिए तैयार हैं लेकिन आप एक मिनट हमारे यहां आकर देख लीजिए। हमने अधिकांश लीडरों को बुला लिया। उन्होंने अपने कम्प्यूटर में हमें दिखलाना शुरू कर दिया कि ट्रेन चल रही है। वह ट्रेन नागपुर तक के लिए है। वह ट्रेन आई और आने के बाद स्लो हुई। स्लो होने के बाद चली तो चलने के बाद लास्ट में जो दो सबअर्बन पैसेंजर ट्रेन थीं, वह कट गयीं। तब उन्होंने हमसे कहा कि अब आपको डिसीजन लेना है कि इन दो ट्रेनों को आप काटना चाहते हैं या दो मिनट के लिए ट्रेन रूकवाना चाहते हैं, तो सब नेताओं ने कहा कि इससे तो बड़ी गड़बड़ हो जायेगी। पांच हजार पैसेंजर्स का मामला है इसलिए गाड़ी जैसी चल रही है वैसे ही चलने दीजिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम पोलिटिकल डिसीजन लेना चाहते हैं और उसके लिए जब हम टेक्नीक को देखते हैं तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं।

कुरूला का मामला था। उसके संबंध में सब साथियों ने कहा कि कुरूला के बजाय दादरी अच्छा रहेगा और हम भी चाहते हैं कि दादरी में ट्रेन को रोका जाये। इसके लिए हमने जनरल मैंनेजर से यह भी कह दिया कि यदि इसके लिए एक्स्ट्रा फंड की जरूरत होगी तो हम एक्स्ट्रा फंड भी देने को तैयार है। यदि प्लेटफार्म बढ़ाने की जरूरत है और वह बढ़ा सकते हैं तो वह भी करने को तैयार हैं। आप लोगों की या चीफ मिनिस्टर साहब की राम विलास पासवान से जितनी बार बातचीत हुई होगी, मैं नहीं समझता कि उतनी किसी और रेल मंत्री के साथ हुई होगी। जितना हम अफसर को दबाकर काम करते हैं उतना कोई और करता होगा। हमारी नीयत पर आप लोग बलेम नहीं लगा सकते। आज से पांच दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर आये थे। हमने कहा कि आप हमसे कहते हैं कि हम इसको अपने जनरल मैनेजर को भेज देते हैं। तमाम आपरेटिंग इंचार्ज को देते हैं। आप वहां जाकर शार्ट ऑफ कर दीजिए। यदि संभव है तो हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी। हमारी यह मांग हो रही है कि दादर रेलवे स्टेशन को चित्तभूमि के नाम पर करो। हमने इसके बारे में होम मिनिस्ट्री को भी बार-बार लिखा है। वह नहीं कर रहे हैं। फिर हम कहां से लादकर दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो इसके लिए हमेशा तैयार हैं लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि आप पंजाब से आने वाली गाड़ी को काट दीजिए। वहां से आने वाली गाड़ी को काट दीजिए। इसके बदले उसको रखिये। हमने यह जरूर कहा कि प्रैस्टीजियस ट्रेन वहां आ रही है। हम आज किसी को दे नही सकते हैं तो किसी से ले भी नहीं सकते हैं। आप लोग बैठ जाइये और किसी गाड़ी को काटना हो तो काटकर उसको जोड़ दीजिए। उसमें जो एक्स्ट्रा अरेन्जमैंट हो सकता है, उसके लिए हम तैयार हैं लेकिन यदि हमारा आपरेटिंग इंचार्ज कहता है कि यह संभव नहीं है और आपको करना होगा तो किसी की बलि देकर करना होगा तो यह संभव नहीं होगा। उसके लिए

[श्री राम विलास पासवान]

हम एक्स्ट्रा प्लेटफार्म बढ़ाकर तब कुछ करेंगे। अगर हमको यह धमकी दी जाये कि हमें रेलवे स्टेशन में घुसने नहीं दिया जायेगा तो मैं नहीं समझता कि यह देश कैसे चलेगा, कैसे सदन चलेगा। ...*(व्यवधान)* उन्होंने क्या कहा, नहीं कहा, मैं उस पर नहीं कह रहा। ...*(व्यवधान)* जो हकीकत है, जो फैक्ट्स है, उसी फैक्ट्स को मैंने रखने का काम किया है। यही चीज है और इसके लिए मैं न सिर्फ दादर के मामले में बल्कि मैं पूरे देश के मामले में माननीय सदस्यों को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं यहां से जाता हूं तो यहां आप देखते हैं कि हमारी हालत क्या होती है। मैं कभी अपने छह नम्बर के दफ्तर को बंद नहीं करता हूं। जब भी हमारे पास कोई साथी आते हैं तो मैं उन्हें बुलाकर सीधे अफसर से बात करवा करके शार्ट आउट की बात करते हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद भी धमकी दी जाये तो मैं क्या कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने आपसे निवेदन किया है।... *(व्यवधान)* मैंने आपको एक प्रपोजल दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय, मैंने श्री रामविलास पासवान जी को एक प्रस्ताव किया है कि हम सभी को दादर और कुर्ला जाकर वहां की स्थिति का सर्वेक्षण ओर मूल्यांकन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं आठ तारीख तो कुरूला ओर दादर जाऊंगा। जो कुछ करना होगा, वह हम करेंगे लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी ताकत भी राम विलास पासवान को धमकी देकर झुका नहीं सकती। इसको आप नोट कर लीजिए।

अपराह्न 1.50 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मोहनलाल गंज, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस बिक्री केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा (मोहनलाल गंज) : सभापति महोदय, उ॰प्र॰ के मोहन लाल गंज संसदीय क्षेत्र में आज तक एक भी गैस एजेंसी नहीं है जबकि देश के सुदूर कई जगहों पर दो-दो गैस एजैन्सियां हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में ईंधन की कमी के कारण जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उ॰प्र॰ के मोहन लाल गंज संसदीय क्षेत्र में अति शीघ्र एक गैस एजेंसी स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें।

(दो) राजस्थान के सूखा प्रभावित जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में खाद्यान्नों की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : मैं पश्चिमी राजस्थान के पिछड़े तथा अर्धविकसित जिलों बाड़मेर तथा जैसलमेर का प्रतिनिधित्व करता हूं।

सरकार को शायद ज्ञात होगा कि पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जो कि जिलों का लगभग सत्तर प्रतिशत है। 1996-97 में सूखा-ग्रस्त हो गया था और इस क्षेत्र के लोग बुरी तरह प्रभावित रहे है।

पशु-धन के लिए चारा और पानी नहीं। इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार भी नहीं और परिणामस्वरूप लोग पंजाब और गुजरात की ओर पलायन कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों की आय का जरिया जानवर पालना है। परन्तु चारे की कमी के कारण बहुत से जानवर मर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर की दुकानों पर अनाज की बहुत कमी है।

महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में खाद्यान्नों की भारी कमी को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

(तीन) बिहार में पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सुरसण्ड-सीतामढ़ी-भीट्ठामोड़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, देश के सबसे पिछड़े राज्य बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लम्बाई 2118 कि॰मी॰ है। वर्ष 1974 से प्रायः 23 वर्षों की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी अब तक कोई नए राष्ट्रीय उच्च पथ की स्वीकृति इस राज्य में भारत सरकार द्वारा नहीं दी गई है जबकि पूरे देश में इस अवधि में लगभग हजार कि॰मी॰ नए पथ राष्ट्रीय उच्च पथ प्रणाली में जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पटना में भट्ठामोड़ (नेपाल सीमावर्ती) हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं सुरसण्ड को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित करने की अनुशंसा की है परन्तु अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 1987 की प्रलयकारी बाढ़ की अभूतपूर्व क्षति के बाद इसके पुनः निर्माण के लिए भारत सरकार ने सहायता देने का आश्वासन दिया था मगर इसको भी पूरा नहीं किया गया है। योजना आयोग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त मार्ग को रखा है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुरसण्ड, भीट्ठामोड़ मार्ग को इसी वर्ष 1997-98 में राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित कर कार्यारम्भ कराने की विशेष कृपा करें।

(चार) न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार जंक्शन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जलपाईगुटी-सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार जंक्शन लाईन पर आमान परिवर्तन का काम अभी शुरू नहीं किया गया। यह उस क्षेत्र के लोगों की बहुत लम्बे समय में मांग रही है। जलपाईगुड़ी की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था इसी रेल लाईन पर निर्भर करती है। इस स्कीम को 1997-98 के रेल बजट में पहले ही शामिल किया जा चुका है परन्तु इसके कार्यान्वयन के लिए अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले का अध्ययन करे और शीघ्र ही इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(पांच) देश में जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना को पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : सभापति जी, 1997 में आयुर्वेद के विकास एवं जनता के कल्याण हेतु जन-स्वास्थ्य रक्षक की ग्राम स्तर पर नियुक्ति की गई थी, जो जनता की प्राथमिक चिकित्सा हेतु बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई थी। परन्तु कुछ सालों से जन-स्वास्थ्य रक्षकों को न तो दवाएं दी गई हैं और न ही स्वास्थ्य विभाग इनसे कोई काम ले रहा है। ऐसी स्थिति में जन-स्वास्थ्य रक्षकों के सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इसी समस्या के समाधान हेतु प्रदेश स्तर पर जन-स्वास्थ्य रक्षक आंदोलनरत हैं, जिसके कारण जनता में बड़ा आक्रोश है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब जन-स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर अविलम्ब हल निकाला जाये, जिससे स्वास्थ्य रक्षकों के साथ-साथ जनता का भी कल्याण हो सके।

(छः) महाराष्ट्र के धारणगांव रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल (इरन्दोल) : सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र एरन्डोल, महाराष्ट्र में धरणगांव रेलवे स्टेशन है, जहां की आबादी 50 हजार के लगभग है तथा इसके आस-पास 25 गांव और भी हैं। यहां के निवासी इस रेलवे स्टेशन से दूसरे शहरों को प्रतिदिन हजारों लोग आते-जाते हैं और इस रेलवे स्टेशन से रेल विभाग को प्रतिदिन हजारों रुपयों की आय प्राप्त होती है, लेकिन इस स्टेशन पर अनेक कमियां हैं, जिनके निवारण हेतु यहां की जनता आन्दोलन तथा चक्का जाम कर चुकी है। रेलवे के अधिकारियों द्वारा यहां की कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया गया है। यहां की समस्याएं निम्न हैं :

1. पैसेन्जर गाड़ी में यहां से कम से कम 20 सीटों का कोटा आरक्षित किया जाये।
2. जो एक्सप्रैस गाड़ियां इस स्टेशन से गुजरती हैं, उन्हें इस स्टेशन पर ठहराव दिया जाये।
3. इस स्टेशन पर जो प्लेटफार्म बना हुआ है, वह बहुत नीचा है, उसे ऊंचा किया जाये और प्लेटफार्म की लम्बाई बढ़ाई जाये।
4. यात्रियों के लिए जो शेड बना हुआ है, वह अपूर्ण है तथा छोटा है। उसे पूर्ण किया जाये तथा उसकी क्षमता बढ़ाई जाये।
5. स्टेशन के प्लेटफार्म पर पेयजल की व्यवस्था की जाये।
6. रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जाये।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जनहित के कार्य को करवाने के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

अपराह्न 1.58 बजे

महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब ग्यारह अन्य माननीय सदस्य है जिन्होंने अभी बोलना है। वाद-विवाद को आज सम्पन्न करना है। इस वाद-विवाद पर पहले ही 11 घण्टे और 7 मिनट का समय लग चुका है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति जी, इसको लंच आवर के बाद लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। श्री जी॰एम॰ बनातवाला अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यदि आप मंत्री जी के द्वारा उत्तर दिए जाने का समय बता दें तो इससे माननीय सदस्यों को सहायता मिलेगी। अन्यथा कोई भी कोरम का प्रश्न उठा देगा।

सभापति महोदय : अभी ग्यारह माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करने हैं।

श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री 5 बजे उत्तर देंगे।

सभापति महोदय : हां, मेरे विचार से।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। सदन में कोई कोरम नहीं हुआ।

सभापति महोदय : घण्टी तो बजाई जा रही है।

अपराह्न 2.00 बजे

घण्टी बजाई जा चुकी है। चूंकि कोई कोरम नहीं है अतः सभा की बैठक अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.03 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.45 तक के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.53 बजे

(लोक सभा अपराह्न 2.53 बजे पुनः समवेत हुई।)

(**श्री नीतीश कुमार** *पीठासीन हुए*)

महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम कार्यसूची की मद संख्या 8 पर विचार करेंगे। श्री जी॰एम॰ बनातवाला अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : जनाबे चेयरमैन साहब, मैं पहले कह रहा था कि डा॰ अम्बेडकर साहब के मजसमें की जो बेहुरमती, डिसैक्रेशन, हुई है, उसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए, जितना कन्डैम किया जाए, उतना कम है। ऐसे मौके पर मुझे पूरे जोर से कहना होगा कि इस शर्मनाक बात का जो असल मुजरिम है, उसका पता लगाया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़े-से-कड़े कदम उठाए जायें। कभी ऐसे मौकों पर यह भी कहा जाता है कि उसके पीछे आई॰एस॰आई॰ का हाथ है। चाहे किसी का भी हाथ हो, हमें उसकी चिन्ता, उसकी फिक्र नहीं है।

आईएसआई का मामला है। तब तो मैं हुकूमत से यह मांग भी करूंगा कि हमारे देश में आईएसआई की क्या सरगर्मियां, क्या एक्टीविटीज हैं। उसके बारे में इस ऐवान के अंदर उनकी एक्टीविटीस का एक व्हाइट पेपर पेश किया जाए और हमें हुकूमत बतलाए कि वह क्या करना चाहती है? इंशा अल्लाह, हुकूमत को पूरे देश का सपोर्ट हासिल रहेगा।

जनाब चेयरमैन साहब, जब हम पुलिस की वहशियाना और वेश्याना बुटल फायरिंग की बात करते हैं, उसके अंदर कितने ही हलाक हुए तो हमसे कहा जाता है कि पहले भी बहुत सारे मरे हैं, मारे गए हैं, हलाक हुए हैं। मुझे याद दिलाया गया कि हमारे बहुत सारे पहले भी शहीद हुए हैं और इसमें शक नहीं है ये सब हुआ है। अफसोस तो यह है कि आज भी बहुत राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ अपनी सरकार को, स्टेट सरकार को बचाने की खातिर ये हवाले दिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी यह मांग नहीं की जा रही है कि बहे हुए खून के साथ इंसाफ भी किया जाए। मैं कितने हवाले और कितनी मिसालें दूं। अगर सिर्फ एक ही मिसाल दूं, ऐसी मिसाल कि जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरठ के हाशिमपुर का वाक्या, वह सरकारी कत्लेआम, जो मेरठ के हाशिमपुर में हुआ। आज उसको 10 वर्ष गुजर चुके हैं लेकिन आज तक सरकारी कत्लेआम की जिम्मेदार, पीएसी, उनको आज तक सजा नहीं मिल सकी। अगर मैं इस डिटेल में चला जाऊं तो बात रह जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सवाल सिर्फ पुलिस की फायरिंग का नहीं है, जो मुबई और दूसरी जगह हुए, सवाल इससे बढ़ कर है और महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार का एंटी दलित, एंटी माइनोरिटी एटीच्यूड, जो दलितों के खिलाफ, जो माइनोरिटीज और अकलियतों के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार पॉलिसी अख्तियार कर चुकी है, इस बात के ऊपर सोचना होगा।

जनाब चेयरमैन साहब, जरा देखिए दलित ओपेंसिस के सिलसिले में और दलितों पर जो जुल्म-ओ-सितम हुए, उनके बारे में मुकद्‌मात थे। इस सरकार के जमाने में मौजूदा महाराष्ट्र की हुकूमत के जमाने में 800 ऐसे मुकद्‌मात वापस ले लिए गए। आज सवाल कानून की हुकुमरानी का है।

आज जो सवाल महाराष्ट्र के अंदर उठ खड़ा हुआ है वह कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ का मामला है, इस बात को हमें सोचना और समझना होगा। आर्टीकल 46 उठा कर देखो, हमारे क़ांस्टीट्यूशन का आर्टीकल 46 कहता है कि यह केन्द्र और मरकजी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि दलितों और वीकर सैक्शंस की तरक्की, उनकी उन्नति के लिए एकदामात करें। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के जमाने में सेंट्रल ग्रांट के 450 करोड़ रुपए दलितों की तरक्की पर इस्तेमाल किए बगैर वापस लौटाए गए।

अपराह्न 3.00 बजे

अब मैं पूछना चाहता हूं कि मरकज़ी हुकूमत आर्टिकल 46 के तहत जो जिम्मेदारी इसके बारे में कि दलितों की तरक्की करो और रियासती हुकूमत ग्रांट्स का 450 करोड़ रुपया वापिस करती है तो यह दस्तुरी और कांसटीट्यूशनल जिम्मेदारी भी पूरी नहीं हो पाती तो इससे ज्यादा और क्या आपको वजूहात चाहिए इस सरकार को बर्खास्त करने के लिए, यह किसी की समझ में नहीं आता है। आज वहां एक ऐसी सरकार बैठी हुई है कि केन्द्र भी अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है। आप वहां चलकर देखगें कि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है और मीडिया के लोग कितने ही हों। चाहे महाराष्ट्र टाइम्स के हों, महानगर के हों या और कितने ही हों। इस तरह के हालात वहां मौजूद हैं और हमारी सरकार अगर उनसे आंख मीच ले तो कैसे चलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अदालतों के अंदर जज भी आज अपने को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। मैं एक हवाला देता हूं।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : बिहार में क्या हो रहा है वह बताएं।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : हम महाराष्ट्र पर गौर कर रहे हैं... *(व्यवधान)* क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे। इसको कन्डेम किए बगैर चारा-ए-कार नहीं। मैं सिर्फ एक हवाला देना चाहता हूं। एक जज के सामने मुकदमा था जिसमें शिव-सेना के प्रमुख इन्वोल्व थे। उस समय नारे लगाकर, धमकियां देकर अदालत की क्या हालत बनाई गयी। मैं आपको बताऊं, चैयरमैन साहब, मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस लाइन 19 फरवरी, 1997 का है। उसमें लिखा है कि जज मुकदमें से तंग आकर कहता है कि

[अनुवाद]

"ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार न्याय नहीं चाहती, केवल यह दिखाना चाहती है कि कोई न्याय प्रणाली विद्यमान है।"

[हिन्दी]

अदालत से यह बात आ रही हो और वहां की हुकूमत इंसाफ के वहत में नहीं लिखती है और होम-मिनिस्टर आंख बंद कर लें कि आज भी सरकार को बर्खास्त करने के लिए कोई मवाद नहीं है, मैटीरियल नही है। तो इस सरकार की बेहिसी पर जिस तरह से भी मजम्मत की जाए कम है। उसी दिन 'टाईम्स आफ इंडिया' में जज कहता है कि :

[अनुवाद]

"यदि सरकार निर्भीक न्याय में रुचि नहीं रखती उन्हें अदालतें बन्द कर देनी चाहिए। निरर्थक व्यापार क्यों जारी रखा जाए।"

[हिन्दी]

और उसके बाद जज पूछता है कि ऐसा ढोंग क्यों किया जा रहा है। यहां हमारे गृह मंत्री इसी प्रकार का ढोंग कर रहे हैं। बेहतर हो कि अदालत की बातों पर भी तवज्जोह दी जाए। मैं इसके अलावा और क्या मवाद पेश करूं। वहां की मौजूदा सरकार को बर्खास्त किए बिना अब चारा नहीं है। जज भी अपनी सेफिटी के बारे में वहां फिकरमंद हैं। मैं उसी जज और उसी तारीख को कोट कर रहा हूं:

[अनुवाद]

इन खतरों के होते हुए इस बात की क्या गारण्टी है कि मैं ठीक-ठीक घर पहुंच जाऊंगा?

[हिन्दी]

जज भी वहां पर अपने को महफूज नहीं पा रहे हैं ऐसी कानून और व्यवस्था की स्थिति है। संवैधानिक मशीनरी का इतना ब्रेक-डाउन हो जाए और अदालत उठकर कहने लगे कि यह फार्स कब तक चलेगा। जब कॉस्टीट्यूशनल मशीनरी इतनी टूट जाए कि दलित तो नहीं, लैजिस्लेटिव कौंसिल के लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट भी यह कहने लगे कि मेरी कोई गारंटी नहीं कि आज मैं जिन्दा सही सलामत घर पहुंच जाता। आज जब होम मिनिस्टर हमारे यहां मरकज में यूनियन में यह कहें कि अभी अदालत के लिए मुकदमा नहीं बनता, अब और मजीद क्या बातों की, उनको जरूरत है, इस पर गौर करना चाहिए।

जनाब चेयरमैन साहब, आप बैठे हैं तो बिहार याद आना चाहिए।

सभापति महोदय : हमको समय याद आ रहा है।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : बिहार के मामले में चार्जशीट हो गई। इस्तीफा दो, यह मतालबा था। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? मिनिस्टर चार्जशीटिड है, हटने की नहीं, चार्जशीटिड मिनिस्टर पर चार्ज भी कौन सा, कत्ल का, वह मजिस्ट्रेट की अदालत में कहता है कि जरा देखो तो सही? उसको छोड़ना तो अलग, उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है। वह अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने मिनिस्टर होते हुए बड़ी तमतमाहट के साथ खड़ा होता है। जम्हूरियत का इससे ज्यादा मजाक और कहां उठेगा? जब लीडर आफ दी लैजिस्लेटिव कौंसिल के मिनिस्टर पर हमला हुआ तो उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि यह हमला इतना शदीद था कि अगर लीडर आफ दी ऑपोजिशन खुद घर में होते तो पता नहीं क्या हो जाता, शायद वह नहीं बचते लेकिन वह उनके हाथ में नहीं आए। अगर वह इन हमलावरों के हाथ में आ जाते तो बचते नहीं। खुद हुकूमत इस बात को मान रही है। इसके बावजूद अभी भी 307 का मुकदमा हमलावरों के खिलाफ बनाना बाकी है।

आज रूल आफ लॉ खत्म हो चुका है। हमें इसके ऊपर तवज्जह देनी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी ताकत और कूवत के साथ हम को आगे आना होगा ताकि कॉस्टीट्यूशनल मशीनरी बनी रहे और वह आर्टिकल 46 के तहत दी गई जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आज या कल सरकार की तरफ से जब जवाब आएगा तो सरकार इस बात पर तवज्जह देगी कि सवाल रूल ऑफ लॉ का है, इम्पार्शल पालिसी का है। मैं दलिलों का मामला और ज्यादा नहीं उठाना चाहता। एक किताब के जरिए डाक्टर अम्बेड़कर को ब्रिटिश

[श्री जी॰एम॰ बनातवाला]

एजेंट बतलाने की कोशिश की जा रही है और इनको ट्रेटर बतलाने की कोशिश की जा रही है। अरूण शोरी की किताब "वर्शिपिंग फाल्स गौड्स" का पहले हवाला दिया जा चुका है। इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस किताब को जितना कंडैम किया जाए उतना कम है। अगर यह मांग हाती कि किताब को बैन कर दिया जाए तो मैं सरकार से इस बात के लिए मतालबा करूंगा कि वह इस मांग का मंजूर करे।

जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपकी बेचैनी को देख रहा हूं। मैं चेयरमैन का एहतराम करता हूं। मैं आपको घंटी बजाने की मोहलत नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरे लिए घंटी बजाएं। मैं चाहता हूं कि हमारी हुकूमत अब जरा उठे, हालात को देखे और अभी जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसके लिए घंटी बजा कर हम सब को इससे निजात दे ताकि वहां जम्हुरियत असली मायने में कायम हो सके।

श्री चित्त बसु (बारसात) : सभापति महोदय, मैं पुलिस अत्याचार या मुम्बई पुलिस द्वारा दलितों पर की गई ज्यादतियों पर अपना भारी आक्रोश, क्रोध और विरोध व्यक्त करता हूं।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि मैंने जो बात कही थी उसकी मुम्बई का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ सदस्यों ने भी पुष्टि की है। मेरे विचार से वे लोग भी इस बात से सहमत हैं कि पुलिस ने ज्यादती की।

जहां तक यहां की सरकार का प्रश्न है तो माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में इन्होंने राज्य में जो भी घटनाएं हुई और अत्याचार हुए अथवा जो पुलिस द्वारा ज्यादतियां की गई उन्हें छिपाने का प्रयास नहीं किया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के कुछ अंश उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा :

> "तथापि सच्चाई यह है कि डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र किए जाने तथा उसके पश्चात पुलिस गोलीबारी में कुछ लोगों की मृत्यु होना और कुछ लोगों के घायल होने की बात अत्यधिक शोचनीय है।"

मैंने माननीय सदस्यों से उनकी प्रतिक्रिया जानने को कहा। मैं पुनः गृह मंत्री जी के वक्तव्य के ग्यारहवें अनुच्छेद को उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा :

> "यहां तक कि राज्य सरकार अपराधियों को अवश्य पकड़ेगी और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकेगी। सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि मुम्बई में हुई घटनाओं जैसी घटनाएं वास्तव में बड़ी चिंता का विषय है।"

प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 356 लागू किया जाना चाहिए या नहीं। इस मामले में आज की सरकार अनुच्छेद 356 को लगाने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। सैंकड़ों से भी अधिक बार अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया। मैं जानता हूं कि श्री बनातवाला ने भी हमारे साथ यह कहा है कि अधिकांश मामलों में अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग किया गया है और केन्द्र में शासन करने वाले दल के निहित स्वार्थ के कारण किया गया है। हम वास्तव में चाहते हैं कि दुरूपयोग की पुनरावृत्ति न हो और अनुच्छेद 356 को समाप्त किया जाय।

महोदय, जहां तक बिहार का सम्बन्ध है आप इससे सहमत नहीं होंगे। लेकिन न तो बिहार ही ऐसा राज्य है और न मुम्बई ही केवल ऐसा स्थान है जिसके बारे में चिंता की जाए। बिहार के अलावा सारा देश भी पड़ा है। अफसरशाही आप लाद नहीं सकते हैं; आप तानाशाही नहीं लाद सकते हैं; आप मुम्बई या पटना में हुई कुछ अवांछित घटनाओं के कारण शेष देश के प्रजातान्त्रिक अधिकारों को नकार नहीं सकते हैं। तथापि, हम मुम्बई और पटना के मुद्दों पर अलग से ध्यान दे सकते हैं। महोदय, आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि इस अनुच्छेद का दुरूपयोग समाप्त हो। इसलिए हमें अनुच्छेद 356 को लागू करने की सिफारिश करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए।

अब मैं अपने भाषण के दूसरे भाग पर जाता हूं।

अब, हमें यह समझना चाहिए कि हाल ही के वर्षों में दलितों के बीच में अशांति, रोष और जागरूकता आयी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सामाजिक स्थायित्व के लिए खतरा है। कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते। लेकिन मेरी उनसे कुछ भिन्न राय है। मेरे अनुसार दलितों की यह जागरूकता, हमारे समाज के निचले दर्जे वाले लोगों की जागरूकता है हमारे समाज के हर-दलित वर्ग की जागरूकता है जो हमारे देश के बहुमत को प्रदर्शित करती है। यदि आप आंकड़ों पर ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि दलित कितने सजग हैं किन्तु मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा। वे किस लिए संघर्ष कर रहे है और वे क्या चाहते हैं? वे अपनी सामाजिक पहचान चाहते हैं। इस देश में प्रत्येक पुरूष और स्त्री को अपनी रक्षा, संरक्षा और अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार है। यदि समाज के दूसरे वर्ग के लिए अपराध नहीं है, तो दलितों के लिए भी यह एक अपराध या पाप नहीं हो सकता है। दलितों को भी अपनी पहचान खोजने, अपने आत्म-सम्मान को बनाये रखने के लिए संघर्ष करने का अधिकार है और मैं उसका समर्थन करता हूं। समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो यह पसंद नहीं करते और वे चाहते हैं कि दलित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से सदैव दलित ही बने रहे। यह उसी का परिणाम है।

दलितों के विद्रोह के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा।

आप जानते हैं कि दलित चेतना जिसे मैं सामूहिक चेतना समझता हूं, बहुलता का प्रतिनिधित्व करती हैं। दलित चेतना, दलितों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े समुदायों और अल्प संख्यकों की चेतना का एक समूह है। इसके अतिरिक्त हमारे देश के संविधान में ऐतिहासिक गतिशीलता के मूल को उचित स्थान दिया गया है। इसलिए विवेकानुसार उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए है जिन्हें मैं सकारात्मक विभेद मानता हूं। उनका वर्षों और युगों

से निर्दयतापूर्वक शोषण किया जाता रहा है। इसके लिए उनकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए और इसके लिए हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है जिसे हम राजनीति की भाषा में सकारात्मक विभेद कहते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इसे पक्षपात-पूर्ण कहते हैं। वे सरकार की स्थिति या संवैधानिक स्थिति को उनके प्रति आक्रामक हानिकारक कहते हैं और इससे पद-दलितों की सामूहिक चेतना और कुछ लोगों की चेतना के बीच झगड़ा खड़ा हो जाता है जिससे उनका शासन चलता रहे और आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से उनके ऊपर इनका आधिपत्य बना रहे। यदि हम दलित विद्रोह को उस दृष्टिकोण से तो जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उनमें से कई को हम हल कर सकते हैं।

प्रतिमाओं की चर्चा के सम्बन्ध में, सभा के कुछ प्रतिष्ठित सदस्यों ने यह कहा है कि अनेक मूर्तियां बनाई जाती है या स्थापित की जाती हैं लेकिन उनका रख-रखाव उचित ढंग से नहीं होता है। यहां तक कि चिड़ियां उन मूर्तियों के सिर पर बीट आदि कर देती हैं। यह सच है लेकिन इससे समाज, सरकार और कानून-व्यवस्था बनाये रखने वालों के किसी उत्तरदायित्व का पता नहीं चलता है।

डा॰ अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ना और कुछ भी नहीं बल्कि **दलितों** का अपमान करना है। यह और कुछ नहीं बस हमारे संविधान का अपमान है। इससे और कुछ नहीं वरन् आत्म सम्मान की भावना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की सामूहिक चेतना की प्रतिष्ठा तथा समाज के उन प्रबुद्ध वर्गों की प्रतिष्ठा जो धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास रखते हैं को धक्का लगता है। इसलिए, मैं इस समाज-विरोधी गतिविधि की, मैं कड़ी निन्दा करता हूं। मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण सदन इन समाज विरोधी गतिविधियों की निंदा करने में मेरा साथ दें। सभी राज्यों की सरकारें भी लोगों की इस भावना से अवगत हों।

डा॰ भीमराव अम्बेडकर की भूमिका के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये गये हैं। हमारे देश के स्तम्भकारों में से एक स्तम्भकार ने एक पुस्तक लिखी है जिसका यहां उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक का अध्ययन तो मैं नहीं कर पाया किन्तु मैं निम्नलिखित पंक्तियां उद्धृत करता हूं :

> "सम्पूर्ण पुस्तक का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि डा॰ अम्बेडकर अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे, स्वाधीनता आन्दोलन के विरोधी थे, भारतीय राष्ट्रवादी लोगों विशेषरूप से गांधी जी के विरोधी थे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए दलितों का समर्थन किया, पाकिस्तान के निर्माण में सहायता की, संविधान सभा में अंग्रेजी सरकार द्वारा रखे गये, भारत पर विजय दिलाने में अंग्रेजों की सहायता की, वे दलितों के एकमात्र नेता नहीं थे, रोजगार तलाशने वाला और स्वार्थी व्यक्ति, आदि थे।"

यदि संविधान के निर्माताओं में से एक का चरित्र-चित्रण ऐसे किया जाएगा तो क्या इससे देश का गौरव बढ़ेगा? क्या इससे हमारे संविधान की महानता और बढ़ेगी? मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा विचार है कि सम्पूर्ण सदन को अपने अनुसार इसका विरोध करना चाहिए। हमें एक बार पुनः जानना चाहिए कि डा॰ भीमराव अम्बेडकर क्या थे और हमारे देश के लिए उनका क्या योगदान रहा हैं? यह देश उनका ऋणी है।

मैं आपकी अनुमति से दो या तीन वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं। मैं आपकी कठिनाई समझता हूं। कभी-कभी मुझे आपको भी रोकना पड़ता है जब मैं पीठासीन होता हूं और आप बोल रहे होते हैं। आज यह मेरा सौभाग्य है कि आप वहां हैं और मैं यहां हूं।

सभापति महोदय : आप अपना समय लीजिए।

श्री चित्त बसु : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वह कहते हैं :—

> "राजनीतिक शक्तियों का केन्द्र कहां होगा? राज किसका होगा? क्या पद-दलित वर्ग इसका उत्तराधिकारी होगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जो इनकी मुख्य चिंता हैं। पददलित वर्ग यह महसूस करता हैं कि उनको सत्ता में भागीदारी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि नये संविधान के लिए राजनीति तंत्र विशेष प्रकार का नहीं होता।"

हमारा संविधान विशेष प्रकार का है क्योंकि इसने दलितों शोषितों, उपेक्षित और निचले दर्जे के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा है और मेरे विचार से आप इस पर ध्यान देंगे।

"उस प्रणाली के संविधान में, भारतीय सामाजिक जीवन की कड़ी सच्चाईयों को नजर-अन्दाज नहीं करना चाहिए। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय समाज उन जातियों के मेल से बना है जिसमें सम्मान को उच्च दर्जा प्रदान किया गया है और घृणा को हेय दृष्टि से देखा गया है।

एक ऐसी प्रणाली जिसमें समानता और भातृत्व की भावना के विकास की कोई संभावना नहीं है, जो लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक है।

इसलिए, जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने केवल एक विशेष वर्ग के लिए **दलितों** के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हमारे देश के सभी शोषित तथा उत्पीड़ित लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं के बारे में कहा था, न केवल अपने देश के बल्कि मेरे विचार में अन्य देशों के ऐसे लोगों के बारे में भी कहा था।

महोदय, अन्त में उन्होंने विधान सभा में कहा था जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें सत्तारूढ़ दल के लोग अपनी अविभाजित निष्ठा के साथ कार्य करें..."

[श्री चित्त बसु]

महोदय, मेरे संबद्ध कागजात खो गए हैं। फिर भी, उन्होंने यह कहा है कि जब तक सामाजिक उत्थान नहीं होता, जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलता, इस संविधान का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिल सकता है।

यही डा॰ अम्बेडकर ने कहा था। यदि आप डा॰ अम्बेडकर को केवल समाज के एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधि कहें, तो यह उनके प्रति न्याय नहीं होगा बल्कि यह उनके प्रति अन्याय होगा। वे सभी पीड़ितों, दलितों तथा शोषित लोगों के पथप्रदर्शक थे। अतः उस दृष्टि से, डा॰ अम्बेडकर की मूर्ति को क्षति पहुंचाना हमारे लिए असम्मान की बात है...*(व्यवधान)* आपकी बात सुनी गई है; आप जाने जाते हैं और आप पहचाने जाते हैं।

अस्पृश्यता के नाजुक मामले में महात्मा गांधी तथा डा॰ अम्बेडकर के विचारों में काफी अन्तर था। मैं उनकी बात उद्धरित करने में केवल एक मिनट लूंगा। गांधीजी की विचारधारा को इस साधारण से पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है।

दलित वर्गों के लिए पृथक मतदाताओं द्वारा इस विधेयक को पारित करने की पूर्व संध्या पर गांधीजी ने आमरण अनशन किया था। उन्होंन घोषणा की थी और मैं उद्धरित कर रहा हूं :

> "जो मैं चाहता हूं; जिसके लिए मैं जी रहा हूं और जिसके लिए मरने में मुझे खुशी मिलेगी वह है अस्पृश्यता दूर करना। पिछले 15 वर्षों से यह मेरे जीवन का सपना रहा है।"

लेकिन श्री सीतारमैया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इतिहास लिखा, वे महात्मा–गांधी के इस वक्तव्य को इस तरह स्पष्ट किया कि यह महात्मा–गांधी की व्यक्तिगत विचारधारा है, जो कि धार्मिक भावनाओं के प्रति अति धार्मिकता से उत्पन्न हुई है। लेकिन यहां डा अम्बेडकर की विचारधारा में भिन्नता है। डा॰ अम्बेडकर एक समाजवादी थे। उन्होंने अस्पृश्यता की इस समस्या को हमारे समाज में व्याप्त जाति प्रथा की दृष्टि से देखा।

डा॰ अम्बेडकर एक समाजवादी थे। उन्होंने इस समाज का वर्णन तथा विश्लेषण किया और एक ऐसे कार्यक्रम को विकसित करने की कोशिश की जिसके द्वारा अस्पृश्यता को समाज से मूल रूप से निकाला जा सके।

गांधी जी तथा अम्बेडकर की विचारधाराओं में अन्तर को इस लेखक द्वारा दर्शाया गया है। यहां मैं एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि अम्बेडकर और गांधीजी की विचारधाराओं में जो अन्तर बताया गया है वह नहीं है। मेरा गांधी जी की विचारधारा से मतभेद रहा है। सुभाष चन्द्र बोस की विचारधारा भी उनसे भिन्न है। डा॰ राम मनोहर लोहिया का भी उनकी विचारधारा से मतभेद है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे देशभक्त नहीं थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि नेताजी में देशभक्ति की भावना नहीं थी। यदि कोई कम्युनिस्ट यह लिखता है कि उनमें राजनीतिक, सामाजिक गतिशीलता और दार्शनिकता के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर एक जैसा है, तो यह अति साधारण है। मैं इस दृष्टिकोण की भर्त्सना करता हूं।

इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा अथवा नहीं, यह मैं सरकार पर छोड़ता हूं। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वे उन अनुच्छेद का हवाला दे जो कि उन्होंने वर्ष 1929 में लिखा था। उन्होंने कहा :—

> "सरकार के पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, की बात को निर्धारित करने का अधिकार बहुत खतरनाक है। आज हममें से कुछ लोग खुश होगें कि एक विशेष पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है लेकिन कल मेरी पुस्तक और मेरी अन्तरात्मा का भी दमन किया जा सकता है।"

अन्त में, आज मैंने समाचार पत्र पढ़ा कि सामाजिक कल्याण मंत्री श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–वे यहां उपस्थित नहीं हैं – ने तानाशाही के कुछ वर्गों के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए चण्डीगढ़ में एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा :

> "जहां तक कि दलितों का संबंध है उनके प्रति अफसरशाही के कुछ वर्गों का रवैया बहुत लाचार असहायक, असहयोगी है।"

यदि देश के सामाजिक कल्याण मंत्री जनता के समक्ष ऐसा वक्तव्य दे सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह चिन्ता का विषय है और यह सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस स्थिति में सुधार करें। इस तरह का रवैया खतरनाक है और देश के संविधान का उल्लंघन करना है।

मैं आशा करता हूं कि पूरी सभा मुझसे न केवल पटना में बल्कि मुम्बई में पुलिस द्वारा अत्याचार करने जैसे अनुचित कार्य की निन्दा करने में सहमत होगी।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मुम्बई में दलितों की भीड़ और निहत्ये लोगों की भीड़ पर पुलिस द्वारा जो बर्बर हमले हुए और गोली चलाई गई, मैं उस घटना की निन्दा करता हूं। मैं इसे बहुत ही जघन्य कांड मानता हूं। इस सदन में इस घटना को लेकर काफी चर्चा हुई, मगर जो विरोध पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वे शिव सेना के हो या भा॰ज॰पा॰ के बड़े सीनियर नेता या वक्ता, उनके द्वारा जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है उससे मुझे बहुत दुःख हुआ है। एक तरफ तो, बजाय उस पर प्रायश्चित करने के बार–बार दूसरे प्रदेशों या दूसरे गोलीकांडों से उसका मुकाबला किया जाता रहा और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जोर 13 जुलाई की घटना पर दिया जाता रहा कि अठावले, जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, उन पर जिस प्रकार से भीड़ ने हमला किया, उसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि अठावले की घटना, 11 जुलाई की घटना या 15 जुलाई की घटना, इन तीनों घटनाओं में बहुत गुणात्मक फर्क है। 11 जुलाई की घटना वह घटना है, जिसमें बिना किसी उत्तेजना के, अकारण ऐसी भीड़ पर, जो निहत्थी भीड़ थी, हमला किया गया। ठीक है, वहां की सरकार ने एक कमीशन बैठाया हैं, कमीशन विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा।

जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स हैं कि क्या साजिश थी, क्या कारण थे? परन्तु जो लोग भी घटनास्थल पर गये, हमारे गृह मंत्री गये, रेल मंत्री जी गये, तमाम सिटीजन कमीशन, गैर सरकारी सस्थायें दो-दो सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जजेस भी गये और जो समाचार-पत्रों में रपटें आयी हैं उससे तो साफ तौर पर झलकता है कि उत्तेजना का कोई कारण नहीं था। पुलिस मैनयुअल के नियमों की अवहेलना की गयी। इतना बर्बर काण्ड रूक सकता था अगर पुलिस दिमाग से विवेक से और सहृदयतापूर्वक, समझदारी से कार्य करती। परन्तु वह सारे काम नहीं किये गये।

मान्यवर, दूसरी तरफ भुजबल, जो कांग्रेस के नेता थे, उनके ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ था, एक ऐसे इलाके में जो बहुत ही सुरक्षित इलाका है, वी॰आई॰पी॰ लोगों का, मंत्रियों का इलाका है, जहां पर समुचित संख्या में, बड़ी मात्रा में पुलिस कर्मी मौजूद थे वहां पर सत्ताधारी दल के स्वयंसेवक हथियारों से लैस होकर एक दल विशेष के नेता के घर पर हमला करते हों और 11 जुलाई की घटना जिसके बारे में कहा गया कि वहां की भीड़ इतनी बलवाई हो गयी थी कि अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करती तो वहां पर जो गैस का एक टैंकर खड़ा था उस टैंकर में आग लग जाती और उससे पूरा इलाका धू-धू करके जलने लगता। इसलिए बड़े नुकसान को, बड़ी जन सम्पत्ति के नुकसान को रोकने के लिए पुलिस ने एहत्यिाती तौर पर यह गोली चलाई। पचास चक्र गोली चली लेकिन एक भी गोली का निशाना बेकार नहीं गया। पचासों लोग घायल हुए और 11-12 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिये गये। इस सदन में तमाम सम्मानित सदस्यों ने इन मृतकों के हालत के ऊपर भी बयान दिया है इसलिए मैं उसको दोहराकर समय बरबाद नहीं करना चाहता। यह घटना और दूसरी तरफ 15 जुलाई की घटना जहां शिव सैनिकों की हिंसक भीड़ एक विरोधी दल के नेता पर हमला करती हों और वहीं पुलिस जो इतनी तत्पर थी, इतनी सतर्क थी कि उसने तुरंत आंख झपकते ही, पलक झपकते ही गोली चलानी शुरू कर दी, वह पुलिस 15 जुलाई को मूकदर्शक बनकर सारा तमाशा देखती रही। बलवाई वहां के नेता के घर पर गये। उनको तलाशा लेकिन वे बेचारे अपने अंगरक्षक को लेकर किसी तरह जान बचा पाये। उनका सारा सामान जलाकर राख कर दिया गया। उसके बाद ठीक है, गृह मंत्री जी ने बयान में कहा है कि उस पार्टी के सुप्रीमों ने मुझे आश्वासन दिया था कि आइंदा इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी परन्तु अखबारों में छपा है। मैं 19 जुलाई के "दैनिक जागरण" में से कोट करना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि बाल ठाकरे ने कहा कि पिछले कुछ अर्से से भुजबल गठबंधन सरकार और शिवसेना के खिलाफ बेबुनियाद बातें कह रहे थे। भुजबल ने शिवसेना के विरोध के पीछे सारी मर्यादायें तोड़ दी थी। इससे शिवसैनिकों की भावनायें भड़क उठी। उन्होंने अम्बेडकर की प्रतिमा के अपमान के लिए भुजबल को भी दोषी ठहराया।...*(व्यवधान)* वहां आपने क्या किया था, वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप धीरज रखिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मुंबई पर है रूकिये, गेस्ट हाउस में मत जाइये।

श्री बृज भूषण तिवारी : यह चाहते हैं कि हमको लाइन से इधर-उधर करें।

सभापति महोदय : आपको डिरेल करना चाहते हैं।

श्री बृज़ भूषण तिवारी : मैं मुंबई में ही रहूंगा। यह इनका बयान है। जो बड़े जिम्मेदार, जो यहां सरपोतदार हैं या दूसरे जो शिवसेना के वक्ता हैं उन्होंने भी यही बात कहीं। सरपोतदार ने इसी सदन में इसी बहस के दरम्यान कहा कि इन्होंने जिस तरह से व्यक्तिगत आरोप लगाये, जिस तरह से उन्होंने कहा तो इसलिए वह 15 जुलाई का हमला हुआ वह हमला नियोजित था। उनको सबक सिखाने के लिए था। इसलिए मैं अपने इस तर्क के और इस प्वाइंट की पुष्टि के लिए एक और घटना का जिक्र इस सदन में करना चाहता हूं कि एक फार्मर म्युनिस्पलन कमिश्नर श्री तिनयेकर साहब थे।

उनके बारे में इनके सुप्रीमों ने क्या कहा। उन्होंने भी कुछ बयान शायद उस सरकार के खिलाफ या इनके खिलाफ दिया था। मैं कोट करता हूं।...*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य : ये कौन से अखबार में है।

श्री बृज भूषण तिवारी : मेरे पास इस समय अखबार नहीं है लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अखबार का उद्धरण दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : कितने साल पहले का है, यह बताइएं।

श्री बृज भूषण तिवारी : कितने साल नहीं, मैं उनकी मानसिकता बता रहा हूं कि उनका दिमाग किस तरह से काम करता है उन्होंने कहा है—

[अनुवाद]

> "यदि छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा होते तो उन्होंने श्री तिनयेकर को ऊपर से नीचे फेंक दिया होता लेकिन शिव साही के लोग उन्हें बहुत मामूली सजा देंगे और उन्हें चप्पलों से पीटेंगे।"

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो मानसिकता आज वहां की सरकार चलाने वालों के दिमाग में है...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : तिरके कोई पुलिस कमिश्नर नहीं है। आपने गलती से दूसरा नाम पढ़ा होगा।

श्री बृज भूषण तिवारी : मैं गलती से नहीं कह रहा हूं। मैं जो भी कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर आप उसे गलत कहते हैं तो सबूत पेश कीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इनके बाद शिव सेना के सदस्य श्री मोहन रावले को बोलना है। कृपया इनकी बात सुन लीजिए। इसके बाद जो बोलना होगा, बोलिए।

(व्यवधान)

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : सभापति महोदय, मैं इनको रोक नहीं रही हूं।

सभापति महोदय : आप रोक नहीं रही हैं लेकिन रूकावट तो हो रही है।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : तिरके नाम का कोई पुलिस कमिश्नर नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं ओर यदि यह बात गलत है तो उसके बारे में भी नियमों में प्रावधान है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री बृज भूषण तिवारी : इतना ही नहीं, मुझे इनके बारे में बताना पड़ेगा कि एक फिल्म "बाम्बे" थी। यह फिल्म जिस सिनेमा हाल में चल रही थी, उस सिनेमा हाल को जलाकर राख कर दिया। श्री ए॰के॰ हंगल, जो बहुत बड़े कलाकार थे, उनके ऊपर इन लोगों ने यह इल्जाम लगाया कि वे पाकिस्तान हाई कमिशन के दफ्तर में 14 अगस्त को किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। "शोले" फिल्म, जिसमें उनका बहुत छोटा सा रोल था, जिस सिनेमा हाल में चल रही थी, उसे जलाकर राख कर दिया। इलस्ट्रेटेड वीकली में उनके खिलाफ दूसरा आर्टिकल निकला था। उन्होंने फतवा दे दिया और अंत में उस समय की कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, उसने वहां के ऐडीटर से निवेदन किया कि इलस्ट्रेटेड वीकली जो अनपब्लिश्ड थी, को बाजार में न बांटा जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि शिव सेना के जो सुप्रीमो हैं, वे हिटलरशाही में विश्वास करते हैं। उनको किसी प्रकार के लोकतंत्र या लोकशाही में विश्वास नहीं है। वे एक एक्सट्रा कौन्सटीट्यूशनल आयॉरिटी के रूप में काम करते हैं और इसलिए जो वातावरण उन्होंने महाराष्ट्र में, खास तौर से मुम्बई में बनाया, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां के हजारों परिवार मुम्बई में काम करते हैं। वहां पर जो दंगा हुआ, शिव सेना के लोगों और उनके सैनिकों ने वहां की पुलिस से मिलकर जो नंगा नाच किया, हम उस सारी घटना से वाकिफ हैं। एक नहीं दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं। यह मामला ज्यादा गंभीर है, यह बात नहीं है। केवल गोलीकांड हो जाता, यह भी बात नहीं है। केवल कांग्रेस के किसी नेता या राजनैतिक कार्यकर्ता पर हमला हो जाता, परन्तु अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी का प्रमुख अगर इस प्रकार का व्यवहार करता है, जिसमें हिंसा झलकती हो, जिससे समाज या देश को टूटने का खतरा हो तो यह बहुत ही गम्भीर बात है।

साम्प्रदायिकता खराब है, परन्तु हमको जानना है कि अगर अल्पसंख्यक की साम्प्रदायिकता के मुकाबले बहुसंख्यक की साम्प्रदायिकता खराब होती है, मगर अगर पहाड़ भर की अल्पसंख्यक की साम्प्रदायिकता के मुकाबले में सरकार की तिल भर की साम्प्रदायिकता ज्यादा खतरनाक है इसलिए वहां की सरकार की जो साम्प्रदायिकता है, उसका असर उसके कलैक्टर पर, उसके कप्तान पर, उसके बॉस पर, उसकी पुलिस पर पड़ता है। किसी प्रकार से अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग है, वह अपने को असुरक्षित मानता है।

दूसरी बात, इस तरह से सदन में अम्बेडकर जी के बारे में कही गई। अम्बेडकर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अम्बेडकर जी किसी जाति विषेश के नेता नहीं, भारत के नेता थे। अगर अम्बेडकर जी का अपमान होता है तो भारत का अपमान होता है, परन्तु आज देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जो जानबूझकर गांधी जी का अपमान करना चाहती हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जो अमर शहीद थे, उनका अपमान करना चाहते हैं।

मैं उत्तर प्रदेश की एक घटना की तरफ इशारा करना चाहता हूं। अभी सीतापुर में गांधी जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पर हल्ला मचाया तो उनके खिलाफ हरिजन एक्ट का मुकदमा चला और वही ताकत, वही विचार शिवसेना के लोग भी जिस प्रकार से संगठित तरीके से गांधी जी के बारे में जो दुष्प्रचार करते हैं, गांधी जी के बारे में जो भ्रामक प्रचार करते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज यही मानसिकता है जो चन्द्रशेखर आजाद को आततायी करार करती है और वहीं शक्तियां हैं, जो गांधी जी का मुकाबला अम्बेडकर से, अम्बेडकर का मुकाबला गांधी जी से या दूसरे लोगों से करती है। ये केवल ऐसे खंडित दिमाग की जिनका दिमाग बंटा हुआ है, जिनका विचार टूटा हुआ है, ये कट्टरवादी ताकतें हैं।

मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि आज खतरा हिन्दू मुस्लिम का उतना बड़ा नहीं है, जितना बड़ा खतरा इस कट्टरवादी ताकतों का है। कट्टरवादी अगर कारगर होते हैं, कट्टरवादी ताकतें ताकतवर होती हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि देश टूट जायेगा, प्रान्तों में टूटेगा, जातियों में टूटेगा, सम्प्रदायों में टूटेगा, क्योंकि देश की एकता आरोपित नहीं कि जा सकती है, लादी नहीं जा सकती है। देश की एकता तभी सम्भव होगी, जब जनता में उसके प्रति इच्छा जागेगी। इच्छा जगाने का काम कट्टरपंथी नहीं कर सकते, जो नफरत पैदा करते हैं, जो घृणा पैदा करते हैं। आज बहुत से लोग दलितों के ठेकेदार हैं। मैं उनको ठेकेदार भी नहीं मानता। मैं उनको दलितों का सौदागर मानता हूं, जो यहां पर आज बहकी हुई बातें कहते हैं और लोगों को सिखाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की विचारधारा को और इस प्रकार की सजिशों को अगर आपने चलने

दिया तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। उस कट्टरपंथ के कारण का कितना बुरा हाल हमारे देश में रहा है। अम्बेडकर जी ने स्वयं संविधान सभा में जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने यह बात कही है कि हजारों साल के बाद आज एक ऐसी स्थिति आई है, जब हम एक संगठित राष्ट्र के रूप में खड़े हुए हैं। देश पहले भी था, भारत पहले भी था, दुनिया का सबसे पुरातन, सबसे पुराना देश था, परन्तु यह कभी एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में, एक संगठित राज्य के रूप में कभी नहीं रहा, सूबो में, जातियों में बंटा था और यह एक ऐसा मौका है, जब हमने आजादी हासिल की, हमने संविधान बनाया, हमने संसद बनाई और हमने देश को एकता के सूत्र में पिरोया। कहीं हम फिर वह गलती न दोहरा दें, फिर कही हम वही पुरानी गलती न कर दें क्यों कि हजारों साल के बाद जिस एकता को हासिल किया है, वह एकता क्षण भर में टूट जायेगी। आज खतरा इस बात का है, इसलिए सदन को इन प्रश्नों पर, इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए। इसमें मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी के यहां 12 मरे या किसी के यहां 11 मरे। आवश्यकता इस बात की है कि जो सरकार आसीन है, उनकी दृष्टि क्या है, जो सरकार शासन कर रही है, उसके विचार क्या है, उसके मुखिया का आचरण क्या है और जो उनके समर्थक हैं, स्वयंसेवक हैं, उनकी मर्यादाएं क्या हैं। अगर अनुशासन टूट जायेगा, अगर सत्ता शासन का इस्तेमाल करके अपने से कमजोर को दबाने की कोशिश की जायेगी, तो उसका बुरा असर होगा।

मैं इसको बुरा नहीं मानता, यह इतिहास तय करेगा, देश की जनता तय करेगी, यह केवल चंद महीने या चंद वर्षों के लिए यहां गद्दी पर बैठे हुए लोग फैसला नहीं करेंगे कि देश का कौन बड़ा नेता था, अमर शहीद क्रांतिकारी कौन था?

सैकड़ों-हजारों सालों के बाद व्यक्तियों, नेताओं और महापुरूषों का मूल्यांकन जनता ही करती है, इसलिए वही सब करेगी, इसकी चिंता नहीं है। परंतु जो सत्ता का दुरूपयोग करके इस समाज और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ इस सदन का एक स्वर होना चाहिए। इसमें पार्टी का विभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आजादी की पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं इसलिए ऐसी ताकतों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। ये कट्टरवादी ताकतें जब हारने लगती हैं तब उदारवादी का आवरण ओढ़ लेती हैं। परंतु जब असली मौका आता है उनके टैस्ट का तो ये ताकतें अपने असली चरित्र में आ जाती है। जो इनके सुप्रीमों हैं, उन्होंने गृह मंत्री को आश्वासन दिया था, जिस पर सदन में भी चर्चा हुई। उन्होंने ही रेल मंत्री को यह धमकी दी कि उनको हम मुम्बई की चौखट पर नहीं आने देंगे।

सभापति महोदय : उस पर एक घंटा चर्चा हो चुकी है। आपको अपनी बात कहनी चाहिए।

श्री बृज भूषण तिवारी : मैं उसी तरफ इशारा करना चाहता हूं कि इनको इस प्रकार के फतवे और धमकी देने का या ऐसा आचरण करने का कोई हक नहीं है। इन्होंने खुद हिटलर की किताब का विमोचन करते हुए कहा है कि मैं चाहता हूं नरसिंह राव, जो अक्षम प्रधानमंत्री हैं, उनकी जगह भारत को हिटलर चाहिए। जो व्यक्ति हिटलर की प्रशंसा करें, जो गोडसे का नारा लगाए, तानाशाही में विश्वास करे, वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसी ताकतों को ध्वस्त करने के लिए, हमें संगठित होकर देश को शक्तिशाली और एक सूत्र में बांधने का काम करने के लिए मैदान में आना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुम्बई की घटनाओं की निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि जो शोषित हैं, जो पीड़ित है, जिन लोगों के मन में हिंसा की आशंका व्याप्त है, उन लोगों के साथ ये लोग कभी न्याय नहीं कर सकते इसलिए अच्छा होगा ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे लोगों के हौंसले पस्त हो, बुलंद न हों।

श्री राजाराम परशराम गोडसे (नासिक) : मैं भी गोडसे हूं, इन्होंने किस गोडसे के बारे में कहा, यह बताएं?

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : इनका कहना सही है। इनका सरनेम भी गोडसे है।

सभापति महोदय : आप समझते हैं कि वे किसके बारे में कह रहे हैं।

श्री राम नाईक : रिकार्ड में नाथूराम गोडसे का नाम आना चाहिए, यह अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय : आप बैठिए, वे मजाक कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप खुद अपने सदस्य का समय जाया कर रहे हैं। श्री मोहन रावले।

श्री मोहन रावले : मुम्बई में हाल ही में रमाबाई नगर में जो दुर्घटना हुई और पुलिस की गोलीबारी से जो दलित मारे गए, सबसे पहले मैं शिव सेना की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

सभापति महोदय, सदन में बहुत गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। तिवारी जी ने इस सदन को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने जिस तिड़के कमिश्नर की बात की है, मैं कहना चाहता हूं कि इस नाम का कोई कमिश्नर ही वहां नहीं है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसी क्षेत्र से डा॰ भीम राव अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी के इस सदन के जो नेता है उन्होंने कहा था कि डा॰ अम्बेडकर इस देश के शोषितों, पीड़ितों के स्वाभिमान के लिए लड़े और उस समाज में डा॰ अम्बेडकर के विचारों से एक तरह का आत्मविश्वास पैदा हुआ है।

वह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ बोलने लगे। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज इस देश में हुआ है। परिवर्तन ये लोग मानते हैं लेकिन जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, वहां दलित भी बहुत हैं और वहां से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने चुनाव लड़ा था। जिन

[श्री मोहन रावले]

कांग्रेस वालों ने अम्बेडकर जी का नाम ले लेकर चुनाव लड़ा था, उनका दलित प्यार सिर्फ दिखावा है।...*(व्यवधान)* जिस दिन शरद पवार जी ने 1978 में कहा था, जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ, उसी समय शाम के बाद दंगे शुरू हुए। दलितों के घरों पर हमले शुरू हो गए। समाज के कुछ वर्ग बाबा भीमराव जी का नाम दंगों के साथ जोड़ा जाए, यह मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस काम के लिए सिर्फ शिव सेना को छोड़कर सभी दलों ने सहयोग दिया और इसी प्रस्ताव को अमल करने का काम किया। श्री बाल ठाकरे जी की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताया कि शिव सेना ने कहा था कि उनके नाम का विस्तार रखा जाए। डा॰ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मराठवाड़ा, यह नाम रखा जाए। इसके दो लाभ होंगे। एक तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम के साथ मराठवाड़ा भी जोड़ा जाएगा और दूसरे जो मराठवाड़ा के लोग हैं, उनकी बात भी रह जाएगी। उससे पहले वहां दंगे होते थे। उन दंगों में कांग्रेस के लोग थे जो आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उन दंगों में वे लोग भी शामिल रहे थे। वे उनका नेतृत्व करते थे। वे दलितों के ऊपर हमला करते थे। इन मोर्चों और आंदोलनों की वजह से मराठवाड़ा की बहुत सी हानि हुई। शिव सेना ने कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम का विरोध नहीं किया बल्कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम में मराठवाड़ा शब्द शामिल करने की बात से मराठवाड़ा के लोग भी संतुष्ट रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद ठाकरे जी ने अपील की और उसके बाद वहां शांति रही और आंदोलन भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं मारा गया। यह सब ठाकरे जी की वजह से हुआ। वहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। उन्होंने भी बाल ठाकरे जी की सराहना की थी। उन्होंने बार-बार उनको फोन करके कहा था कि आप ही महाराष्ट्र में शांति रख सकते हैं। आज शिव सेना प्रमुख के बारे में बहुत कुछ गलतफहमियां बतायी जा रही हैं। हमारा वहां "सामना" अखबार है। गलत बात को यहां उठाने की कोशिश की गई लेकिन सही बात को कभी नहीं बताया गया। हमारे "सामना" में अम्बेडकर जी का आदर करते हुए लिखा है कि अम्बेडकर जी किसी एक जमात के पूज्य नहीं थे बल्कि सारी दुनिया उनके आगे सर झुकाती है। उनके मन में छत्रपति महाराज शिवाजी के प्रति बहुत आदर है। शिव सेना कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती जिसमें उसकी बदनामी हो। श्री ठाकरे जी को जो बदनाम किया गया, वह स्वार्थी लोगों का काम है। यह उसी कांग्रेस का काम है जो सत्ता से बाहर रहना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाल ठाकरे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में जब विधान सभा का अधिवेशन होता है तो यह लोग मुद्दों की तलाश करते हैं। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तब दलितों को भड़काने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के बुत को जलाने और उनकी प्रतिमा पर चप्पलों की माला पहनाने का काम शुरू किया गया तथा दलितों को इन्होंने भड़काया। इस घटना में जो दलित भाई मारे गए...*(व्यवधान)*

श्री बृज भूषण तिवारी : यह भाषण किसका है?...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : आपने ठाकरे जी के बारे में बार-बार बताया, यह ठाकरे जी के विचार हैं, इसलिए सभापति जी की अनुमति से सदन में बता रहा हूं कि उन्होंने शुरू से ही इस घटना में जो दलित भाई मारे गए हैं, उनके प्रति अपने शिव सेना की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की थी और इस घटना की घोर निंदा की थी। मृतकों के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना उन्होंने प्रकट की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी और छत्रपति शिवाजी का इस महाराष्ट्र में बहुत बार अफमान हुआ है।

अपराह्न 4.00 बजे

मालेगांव और श्रीरामपुर में ऐसी घटनायें हुई हैं और इन घटनाओं में जो लोग पकड़े गए हैं या गिरफ्तार हुए हैं, वे सभी लोग रिपब्लिकन पार्टी के लोग निकले हैं। कांग्रेस दलितों के कन्धों पर बन्दूक रखती रही और दलितों को मरवाने के लिए आगे भेजती रही। इनके जो आंसू निकल रहे हैं, वे मगरमच्छ के आंसू हैं और दलितों का सहारा लेना चाहते हैं। इसके बाद छगनभुजबल पर जो हमला हुआ, उसके बारे में निन्दा की गई है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी उसकी निन्दा की थी। 10 जुलाई को गोलीबारी होने के बाद 11 जुलाई को बन्द रखा गया था। उसमें शिवसेना प्रमुख बालासाहिब ठाकरे और हमारे मुख्य मंत्री भी थे। उन्होंने अपील की थी कि उनके साथ हमारी संवेदना है।

अपराह्न 4.01 बजे

(श्रीमती रीता वर्मा *पीठासीन हुई)*

जो मर गए हैं, उनके बारे में हमारे भी दिल में भावना है। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ और दंगे भड़क जायें। बन्द में अपनी भावना के साथ शामिल थे। 16 जुलाई को बालासाहिब ठाकरे जी ने एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि संयम रखिए और अपने काम पर जाइए, दंगे बहुत हो गए। महाराष्ट्र के विकास के लिए लोगों को काम पर जाना चाहिए। मुम्बई और महाराष्ट्र में दंगे के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति की काफी हानि हुई है और इस वजह से राज्य के विकास में कठिनाई पैदा हो रही है। दंगों की वजह से दलितों के विकास के काम को करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। बहुत सी अच्छी योजनाये ठप्प हो रही है। दंगों से विकास का काम नहीं होगा। दंगों की वजह से काम नहीं हो रहा है और फिर विरोधी कहेंगे कि सरकार काम नहीं कर रही है। बालासाहिब ठाकरे जी की अपील थी कि हमें चाहे कोई कितना भी भड़काए, हमें शान्त रहना चाहिए।

18 जुलाई को कुछ लोगों ने मुम्बई और महाराष्ट्र में आग लगाई। इससे कितनी हानि हुई और राजनीतिक क्षेत्र में कितना लाभ हुआ, ये तो वे ही बता सकते हैं। शिवसेना प्रमुख बालासाहिब ठाकरे ने कहा था कि सब लोग अपने काम में लग जायें और शान्ति से काम करें। इसके पहले पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी। जो इनका डबल गेम था, एक दिखावा था और सारे हिन्दुस्तान के लोग उसको जान गए है। महाराष्ट्र में तो हम लोगों ने कांग्रेस को खत्म ही कर दिया है। हिन्दुस्तान में भी दूसरी जगहों पर कांग्रेस को हटा दिया गया है। सदन में महाराष्ट्र का एक संसद सदस्य

भी नहीं दिखाई दे रहा है...*(व्यवधान)* आपके विपक्ष के नेता है। उनको बता दीजिए कि महाराष्ट्र सब का है। मैं बता रहा हूं कि सारा देश आपके लिए है।

जहां-जहां पर अत्याचार हुए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश में अत्याचार हुए है। अत्याचार तमिलनाडु में हुए हैं, अत्याचार गुजरात में हुए हैं, अत्याचार बिहार में हुए हैं, अत्याचार केरल में हुए हैं, सारी जगहों पर अत्याचार हुए हैं। इसके बारे में मैं थोड़े से आंकड़े देना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश में 1050 लोगों पर अत्याचार हुए हैं। गुजरात में 1630 दलितों पर अत्याचार हुए हैं। कर्नाटक में 800 दलितों पर अत्याचार हुए हैं। केरल में 500 लोगों पर अत्याचार हुए है। राजस्थान में 400-700 लोगों पर अत्याचार हुए हैं। तमिलनाडु में 12000 लोगों पर अत्याचार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 7600 दलितों पर अत्याचार हुए हैं। महाराष्ट्र में 1200 दलितों पर अत्याचार हुए हैं। सारे देश भर में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। आज मैं शरद पवार जी तथा अन्य सभी नेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों मदूरै चला गया था। वहां मैं एक बस पर पोस्टर देखा कि दस दलितों पर हत्या हुई है। जिस तरफ हमारी गाड़ी जा रही थी, उसका डाइवर्जन कर दिया गया। जब पूछा गया, तो पता चला कि दस दलितों की हत्या कर दी गई है। आन्ध्र प्रदेश में 1983 से अब तक 100 से ज्यादा दलितों की हत्यायें हुई हैं।

उन्हें पता नहीं था। आज शरद पवार जी बोल रहे हैं कि हमने दलितों की हत्या की। मैं उन सब से पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : पुलिस की गोली से कितने मरे?...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : आप सुन लीजिए, मैं वही बोल रहा हूं। आपने दलितों को मारा नहीं। 10 अक्तूबर, 1989 को इस कांग्रेस का राज महाराष्ट्र में था। चेंबूर में दंगा हुआ था—अलका जाधव नाम की एक महिला, सुहास कांबली और ननवरे, इन तीन दलितों को इसी कांग्रेस के राज में मारा गया, तब दलितों की हत्या नहीं हुई?... *(व्यवधान)* ये दलितों की हत्या के बारे में पूछ रहे हैं। इसके पहले के भी हमारे पास बहुत से आकड़े है।...*(व्यवधान)*

बिहार में तो आप सब ने सुना है कि 24000 से ज्यादा लोग यहां मर गए, इनको सारे देश की बात याद नहीं। आपने मुंबई का कहा, उसकी तो जांच होने जा रही है। न्यायालय ने जांच की मांग की हमने उसे स्वीकार किया है। उन्होंने दो महीने का समय दिया, हमने दो महीने का समय स्वीकार किया। आपके राज में कभी ऐसा हुआ था। हम लोग दो महीने का समय ले रहे हैं। जिसकी कुछ गलती होगी उसको बाहर निकाला जाएगा। जैसे शरद पवार जी ने परसों कहा था कि टैंकर बाहर से लाए गए, यहां हमारे मोल्लाह जी बैठे हैं उन्होंने कहा था कि जो बात कह रहे हैं वह गलत बात है। वे टैंकर 15 दिन से रिपेयर के लिए वहां थे, यह मोल्लाह जी ने ही कहा था। यहां के जो एक जिम्मेदार सांसद मोल्लाह जी हैं उन्होंने कहा कि मेरी टीम ने विजीट किया था। उन्होंने यह कहा था, यह वहां के लोग बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि टैंकर में गैस था या नहीं था और यह बोल रहे हैं, विपक्ष के सदन के नेता बोल रहे हैं कि वहां टैंकर लाए गए थे। आज यहां बहुत से लोग ऐसे हैं, वे सब बोलते हैं कि कमर के ऊपर गोलीबारी कैसे हुई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं – शरद पवार जी बोले, कम्युनिस्ट बोले, चौधरी जी बोले, मोल्लाह जी बोले तथा इससे पहले बहुत से वक्ता बोले। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके बंगाल में जब ममता जी का मोर्चा निकाला था उसमें 13 लोग मारे गए तो क्या उन्हें कमर के ऊपर मारा नहीं था? आज संयक्त महाराष्ट्र होना ही था, उसके लिए 105 लोगों की कुर्बानी कर दी। एक आंध्रा के रामलू थे। वह आंध्रा अनशन में बैठे थे और केन्द्र सरकार ने भाषावाद, प्रांतवाद स्वीकार भी किया था। उसके बाद आंदोलन हुआ और उसमें 105 लोग मारे गए। उन्होंने 105 लोगों की गोली से मार डाला तो क्या कमर के ऊपर नहीं मारा था। तब आपने नहीं कहा कि कांग्रेस के लोगों ने उनकी सरकार बर्खास्त की। केन्द्र में भी कांग्रेस की सत्ता थी। अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य सर्पोतदार जी, राम नाईक जी और प्रमोद महाजन जी ने इनके बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने परसों दंगे की फोटो दिखाई थी। कांग्रेस का एक कार्पोरेटर परसों जो दंगा हुआ, उसमें वह पत्थर फेंक रहा था। अगर ये गोलीबारी की जांच मांगते तो हम इनका कहना मान सकते थे। इन्होंने प्रोटेस्ट किया वह भी हम मान सकते थे, लेकिन इन्होंने इस बात से भड़काने की कोशिश की, बुझाने की कोशिश नहीं की। ये लोग कैसे आग बुझा सकते हैं क्योंकि इनका काम ही आग लगाना है।

जब कर्नाटक में वीरेन्द्र पाटील की सरकार थी तब उनको हटाने के लिए इन्होंने कर्नाटक में दंगे करवाए। आंध्रा के चेन्ना रेड्डी को हटाना था तो इन्होंने दंगे कराए। सुधाकर नाईक महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, मुंबई शहर में दंगे हुए थे, दिसम्बर 1992-93 में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए थे। उनका कहना है कि अभी वह नेता नहीं हैं, वह महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने दंगे के बारे में कहा था।

318 से ज्यादा लोग मारे गये। वे आज यहां नहीं हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जो आज सुधाकर नाईक जी का इस्तीफा मांग रहे हैं वही दंगे करवा रहे हैं, यानि कांग्रेस वालों ने दंगे करवाए थे। सुधाकर नाईक जी ने सम्भाजी नगर में कहा था कि महाराष्ट्र के रक्षा मंत्री वहां मुम्बई में जाकर बैठें। उन्होंने यह सम्भाजी नगर और औरंगाबाद में कहा था कि जिसे आज कांग्रेस ने सदन में नेता चुना है उनको तो कांग्रेस की सदस्यता भी नहीं देनी चाहिए। वे अपनी कार्यकारिणी के शायद सदस्य थे। जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यह बात उन्होंने कही थी।

सभापति महोदय : आप कितनी देर और लेंगे।

श्री मोहन रावले : महोदया, एक साल के बाद मैं बोल रहा हूं।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मुम्बई के बारे में बोलें।

श्री मोहन रावले : मैं मुम्बई पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)* यह जो दूसरों की मानसिकता के बारे में कहते हैं इनकी अपनी मानसिकता

[श्री मोहन रावले]

क्या है। इनकी मानसिकता के बारे में मैं बता रहा हूं। विट्ठल गाडगिल जी के बारे में हमारे दिलों में आदर है। कांग्रेस के वे प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राज में, शायद उस समय शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे या नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विट्ठल गाडगिल जी के ऊपर हमला किया था। उस समय वहां कानून और व्यवस्था बिगड़ गयी थी। उस समय 356 कहां गयी थी? आर॰के॰ धवन पर हमला हुआ था। उनका निजी सचिव अस्पताल में था। आर॰के॰ धवन जी कैसे हैं, यह मुझे पता नहीं। तब क्या कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी? तब इनका किसी का अपमान नहीं हुआ। यह आपकी कांग्रेस की मानसिकता है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : आप मुम्बई के बारे में भी बताएं।

श्री मोहन रावले : मैं मुम्बई के ऊपर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)* पंजाब शांत था। हमारे बहुत से एम॰पीज॰ हैं, वे जानते हैं। लेकिन इन्होंने पंजाब को अशांत किया। अकाली दल की सरकार को हटाने के लिए इन्होंने भिंडरवाले को हवा दी, उसको खड़ा किया। हमारे दिल में स्वर्गीय इंदिरा जी के लिए आदर है, लेकिन वे उसमें शहीद हो गयी। यह सब कुछ इन्होंने अकाली दल को तोड़ने के लिए किया।...*(व्यवधान)* यह सब मैं इनकी मानसिकता बताने के लिए बता रहा हूं। इन्होंने क्या पाप किये, वह बता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : यह किस प्रकार की बात हो रही है। यह क्या मुम्बई के बारे में बात हो रही है, क्या महाराष्ट्र सरकार के बारे में बात चल रही है। क्या बोलना चाहिए, यह भी इन्हें पता नहीं है। पंजाब कहां से आ गया? आप महाराष्ट्र के दलितों के बारे में बताएं।

सभापति महोदय : चव्हाण साहब, आप बाद में जवाब दे दीजिएगा। रावले जी अब आप बात समाप्त कीजिए।

श्री मोहन रावले : मैं इनकी मानसिकता बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपस में बातचीत नहीं। रावले जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहन रावले : सभापति जी, मुम्बई में सीमा-विवाद के लिए आंदोलन हुआ था। आप लोगों ने बोला था कि बिलों द बैल्ट क्यों नहीं मारा। 1967 में 8 फरवरी से लेकर 4 दिन के लिए आंदोलन चला था। तब हम छोटे थे। तब मुम्बई में इसी कांग्रेस के राज में गोली चली और कई लोग मारे गये। इसके पहले जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, चाहे पवार जी, सुधाकर नाईक या अंतुले जी, उन्होंने कहा कि यह विवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन इन्होंने गोलीबारी की थी। तब भी अबव द बैल्ट गोलीबारी की थी, बिलो द बैल्ट नहीं की थी। वहां, जहां मुम्बई में मैं परेल में रहता हूं वहां दूसरे माले पर बैठी हुई वीणा सामंत नाम की एक लड़की रहती थी। उसको इन्होंने गोली से मार डाला। ये सब क्या था?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मुझे देख कर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी ने भी कुछ मांग की थी। छगन भुजबल के घर पर हमला हुआ। उसकी सभी ने निन्दा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इसकी निन्दा की। उन्होंने शांति बनाए रखने की जो अपील की, उस पर आपको सोचना चाहिए था। इसके लिए मार्च निकाला गया था। उसमें मांग की गई थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो लोगों के घरों में घुसा जाएगा। विपक्ष के नेता ने क्या कहा, यह उन्हें पता नहीं?...*(व्यवधान)* मैं इनकी मानसिकता बतलाना चाहता हूं।

श्री बृज भूषण तिवारी : कांग्रेस के किसी नेता ने तो नहीं उकसा दिया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रावले जी, अब आप कनक्लूड करिए।

श्री मोहन रावले : अम्बेड़कर जी का किसी ने कोई अपमान नहीं किया...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : सभापति महोदय, रावले जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं और अपनी बात को बार-बार उठा रहे हैं। यह आरोप है कि जब भुजबल जी के यहां अटैक हुआ तो वह वहां थे। वह उस समय वह वहां थे या नहीं? वह इसे यहां साबित करें क्योंकि यह साबित करने का अच्छा मौका है। माननीय सदस्य यह कलीयर कर दें कि यह वहां थे या नहीं?

श्री मोहन रावले : विपक्ष के नेता की मानसिकता को देखा जाए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय इन्दिरा जी के प्रति मेरे दिल में आदर है, लेकिन बालासाहेब ठाकरे जी का नाम लेकर जब ये उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी भड़क सकता है। अगर वह हमारे नेता का अपमान करेंगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचायी जानी चाहिए। बालासाहेब ठाकरे जी का अपमान करने से उनकी भावनाएं भड़क जाती है। विपक्ष के नेता पर जो हमला हुआ, उनकी मानसिकता को जानना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात का जवाब दूंगा।

सभापति महोदय : रावले जी, आपको बोलते हुए आंधे घंटे से ज्यादा हो गया है। आप दो मिनट में अपना भाषण खत्म करिए।

श्री मोहन रावले : मैं दो मुद्दे रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मेरे पास जो लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रावले जी, आप काफी देर बोल चुके हैं। अब आप कनक्लूड करिए।

(व्यवधान)

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे (कोपरगांव) : सभापति महोदय, अभी चव्हाण साहब ने जो आरोप लगाया है, वह असत्य है। अभी रावले जी से पूछ रहे थे कि आप वहां थे या नहीं? वे न उधर थे और न पुलिस रिपोर्ट में है।

सभापति महोदय : ये खुद बोल सकते हैं।

श्री मोहन रावले : मैं खुद बोलूंगा। इसके पहले शरद पवार ने पूछा कि क्या आई॰बी॰ द्वारा जांच की जा रही है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मुम्बई में पुलिस कस्टडी में एक आदमी मारा गया और अस्पताल में दाखिल हुआ तो पुलिस का पहरा था। उसको पुलिस की गोली से भून दिया गया और पुलिसकर्मी मारा गया। मेरी जानकारी के अनुसार अपराधी शरद जी की शरण में है। वे जब रक्षा मंत्री थे, क्या इसका आप जवाब दे सकते हैं?

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : यह पुरानी बात है।

श्री मोहन रावले : पुरानी है तो क्या हुआ। हम बुजदिल नहीं हैं। मैं श्री सुरेश नावले, आरोग्य मंत्री के साथ चला गया था और एक लड़का चिमन मेरे साथ था, वह मेरे सैक्टर का है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मैं वहां चला गया। उस रास्ते के बगल में छग्गन जी का घर था, वहां खड़ा था लेकिन 5-10 मिनट में पीछे हट गया। अब सब नेताओं ने मेरा नाम लिया है। यदि यह सदन चाहता है कि मेरा उसमें इन्वाल्वमेंट था, तो मैं समर्पित करने को राजी हूं। पुलिस की इन्क्वायरी करवा लें। किसी को भी चैलेंज देकर कह सकता हूं कि मैं नहीं था।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : आप महाराष्ट्र पुलिस की बात कर रहे हैं या सी॰बी॰आई की बात कर रहे हैं?

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मैं दो बार चुनकर आया हूं। पुलिस वाले मुझे जानते हैं। अगर पुलिस में से एक भी कह दे कि मैं उस मोर्चे में था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन वहां के विरोधी पक्ष के नेता को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि एक नौजवान इकबाल ने छग्गन भुजबल को हराया था। अब ये लोग मुझे लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह सदन या गृह मंत्री जी चाहेंगे तो मैं समर्पित करने को राजी हूं। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मैं सुरेश नवाले से मिलने गया था और पुलिस मेरे साथ थी।

सभापति महोदय : अब आप दो मिनट में समाप्त कीजिये। आप काफी समय से बोल रहे हैं।

श्री मोहन रावले : मेरी जानकारी में हिन्दू-मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने क्या कहा, वह आपको बताना चाहता हूं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। देश के कई हिस्सों में ऐसा हुआ है। हमें सारी बातों को राष्ट्रीय भावना से देखना चाहिये। यदि दंगे सब जगह भड़क जायेंगे तो पुलिस गोली चलायेगी और उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। यदि उसमें मैंने जो आंकड़े बताये हैं उस गोलीबारी में 5-6 हजार लोग मरते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर टाईम पर दंगे काबू में नहीं आते तो सारी जगह दंगे भड़क सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरे पास महाराष्ट्र के दो अखबारों की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि विरोधी पक्ष के नेता के पास दंगे भड़काने के अलावा कोई काम नहीं है।

सभापति महोदय : रावले जी, आप एक मिनट में खत्म करिये वरना मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगी।

श्री मोहन रावले : इन्होंने भड़काने की कोशिश की, आग बुझाने की कोशिश नहीं की। इसलिए वहां दंगे भड़क गए और हमारी सरकार ने कहा है कि जो 9000 मूर्तियां महाराष्ट्र में है, उनमें से 2000 मूर्तियां मुम्बई शहर में हैं, उन मूर्तियां को अपमान करके जाति-पाति में तनाव का निर्माण पैदा होता है और जनमानस या संपत्ति की हानि होती है, इसकी स्थायी व्यवस्था होना मनुष्य के लिए लाभदायी सिद्ध होगा और ऐसी घटना का जो कोई लाभ उठाना चाहते हैं, उनकी इस प्रवृति का मैं विराध कर रहा हूं।

लेकिन हमारी सरकार ने उसके ऊपर काबू रखा है। हमारी सरकार शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। महात्मा गांधी की, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे और वी॰पी॰ सिंह की अपील ये लोग मानते थे तो हमारे बालासाहेब ठाकरे का अपील मानने के लिए हमारे गृह मंत्री उनसे मिले तो क्या गलत है? उन्होंने विश्वास दिलाया और विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां शांति रही। हमारी तरफ से दलितों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। न किसी ने शिवसेना के नाम का उल्लेख अंबेडकर की मूर्ति के संबंध में किया है। इसलिए महाराष्ट्र मे जो धारा 356 लगाने की बात है, मैं उसका विरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : मैडम, अफसोस है कि शरद पवार जी, जिन्होने प्रस्ताव रखा था, वह पूरी बहस मे एक घंटे भी नहीं बैठे। आखिर जवाब तो उनको देना है।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। श्री शरद पवार का आज आप्रेशन है, इसलिए वह यहां उपस्थित नहीं हो पाएं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बाकी लोग है। वह नोट कर रहे होगें। आप बोलिये।

श्री इलियास आजमी : मैं उत्तर प्रदेश मे पैदा हुआ, लेकिन मेरा अपना ताल्लुक मुम्बई शहर से पुराना है। सन् 1951 मे मैं पहली बार वहां गया था। यहां बहुत सी बातें आई हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की,

[श्री इलियास आजमी]

गांधी जी की और डा॰ अम्बेडकर की बातें आई हैं। सन् 1952 की जनवरी में पहली बार मैनें पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा। चौपाटी में उनकी मीटिंग थी। एक घंटे की तकरीर मैनें उनकी सुनी थी जिसमें 45 मिनट उन्होने डा॰ अंबेडकर के खिलाफ भाषण दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पंडित नेहरू ही के जरिये मैंने डा॰ अंबेडकर को पहली बार जाना था। मुम्बई से मेरा ताल्लुक और मेरी विचारधारा का ताल्लुक वहीं से जुड़ गया।

पहले मैं इस सवाल पर आता हूं कि महाराष्ट्र जिसने मुल्क में हजारों साल से फैले हुए सामाजिक अंधकार मे रोशनी की पहली किरण ज्योतिबा फुले की शक्ल में जगाई थी, जिस महाराष्ट्र में छत्रपति साहूजी महाराज का जन्म हुआ था, जो एक राजा और महाराज होकर भी जिन्होंने सबसे पहले छुआछूत के खिलाफ अछूतों से दुकानें खुलवाई थीं जिनमें खुद उन्होनें चाय-पानी पीकर इस बात की कोशिश की थी कि छुआछूत का खात्मा हो, वह महाराष्ट्र जिसने हजारो साल के अंधकार से लड़ने वाले और बड़ी हद तक उसको छांट देने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, वहां आखिर दलित क्यों मारे गए? मैं इस दलील में नहीं पड़ता कि शिवसेना या भाजपा की सरकार में पुलिस ने गलती की है तो उसकी सफाई उस पार्टी के लोग यहां दें। मैं इस मानसिकता को सही नहीं समझता। लेकिन यह दुनिया का कायदा रहा है, अल्लाहमाह इकबाल जो इस देश के बहुत बड़े फिलोसफर हुए, उन्होंने कहा है –

"तकदीर के काज़ी का ये फतवा है अज़ल से
है जुर्मे जइफी की सजा मरेंगे मफाजात।"

सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जहां से रोशनी फैली, जहां से पूरे देश में दलितों और पिछड़ों में जागरूकता आई, महाराष्ट्र में आज दलित कमजोर क्यों है? वह इसलिए कमजोर है कि सियासी तौर पर और राजनैतिक तौर पर वह टुकड़ों में बंटे हुए हैं, वरना शायद इतनी बड़ी घटनाएं वहां न होती।

मैडम, दुनिया में जो कमजोर है वही मारा जाता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूं। मैंने ज्यादा समय कभी नहीं लिया है। आज भी नहीं लूंगा। फारसी के एक बहुत बड़े शायर अबू आला भोअंरी थे वह शाकाहारी थे, मुसलमान थे लेकिन उन्होंने मांस कभी नहीं खाया था। उनका एक दोस्त था, उसके घर में बढ़िया किस्म का तीतर का मांस बना और उसने तोहफे मे वह उसके यहां भेज दिया। तो उसने एक बड़ा अच्छा फलसफा तीतर के गोश्त को देखकर कहा – अफसोस अगर तू साहीन (चील और बाज) बनता तो आज तुझे भूनकर मेरे पास नहीं भेजा जाता, आज तेरा यह हश्र नहीं होता। तू तीतर था इसलिए भूना गया, मारा गया। तो महाराष्ट्र के दलितों को सोचना चाहिए कि जहां से रोशनी की किरण फूटी थी, वह आज कमजोर क्यों है? यह प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से आया है। कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता आज भी श्री शरद पवार जी है। यह प्रस्ताव उन्ही की तरफ से आया है जो महाराष्ट्र के एक-दो बार नहीं चार-चार बार मुख्य मंत्री रहे हैं। जो उनकी तकरीर हुई, उससे मुझे यह लगा कि शायद कांग्रेस की मानसिकता कुछ बदल रहे है और मैं मानता हूं कि इंसान भी बदलता है और इंसान की मानसिकता भी बदलती है। समूह की मानसिकता भी बदलती है। जो पिछली बातें दोहराई गई, मैंने अपने शिवसेना के साथियों से कहा कि यह बात तो सही कही गई कि अखबारो पर आपने हमले किये थे, आपने कभी गुजरातियो पर हमले किये थे, कभी साउथ इंडियनों पर किये थे। उन्होंने कहा कि वह मूवमेंट का जमाना था, आज हमारी सरकार है और आज जो हम गलती कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालिये। तो यह बात सही थी। वही बालासाहेब ठाकरे थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने पर फख्र का इजहार किया था। उन्हीं बालासाहेब ठाकरे साहब के दो बयानात आ चुके कि साम्प्रदायिकता से देश का बहुत नुकसान हो चुका। अब देश बर्बादी के कगार पर है, उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। अब सब कुछ भूलकर हमें देश के निर्माण का काम करना चाहिए। वही बालासाहेब ठाकरे उनका अभी एक-दो महीने पहले मैंने दो बार बयान पढ़ा है। इंसान बदलता है। लेकिन क्या यह सही है कि कांग्रेस बदल रही है। कांग्रेस जो आज दलितो की बहुत बड़ी हिमायती हो गई है, दलित प्रेमी हो गई है, क्या वाकई वह बदल रही है...*(व्यवधान)* अगर यह वाकई बदल रही है तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए, हमको खुशामदीद करना चाहिए कि वाकई कांग्रेस की मानसिकता बदल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता...*(व्यवधान)* कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस देश मे एक हजार साल के बाद मनुवादी व्यवस्था की पुनर्स्थापना की, उन्हीं नेताओं के नाम की आज यह लोग दुहाई दे रहे है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कांग्रेस बदल रही है। बल्कि अपनी बुरी हालत देखकर कुछ दलित प्रेम इनके अंदर जागा है कि शायद हमारा वोट बैंक कुछ बढ़ जाए।...*(व्यवधान)* मैडम, जब वेंकटस्वामी जी बोल रहे थे...*(व्यवधान)* मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। मैंने अपने दिमाग से जो कबूल किया है वही मैं बोला हूं। मैं किसी की वकालत नही कर रहा हूं। हमारे बुजुर्ग लीडर श्री वेंकटस्वामी जब बोल रहे थे तो मैंने बीच में टोका-टाकी भी की थी। आप लोगो को याद होगा, उस समय एक शेर मेरे दिमाग में आ रहा था, वह शेर यह था –

शीके सफर में गर्द न इतनी उड़ाओ कि
मंजिल पर जा के सांस भी लेना मुहाल हो।

मैंने उनसे उस वक्त ठोककर भी कहा था कि इतिहास की जो बाते आपने अपने 50 साल के राज मे दबा दी हैं, उन्हे मत छेड़ो, वरना उस पर से जब पर्दा हटेगा तो बहुत सारे लोग जो सारे देश के पूजनीय हैं, उनके ऊपर से लिबास उतर जायेगा। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। आजादी की 50वीं सालगिरह चंद दिनो के अंदर हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा लफड़े में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं कांग्रेस के सारे नेता जो सदन में मौजूद है उनसे और जो मौजूद नहीं है उनसे यह कहना चाहता हूं कि आपने 24 सितम्बर 1932 के पूना पैक्ट का बड़ा बखान किया है कि जैसे मालूम होता है कि नेताओं

ने आपसी बातचीत के जरिये पैक्ट किया था। मैं उनसे पूछता हूं कि 1927 में साइमन कमीशन यहां क्या करने के लिए आया था। साइमन कमीशन इसलिए यहां आया था कि यहां की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करके यहां मानवता के पुनरूत्थान का कोई रास्ता सुझाये। उसके खिलाफ कौन था जिसने 'साईमन गो-बैक' का नारा दिया था, वह कौन सी ताकत थी जिसने पूरे देश में उपद्रव मचा दिया था, वह कौन सी ताकत थी जब उस कमीशन के सामने डा॰ अम्बेडकर तथा दूसरे लोग पेश हुए तो उन्हें देश का गद्दार कहा था। आपसे यह सवाल एक-न-एक दिन होगा, यदि आज नहीं होगा तो आने वाले कल की नस्लें पूछेंगी और दामन पकड़कर पूछेंगी कि जब साईमन कमीशन की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए लंदन में गोलमेज कान्फरैंस बुलाई गई, वह कौन सी ताकत थी, कौन से नेता थे, जिन्होंने डा॰ अम्बेडकर को उस कांफरैस में बुलाए जाने का विरोध किया था और कहा था कि सिर्फ हिन्दूओं और मुसलमानों को ही बुलाया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन लोग थे जिन्होंने धमकी दी थी कि अगर गोलमेज कांफरैंस में डा॰ अम्बेडकर को बुलाया गया तो हिन्दू उसका बाईकाट कर देंगे, मैं उसका बाईकाट कर दूंगा। वे कौन लोग थे जिन्होनें बाईकाट की धमकी को असली जामा पहनाया था और पहली गोलमेज कांफरैंस में शिरकत नहीं की थी।

मैं समझता हूं कि वेकट स्वामी साहब तक मेरी आवाज छपे रूप में जरूर पहुंचेगी और मैं उनसे कहूंगा कि आगे किसी मौके पर वे मुझे इन सवालों का जवाब दें या जब श्री शरद पवार इस चर्चा का उत्तर दें तो वे उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने डा॰ अम्बेडकर को पहली गोलमेज कांफरैंस में जाने से रोकने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेले थे। उसमें देश के सारे मुसलमान नेताओं का बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि मुस्लिम हितो के सादे पेपर पर मैं हिन्दुओं की तरफ से साइन करके दे दूंगा लेकिन आप डा॰ अम्बेडकर को गोलमेज कान्फरैंस में बुलाने की हिमायत न करें। इसांनियत का जमीर एक दिन आपसे यह सवाल करेगा कि वे कौन लोग थे, कौन सी ताकत थी यह आपको बताना पड़ेगा - जो आज दलितों का वोट लेने के लिए अम्बेडकर प्रेमी बने हुए हैं?

इन्होंने माननीय कांशी राम जी की तकरीर के एक हिस्से पर अटैक किया और कह दिया कि डा॰ अम्बेडकर के स्टेच्यू पर हजारों चिड़ियां बीट करती हैं, इस पर उन्होंने दुख का इजहार भी किया। मैं कहता हूं कि देश का कोई मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा या चर्च ऐसा नहीं है जहां चिड़ियां बीट न करती हो लेकिन कोई उन चिड़ियों के पीछे नहीं भागता क्यों कि चिड़ियों की मंशा और मानसिकता उसकी तौहीन करने की नहीं होती लेकिन जब इंसान उसकी तौहीन करता है तो उससे इंसानी जजबात भड़कते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी बात कांशी राम जी ने कह दी, जिस पर उन्होंने इस सदन के 15 मिनट ले लिए।

उन्हें आज नहीं तो कल, यह बताना पड़ेगा कि दूसरी गोलमेज कांफरैंस में जब यह तय होने लगा कि इंसानियत का उद्धार इस देश मे किया जाएगा, जिन्हे हजारो सालों से अधिकार नहीं मिला, सर रम्जै मैकडनालड जब ऐसा तय कर दिया तो वहां उसका विरोध किसने किया कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन डा॰ अम्बेडकर की बात पूरा नहीं होने दूंगा - आपको यह पूरे देश को बताना होगा। अगर आपने आज नहीं बताया तो कल इंसानियत का जमीर आपसे यही सवाल करेगा, पूरे देश का जर्रा-जर्रा चिल्लाकर कहेगा कि जो ताकत हजारों साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने की लड़ाई उस वक्त लड़ रही थी, जो कभी साईमन का विरोध करती, कभी पूना पैक्ट पर डा॰ अम्बेडकर को दस्तखत कराने के लिए मजबूर करतीं थी - वह आपको बताना पड़ेगा।

सभापति जी, मैंने जो बातें कहीं हैं, कांग्रेस के कारनामे बयान किए... *(व्यवधान)* जो 10 आदमी मारे गए, उसकी जितनी निन्दा की जाए कम है लेकिन मैं पूरे भरोसे और एजमाद के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे शिवसेना के भाई कितनी ही सफाई दें, लेकिन उन्हें मानना पड़ेगा क्योकि हर इंसान ने मान लिया है कि जो पुलिस वहां भेजी गई, उसने जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया वरना कोई वजह नहीं थी कि 10 आदमी मारे जाते। मैं उस कत्ले-आम की निन्दा करता हूं और शिवसेना के अपने साथियों से डिमांड करूंगा कि वहां की सरकार आपके हाथ में है, उस हादसे में जितने पुलिस अधिकारी शामिल थे, कम-से-कम उन सबको सस्पैंड किया जाए, एक-दो को सस्पैड करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन आज उस पर मगरमच्छ के आंसू कौन लोग बहा रहे हैं?

मैं उस दिन मुम्बई में था उस दिन शैतान रूशदी की किताब के खिलाफ मुसलमानों ने प्रोसैशन निकाला था। वह प्रोसैशन बहुत बड़ा नहीं था, छोटा प्रोसैशन था जो वहां ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के दफ्तर तक जाना चाहता था। वह कौन सी ताकत थी, कौन सी हुकूमत थी जिसने उसे क्राफोड मार्किट चौराहे पर रोक दिया था? उसके 5 मिनट बाद मैं भी वहां पहुंच गया और मैंने लाशें अपनी आंखो से देखी थी। लोगों ने मुझे बताया कि पुलिस का आदेश था कि इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है।

जुलूस मे लोग धक्का-मुक्की करते है। वे जाना चाहते थे। पुलिस ने कहा जो आगे बढ़ेगा उसे मार दिया जाएगा। एक नौजवान निकला, उसने अपना कपड़ा फाड़ा और कहा कि मार दो गोली। गोली ठांय से चली और वह मारा गया। उसके बाद गोलियां चलने लगी। 12 आदमी वहीं मर गए और 25 जख्मी हुए। क्या पांच रुपए भी देना गवारा किया इन फासिस्टों ने? जुडीशियल इन्क्वायरी करनी तो दूर रही, किसी एक पुलिस वाले को भी सस्पेंड करना गवारा किया? आप बहुत बड़े सैकुलर बनते हैं। आप बहुत बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं। ये दलितों के हमदर्द हैं। चलो वे लोग दो दूसरी श्रेणी के नागरिक थे, मारे गए। बहुत से ऐसे लोग है जिन्होंने हमेंशा उसको दबाने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, मैं इनसे पूछता हूं कि बिहार के अरवल में किसकी हुकूमत थी। अरवल में दलित लोग एक मीटिंग कर रहे थे।

[श्री इलियास आजमी]

वे एक ऐसे मैदान में मीटिंग कर रहे थे जो चारदीवारी से घिरा था। एकदम पुरअमन था। न कोई जुलूस निकल रहा था, न कोई नारे लग रहे थे। वे अपनी समस्याओं पर पुरअमन विचार कर रहे थे। उस समय की बिहार की कांग्रेस सरकार ने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया और चारदीवारी पर चढ़े और तड़-तड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक-दो नहीं, 50 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। वे सब के सब दलित थे जिन्हें मौत के घाट उतारा गया। क्या उस वक्त संविधान में धारा 356 नहीं थी? क्या उसके बाद संविधान में दफा 356 को जोड़ा गया है? यदि बाद में जोड़ी गई है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उस घटना के लिए कभी किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, धारा 356 तो बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसी सदन में 1987 में चर्चा हुई होगी, मैं तो उस समय इस सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन मेरठ की घटनाओं पर इस सदन में जरूर चर्चा हुई होगी। मैं पूरे एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि जब से जम्हूरी निजाम का गलगला हुआ है, जब से कानून को हुकुमरानी की बात की जाती है, तब से अब तक सिर्फ ऐसी दो हुकूमत रही हैं जिन्होंने अपने शहरियों को घरों से निकाल कर मारा। उनमें एक हिटलर था जिसने अपने शहरियों के एक सैक्शन को घरों से निकाला और गैस चैम्बर में डालकर दो मिनट में मौत के घाट उतार दिया। उस मौत में कम तकलीफ होती थी। सिर्फ एक-दो मिनट में गैस चैम्बर में डालते ही मौत हो जाती थी, लेकिन इसी दिल्ली में कांग्रेस की एक सरकार रह चुकी है, उस समय यू॰पी॰ में भी कांग्रेस की सरकार रही थी। उस समय मेरठ के हाशिमपुरवा और मलियाना से एक वर्ग के सैकड़ों लोगों को घरों से पकड़कर पुलिस वाले पहले थाने ले गए। वहां उनको खूब मारा और फिर बाद में ट्रकों में भर कर हिंडन नदी गंग नहर के किनारे ले जाकर तड़ातड़ गोलियों से भून दिया गया और लाशों को हिंडन नदी और गंग नहर में बहा दिया गया। हिंडन नदी और गगां नहर के किनारे मारे जाने वाले वर्ग की भारी आबादी रहती है। इसलिए पूरी नहर पर पहरा लगा दिया गया कि कहीं कोई इन लाशों को निकाल कर कफन-दफन न कर सके। जहां ये नदियां जंगल से बहती है, वहां इन लाशों को निकालकर जंगलों में दबा दिया गया। उनमें से जो चार आदमी बच गए, उन्हें गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया जहां पर इतना सख्त पहरा था कि उनसे कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति मिल नहीं सकता था।

सभापति महोदय, मैं कहां तक आपको इनकी फासिज्म की दास्तान बताऊं। अगर मैं इनकी फासिज्म की दास्तान बताने लगूंगा, तो हिटलर की भी रूह शर्माने लगेगी। जो फासिस्ट सरकार इस मुल्क में बरकरार रही, उसको इस देश के अवाम ने उखाड़ फेका। इसके लिए तो मैं इस देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि फिर उसी काली रात को वापस लाएं और कांग्रेस की सरकार को वापस आए।

सभापति महोदय : देखिए आजमी जी। इस प्रस्ताव पर बहस के लिए सिर्फ दो घंटे नियत किए गए थे, लेकिन अब तक 13 घंटे इस पर बहस हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपना-अपना समय समाप्त कर लिया है। इसलिए मैं आप सबसे दर्ख्वास्त करूंगी कि आप अपने भाषण दस मिनट में समाप्त करें।

आजमी साहब आप कृपया अपनी तकरीर दो मिनट में समाप्त करें। आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री इलियास आजमी : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में समाप्त करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कांग्रेस के जो कारनामें बयान किए हैं, उसके फासिस्टीराज का जो कच्चा चिट्ठा खोला है, उसकी विकृत मानसिकता का उससे जो परिचय मिलता है, वह अपने आप में एक मिसाल है। मैं कांग्रेस का राज 1947 से नहीं मानता हूं बल्कि मैं उसका राज 1885 से मानता हूं। और लोग भले ही कांग्रेस का राज 1947 से मानते होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने अपना राज चलाने और मशाविरा देने के लिए बनाया था। सिर्फ 1977 से 1979 के चन्द महीनों को छोड़कर इस देश में कांग्रेस 1885 से राज करती चली आ रही है। सन् 1989 में कुछ दिन के लिए बेदखल हुई थी फिर आ गयी धी लेकिन अबकी बार वह लौटकर नहीं आयेगी, इसका मुझे पूरा इत्मीनान है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि कांग्रेस ने मलियाना और हाशिमपुर में हिटलर के कान काटे थे। इस से बाद में आनेवाली किसी भी पार्टी को लाइसेंस नहीं मिलता है कि कांग्रेस ने 70 मारे थे तो हम 5 मार रहे है। कोई लाइसेंस नहीं मिलता है। जहां भी जुल्म हो उसकी निंदा होनी चाहिए और जहां जो पार्टी रूल कर रही हो उसके सदस्य अपनी सरकार पर दबाव डालकर जुल्म का तदारुफ करें और पुलिस ने जो गलती की है उसके लिए जब उन्हें भरपूर सजा मिलनी शुरू हो जायेगी तो पुलिस ऐसी गलती नहीं करेगी। पुलिस महाराष्ट्र की वही है। मुझे एक बात याद आ गयी। अभी कुछ दिन पहले हमें यहां से बेल्जियम भेजा गया था तो हम लोगों की ट्रेनिंग की गई फॉरन सैक्रेटी ने समझाया कि वहां ह्यूमन राइट्स और सी॰टी॰बी॰टी॰ की बात होगी तो आप सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मैंने डिप्टी स्पीकर साहब से कहा कि मेरे दो इन सवालों का मुझे जवाब देने दीजिएगा। मैंने जब उनको जवाब दिया तो पहली बात यह कही कि हमारी जो पुलिस है वह आप ही की बनाई हुई है। आपने उनको जितनी हयूमन राइट्स की शिक्षा दी थी, वह आप ही लोग जानते है क्योंकि यह आपकी ही बनाई हुई है। मैं यह कहता हूं कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है। शायद दो-तीन परसेंट ही होगी जो इस समय भर्ती हुई हो जिसकी ट्रेनिंग इन्ही के राज में हुई हो। बाकी सबकी भर्ती उन्हीं के राज में हुई है, ट्रेनिंग उन्हीं के राज में हुई है। गोली चलाने की ट्रेनिंग उन्होंने ही दी है, इंसान को मारने की ट्रेनिंग इन्होंने ही दी है। मैंने 12 की बात कही थी लेकिन 7 दिसम्बर 1992 को जहां दलितों पर फायरिंग हुई वहां एक किलोमीटर की दूरी पर गवंडी इलाके के बेगनवाड़ी में 90 आदमी पुलिस से फायरिंग करवा के मरवा डाले। सिर्फ़ 30 आदमियों को इन्होंने तसलीम भी की। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90 आदमियों पर इन्होनें एक बार फायरिंग

करके मार डाला और यहां पर इंसानियत की बात करने लगे हैं। मैं आखिर में यह कहूंगा कि वहां जो कुछ भी हुआ था सात मरे या पांच मरे, मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से और रूलिंग पार्टी के लोगों से कहूंगा कि वहां जिस भी पुलिस वाले ने बिना वजह जरूरत से ज्यादा गोली चलाई है, एक आम आदमी ही समझता है कि जरूरत से ज्यादा गोली चलाई हैं, उन सबको सजा दिलाइये। ज्युडिशियल इंक्वायरी तो होगी। आपने दो महीने का समय दिया है लेकिन मैं सदन में कहता हूं कि दो महीने या चार महीने में इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाये तो मैं आप सबको मिठाई खिलाऊंगा। इंक्वायरी अलग है और इंक्वायरी तक आप सजा भी दे सकते हैं। इंक्वायरी में बरी हो जायेगे तो फिर बहाल हो जायेंगे। उनको सजा दी जाये। मैं बहुत सफाई के साथ कहता हूं कि शिवसेना या बी॰जे॰पी॰ की ज्यादातर बातों से मैं मुख्तलिफ कभी नहीं रहा और न ही आज हूं। लेकिन जो कुछ वहां हुआ है उसमें...*(व्यवधान)* पूरा देश सुन रहा है, देख रहा है।

श्री बृज भूषण तिवारी : आप में और शिवसेना में कोई फर्क नहीं है।

श्री इलियास आजमी : आप वहां भाषण कर रहे थे।

सभापति महोदय : आप मुझे देखकर बोलिये।

श्री इलियास आजमी : 20 दिन पहले एक अखबार "दोपहर" है। उसी मुंबई में शिवसेना ने जरूर महानगर पर हमला किया था। मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत किया था। शिवसेना ने जरूर कुछ पत्रकारों को अपने मूवमैंट में पीटा था। यह उन्होंने बिल्कुल गलत किया था। इन लोगों ने अभी दोपहर अखबार जिसने दो लेख लिखे जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की, बहन कुमारी मायावती की तारीफ की तो यह उत्तेजित होकर गये। इन्होंने पूरे अखबार के दफ्तर का तहसनहस कर दिया। "दोपहर" अखबार के एडीटर यू॰पी॰ के ही हैं। श्री निजाम राईनी कायमगंज के रहने वाले हैं। इन लोगों ने उसके मालिक को इतना मारा कि वह कई दिन तक अस्पताल में पड़े रहे। ...*(व्यवधान)* सपा के लोग थे। ...*(व्यवधान)* समाजवादी पार्टी के थे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आपस में बातचीत मत करिये।

श्री इलियास आजमी : अगर मेरी बात गलत है तो आप इसका जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने जिस गुण्डा राज की तकमील यू॰पी॰ में की थी, वहीं अब महाराष्ट्र तक ले गये हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मेरी तरफ देखकर बोलिये और कन्कलूड कीजिए।

श्री इलियास आजमी : उत्तर प्रदेश के कलचर को...*(व्यवधान)* दोपहर अखबार को...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब समय आयेगा तब जवाब दे दीजिएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह क्या तरीका है। आप बैठिए। आप क्रॉस टॉक मत कीजिए। आजमी साहब, आप कनक्लूड कीजिए।

(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी : आखिर में मैं पूरी संसद के सामने, पूरे देश के सामने एक तज़वीर रखता हूं कि ऐसी निंदनीय घटना देश के किसी भाग में न हो। किसी भी मौब को, चाहं वह पोलिटिकल हो, धार्मिक हो या कोई और हो, वहां जब पुलिस भेजी जाए तो उसे रबर की गोलियां दी जाएं, शीशे की गोलियां न दी जाएं। यदि इस पर देश· राजी हो जाए तो मैं समझता हूं कि मुम्बई या इससे पहले कांग्रेस के दौर में जो होता रहा, वे घटनाएं नहीं घटेंगी।...*(व्यवधान)*

मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी संसद का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी बातों से कुछ लोगों को जरूर तकलीफ हुई होगी लेकिन पूरे सुकुन के साथ लोगों ने मेरी बातें सुनी।

सभापति महोदय : मैं सभी साथियों से अपील करूंगी कि समय बहुत लग चुका है। कृपा करके दस मिनट से एक सैकिंड भी ज्यादा न लें। इस बात का जरा ध्यान रखें।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : यह डिबेट कब तक चलेगी।

सभापति महोदय : अभी छः सदस्य बाकी है।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, इस पर बहुत देर से चर्चा चल रही है। मैं इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य मे इसके बारे मे बात रखना चाहूंगा। मेरे मित्र श्री शरद पवार साहब आज अस्वस्थ हैं, इसलिए यहां पर नहीं है। लेकिन यह दर्द जो दलितों के साथ उद्धम होता है, यह कांग्रेस का दिया हुआ है। अनुसूचित जाति और जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 श्री राजीव गांधी की देन थी और इसलिए थी कि किसी प्रकार से दलितों का वोट बैंक उनके पक्ष में आ जाए। यह कानून उतना ही टेढ़ा और काला है जितना टाडा, मीसा और रासुका लगा था। इसमें बहुत से संवैधानिक प्रावधानों का, संवैधानिक स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश की गई है। उस समय यह कोशिश की गई थी कि शायद इससे वोट बैंक बन जाएगा। लेकिन उस एक्ट का दुष्परिणाम यह हुआ कि जो भारत में दलित और गैर-दलितों की बीच में, अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति के बीच में प्यार और मोहब्बत का वातावरण था, गांव का कोई व्यक्ति जब दूसरे गांव मे जाता था और उस गांव के दलित की बेटी वहां दिखती थी तो वह उसे भी प्यार कर कुशलक्षेम लेकर व भेट देकर के आता था। लेकिन इस कानून ने, जो श्री राजीव गांधी के काल में 1989 में बना, उस समय आपस में इतनी कटुता पैदा कर दी, भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में इतना बड़ा हथियार दे दिया गया कि वह उनके लिए गैर-कानूनी तरीके से धन पैदा करने का, आपस में लोगों को लड़ाने का एक साधन बन गया। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि

[श्री भगवान शंकर रावत]

इस तरह का प्रावधान बनाकर सामाजिक वैमनस्य, पारस्परिक घृणा और द्वेष पैदा कर दिया गया।

हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कहते है। यहां पर अभी मेरे मित्र महाराष्ट्र के दलितों पर और अन्य प्रदेश के दलितों पर आंसू बहा रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्हीं के नेता, अच्छा होता श्री मुलायम सिंह यहां होते। वे सुबह थे लेकिन जब मेरा नम्बर आया तो वे जा चुके है। गांव-गांव में, एक-एक शहर में जाकर इस बात का अलख जगा रहे हैं तथा श्री मुलायम सिंह जी कहते घूम रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बना दीजिए, मैं दलित कानून को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं या उनके कोई और सज्जन हों तो बाद में बता दें। क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि केन्द्र सरकार कोई कानून बनाए और स्टेट गवर्नमैंट उसका इम्प्लीमैंटेशन रोक दे।

और इस तरह कहकर लोगों में जातीय उन्माद पैदा कर रहे है। नौजवानों से कह रहे हैं कि इसका विरोध करिये और इतना ही नहीं, वे साम्प्रदायिक और सामाजिक उन्माद खड़ा करने के लिए वहां दंगा कराने का प्रयास करते है।...*(व्यवधान)*

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : वे यील्ड नहीं कर रहे हैं। आप बैठिये।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं यील्ड नहीं कर रहा। आप पूरी बात को...

कुंवर सर्वराज सिंह : आपने अभी कहा कि जवाब दे दें। आपने अभी कहा कि जवाब दे दें तो मैं जवाब देने के लिए खड़ा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत : अभी सुन लीजिए। बाद को आप दे दीजिएगा। हां, मैं कह रहा हूं, यह कहा गया है। रक्षा मंत्री में अगर इतना नैतिक साहस हो कि ये सदन के फ्लोर पर मना कर दें तो मैं आपकी बात को मान लूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सर्वराज सिंह जी, आप बैठिये। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री भगवान शंकर रावत : और यह सब सारे अखबारों में छप रहा है। रक्षा मंत्री का यह भी कहना है कि दलितों का रिजर्वेशन समाप्त करके मैं मुसलमानों को दूंगा और यह कहकर उन्होंने आगरा के अन्दर दलितों और मुसलमानों के बीच में दंगा करा दिया। अभी आपको शायद यह जानकारी नहीं है कि रक्षा मंत्री जी क्या-क्या भाषण दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सर्वराज सिंह जी, आप बैठिये। आप बार-बार क्रास टाक मत कीजिए। मैं आपको मौका नहीं दूंगी, जो स्पीकर हैं, वे बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत : समूचे उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसा विषाक्त वातावरण पैदा कर दिया गया है। हर गली और मोहल्ले के अन्दर...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। डिस्टर्ब मत कीजिए। बाद में जब आपका समय आयेगा, तब जवाब दीजिएगा। अब आप बैठिये।. ..*(व्यवधान)*

कुंवर सर्वराज सिंह : उन्होंने उनको कोट किया है।

श्री भगवान शंकर रावत : दलितों के अन्दर और गैरदलितों के बीच में जिस तरह की खाई पैदा कर दी गई है कि उस खाई को पाटना मुश्किल हो रहा है। दंगे हो रहे हैं।

सभापति महोदय : आप बैठिये, मैं कह रही हूं।...*(व्यवधान)*

कुंवर सर्वराज सिंह : रक्षा मंत्री जी को इन्होंने कोट किया है और इन्होंने कहा है कि अगर वे बैठे हो तो जवाब दें। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं।

श्री भगवान शंकर रावत : रक्षा मंत्री जी को मैं कह रहा हूं, नाम लेकर कह रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, कानून मंत्री मुझे बता दें, गृह मंत्री मुझे बता दें, क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री इस कानून के प्रावधानों को लागू करने से रोक सकती हैं? क्या केन्द्र की सरकार के बनाए हुए कानून को, फैडरल सिस्टम मे कांस्टीट्यूशन के अन्दर कोई राज्य की सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन रोक सकती है? श्री मुलायम सिंह यादव जी ने आगरा के अन्दर कहा है, सूर सदन में भाषण देते समय उन्होंने कहा, मैं कैटोगोरिकली कहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप हर एक मिनट में खड़े हो जाते है।

श्री भगवान शंकर रावत : मेरे पास उसकी टेप मौजूद है। उनमें अगर नैतिक साहस हो तो वे मना करें। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं सदन को वह टेप दिखाने को, आपको सुनवाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि व्यापारियों की रक्षा करने के लिए मैंने धारा 347 ऐसे ही खत्म कर दी थी, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री था। उत्तर प्रदेश के अन्दर आवश्यक वस्तु अधिनियम मे यह प्रावधान है कि कुछ चीजों का नोटिफिकेशन वे रोक सकते हैं? वे उस आधार पर उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।

मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में, एक-एक गांव मे समाजवादी पार्टी के लोग आग लगा रहे हैं और इस प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : रावत जी, आप महाराष्ट्र पर बोलिये।

श्री भगवान शंकर रावत : दलितों पर यहां आंसू बहाये जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग आंसू बहा रहे है, यूनाइटेड फ्रण्ट के लोग आंसू बहा रहे हैं।...*(व्यवधान)* उसमें और प्रदेशों के दलितों के बारे में भी है, मुझे उन दलितों की भी चिन्ता है, जो आगरा मे लुटे

हैं, जो उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर लुटे हैं। कोई आवश्यक नहीं जो महाराष्ट्र की ही बात ठीक हो।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : जिनकी हत्या हुई है, उनकी भी तो कुछ बात करिये।...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत : महाराष्ट्र की आवश्यकता होगी तो उसे भी कहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र के गांव में मैं बाकी दलितों की और उत्तर प्रदेश के दलितो की, जिनका कोई दोष नहीं है, उनपर आक्रमण नहीं होने दूंगा। न मैं इस बात को बर्दाश्त करूंगा कि सवर्ण और दलितों की एक टेंशन क्रिएट करके, तनाव क्रिएट करके समूचे प्रदेश के अन्दर आग लगा दी जाये। इसलिए मैं उन लोगों को नंगा करना चाहता हूं और जो यहां पर एक भाषा बोलते हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर दूसरी भाषा बोलते हैं। यूनाइटिड फ्रण्ट के नेता एक भाषा यहां बोलते हैं, यूनाइटिड फ्रण्ट के पार्टनर, समाजवादी पार्टी के नेता और रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर दूसरी भाषा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के एक-एक जिले में जाकर वे इस तरह का आह्वान कर रहे हैं, उन्होंने कानपुर में जाकर भी नौजवानों से कल परसों भी आह्वान किया है कि आप खड़े हो जाइये और इस तरह का जो सवर्णवाद पैदा करके, जातीय कटुता पैदा की जा रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे ईमानदार हैं तो अपनी बात पर यहां पर संशोधन लेकर आयें या यूनाइटिड फ्रण्ट एक संशोधन प्रस्ताव लेकर आयें कि राजीव गांधी द्वारा बनाये गये इस कानून में जो-जो कमियां हैं, जो सामाजिक न्याय के विपरीत हैं, जिन भावनाओं का दुरूपयोग होकर सवर्णों और अनुसूचित जातियों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, वे भ्रष्ट अधिकारी, जो रिश्वत लेकर लोगों का उत्पीड़न करते हैं, उनकी खामियों का जायजा लिया जाये। लेकिन आज इस बहस में 19 घंटे या 10 घंटे की जो भी बहस हुई है, उसमें इस सदन में रचनात्मक पक्ष की बात नहीं की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह जी कहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं उनको दावत देता हूं, इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं, मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा तीन का खंड चार अधिकारियों को लूटखसोट के अधिकार देता है। मैं स्पेसिफिकली कोट कर रहा हूं : "अनुसूचित जाति और सामान्य जनों के मध्य खाई पैदा करता है, संविधान के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का हनन करता है", इस प्रावधान में इतना ही संशोधन कर दिया जाये।

अपराह्न 5.00 बजे

कि "इस प्रावधान को लागू करने के पहले सामान्य कानूनों की पद्धति अपनाई जाएगी और सामान्य कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति यह अपराध करता है तो वह अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा।" यदि इतना कर दिया जाए तो इन लोगों का उत्पीड़न समाप्त हो सकता है। हम चाहते हैं उनको न्याय मिले, वे विकास की गंगा में भागीदार हो सकें और सामाजिक समरसता पैदा करें। लेकिन सामाजिक समरसता पैदा करने के नाम पर अधिकारी संवैधानिक कानूनों और प्रावधानों की हत्या कर रहे हैं। आपने ऐसे लोगों के हाथ में ताकत दे दी है, जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अनेक अधिकारी जो समाजवादी पार्टी से प्रभावित है, वे इसका दुरूपयोग कर रहे हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टा देने के लिए उनसे पांच हजार रुपये ले रहे हैं। आगरा में ऐसे केस हुए हैं और हमें दलितों ने आकर बताया है कि हमसे पांच हजार रुपये पट्टा देने के लिए गए हैं। जबकि काश्तकारों व सवर्णों को कहते हैं कि आपका आचरण सही नहीं है, हम तुम्हारा चालान करेंगे। कुछ केसेज में तो इस आधार पर उनसे बीस हजार रुपये तक घूस ली जाती है।

यह सदन देश की सर्वोच्च संस्था है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम उनको वास्तव में न्याय देना चाहते हैं या नहीं? जब इस प्रकार का उन पर अत्याचार होता है तो इससे देश में और प्रदेश में केवल वैमनस्य ही बढ़ता है।

उत्तर प्रदेश में भूमि की चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जहां अभी डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ, वहां भी अधिकारी लोग कहते हैं कि हम पट्टा काटेंगे। जबकि उन्हें यह पता नहीं कि ग्रामसभा की जगह कहां है। अधिनियम में प्रावधान है कि डिप्टी कलेक्टर मंशा जाहिर कर दे कि हमें पट्टा काटना है और उसके बाद पैसा लेकर अनुसूचित जाति के लोगों को दे या न दे तो भी वह चाहे तो किसी व्यक्ति से पालन करा सकती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को सुधारना होगा इसलिए मैं लड़ना चाहता हूं कि आप संशोधन लेकर आएं या यह सदन कोई ऐसी कमेटी बनाए जो एक बार इस अधिनियम के इम्पलीमेंटेशन के बाद जो परिस्थिति बनी है उसका आकलन करके जिन संशोधनों की आवश्यकता हो वह करें। तभी इस देश के हरिजनों का, अनुसूचित जाति वाले लोगों का और सवर्ण जाति के लोगों का भला हो सकेगा और परस्पर जो वैमनस्य है, वह समाप्त होगा। जिस भाईचारे की हम बात करते हैं, वह भी तभी पैदा हो सकेगा।

समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव में जाकर जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं अगर सामाजिक समरसता बनाए रखनी है तो दलितों का गला घोटकर नहीं हो सकती, बल्कि ऐसा कानून बनाएं जिससे सभी लोगों को न्याय मिले। आप न सवर्णवाद फैलाएं और न ही दलितवाद फैलाएं, बल्कि ऐसी व्यवस्था करें जिसमें ये दोनों लोग आसानी से रह सकें और दोनों को न्याय मिले। लेकिन यहां मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर आप दलितों पर अत्याचार करने के लिए लोगों को उकसाते हैं और दंगा करने के लिए आपस में वैमनस्य पैदा कराते है। यह बात ठीक नहीं है। आगरा में मनटोला में दलितों के साथ झगड़ा हुआ वहां यह झगड़ा समाजवादी पार्टी के नेताओं के उत्तेजक भाषणों के कारण हुआ। उस फसाद में एक अल्पसंख्यक मारा गया और कई अल्पसंख्यकों व दलितों की लाखों की सम्पत्ति को जला दिया गया। यही नहीं आगरा के आसपास और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देहातों में भी ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि आपस में लोगों में दंगा फैलाया जाए फिर

[श्री भगवान शंकर रावत]

कहा जाए कि कानून का पालन नहीं हो रहा है इसलिए धारा 356 के तहत प्रदेश सरकार भंग कर दी जाए। दूसरी तरफ इनके नेता मुलायम सिंह जी जैसा कहते हैं वगैरह उत्तर प्रदेश सरकार यदि कि इस कानून की अनुपालना छोड़ दे तो इसका परिणाम यह होगा कि केन्द्र सरकार कहेगी कि यह केन्द्र का कानून है। इस एक्ट का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है इसलिए उसको भंग कर दिया जाए। यह आप जनतंत्र का और संविधान की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं।

मेरी समाजवादी पार्टी के मित्रों से अपील है कि जिस तरह से आप समूचे देश और प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं, दलितों को नष्ट करना चाहते हैं, अन्य जातियों के लोगों को भड़काकर वर्गसंघर्ष कराना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें सवर्णों का भी अहित आप कर रहे हैं। फिर पुलिसिया उत्पीड़न भी प्रारम्भ हो जाएगा, आप अपने घर बैठ जाएंगे। वे कष्ट सहेंगे। इससे सामाजिक समरसता भी नष्ट होगी। इसके लिए संयुक्त मोर्चा सरकार को मेरी अपील है कि वह इस मामले को देखे कि आखिर उनके दल के एक नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं और दूसरे दल के नेता दूसरी तरह की भाषा बोलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वह सारी स्थिति का स्पष्टीकरण करे। मुलायम सिंह जी के अखबारों में जितने भी बयान छपते हैं, संयुक्त मोर्चा सरकार उनका जायजा ले और फिर प्रधानमंत्री सफाई दे कि भारत सरकार की नीति क्या है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : समाजवाद को अगर चैलेंज कर रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ...*(व्यवधान)* आप हमको मौका दे दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

कुंवर सर्वराज सिंह : आप इधर तो बिठा रही हैं और उन्होंने. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

कुंवर सर्वराज सिंह : इस तरीके से कैसे सदन चलेगा?

सभापति महोदय : आप लोग कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क : अगर मंत्री जी नहीं है तो इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं।...*(व्यवधान)* हम उनकी पार्टी के आदमी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नाम नहीं है, इसलिए नहीं बुलाऊंगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति (अमलापुरम) : धन्यवाद महोदया।

विगत 48 वर्षों से महाराष्ट्र अपने औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। यह वित्तीय संरचना का एक बहुत बडा केन्द्र है, जो किसी भी अन्य राज्य के विकास के लिए एक जीता-जागता उदाहरण है। यह सब किसने दिया है। यह कांग्रेस सरकार ही है जिसने यह सभी दिया है।

अपराह्न 5.05 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

उस महान कांग्रेस दल द्वारा निर्मित संस्कृति और संस्थान को हम नष्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र आज जिस पथ पर अग्रसर हो रहा है उसे देखकर मुझे अत्यधिक दुख होता है।

उप-निरीक्षक, जिसने गोलीबारी की थी, को पुलिस उपायुक्त को जाति के नाम से सम्बोधन करने के लिए पी॰सी॰आर॰ अधिनियम के अंतर्गत मुअत्तल कर दिया गया है। उसे गोली चलाने के लिए भेजा गया था। महाराष्ट्र की पुलिस ऐसी संस्कृति के लिए नहीं जानी जाती है। महाराष्ट्र की वर्तमान प्रशासन उस संस्कृति को नष्ट करने पर तुली हुई है। पूरे देश में यहां की संस्कृति सबसे अच्छी थी। किसके दिशा निर्देशन में यहां की संस्कृति अच्छी रही थी? यह कांग्रेस के दिशानिर्देशन में अच्छी थी। अब वे वैसी प्रशासन को, जाति परायणता वाले लोगों को वहां भेजकर, जिन्हें दलितों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती, जिन्हें गरीबी के प्रति कोई चिंता नहीं होती और जो यह नहीं चाहते कि देश में समानता स्थापित किया जा सके। बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को पी॰सी॰आर॰ अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है उसे भीड़ को नियंत्रित करने का प्रभार सौंपा गया था पर उसने बिना कोई सावधानी बरते उन लोगों पर गोली चला दी। कुल 50 बुलेट (गोली) चलाने के परिणामस्वरूप 49 लोगों की मौत हो गई।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर 100-पौइंट रोस्टर को 200 पौइंट रोस्टर करने पर कुछ चर्चा हुई थी। इसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि इस प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों का कोई नुकसान नहीं हुआ था। आपके माध्यम से महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे अनुसूचित जातियों का काफी नुकसान होगा क्योंकि 100 पौइंट रोस्टर के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए रिक्तियां पहले स्थान पर होगी जबकि 200 पौइंट रोस्टर के अंतर्गत उनके लिए ये रिक्तियां सातवें स्थान पर चली जाएंगी। क्या यह एक नुकसान नहीं है? यदि आप इसे नुकसान नहीं समझते तो मुझे दुख के साथ कहना पडेगा कि मेरे पास स्पष्टीकरण देने को और कुछ नहीं है।

महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार अनुसूचित जातियों को बांटने की कोशिश कर रही है। अनुसूचित जातियों में कुल 50 या 60 जातियां हैं। अब वे आंध्र प्रदेश की भांति ही उन्हें विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने वहां की अनुसूचित जातियों को क,ख,ग, और घ की चार श्रेणियों में बांट दिया है। उनका कहना है कि इसमें से क श्रेणी वाले लोगों ने सबसे कम प्रगति की है, ख वालों ने उससे थोडा ज्यादा, ग वाले उससे ज्यादा और घ वाले सबसे अधिक प्रगति की है।

यदि अनुसूचित जातियों के बीच सबसे अधिक गरीब जाति के लोग हैं तो उन लोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन पर धन का 95 प्रतिशत भाडा व्यय करना चाहिए। आप इन उप-जातियों के बीच अनावश्यक विवाद का निर्माण क्यों करना चाहते हैं? आपके दल का भगवान ही मालिक है। भगवान ऐसी चीज कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। आप एक ऐसे समुदाय को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने पैरों खड़ा होना चाहते हैं और अपने ऊपर हुए जुल्म से मुक्ति पाने के लिए अभी भी संघर्षरत हैं।

हम अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि उनके लिए यह स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ है? अनुसूचित जातियों के लिए ये पचास वर्ष जुल्म और अत्याचार के रहे हैं। सत्ता में कोई भी दल हो सकता है लेकिन वर्तमान सत्ताधारी दल महाराष्ट्र मे इन चीजों की अधिक शक्ति से दुहरा रही है। आपने महाराष्ट्र में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिलाधीश को तैनात किया है? कांग्रेस सरकार 10 या 15 जिलाधीशों और 10 या 15 पुलिस अधीक्षकों को तैनात किया करती थी। अब आपके पास कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग हैं? इस समय आपके पास चार जिलाधीश और तीन पुलिस अधीक्षक हैं।

आपने एक विशेष सहायक योजना भी बनायी है। आपके वार्षिक योजना का 22 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास पर व्यय किया जाना चाहिए। क्या आप इसे क्रियान्वित कर रहे हैं? आप उसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के अंतर्गत ग्रामीण विकास का 50, 60 या 70 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों पर व्यय किया जाता था। अब उन तक कितना पहुंच रहा है? अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मात्र 20 प्रतिशत भाग ही पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त आप, उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं, ने कोई विकास योजनाएं शुरू नहीं की है। आप ऐसी योजनाएं वहीं प्रारम्भ कर रहे हैं जहां ये आपके हित में होता है। कांग्रेस सरकार ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए 950 करोड़ रुपए व्यय किया था। आपने विगत दो वर्षों में ऐसा करने के लिए क्या किया है? क्या आपने शुष्क शौचालयों को समाप्त कर दिया है? क्या आपने यह सुनिश्चित कर दिया है कि जो लोग सिर पर मैला ढोते थे अब ऐसा नहीं करेंगे। यह एक शर्मनाक कार्य है। इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे यह जानकर शर्म महसूस होती है कि इस शताब्दी में भी हमारे भाई-बहनों को सिर पर मैला ढोने के लिए बाध्य किया जाता है।

दि हिन्दुस्तान टाईम्स का कहना है कि श्री बाल ठाकरे और श्री अरूण गावली में अब समझौता हो गया है। मैं नहीं जानता कि दो भिन्न-भिन्न मतों के लोगों ने कैसे आपस में शांति स्थापित किया। यदि आप शांति बहाल कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छी बात हैं लेकिन आप जानते हैं कि श्री गावली अपराध जगत का एक खतरनाक आदमी है। यदि वह शांति का पहल करता है तो यह स्वागत योग्य कदम है। शांति बहाल करने की दिशा में प्रयत्न जारी रखें।

बाल ठाकरे के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपने डा॰ अम्बेडकर की मूर्ति को ही नष्ट करने के लिए क्यों चुना? आपने किसी अन्य मूर्ति को क्यों नहीं चुना? मेरे प्रिय मित्रगण, यदि भगवान राम या भगवान कृष्ण की मूर्तियों पर यह हमला होता तो आपको कैसा लगता? डा॰ अम्बेडकर उन लोगों के लिए भगवान स्वरूप हैं। श्री अरूण शौरी का कहना है कि वह भगवान नहीं है। वह एक झूठा भगवान है। उन्हें भगवान या झूठा भगवान कहने वाले वह कौन हैं।. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : आरोप लगा रहे हैं, अम्बेडकर जी का पुतला मिला...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने समय में जवाब दीजिएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति : मैं कोई व्यवधान नहीं चाहता हूं। मैंने आपको कभी भी व्यवधान नहीं पहुंचाया। नहीं, मैं बैठना नहीं चाहता. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा। उस समय आप जवाब दीजिएगा। व्यवधान न डालें। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप बालासाहिब ठाकरे जी के बारे में कह रहे हैं कि उनको डा॰ अम्बेडकर जी का पुतला मिला। यह आपने कैसे बोला?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए। उन्हें बोलने दें। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति : मैं महाराष्ट्र मात्र की ही आलोचना नहीं कर रहा। मैं उन सभी बातों की आलोचना कर रहा हूं जो भारतीयों के साथ इस देश में हो रहा है। मैं उस एक बड़े राज्य का हवाला दे रहा हूं जिसके बारे में मुझे गर्व है। मैं समझता हूं कि इस देश की औद्योगिक विकास में महाराष्ट्र का अत्यधिक योगदान रहा है। अन्य सभी राज्य महाराष्ट्र की नकल कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा वित्तीय केन्द्र है। सभी राज्य इसके लिए मुम्बई का दौरा करते हैं। अब आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि साम्प्रदायिकता के नाम पर इसे बर्बाद न करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : हम डेवलप कर रहे हैं, डिस्ट्राय नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवधान न डालें।

श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति : आंध्र प्रदेश का नाम लेकर मैं अपने मित्रों को खुश करना चाहता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूलेटीकुरू नामक एक स्थान है। वहां अनेकों बार अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा था। अनुसूचित जातियों के दो लड़कों के बाल मुण्डवा दिया गया, भौंवे मुण्डवा दिया गया और उनकी हजामत बना दी गई। कितनी लज्जा की बात है? क्या हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो प्रभुसत्ता संपन्न है क्या आप इसे एक प्रभुसत्ता संपन्न देश कहते हैं? इसलिए मेरे मित्रों आप भ्रम में न रहें। ऐसा केवल महाराष्ट्र में ही नहीं हो रहा है अपितु अन्य राज्यों में भी हो रहा है। चूंकि यह चर्चा महाराष्ट्र पर हो रही है इसलिए महाराष्ट्र के बारे में जो मेरा अनुभव है उसे बताना मेरा अधिकार है।

आंध्र प्रदेश में एक विधानसभा सदस्य को पी॰सी॰आर॰ के अधीन गिरफ्तार किया गया था जो जेल में राजा के जैसा रह रहा था। जेल में रहते हुए भी उनका खाना घर से आता था और वह बाहर आकर आर॰ एण्ड बी॰ के बंगला में आकर मंत्री से मुलाकात करते थे। भारत में कानून और व्यवस्था की यही स्थिति है। मुझे शर्म आ रही है। यह अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजातियों को सहन न करने की बीमारी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक हिन्दु में यह बीमारी है। मैं श्री स्वामी विवेकानन्द जी की उस बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो उन्होंने सैंकड़ो वर्षों पहले कही थी। उन्होंने कहा था :

"क्या आप यह कहना चाहते हैं कि"

"मैं एक जाति ग्रस्त, अंधविश्वासी, निर्दयी, दोगले, डरपोक की तरह जीने और मरने के लिए पैदा हुआ हूं जो आप केवल पढ़े लिखे हिन्दुओं में देख सकते हैं?"

मुझे बहुत अफसोस है। क्या हममें स्वामी विवेकानन्द के उस चित्रण "निर्दयी और दोगले" से परिवर्तन आया है? कृपया उस हिन्दू समाज का स्वरूप देखिए जिसमें हम रह रहे हैं और उसका एक प्रतीक महाराष्ट्र की इस घटना में देखने को मिलता है। जब कुछ होता है और ऊंची जाति के लोग उसमें शामिल होते हैं तो कोई गोलीबारी नहीं होती है। वे उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर ऊंची जाति के किसी व्यक्ति द्वारा बस जलाई जाती है तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। यदि उसे गिरफ्तार भी किया जाता है तो वह भी केवल जमानती वारन्ट पर। अगर ऐसे कृत्य में अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति शामिल होता तो यह एक गैर-जमानती अपराध होता।

मुझे यह कहना है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पुलिस का पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया है। महाराष्ट्र में शिव सेना की पोशाक और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की पीली कमीजें पहनने वाले शत प्रतिशत राजनीतिकृत है। जो भी स्थानीय विधायक कहते हैं वही नियम है। माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। क्या वहां गृह मंत्री की हुकूमत चलती है? नहीं चलती है। वहां पार्टी की हुकूमत चलती है। इसी प्रकार आप इन राज्यों में उन भाग्यहीन लोगों का अपमान करते हैं।

अनुसूचित जाति के एक अतिरिक्त कोरोनेर पर उसके कार्यालय में ही हमला हुआ था। क्या किसी ने उस घटना की निंदा की है? वे कहते हैं कि उन पर शिव सेना के लोगों ने हमला किया था और वे मुम्बई के रहने वाले हो सकते हैं। क्या इससे भी बुरी बात हो सकती है?

जब श्री पी॰वी॰ नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री थे तो मुख्य मंत्रियों की एक सम्मेलन हुआ था। उन्होंने कई संकल्प पारित किए थे। उनमें से एक अत्याचारों के बारे में था। उन्होंने कहा था, "प्रत्येक अत्याचार की एक विशेष न्यायालय द्वारा जांच की जानी चाहिए। किसी भी राज्य सरकार को विशेष न्यायालय नियुक्त करने में कोई रुचि नहीं है। अब, आपने न्यायिक जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं? उस न्यायिक जांच का क्या हुआ? यह जांच दो-तीन महीनों तक चली। एक रिपोर्ट सामने आती है। सभी इस घटना के बारे में भूल जाते हैं। फिर सारी बात दब जाती है। अधिकांश न्यायिक ओर दंडाधिकारीय जांचों का यही नतीजा होता है। मेरा अनुरोध है कि उन पर अभियोग लगाया जाए, उप-अधीक्षक तथा उन कान्स्टेबलों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोग लगाया जाए, जिन्होंने गोलीबारी से दस लोगों की जानें लीं थी उन्हें जेल में डालकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। यही वास्तविक न्याय होगा न कि न्यायिक जांच।

मैं जानता हूं कि कितने व्यक्तियों के साथ बलात्कार हुआ। आगजनी की घटनाएं हुई हैं। घरों को आग लगाई गई फिर भी कुछ नहीं हुआ। देश भर में अत्याचार के पच्चानवें हजार मामले लम्बित हैं। उनका क्या हो रहा है? मेरे प्रिय मित्र अत्याचार निरोधक अधिनियम की बात कर रहे हैं। केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने कहा था "ऐसा नहीं होना चाहिए" यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि अत्याचार निरोध के अधिनियम के बावजूद सजा केवल 10 प्रतिशत मामलों में होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत जिन 90 प्रतिशत लोगों

पर अभियोग लगाया गया था, उन्हें छोड दिया गया है। इन मामलों की प्रगति के सम्बन्ध में बरती जाने वाली ईमानदारी का यह हाल है। आप पुनर्वास की बात करते हैं। आपके विचार से उनके जीवन का मूल्य केवल 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपये है। कुछ और नई बात कीजिए। पूरे परिवार का पुनर्वास होने दो। बच्चों को स्थानीय स्कूलों में डाला जाए। स्नातक स्तर, स्नात्कोत्तर स्तर या जहां तक वे पढ़ना चाहें उनका ध्यान रखा जाए। अगर भूमि उपलब्ध हो तो उन्हें वह उपलब्ध करवाई जाए। उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए क्योंकि यह बड़प्पन की निशानी है। पुनर्वास ऐसा होना चाहिए न कि 1 लाख या 2 लाख रुपये देकर खजाने या कोष में डालना। जाति की यह लड़ाई बंद होनी चाहिए।

अब मैं श्री अरूण शोरी की बात करता हूं। वह अपनी पुस्तक "बरशिपिंग फाल्स गॉड्स" में क्या कहते हैं। हमने संसद भवन के बाहर पुस्तक जला दी थी। संसद के भीतर भी इसके टुकड़े किए गए थे।...*(व्यवधान)* श्री अरूण शोरी का इन्टरव्यू लिया गया था।... *(व्यवधान)* वे कहते हैं, "मैंने केवल वही कहा जो डा॰ अम्बेडकर ने कहा था।" महाराष्ट्र सरकार ने सभी 14-15 खण्ड प्रकाशित किए हैं। मैंने अधिक कुछ नहीं कहा था।

वह मेरे भगवान हैं। वह सभी दलितों के भगवान हैं। अगर मैं कहता हूं कि भगवान कृष्ण एक झूठे भगवान है तो क्या वह इससे सहमत होंगे? अगर मैं कहता हूं कि भगवान राम झूठे भगवान हैं तो क्या वह इससे सहमत होंगे? अब क्या यह उससे अधिक नहीं है? वह कहते हैं कि यह एक कल्पना है। वह कहते हैं कि डा॰ अम्बेडकर द्वारा संविधान लिखा जाना एक कल्पना था। मैं डा॰ राजेन्द्र प्रसाद, संविधान सभा के सभापति, के शब्दों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्होंने डा॰ अम्बेडकर के बारे में कहा था :

> "मैंने महसूस किया है कि जितने उत्साह और समर्पण के साथ मसौदा समिति के सदस्यों विशेषकर इसके अध्यक्ष डा॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर ने अपनी अस्वस्थता के बावजूद कार्य किया उतना और कोई नहीं कर सकता था। हम न तो उतना अच्छा निर्णय ले सकते थे न ही उतने सही हो सकते थे जितना कि उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाकर कर सके। उन्होंने न केवल अपने चयन की पुष्टि की बल्कि अपने काम को भी नई शोभा प्रदान की।"

परन्तु श्री शोरी कहते हैं कि यह कल्पना थी; उनके द्वारा संविधान लिखना एक कल्पना थी। श्री शोरी द्वारा यह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था।

डा॰ अम्बेडकर एक महान राष्ट्रवादी थे। उन्हें कहा था कि डा॰ अम्बेडकर एक कांग्रेसी नहीं रहे होंगे। वे एक देशद्रोही थे न कि कोई कांग्रेसी। महात्मा गांधी सहित कई हिन्दुओं से उनकी झड़पें हुई थी। हां, डा॰ अम्बेडकर ने कहा था कि वह महात्मा गांधी से नफरत नहीं करते थे परन्तु वह उन्हें नहीं चाहते थे क्योंकि वे महात्मा गांधी से ज्यादा अपने देश को चाहते थे। इसी कारण वह उन्हें नहीं चाहते थे। उनमें यह कहने का साहस था। मुझे बताइए किस भारतीय में यह कहने का साहस है? किस भारतीय में साहस है कि वह सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे सके? डा॰ अम्बेडकर का ही ऐसा साहस था। उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित करने की कसम खाई थी। ऐसे थे डा॰ अम्बेडकर। टैगोर ने उनके बारे में कहा था :

> "जब तक समाज अव्यवस्थित रहता है, राजनीति में कोई न्याय नहीं हो सकता।"

क्या यहां हमारे पास कोई न्याय है?

श्री शोरी कहते हैं कि उन्हें 'भारत रत्न' देना गलत था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा था परन्तु वही उल्लेख किया था जो डा॰ अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों में कहा है। और उसके लिए लोग उनकी पुस्तकों इत्यादि को जलाने जैसा काम कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। वह कहते हैं कि डा॰ अम्बेडकर ने ऐसे ब्रिगेड को प्रोत्साहित किया जो मांग करता है और फिर निन्दा करता है। वह कहते हैं कि मैं डा॰ अम्बेडकर के पक्ष में बात कर रहा हूं मैं उसे डिनाउसिंग ब्रिगेड का नाम देता हूं। शोरी कहते हैं कि वह केवल सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं कुछ और नहीं केवल सच। वह केवल वही कह रहे थे जो डा॰ अम्बेडकर ने कहा था। वे वही दोहरा रहे थे जो डा॰ अम्बेडकर ने देश के लिए किया था उससे अधिक नहीं।

श्री शोरी कहते हैं कि डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमाओं की संख्या महात्मा गांधी की प्रतिमाओं से कहीं अधिक है। केरल के धार्मिक नेता श्री नारायण गुरू का स्थान भी डा॰ अम्बेडकर से अधिक नहीं था। इस बारे में कोई क्या कर सकता है? अगर लोग अपने आप प्रतिमाएं स्थापित करते हैं तो हम उन्हें महात्मा गांधी या श्री नारायण गुरू की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि कोई भी राजनैतिक दल गांव के किसी व्यक्ति को डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। वे अपने आप यह कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेरे संसदीय क्षेत्र में, प्रत्येक बस्ती में, जहां 200 या 300 व्यक्ति हैं, डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा है। अगर वे महात्मा गांधी या नारायण गुरू की प्रतिमाएं नहीं स्थापित करते तो मुझे इस बात का दुख है कि हम उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और इसे शोरी कहते हैं कि यह ठीक नहीं है।

उदाहरण के लिए महान मराठी नेता महात्मा फुले को ही लें। उन्होंने जाति के विरूद्ध विद्रोह की बात कही थी – जाति सभी लोगों के लिए मानवाधिकारों को नकारती है और वह उसके लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि छूआछूत को दूर किए बिना *स्वराज* निरर्थक है। यही बात डा॰ अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कही थी। गांधी जी ने कहा था कि छूआछूत हटाए बिना; समानता लाए बिना; प्रत्येक भारतीय को भारतीय समझे बिना; उसे विकास के सभी मौके दिए बिना स्वराज निरर्थक है।

[श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति]

वही बातें डा॰ अम्बेडकर द्वारा भी कही गई और श्री शौरी ने कहा कि डा॰ अम्बेडकर राष्ट्रीय नेता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ठगा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण पूरा कीजिए।

श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति : महोदय, मैं बस अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं। चेन्नई में एक ऐसा उदाहरण है। राज्य की एक परिवहन कम्पनी का नाम सुन्दरालिंगनगर परिवहन निगम रखा गया और हिन्दुओं ने उसमें घुसने से इन्कार कर दिया।

आखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं डा॰ अम्बेडकर ने जो संविधान सभा में कहा था, उसे उद्धृत करना चाहता हूं:–

> "हमें जल्दी से जल्दी असंगतता को समाप्त करना चाहिए। अन्यथा असमानताओं की शिकार जनता राजनीतिक प्रजातन्त्र को ध्वस्त कर देगी।"

यदि आप इन असमानताओं को काफी अधिक समय जारी रखेंगे जो आज इससे पीड़ित है वे राजनीतिक प्रजातन्त्र को ध्वस्त कर देंगे।

"इस तथ्य में कोई शक नहीं कि इस देश में राजनीतिक सत्ता केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में रही है और शेष लोग इसके शिकार ही बन कर रह गए हैं। ये दलित वर्ग दब दब कर तंग आ चुके हैं। वे स्वशासन के महत्वाकांक्षी है। दलित वर्गों में उद्भूत हुई इस आत्म-ज्ञान को वर्ग संघर्ष या जाति संघर्ष का रूप लेने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।"

चलिए हम सभी मिल जाएं और डा॰ अम्बेडकर की इस देश को एकताबद्ध करने की इच्छा को पूरा करें। जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा 'वैदिक मन और इस्लामी तन' इस देश का चरित्र है। देश के ठीक सोच वाले और सार्थक रूप ले विचारशील लोगों को इन निष्कर्षों को अपने वास्तविक रूप में अपनाने का हक है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस संसदीय दल के नेता शरद पवार जी ने जो प्रस्ताव यहां सदन में रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुई दुर्गति से संबंधित यह प्रस्ताव इस सदन में आया है। कांग्रेस की महाराष्ट्र में जो दुर्गति हुई है, उसके लिए भी शरद पवार जी जिम्मेदार हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र से... *(व्यवधान)* मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। शरद पवार जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है और महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, उसके जिम्मेदार स्वयं शरद पवार जी है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि सुधाकर नाईक जी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जाता जो शायद यह दिन उनको देखने नहीं पड़ते, शायद इनकी यह नौबत नहीं आती और इस सदन में 184 के तहत महाराष्ट्र के ऊपर यह चर्चा करने की नौबत नहीं आती।. ...*(व्यवधान)*

शरद पवार जी देश के रक्षा मंत्री थे। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। वह उनका अन्दरूनी मामला है। जब महाराष्ट्र मे कांग्रेस का राज था तो सुधाकर नाईक चाहे मुख्यमंत्री रहे या शरद पवार जी रहे, यह उनका अन्दरूनी मामला है। मैं उनके इस मामले में दखल नहीं देना चाहता। सुधाकर नाईक जी को किस हालात में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, किस स्थिति में उनको वहां से हटाया गया और उनकी क्या गलती थी? उनकी यह गलती थी कि उन्होनें मुम्बई के बड़े-बड़े माफिया गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। उन्होंने पप्पू कलानी और भाई ठाकुर नाम के माफिया के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। उस समय सुधाकर नाईक मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अचानक क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं? क्या साक्षात्कार हुआ मालूम नहीं? लेकिन सुधाकर नाईक जी जो सही काम कर रहे थे, उसमें रूकावट डालने का काम शरद पवार जी ने किया...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। सुधाकर नाईक जी को वहां से हटाया गया। हमारे रक्षा मंत्री जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन कर गए।

महाराष्ट्र में हुए हादसे के बारे में जो निन्दा प्रस्ताव इस सदन में रखा गया है, उसके पीछे जो मानसिकता है, वह मैं सदन और आपके सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव इस सदन के सामने क्यों आया? कांग्रेस को इस संबंध मे क्या दुख और दर्द है, वह बताना चाहूंगा। श्री सुधाकर नाईक को वहां से हटाया गया तो शरद पवार को मुख्य मंत्री बनाया गया। वे चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या स्थिति है? आज शरद जी यहां संसदीय दल के नेता बने बैठे हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद् में विपक्ष के नेता छग्गन भुजबल हैं। श्री पृथ्वीराज ने बताया कि छग्गन भुजबल सब्जी बेचने का काम किया करते थे और आज विधान परिषद् मे विपक्ष के नेता है। उन्होंने सत्य नहीं बताया। हां, अर्द्ध सत्य जरूर बताया। यह नहीं बताया कि वे पहले शिव सेना मे थे और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे को अपना पिता मानते थे। बाला साहेब ने उन्हे मुम्बई कारपोरेशन का कारपोरेटर बनाया, बाद में विधान सभा का दो बार सदस्य बनाया और दो बार मुम्बई कारपोरेशन का मेयर भी बनाया। इसलिये जो भुजबल एक अवसरवादी आदमी है, उसे आप आज गांधीवादी समझ रहे है। वे पहले शिव सेना मे थे लेकिन मंत्री बनने के लिये कांग्रेस मे चले गये। उन्होंने कभी सोचा भी न होगा कि एक दिन शिव सेना शासन मे आ जायेगी। जिन्होनें यहां पर प्रस्ताव रखा है, इन लोगों का इतिहास है कि कैसे विधायकों को खरीदा जाता है, कैसे पार्टी तोड़ी जाती है और सत्ता कैसे हासिल की जाती है। यह इन लोगों की परम्परा रही है। एक अवसरवादी व्यक्ति भुजबल ने मंत्री बनने के लिये शिवसेना छोड़ दी। मैं जानता हूं कि

भुजबल माली है जो पिछड़ी जाति है। मै खुद पिछड़ी जाति से हूं। वे बड़ी बड़ी सभाओं में कहा करते थे कि बाला साहेब मेरे पिता है और अगर बहुजन समाज को इज्जत दी है तो वह बाला साहेब ठाकरे ने दी है।

श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति जी, जो व्यक्ति यहां नहीं है, उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड) : वे विपक्ष के नेता भी है उन्हें उनका नाम सम्मानपूर्वक लेना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात जारी रखने दे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं कोई आरोप तो लगा नहीं रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम तो कई लोगों ने यहां पर लिया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, मैं तो नाम आदर के साथ ले रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं तो जो वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में कह रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं कि मंत्री बनने के लिये शिव सेना से गद्दारी करके चले गये...*(व्यवधान)*

श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी : उपाध्यक्ष जी, गद्दार शब्द अनपार्लियामेंटरी है, इसको रिकार्ड में नहीं आना चाहिए।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष जी, उसने गद्दारी की है, शिव सेना प्रमुख बाला साहेब से गद्दारी किया है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या हालत है। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता भुजबल है। क्या कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं रहा जो महाराष्ट्र का नेतृत्व करता? उनके नेता, जिन्होने यह प्रस्ताव यहां रखा है, स्व॰ इन्दिरा जी, स्व॰ राजीव जी को गालियां देते थे। जब उन्होनें कांग्रेस छोड़ दी और महाराष्ट्र में पी॰डी॰एफ॰ की गवर्नमेंट बनाई तो पत्रकारो ने उनसे पूछा था कि आप कांग्रेस में वापस जायेंगे?

उन्होंने जवाब दिया था जो सभी अखबारों में छपा है कि एक बार मैं संन्यास लेकर हिमाचल जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में लौटकर कभी नहीं आऊंगा। क्या हालत है कांग्रेस की? वही शरद पवार जी आज इनकी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं। हिन्दी में एक कहावत है-"बूंद से गई तो हौज से नहीं आती" लेकिन इनको हौज से गई है वह 184 के माध्यम से लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह इनके नेता हैं। मैं आपको इनकी मानसिकता बताना चाहता हूं। किस विषय पर चर्चा हो रही है? कौन से मुद्दे पर चर्चा हो रही है? क्या हुआ महाराष्ट्र में? उपाध्यक्ष जी, मुझे इस बात का दुख है कि आज मुम्बई को बदनाम किया जा रहा है, महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। एक तरफ बोलते है कि महाराष्ट्र की परंपरा है, महात्मा फुले का महाराष्ट्र, अंबेडकर का महाराष्ट्र, शाहू जी महाराज का महाराष्ट्र, औद्योगिक राजधानी महाराष्ट्र, व्यापारिक केन्द्र महाराष्ट्र और उस महाराष्ट्र को आप सदन में बदनाम करते है यह कहकर कि महाराष्ट्र जल रहा है, महाराष्ट्र में अत्याचार हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था नहीं है, मुम्बई में कानून व्यवस्था नहीं है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : यह सच है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या सच है? क्या आज मुम्बई में कानून-व्यवस्था नहीं है? आज महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था नहीं है? आप क्या करने जा रहे हैं? केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप यह कह रहे हैं। शिवसेना-भाजपा की सरकार को हटाने के लिए कोई इल्जाम आप उन पर लगा नहीं सकते, सही कारोबार चल रहा था, इसलिये आप मुम्बई और महाराष्ट्र को बदनाम करने जा रहे है। शरद पवार जी ने अपने भाषण में शुरू में कहा कि मैं इस बात को मानता हूं कि जब से शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आयी है, उनके राज में मूर्तियों के अपमान की जितनी घटनाएं हुई हैं, उससे पहले उससे अधिक हुई। यह मानते हुए उन्होनें सदन के सामने इस बात को रखने की कोशिश की है कि जब कांग्रेस का राज था, तो ये शिवसेना-भाजपा वाले, ये विपक्ष वाले अंबेडकर की मूर्तियों का अपमान करते थे।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : आप ही कह रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा उन्होने सदन के सामने रखने की कोशिश की थी।...*(व्यवधान)* ऐसे उनके वाक्य थे। आप बाद में जवाब दीजिए। शरद पवार जी के रहते हुए और कांग्रेस के राज में रहते हुए इससे भी अधिक मूर्तियों के अपमान की घटनाएं हुई हैं। उस समय शरद पवार जी मुख्य मंत्री थे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इसके अंदर कितने शिवसैनिक पकड़े गए? एक भी शिवसैनिक इन मामलों में दोषी नहीं पाया गया। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि क्या ठाकरे जी को अंबेडकर का ही पुतला मिला? जब राज शिवसेना का है तो क्या जरूरत है हमें मूर्तियों का अपमान करने की और क्या जरूरत है हिन्दू-मुस्लिम या हिन्दू-दलित दंगे भड़काने की? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष जी, जो घटना वहां हुई, उसका समर्थन मैं नहीं करना चाहता। किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने भी समर्थन नहीं किया और हमारे शिवसेना प्रमुख ने भी समर्थन नहीं किया। जो घटना हुई 11 तारीख या 13 तारीख को, उसका समर्थन किसी ने नहीं किया है। जिस दिन यह घटना हुई, हम दिल्ली

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

में थे। जिसका भुजबल का जिक्र यहां किया गया दूरदर्शन पर उनका क्या बयान था? सुबह घटना हुई साढ़े छः-सात बजे और रात के दस बजे तक जी टीवी, स्टार टीवी और हर चैनल पर भुजबल का एक ही बयान था कि शिवसेना वालों के दिन जब बुरे आते हैं तो वे जातीय दंगे करते है। यह उनका बयान था। कौन से बुरे दिन आज शिवसेना के हैं? महाराष्ट्र में हमारा राज है। ये हमारे बुरे दिन हैं?

इस संसद के अंदर 15 एम॰पी॰ चुनकर आये, यह हमारे बुरे दिन है और यदि यह बुरे दिन हैं तो हमें मंजूर है, आप महाराष्ट्र में अच्छे दिन मे रहें। उनका यह बयान है कि यह सब शिवसेना ने करवाया। जब बुरे दिन आते है तब शिवसेना दंगा करवाती है। हमारे कौन से बुरे दिन थे। आज महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी में शिवसेना है। आज यहां पर 15 सांसद चुनकर आये हुए हैं और महाराष्ट्र से जो 15 विधायक चुनकर आये हैं उसमें से 26 विधायक दलित और पिछले वर्ग के है। आप अपने जवाब में जरा हिसाब लगाकर दे दें कि जो कांग्रेस के विधायक चुनकर आये हैं उनके अंदर कितने दलित और पिछड़े विधायक हैं। हमारे 26 विधायक है और जो 15 सांसद चुनकर आये हैं उसमें नौ सांसद दलित और पिछड़े वर्ग के है। आज इनके साथ दलित नहीं हैं, इनके साथ मुसलमान नहीं हैं, इनके साथ में बहुजन समाज नहीं है। श्री वेंकटस्वामी जी यहां पर भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक जमाना वह था कि चार बार मैं चुनाव लड़ने गया लेकिन मुझे कभी यह कहना नहीं पड़ा कि बस हम जो कहते थे उसे चुनकर देते थे। आज बच्चे होशियार हो गये हैं, आज दलित होशियार हो गये हैं और दलित भी सोचने लगे हैं, युवक भी पढ़ने लगे हैं। अब वे कहते हैं कि आपके कहने पर वोट नहीं देंगे। हम जिसे चाहते हैं उसे चुनेंगे। इसलिए यह हालत कांग्रेस की हुई है। इस प्रस्ताव के पीछे यह मानसिकता है कि इनके पीछे कोई दलित नहीं है। इनको पीछे कोई नहीं है। कोई समाज इनके पीछे नहीं है। यहां पर अलग-अलग आरोप लगाये जाते हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता। घटना महाराष्ट्र में हुई या किसी और राज्य में हुई, मैं उससे तुलना नहीं करना चाहता। लेकिन उस घटना को जो यहां पर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है उसकी मैं निंदा करना चाहता हूं। हम किसकी निंदा करते हैं, हम किस पर आरोप लगा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 11 तारीख को घटना हुई, 12 तारीख को मुम्बई बंद हुआ, 13 तारीख के बाद की एक घटना को छोड़कर महाराष्ट्र शांत हो गया। गुजरात में कितने दिन रहा। आज भी गुजरात शांत नही है। बिहार पर बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिहार का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, बिहार का उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं है। तमिलनाडु में क्या हुआ। वहां पर जातीयवाद कितने सालों से चल रहा है। एक भी सदस्य तमिलनाडु पर नहीं बोला। कितने डा॰ अम्बेडकर के पुतले तोड़े गये, उस पर जुबान क्यों नहीं खोली गई, तमिलनाडु के ऊपर क्यों नहीं बोला जा रहा है। क्यों तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करने मांग हो रहा है? किसी ने भी कोशिश नहीं की। जो हुआ वह घटना था, एक हादसा था, एक इंसीडेंट थी। सरकार ने उस पुलिस अफसर को गोली चलाने के आदेश नहीं दिये थे। पुलिस अफसर ने स्वयं जो निर्णय लिया था वह सही था या गलत था, वह समाज के सामने आयेगा। आज एक सिटिंग जज बैठे हुए हैं। मैं कोई उनका समर्थन नहीं करना चाहता, किसी ने भी समर्थन नहीं किया। 13 तारीख की घटना है। उपाध्यक्ष जी, मुझे आश्चर्य होता है कि संसद में पिछले सप्ताह नीतीश कुमार जी ने हमारे प्रधान मंत्री जी को उकसाया। उन्होंने उकसाया तो प्रधान मंत्री उनके ऊपर इस सदन के अंदर बरस पड़े। इस देश का प्रधान मंत्री उनके ऊपर बरस पड़ा, गरज पड़ा और हमारे विपक्ष के नेता पर एक आरोप लगाया कि आप धर्म के नाम पर देश को तोड़ने जा रहे हैं। थोडा उकसाने पर हमारे प्रधान मंत्री भी अपने को संतुलित नहीं रख पाये। आप आम जनता से कितनी अपेक्षा करते हैं। आप उकसाने जाओगे, आप अंगार लगाने जाओगे। आप आम जनता से कितनी अपेक्षा करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री अपने आपको संतुलित नहीं रख पाये, वह विपक्ष पर गरज पड़े कि आप धर्म के नाम पर देश तोड़ने जा रहे हैं।

श्री राम नाईक : कल तो अपनी पार्टी पर भी गरज पड़े।

श्री अनंत गंगाराम गीते : वह तो उनकी पार्टी का मामला है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, वह गरज पड़े या बरस पड़े...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति : किसी को इतना अधिक व्यवधान प्रधान मंत्री की बात में नहीं करना चाहिए। यह ठीक नहीं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : इसका मतलब यह है कि आप विपक्ष के नेता पर आरोप लगायेंगे कि आप देश को धर्म के नाम पर तोड़ रहे हैं। आप देश की जनता को कौन सा संदेश दे रहे है। वह अपने को संतुलित नहीं रख पाये। हम आपको उकसाने का काम करेंगे, हम अंगार लगाने का काम करेंगे, क्या हम मुम्बई और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम करेंगे। इससे क्या निकलेगा।

क्या उससे शांति पैदा होगी या आग लगने वाली है। इसलिए नेताओं को भी समझना चाहिए कोई विधान करने से पहले कि उसका क्या असर होने वाला है। मैं यहां किसी बात का समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन जब मैं यहां राजनीतिक दांवपेच देखता हूं तो मुझे दुख होता है। वैसे मैं राजनीति में नया हूं, यह मेरे राजनैतिक जीवन की शुरूआत है लेकिन जब बनातवाला साहब यहां हमारी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मुम्बई मे महंगाई और झोपड़-पट्टी के मामले में शिवसेना प्रमुख के साथ बनातवाला जी भी थे। हमारे भगवा झंडे के साथ उनका हरा झंडा भी था। वे उस वक्त हमारे साथ आए थे और उन्होंने उस नेतृत्व को

माना था। मैं पूछता हूं कि कौन सा कांग्रेस का नेता ऐसा है जो शिवसेना प्रमुख के पास नहीं गया? जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमैंट आया था तो मुम्बई बंद करवाने के लिए, वसंतदादा पाटिल उस उक्त शिवसेना प्रमुख के पास गए थे ...*(व्यवधान)* इंदिरा गांधी की हत्या के वक्त दिल्ली में हजारों सिक्खों को मार दिया गया, सिक्खों का कत्लेआम हुआ लेकिन मुम्बई में एक भी सिक्ख नही मारा गया – उसका श्रेय शिवसेना प्रमुख, बालासाहेब ठाकरे को जाता है। होम मिनिस्टर फिर क्यों उनके विश्वास को न मानें क्योकि शिवसेना प्रमुख की वजह से ही मुम्बई में एक भी सिक्ख नहीं मारा गया। मुम्बई में उनकी चलती है और वे सत्ताधारी दल के प्रमुख हैं, नेता हैं। मुम्बई की जनता उनके साथ है, महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है। जब गृह मंत्री की उनसे चर्चा हो चुकी है, वे उनसे मिल चुके हैं, फिर इन्हें आपत्ति क्यों हैं?

उपाध्यक्ष जी, इस हादसे के बाद, 12 तारीख को जब मुम्बई बंद का ऐलान हुआ, आपने अखबारों में उसकी तसवीरें देखी होंगी। छोटे-छोटे चार-चार, पांच-पांच या छः-छः साल के बच्चे हाथों मे पत्थर लेकर रोड़ पर खड़े थे और गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे थे। उसकी तसवीरें अखबारों मे आई है लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने पुलिस से कह दिया था कि उनके खिलाफ कुछ नहीं करना, बल्कि हमें सिर्फ संयम बरतना है। यदि वे बंद करते है तो उन्हें इसका अधिकार है हम उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे। उस हादसे मे जो 11 लोग मारे गए, उन्हे श्रद्धांजलि के रूप मे वह बंद था। पुलिस ने उस वक्त कोई कार्यवाही नहीं की। शिवसेना प्रमुख ने ऐलान किया था कि सभी शिव सैनिकों को शांत रहना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में आज भी कोई दलित दंगा नहीं हुआ है लेकिन यहां इस तरह से कहा जा रहा है जैसे वहां दंगे हो रहे हैं। उस हादसे की जांच हो रही है। विरोधी दल के नेता के घर पर जो हमला हुआ, उसकी भी जांच हो रही है तथा पुलिस अधिकारियों को सस्पैंड किया गया है। कार्यवाही शुरू हो चुकी है और उसके नतीजे आपके सामने आने वाले है फिर आपको क्या जल्दी पड़ी है कि धारा 356 के प्रयोग की आप मांग कर रहे है।

चव्हाण साहब ने उस पर अमैंडमैंट दी है जिसे हमारे स्पीकर साहब ने स्वीकार नहीं किया। शायद आप सत्ता मे आने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें ठुकराया है, महाराष्ट्र की जनता ने इन्हे स्वीकार नहीं किया और भविष्य मे भी स्वीकार नहीं करेगा। आज राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से कुछ लोग यहां बोल रहे है और महाराष्ट्र जैसे अच्छे राज्य मे धारा 356 लगाकर, वहां की सरकार को खत्म करके, खुद सरकार में आने के स्वप्न देख रहे हैं। इनके नेता महाराष्ट्र से बीड़ा उठाकर आए थे कि सरकार को बर्खास्त करके ही महाराष्ट्र मे आएंगे। अब वे महाराष्ट्र जा नहीं सकते। महाराष्ट्र उनके हाथ से गया और दिल्ली भी उनके हाथ से गई।

इसलिए सदन मे लाए गए प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। मुझे गृह मंत्री पर गर्व है।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : आप किस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते : जो प्रस्ताव नियम 184 के अंतर्गत इस सदन में लाया गया है, जिसके जरिए आप राज्य सरकार की निन्दा करना चाहते हैं, जिस पर आपने अमैंडमैट दी थी, चूंकि वह प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैंने उस प्रस्ताव को पढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के किस भाग में दलितो पर अत्याचार हो रहा है, जिस पर आप चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र मे कौन से दंगे हो रहे हैं? अभी जो हादसा हुआ, उसके संबंध मे जांच हो रही है, उसके अलावा कौन से अत्याचार हो रहे हैं?

आप राजनीति से प्रेरित होकर, महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग महाराष्ट्र के दलितों पर हुए गोलीकांड पर काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। सही मायने में दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 50 साल पूरे होने पर भी और इस उपलक्ष में हम लोग पूरे देश मे आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, लेकिन इस वर्ष मे भी हम देख रहे हैं कि देश के कई स्थानों पर दलित और पीड़ितो पर हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र में दलितों को गोली चलाकर मार दिया गया। यह किस कारण से हुआ वह मैं आपके ध्यान मे लाना चाहता हूं। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को कुछ लोगों ने अपमानित करने का काम किया जिसके कारण दलित समाज में आक्रोश उभरा। देश के संविधान निर्माता की मूर्ति का कुछ लोगों द्वारा अपमान किए जाने के कारण दलितों के मन में सम्मान जागा और स्वाभिमान ने जोर मारा और उसके चलते इस घटना का प्रतिरोध करने का काम किया, तो उन प्रतिरोध करने वालो दलितों को महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने गोलियों से भून दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भारत के निर्माता सिर्फ दलितों के ही नेता नहीं थे। जो काम उन्होंने किया है, उसको इस देश का नागरिक कभी भुला नहीं सकता है और संविधान के निर्माता की यदि मूर्ति का अपमान होता है, तो यह सही मायने में बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हमें इस घटना की जिस रूप में और जिस गंभीरता के साथ लोक सभा में चर्चा करनी चाहिए, उस रूप में और उस गंभीरता से भी हम यहां पर इस घटना की चर्चा नहीं कर रहे है, यह भी बड़े अफसोस की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई मे घाटकोपर एरिया में रमाबाई कालोनी मे जो गोलीकांड हुआ उसमें 13 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना के होने के बाद, सिर्फ यह घटना मुम्बई तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पास के राज्य गुजरात में भी इसका असर हुआ और गुजरात तथा मुम्बई में कुछ समय तक कर्फ्यू भी लगा रहा और लोग गिरफ्तार भी हुए।

[श्री सुकदेव पासवान]

अपराह्न 5.53 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

देश में क्या हो रहा है, इसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। शिव सेना और भा॰ज॰पा॰ के गठजोड़ से महोदय, 13 दिन सरकार रही, तो दिल्ली में विस्फोट हुए, महाराष्ट्र में विस्फोट हुए।. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, ये लोग बीच-बीच में बोलकर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि बिहार मे बम का विस्फोट नहीं हुआ। राम विलास पासवान जी के साथ जो घटना हुई उसकी हम निन्दा करते हैं। आपको भी निन्दा करनी चाहिए। महाराष्ट्र में दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं, जो गोलीकांड हुआ है, उसकी निन्दा करनी चाहिए और आप लोगों को सच्ची बात को बोलना चाहिए। सभी को सच्ची बात बोलनी चाहिए। चाहे फिर वह बी॰जे॰पी॰ हो या शिव सेना हो।

माननीय सभापति महोदय, जब-जब भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की सरकार बनी, चाहे फिर केन्द्र हो या प्रदेश हो, दंगे-फसाद होने का काम होता है। कई स्थानों पर विस्फोट हुए, दिल्ली मे भी विस्फोट हुए।

मात्र तेरह दिन के अंदर विस्फोट हुआ। देश के कई प्रांतो मे इस तरह की घटनायें होने का काम हुआ।

सभापति जी, महाराष्ट्र मे जो घटना हुई उसके संबंध में बी॰जे॰पी॰ के एक नेता ने कहा था कि यह शिवसेना का पागलपन है। मेरे पास पेपर की कटिंग है। इस बात के मेरे पास सबूत है। मै उस नेता को धन्यवाद देता हूं जिसने सही बात बताने का काम किया। देश के कई प्रांतो मे जो अत्याचार दलितो पर होता है, वह बहुत दुखद बात है। हम लोग अच्छी तरह से जानते है क्योंकि हम लोग दलित समाज से आते हैं। जब हम बचपन मे थे तब भी गांव मे छुआछूत की भावना थी, समाज के और उस इलाके मे छुआछूत की भावना उस वक्त भी थी और आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद वही भावना आज भी है। चाहे महाराष्ट्र हो या साउथ का इलाका हो या बिहार हो। बिहार में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी छुआछूत की भावना समाप्त नहीं हुई है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह अभी भी बरकरार है। इसलिए उसके चलते जब तक आप कमजोर वर्गों को, दलितों को, पिछड़ों को सही सम्मान नहीं दे पायेंगे तब तक हिन्दुस्तान मजबूत नहीं हो पायेगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उसके चलते कमजोर वर्गों को, दलितों को जो सम्मान नहीं देगें या उनकी जो उचित मांग है, वह मांग नहीं मानेंगे तब तक हिन्दुस्तान मजबूत नहीं हो सकता है। आज विदेशों में लोग जाते हैं तो वहां भी यही कहा जाता है कि हिन्दुस्तान मे अभी भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है। दलितों को जिस ढंग से शिक्षा मिलनी चाहिए उस ढंग से शिक्षा नहीं मिलती है। देश के कई प्रांतो मे इन पर आज भी अत्याचार होता है वह बहुत ही दुख की बात है। प्रतिमा का अपमान करने के लिए कुछ लोगों को उकसाया गया चाहे इस दल के लोग उकसाये गये या उस दल के लोग उकसाये गये, इस विषय मे उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाये उतनी ही कम है। इस संबंध में हमारे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री मुण्डे साहब ने कहा था कि प्रतिमा का अपमान करने वाले को सजा दिलाने के लिए मै विपक्ष से बातचीत करके एक अध्यादेश लागू करूंगा लेकिन अभी तक इस विषय में कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। इस गोलीकांड को इतने दिन हो गये लेकिन जो बात आगे बढ़नी चाहिए थी वह बात आगे नहीं बढ़ी। यह बहुत ही दुखद बात है।

माननीय अम्बेडकर साहब का सम्मान करने का दायित्व केवल दलितों पर ही नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के एक-एक नागरिक को स्वर्गीय बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर की सम्मान करना चाहिए ताकि देश में और विदेश में यह भाव उत्पन्न हो कि हिन्दुस्तान में उच्च जाति और दलित जाति में कोई भेदभाव नहीं है लेकिन छोटी सी मानसिकता या सोच के चलते अभी भी हिन्दुस्तान में अभी भी जातिवाद की समस्या पनप रही है। हम लोग सही मायने मे यह सोच ले कि सब एक हैं और हमेशा एक बनकर रहेंगे और सबका सम्मान करेंगे। दलित जो कि हजारों वर्षो से उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, उनके बारे मे भी गंभीरता से विचार करना चाहिए लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। यह बड़े दुख की बात है।

सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व जब महाराष्ट्र पर चर्चा हो रही थी तो हमारे श्री जी॰वेकटस्वामी, जो कि बहुत अनुभवी सदस्य है, वे यहां पर श्री अरूण शौरी साहब की किताब लाये। उन्होनें श्री अम्बेडकर साहब के बारे में जो अनाप-शनाप बातें कहीं थी उसको सदन के सामने उन्होने उठाया और बाहर उसे जलाने का काम किया।

अपराह्न 6.00 बजे

अभी तक मुझे पता नहीं है कि लोगों की मानसिकता क्या है और उसमें कब बदलाव आएगा। बड़े-बड़े विद्धानो का नाम हिन्दुस्तान मे ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग जानते हैं। डा॰ अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, उनके विषय में गलत बातें बोलकर देश मे इस तरह का वातावरण पैदा करने का काम किया जाता है जिससे दलित, कमजोर लोगों को कष्ट होता है। यह बहुत ही दुखद बात है। इस पर सभी को सोचना चाहिए। डा॰ अम्बेडकर के विषय में अनाप-शनाप बातें कहकर देश को कमजोर करने का काम नहीं करना चाहिए।

दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हुआ है, यह बहुत ही दुखद बात है। सभी दल के नेताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस तरह के अत्याचार, अनाचार, दुराचार को खत्म करने के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में देश के किसी भूभाग मे इस तरह की घटनाएं न हों। जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनेगा तब तक जो महाराष्ट्र में हुआ, वह कहीं और भी होगा। मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं, इस विषय में सभी

नेताओं से मिलकर विचार करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता और कई नेता हैं, एक सर्वदलीय समिति बनाकर इस पर विचार करना चाहिए कि देश के किसी भी भूभाग में कमजोर और अन्य लोगों पर अत्याचार न हो।

पूरा सदन जानता है कि दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को जितनी शिक्षा दी जानी चाहिए, उतनी नहीं दी जा रही है। दलितों के विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए पहली कक्षा से लेकर बी॰ए॰ तक सरकार को खर्च वहन करना चाहिए क्योंकि जब तक वह पढ़ाई नहीं करेगा, लोग उसे छुआछूत मानेंगे।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि दलित और कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार, अनाचार, गोलीकांड रोकने के लिए आवश्यक कानून बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसा दुबारा न हो। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब गृह मंत्री हस्तक्षेप करेंगे।

अपराह्न 6.04 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस पूरी बहस के दौरान मैं सदन में उपस्थित नहीं हो सका और माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट किए गए मूल्यवान विचारों को नहीं सुन सका। मुझे समान रूप से दूसरी सभा में भी कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। परन्तु अपने सहयोगियों की मदद से मुख्य विचारों को मैंने समझ लिया है।

जब यह बहस शुरू हुई और जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तो इसका उद्देश्य भी यही था और प्रस्ताव पेश करने वाले की मंशा भी यही थी कि मुम्बई में इन दो दिनों के दौरान हुई घटनाओं पर पूरे देश का ध्यान केन्द्रित हो सके।

दो घटनाएं-और मेरे विचारानुसार दो संगीन अपराध किए गए। इसमें एक का सम्बन्ध घाटकोपर में दस लोगों को, जिसमें से अधिकतर दलित वर्ग के थे, गोली मारने से है। दूसरी घटना का सम्बन्ध महाराष्ट्र विधान सभा में, सदन में विपक्ष के नेता पर हुए हमले से है। इन दोनों घटनाओं से पूरे देश में सनसनी सी फैल गई है और यह सही भी है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये दोनों अपराध बहुत संगीन किस्म के हैं जो एक वर्ग द्वारा तथा पुलिस देश के नागरिकों पर किए गए हैं।

और अब जब यह बहस जारी है तो इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है और अब व्यावहारिक रूप से यदि कोई सदस्यों के विचार सुने तो यह बहस मुख्यतया दलितों की नियति, पिछड़ी जातियों की नियति पर आ गई है और हर कोई स्वाभाविक रूप से दलितों की इन सब वर्षों के दौरान बनी दयनीय स्थिति पर अपने दुःख का इजहार कर रहा है। महोदय, एक तरह से तो यह अच्छा ही है कि इस बहस ने यह रूप धारण कर लिया है क्योंकि देश की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ में अब केवल दस दिनों का समय ही बचा है। दस दिनों तक पूरा देश एक ऐतिहासिक अवसर मना रहा होगा - देश की स्वतन्त्रता की पचासवीं वर्षगांठ। बेशक यह हमारे लिए गर्व का दिन है। यह हमारे लिए खुशी मनाने, गर्व करने का विषय है कि हमारे. गणतन्त्र ने पचास वर्ष पूरे किए है और कुछ निराशावादी लोगों के निराशापूर्ण बातें पूरी नहीं हुई विशेषकर कुछ विदेशी प्रेक्षकों की जो हमेशा यही भविष्यवाणी करते रहते थे कि भारत खण्डित हो जाएगा और एक एकल राष्ट्र के रूप में जुड़ा नहीं रह सकेगा।

महोदय शायद कि जिस समय अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तो आपको याद होगा ब्रिटेन के हाउस आफ कामन में उन्होनें कहा था "अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमें भारत छोड़कर अपने देश जाना पड़ेगा, दुर्भाग्य से। परन्तु मेरी बात याद रखिए कि जिस क्षण ब्रिटेन भारत छोड़ देगा यह भारतीय, यह हिन्दु, यह मुसलमान और अन्य लोग एक दूसरे का गला काट देंगे, एक दूसरे को मार देंगे, काट देंगे, यह देश टुकड़े-2 हो जायेगा और भारतीय राष्ट्र के रूप में कुछ नहीं बचेगा।"

पचास वर्ष पूर्व बहुत से लोगों ने तथा बहुत से पश्चिमी प्रेक्षकों ने ऐसी बातें कही। एक भारतीय के रूप में मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इस सबके बावजूद, हमारे देश की छवि के साथ जुड़े हुए कुछ कलंकों - यथा दलितों की स्थिति और उसके उस पिछड़ेपन के बावजूद - जिसकी हम बात कर रहे थे, हम गर्व से अपना सिर उठा कर सारे विश्व के सामने यह कह सकते हैं हम एक गणतन्त्र के रूप में विगत पचास वर्षों के दौरान स्वतन्त्र रूप से खड़े हैं, खुशहाल हुए हैं, सशक्त हुए हैं और बड़ी उपलब्धियों और विजयों की और अग्रसर है।

इस रूप में तो यह अच्छा ही है। यह केवल आनन्द मनाने का ही विषय नहीं, केवल गर्व और हर्ष का ही विषय नहीं, अपितु आत्मनिरीक्षण करने अपनी आत्मा में झांकने का भी अवसर है जहां कहीं हम असफल हुए हैं, उस पर भी विचार करने का यह अवसर है यह देखने का था कि कितना लम्बा सफर अभी और हमें तय करना है, हमने 1947 में जो वायदे किए थे, जो वचन दिए थे और जो प्रतिज्ञाएं की थी - वह कितनी अभी पूरी नहीं हुई और उन्हें फिर दोहराना हैं।

मेरे विचार से इस वर्ष 14 और 15 अगस्त की रात्रि को हमें स्मरण कराया गया कि हम अपने इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आवास-समस्या, अशिक्षा या अपने लाखों लोगों की समस्याओं से निपटने का लक्ष्य कैसे पूरा कर रहे हैं। इससे हमें एक संजीदा विचार आता है कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष केवल आनन्दपूर्वक समारोह मनाने के लिए नहीं है जबकि वास्तव में हम इनमें गर्व के साथ भाग लेते हैं लेकिन हम सभी लोगों को यह मानना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें यहां भेजा है वे लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं—मैं तो यही कहूंगा कि हमारे लोगों का एक बड़ा वर्ग अत्यधिक समस्याओं का सामना कर रहा है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

जैसाकि मैं कह चुका हूं कि मैं सम्पूर्ण प्रश्न का उत्तर विस्तृत रूप में नहीं देना चाहूंगा क्योंकि इस प्रस्ताव और चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था। जहां तक मैं समझता हूं, जैसाकि मैंने कहा भी है कि मुम्बई की घटनाओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिए था। मैं इन दो घटनाओं के बारे में संक्षेप में कहना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुझसे शीघ्रतातिशीघ्र मुम्बई जाने और वास्तव में क्या हुआ इसकी तुरन्त रिपार्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है इसलिए मैंने वापस आकर दूसरे सदन को पहले ही बता दिया है। मैंने इस सदन को भी अवगत करा दिया है। मेरे विचार से इसकी पुनरावृत्ति होगी क्योंकि गोलाबारी घटना को जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग की नियुक्ति कर दी गई है। जहां तक पुलिस का संबंध है तो उसका उत्तरदायित्व यह है कि वह यह पता लगाये कि इस विशेष सुबह को दलित कालोनी में क्या हुआ जिसके तथ्यों को न्यायिक जांच आयोग को सारे देश के सामने लाना है। इस समय जांच आयोग के बारे में पहले से बताना उचित नहीं समझता न तो मैं और न ही यह सदन एक समानान्तर जांच आयोग है। हां, हम अपने विचार अवश्य व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अन्तिम निर्णय न्यायिक जांच आयोग के पास निहित और हमें उसकी प्रतीक्षा है।

पुलिस कार्यवाही के संबंध में एक या दो शर्तें हैं जिन्हें मैं फिर दोहराता हूं और जिनके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। जब मैं वहां गया, मैं कई लोगों से मिला और उनसे बातें की। जैसाकि आप लोग जानते हैं कि घटना प्रातःकाल 6.00 बजे या 6.30 बजे घटी। लोग जो वहां रहते हैं वे अधिकांश गरीब लोग हैं जो कहीं भी या शहर में कार्य करते हैं। वे घर से निकलकर अपने कार्य-स्थल की ओर जा रहे थे और उनमें से अधिकांश लोगों को उस कोने से होकर जाना पड़ता है, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। यह उस समय हुआ जब उन लोगों ने अपवित्र की गई मूर्ति देखी। यह स्वाभाविक भी था कि लोग मूर्ति के सामने एकत्र हो गये और उन्होंने अपना क्रोध, प्रदर्शन, क्षोभ और वह अपमान जो उन्होंने अनुभव किया, व्यक्त किया।

इसके परिणामस्वरूप जो गोलाबारी हुई मैं उस मुद्दे पर आता हूं। लेकिन अभी तक, यहां तक कि पुलिस ने भी इसके बारे में नहीं बताया और मैंने मुम्बई में पुलिस आयुक्त, मुख्य सचिव, राज्य के गृह मंत्री, पुलिस महानिरीक्षक से बात की लेकिन किसी एक ने भी यह दावा या आरोप नहीं लगाया कि उस भीड़ में से कोई भी हिंसक हुआ हो अथवा हिंसा की हो अथवा पत्थर अथवा कुछ और पुलिस के ऊपर फेंका अथवा किसी घर में आग लगाने अथवा इस प्रकार की कोई अन्य कार्यवाही की हो।

इसकी एक कहानी है, मुझे मालूम है कि पास में कुछ टैंकर कुछ तेल टैंकर खड़े थे। वास्तव में, पुलिस इसलिए वहां भेजी गई थी कि यदि कोई भी व्यक्ति इन टैंकरों में आग लगाने का प्रयास करता हैं तो विनाश और बड़े भारी अग्निकांड होने के खतरा था जिससे हजारों व्यक्तियों के प्राण जाने की आशंका थी और इसलिए पुलिस वालों ने हस्तक्षेप किया। इन टैंकरों के बारे में न्यायिक आयोग को संतुष्ट हो जाने दीजिए। लोगों ने मुझसे जो कहा वह सही है या नहीं, मैं यह नहीं कह सकता कि सड़क के किनारे जो टैंकर खड़े थे उनमें पेट्रोलियम उत्पाद नहीं था और वे खाली थे। वह स्थान जहां टैंकरों में पेट्रोलियम उत्पाद भरा जाता है घटना स्थल से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है। पुणे को जाने वाला ईस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग साथ में है। ये टैंकर वहीं थे। पुलिस ने अपनी कार्यवाही के यौचित्य में कहा कि उनके मतानुसार जो टैंकर खड़े हुए थे पेट्रोलियम उत्पादों एल॰पी॰जी॰ से भरे हुए थे। इसलिए यह आशंका थी कि इन टैंकरों में कोई भी आग लगा सकता था और उस स्थिति में बहुत ही भंयकर घटना होती। लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना नहीं है। यह पुलिस का कहना है और यह न्यायिक जांच आयोग पर निर्भर है कि वह सत्यता का पता लगायें।

लेकिन इसमें एक सच्चाई यह कि जो लोग घरों से निकलकर अपने काम पर जा रहे थे वे अचानक गोलाबारी से आश्चर्य में पड़ गये। मैं मानचित्र की सहायता के बिना नहीं समझा सकता हूं। इससे आपको भी समझने में आसानी रहेगी कि मूर्ति कहां हैं? लोग किस ओर से आ रहे थे कालोनी से निकलकर उन्हें किस दिशा में जाना है और किस ओर गोलाबारी की घटना हुई। यदि आप मानचित्र देखे तो आपको पता चलेगा। कि इन में से बहुत से अभागे लोगों की यह मालूम नहीं था कि बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस बल बिना किसी चेतावनी के गोलाबारी शुरू कर देगा। मैंने यह जानने का प्रयास किया कि गोलाबारी करने का आदेश किसने दिया। लेकिन मैं नहीं जान सका क्योंकि जिससे जानकारी मिली पता लगा कि वह श्री कदम नामक पुलिस निरीक्षक था। और वहां अन्य कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नहीं था।

महोदय, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक पुलिस नियम पुस्तिका है। एक मुद्रित नियम पुस्तिका है जिसका प्रयोग सारे देश में किया जाता है। नियम पुस्तिका में भीड़ को तितर-बितर करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टरूप से लिखा है। हमारा उद्देश्य यह होता है कि जो भीड़ एकत्र हो रही थी उसे कैसे तितर-बितर किया जाय और पुलिस देश के कई अन्य भागों में भी भीड़ को तितर-बितर करने से संबंधित समस्या का सामना कर रही है। नियम पुस्तिका में बताया गया है कि सर्वप्रथम हवाई फायर किया जाय। पुलिस प्रभारी भीड़ को चेतावनी स्वरूप हवाई फायर करने चाहिए जो यह प्रदर्शित करता है कि अच्छा है कि तितर-बितर हो जाओं, अन्यथा कुछ गम्भीर घटना घट सकती है।

इसके बाद, यदि भीड़ तितर-बितर नहीं होती है, तो एक दूसरा हवाई फायर किया जा सकता है। साधारणतया यह समझा जाता है कि इस समय तक लोग तितर-बितर होना शुरू हो जाएंगे। यदि वे तितर-बितर नहीं होते हैं अथवा वे हिंसक हो जाते हैं या उसी प्रकार जैसी कोई कार्यवाही करते हैं तो वास्तव में कभी-कभी पुलिस को

गोलाबारी करनी पड़ती है। गोलाबारी का सहारा लेने से पहले कुछ और भी उपाय हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। आजकल तो कई ऐसे उपाय हैं जिनसे भीड़ तितर-बितर हो सकती हैं ये है—आंसू गैस का प्रयोग, लाठी से प्रहार करना या पानी की बौशार का प्रयोग करना। पहला रास्ता यह नहीं है कि वे लोग जिनके पास कोई रक्षा के उपाय नहीं है उन पर गोलाबारी शुरू कर दे। लेकिन इस विशेष मामले में मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर कोई विरोधाभास नहीं होगा कि मुम्बई पुलिस ने गोलाबारी की सहायता लेने के अतिरिक्त और किसी दूसरे उपाय का प्रयोग नहीं किया और यह भी अंधाधुंध और बिना सोची समझी गोलाबारी थी। यही कारण है कि मैं इसे एक अपराध कह रहा हूं और इसी कारण मैं इस बात से सहमत हूं कि जो पुलिस वाले इसके लिए उत्तरदायी हैं और अपराधी हैं उनका पता लगाया जाय, पहचान की जाय और उन्हें कठोर दण्ड दिया जाय। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।

मैं अस्पताल भी गया और गोलाबारी में घायल हुए लोगों को देखा और इससे यह पता लगा कि उनमें से अधिकांश, सभी नहीं, को कमर से ऊपर—या तो पीठ पर या सिर पर या सीने पर और इसी प्रकार से गोलियों के घाव थे। जैसाकि हम जानते हैं कि ये गोलियां लोगों को मारने के लिए बनाई गई हैं। यह बताया गया है कि यदि आपको गोलाबारी करनी ही पड़े तो लोगों के पैर आदि भागों पर करो न कि लोगों के शरीर के संवेदनशील अंगों पर। अस्पताल में बड़ी भारी संख्या में लोग थे जिन्हें कमर से ऊपर गोली लगने के कारण घाव थे। मैं नहीं जानता हूं और मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूं कि दलित बहुल कॉलोनी होने के कारण किसी ने ऐसा आदेश दिया होगा। और इसलिए जब पुलिस ने गोलाबारी की तो उन्होंने लोगों को जान से मारने के लिए गोलाबारी की क्योंकि वे दलित हैं उनका संहार अवश्य हो। यदि किसी ने ऐसा किया है और इसका पता लग जाता है तो इसका अर्थ है कि यह सुनियोजित हत्या है और इस हत्या का दण्ड उसे दिया जाय। लेकिन देश के कई भागों में पुलिस द्वारा उन लोगों की भी सुनियोजित हत्या की जा रही है जो दलित नहीं है। जो दलित नहीं है उनको भी पुलिस द्वारा सरेआम गोलियों से भूना जा रहा है। मुझे उन सब क्षेत्रों तथा राज्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जहां दुर्भाग्यवश ऐसी दुखद घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। वे सब दलित नहीं हैं अथवा पिछड़े समुदाय के लोग नहीं हैं जो कि हमेशा मारे जाते हैं।

पुलिस इस तरह से कार्य करती है कि पूरी पुलिस प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से उच्च स्तर पर जांच की जानी चाहिए। मेरी राय में यह आवश्यक है। फिर भी यह एक दूसरा विषय है, जिसके बारे में मैं अभी उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

यह बात तो गोलाबारी के संबंध में हुई। उसके पश्चात भुजबल के घर पर आक्रमण हुआ। श्री भुजबल एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, जिनको सब पसंद करें। यह व्यक्तिगत पसंदगी अथवा नापसंदगी का प्रश्न नहीं है। यदि श्री भुजबल, कभी सब्जी बेचते थे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है।

[हिन्दी]

सब्जी बेचना कोई पाप है क्या? पाप का काम है? अन्याय का काम है?

[अनुवाद]

प्रश्न यह नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बातें क्यों सामने लाई जा रही है कि कोई सब्जी बेचता था और अब उन्होंने उनको नेता बना दिया है। ठीक है, हमारे देश में यदि हम गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों, दलितों इत्यादि का पक्ष लेते हैं तो एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है। क्यों नहीं? इसमें क्या गलत बात है? प्रश्न यह नहीं है।

सरकारी रूप से, श्री भुजबल परिषद् में विपक्ष के नेता के पद पर हैं और हमें उस दृष्टि से देखना है। मैं अनेक लोगों तथा विभिन्न दलों से आए प्रतिनिधिमंडलों से मिला जिसमें भा॰ज॰पा॰ भी शामिल है। उन सब ने कहा कि यदि विधान परिषद में विपक्ष के नेता से इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो एक आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है, वह कैसे जिंदा रहेगा, उसकी सुरक्षा तथा बचाव का क्या प्रबंध है? मैं चाहूंगा कि भा॰ज॰पा॰ तथा शिवसेना के हमारे मित्र जो कि संयुक्त रूप से महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, इस प्रश्न पर विचार करें कि इस बारे में साधारण नागरिकों की क्या प्रतिक्रिया है।

मैं श्री भुजबल के घर गया और वास्तव में वह बहुत बुरी स्थिति में था। बहुत बुरी तरह से तोड़-फोड़ की गई थी। यह लोग उस जगह इकट्ठे हुए जो कि मंत्रालय में बिल्कुल सामने हैं और रविवार को वहां कड़ी सुरक्षा रहती है। रविवार को वहां कोई नहीं जाता है। यह एक वीरान क्षेत्र है। सामान्यतः भी, उस क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से मोपेड के प्रवेश की पुलिस द्वारा जांच की जाती है लेकिन उस दिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वहां लोगों का झुंड एकत्रित हुआ और उनके घर पर हमला किया तथा उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। श्री भुजबल के अनुसार वे उनको ढूंढ रहे थे और वे अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। वे उनको पकड़ नहीं पाए। उनके अनुसार उन्हें पहले कुछ संकेत मिल गए थे। उन्हें किसी से कुछ संकेत अथवा चेतावनी मिल गई थी कि कल सुबह उनके घर पर हमला हो सकता है। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया और उस शाम, हमले से पहले काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल उनके घर भेजा गया। और उनकी ड्यूटी वहां लगाई गई। वहां एक सहायक उपनिरीक्षक था, एक उप निरीक्षक था, अनेक सिपाही थे, महिला सिपाही थी और कुल मिलाकर वहां उनकी सुरक्षा के लिए 40 से 50 लोग तैनात थे। लेकिन यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जब अगले दिन यह हमला हुआ तो पुलिस ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की अथवा नहीं कर सकी अथवा नहीं कर पायी। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है। निश्चय ही, दो अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। लेकिन मेरे विचार में मामले को वही नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे बताया गया था कि हमलावरों के प्रति पुलिस का रवैया उन्हें घर में घुसने से रोकने अथवा उस तरह से रोकने का नहीं

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

था बल्कि वे हाथ जोड़ रहे थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि "कृपया यहां से दूर चले जाओ ओर ऐसा मत करो" आदि। इससे श्री भुजबल का घर बच नहीं सका। अब यह सत्य है जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ समय पहले श्री भुजबल शिव सेना से संबद्ध थे। उन्होंने मुझे भी दो पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने यह माना है कि "हां, मैं शिव सेना में था।" उनके अनुसार जब शिव सेना मंडल आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के विरूद्ध ये गई तो उन्होंने शिव सेना छोड़ दी थी। उनके अनुसार, पिछड़े वर्ग के सदस्य के रूप में जो कि पूरे मंडल आयोग की सिफारिशों तथा रिपोर्ट का समर्थन कर रहा था, वह मंडल आयोग के प्रति शिव सेना छोड़ने का निर्णय लिया।" तत्पश्चात् या कुछ समय बाद मैं नहीं जानता, वे धीरे-धीरे कांग्रेस दल में चले गए और परिषद् में उनके नेता बन गए।

लेकिन मेरा एकमात्र प्रश्न यह है कि यदि आज शिवसेना अपने अनुयायियों की संख्या को बढ़ाना चाहती है, अपने **सैनिकों** की संख्या में वृद्धि करना चाहती है जो कि अन्य हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हो सकें तो इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब सबसे पहले शिवसेना का उद्भव मुम्बई में हुआ था तो उस समय भी वह मुख्यतः गैर मराठियों के विरूद्ध प्रचार अथवा आन्दोलन के आधार पर ही वहां टिक पाए थे। मैं इस बात से सहमत नहीं होता जब लोग कहते हैं कि आज भी शिव-सेना मुम्बई में गैर मराठा लोगों में आतंकवाद फैला रही है अथवा हमला कर रही है अथवा अभियोग चला रही है। मेरे विचार में उन्होंने इन वर्षों में सबक सीख लिया है। लेकिन आरम्भ में, यह दक्षिण के लोग थे, जिन्हें **लुंगीवाले** कहा जाता था और अन्य जिन्हें शिवसेना द्वारा हमला करने के लिए अलग-अलग कर दिया गया था।

उन पर हर प्रकार की धमकियां दी गईं, भयभीत किया गया और यहां तक कि उन पर हमला भी किया गया। यदि यही आदर्शवाद है, यदि यही नीति है जो कि वे अपना रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आज वे सब फरिश्ते बन गए हैं। आप देखते हैं कि इन चीजों को लोप इस तरह नहीं होता। यह उनकी मनःस्थिति बन जाती है यह एकमात्र विचार कि उन्हें कुछ अल्पसंख्यक लोगों का विरोध करना है, जो अन्य समुदाय के लोग हैं जो महाराष्ट्र अथवा मुम्बई से संबद्ध नहीं हैं, वे या तो अल्पसंख्यक लोग है अथवा ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे वह **दलित** हों अथवा मुस्लिम हों अथवा चाहे वह लुंगीवाले हों। मुझे याद आ रहा है कि शिवसेना के इस तरह के आन्दोलन से मुम्बई में आतंक फैल गया था। यदि उन्होंने आज उसे छोड़ दिया है तो मुझे बहुत खुशी है।

कुछ सदस्य यहां कह रहे थे कि मुम्बई में आज भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि आज भी वे वही नारे लगा रहे हैं या वही तरीके अपना रहे हैं जो वे कुछ वर्ष पूर्व अपना रहे थे। लेकिन, फिर भी सत्य यही है कि श्री भुजबल शिवसेना के काफी प्रमुख सदस्य थे। मुझे कोई शंका नहीं है जैसा कि मुझे एक चीज के बारे में बताया गया था। उन्होंने कहा "मैं विपक्ष का नेता हूं।

[हिन्दी]

मेरा काम है जनता की मांगों को उठाना। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं सरकार की नुक्ता चीनी करूं। मैं सरकार के ऊपर अपनी बातों को लेकर हमला करूं। यही तो मेरा काम है। मैं लीडर हूं और कौंसिल के अंदर मुझे ये सब बातें बोलनी पड़ती है।

[अनुवाद]

इसलिए, उनके अनुसार भी, शिव सेना के लोग बहुत नाराज और क्रोधित थे। क्योंकि अन्ततः एक समय कोई आपके साथ था, और फिर अलग हो जाता है और आपके विरूद्ध हो जाता है। सामान्यतः, जब यह लोग उनके घर में घुसे वे भी चिल्ला रहे थे : गद्दार, "गद्दार।" वे **"गद्दार"** क्यों कह रहे थे?

महोदय, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि **"गद्दार"** शब्द का कुछ अर्थ है। इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करना चाहिए।

हम हमेशा बहुत गर्व से अपनी संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली के बारे में बात करते हैं। यह सच है। हम सब को इस पर गर्व है। हम सब इससे संबद्ध हैं। लेकिन संसदीय लोकतन्त्र चल नहीं सकता यदि निर्वाचित सभाओं में विपक्ष के नेता ऐसी कुछ बातें कहते हैं जो आपको अच्छी न लगें...*(व्यवधान)* इसलिए, यदि आप उन पर शारीरिक हमला करें और उनको सबक सिखाने के लिए उनके घर को तोड़ें तो इस बात को सहन नहीं किया जा सकता ओर इसे सहन नहीं करना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि आप श्री भुजबल को पसंद करते हैं, अथवा आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज वे परिषद् में विपक्ष के नेता है। कल, उसकी जगह कोई और भी हो सकता है। अगले दिन, वहां कोई और भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण और इस प्रकार का व्यवहार अच्छा नहीं है।

तब मुझे यह अवश्य कहना चाहिये, चूंकि मैं उसी मुद्दे पर पहले ही आ चुका हूं कि शिवसेना के प्रमुख श्री बाल ठाकरे जी ने मुझसे भेंट की थी। उन्होंने मुझसे मिलने के लिये कहा था। उन्होंने संदेश भिजवाया था कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं। इस संबंध में मैंने कोई पहल नहीं की थी और न ही मैं उनके पास गया था बल्कि वह ही मुझसे मिलने आये थे। मैं उनसे मिलकर प्रसन्न था। मैंने कहा "आप अवश्य आ सकते हैं।" कुछ लोग इस बात से गुस्से में हैं। उन्होंने कहा : "आप उनसे क्यों मिलेंगे? यह जानते हुए भी कि वे किस तरह के काम करते रहे हैं, शिव सैनिकों के माध्यम से वे किस तरह भड़काने वाले काम करते रहे हैं तथा यह जानते हुए भी कि अपने पत्र "सामना" के माध्यम से वे बहुत सी अनर्गल बातें लिखते रहे हैं, आप

उनसे कैसे मिल सकते हैं? आप उससे क्यों मिलेंगे? वह हैं कौन? वह संवैधानिक संस्था से इतर हैं। सरकार के अंदर उनका कोई महत्व नहीं है। आप उनसे क्यों मिलेंगे। आप गृह मंत्री हैं। आप वहां गये। आपको केवल सरकार के लोगों से ही मिलना चाहिये।" यह तो तर्क का एक हिस्सा है। साथ ही यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र में सरकार का नियंत्रण किसी और के हाथों में है और वह व्यक्ति श्री ठाकरे के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। मैंने इस दूर-नियंत्रक से मिलने और उन्हें सुनने की सोची और मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगा। अतः वह आये। वह अपने भतीजे के साथ आये। वह अपने पुत्र के साथ आए। हमने कुछ देर बातें की। उन्होंने कहा "वह आपको आश्वासन देते हैं कि इस तरह की घटनाओं को दुबारा नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसकी निंदा की थी। उन्होंने कहा "मेरे लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने भुजबल जी पर हमला किया। वे सभी मेरे ही आदमी थे। और मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। यह एक शर्मनाक कृत्य है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिये। उन्हें जो भी दण्ड दिया जाए, उन्हें उसे भोगना ही चाहिये।" उनमें से 46 या 47 लोगों को बन्दी बनाया जा चुका है। मुझे यहां कहा गया, "आपने ऐसे व्यक्ति का आश्वासन कैसे स्वीकार किया?" मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने उनका आश्वासन स्वीकार कर लिया है। मैंने यह कभी नहीं कहा। अब यह तो भविष्य ही बतायेगा कि आश्वासन स्वीकार किया गया या नहीं किया गया। मैं सोचता हूं कि गृह मंत्री के रूप में मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ। यह कैसे संभव हुआ। वह इस तरह क़ि सबसे पहले तो सर्वोच्च प्रमुख ने मेरे समक्ष यह स्वीकार किया कि यह काम उन्हीं के लोगों ने किया है। दूसरे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्दों में इसकी निन्दा की। तीसरे, उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः उनसे मिलना मेरे पक्ष में ही रहा। अगर ऐसी घटना दुबारा होती है तो हम जानते हैं कि हमें किसे पकड़ना है। मैंने कहा भी था, "श्री ठाकरे भविष्य में क्या होता है, यह आप और आपके साथियों पर निर्भर करता है कि वे किस तरह का आचरण करते हैं। जिम्मेदारी अब आप पर है, हम पर नहीं। हम सतर्क रहेगें और देखेंगे कि आप किस प्रकार का आचरण करते हैं और सरकार या कम से कम केन्द्र सरकार इस मामले में क्या रूख अपनाती है, यह आप पर निर्भर करता है।"

ऐसा इसलिये था क्योंकि राजनैतिक कारणों से उस पक्ष के कुछ लोगों के मन में आशंकाएं थीं। उनका कहना था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जायेगा। इस संबंध में मेरी दाहिने ओर बैठे मेरे मित्रों की ओर से काफी दबाव था जो इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को तुरंत ही बर्खास्त कर देना चाहिये और अनुच्छेद 356 लागू करना चाहिये। किंतु हमारी सरकार इससे सहमत नहीं है क्योंकि हम सोचते हैं कि जो कुछ हुआ, उसकी बिल्कुल निंदनीय है और इसकी साफ और जोरदार शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिये। इस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके लिये आवश्यक रूप से किसी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाए। किंतु भविष्य में यदि इस तरह के गलत आचारण की पुनरावृत्ति होती है और मैं समझता हूं कि यह संदेश श्री ठाकरे और उनके मित्रों तक पहुंच गया होगा कि भविष्य में वे सावधान रहें अन्यथा यदि ऐसा दुबारा हुआ तो भारत सरकार कुछ भी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। तो संक्षेप में, यह सब हुआ।

एक बुद्धिमत्ता-युक्त प्रश्न है कि दलितों का आचरण कैसा है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जो मेरे वर्तमान क्षेत्र से हटकर है। मैं इस मुद्दे में नहीं जाना चाहता। भविष्य में फिर किसी अवसर पर इस पर अलग से वाद-विवाद किया जा सकता है। प्रतिमाओं को अपवित्र करने की बात करें तो मैं समझता हूं कि हमें इस समस्या के समाधान के लिये कोई न कोई उपाय सोचना ही होगा क्योंकि केवल महाराष्ट्र में ही कई हजार प्रतिमाएं होगीं। किसी ने उनकी गिनती नहीं की है। वहां छत्रपति शिवाजी, डा॰ अम्बेडकर, भगवान बुद्ध तथा और भी बहुत से व्यक्तियों की प्रतिमाएं हैं। यहां तक कि जब हमारा वाद-विवाद चल रहा था तो इंटैलिजेंस ब्यूरों के अधिकारियों द्वारा मुझे यह खबर मिली कि युद्धमल जिले में भी भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा की अपवित्र किया गया है। छत्रपति शिवाजी की बहुत सी प्रतिमाओं को पहले भी कई बार अपवित्र किया गया है और कौन जानता है बाबा साहेब अम्बेडकर की बहुत सी प्रतिमाओं को दुबारा अपवित्र कर दिया जाए क्योंकि इस तरह की बातों को भड़काया जा रहा है, इस संबंध में मुझे कोई शक नहीं है। दुर्भाग्यवश, हम अभी तक यह नहीं जान पाये हैं कि वह व्यक्ति कौन था जिसने चप्पलों अथवा जूतों का हार प्रतिमा के गले में डाला था। उसने जानबूझकर सोद्देश्य भड़काने वाला काम किया था। वह अच्छी तरह जानता था कि उस जगह को अपवित्र करने पर लोग क्रोधित होगें और किसी न किसी तरह की हिंसा में लिप्त होंगे या फिर किसी तरह की अव्यवस्था फैलायेगें जिससे उन्हें गोली मारना आसान रहेगा। कुछ हद तक मैं दलित समुदाय को यह श्रेय देना चाहूंगा कि वे इस भड़काऊ दुष्चेष्ता के शिकार नहीं बने।

हां वे क्रोधित अवश्य हुए थे और उनका क्रोधित होना वाजिब भी था किंतु जितना हुआ उससे कहीं अधिक रक्तपात भी हो सकता था। अतः इन प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिये सर्वोत्तम उपाय यही है कि विभिन्न दलों के संसदीय सदस्यों को लेकर एक छोटी सी समिति गठित की जाए। वे इक्ट्ठे बैठे और इस बारे में विचार करें। यह केवल महाराष्ट्र का ही मामला नहीं है। जहां कहीं भी प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाएं हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया ही जाना चाहिये। कल किसी वजह से मैं, महाराष्ट्र में साहू महाराज की पुरानी रियासत में गया था। मैं कल वहां गया और वहां बहुत से लोगों से मिला। साहू जी महाराज ने अपने समय में, यह सोचने की बात है कि उस पुराने समय में भी उन्होंने सरकार तथा अन्य रोजगारों में दलित, गरीब और पिछड़े लोगों के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का निर्देश दिया था। मैं यह नहीं जानता कि उन दिनों यह कार्यान्वित हो पाया था या नहीं किंतु ऐसा उनका निर्देश था, यह मुझे बताया गया था। वह वास्तव में दूरदर्शी और उदार हृदय वाले राजा थे और इसी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

वजह से हर जगह उनका सम्मान किया जाता है। वह उस समय देश के विभिन्न भागों में हुए महान समाज सुधारकों में से एक थे। इसलिये हमें इन सब व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिये। हमें उनकी स्मृतियों का आदर करना चाहिये। जहां कहीं भी उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएं तो भविष्य इन प्रतिमाओं या स्मारकों को अपवित्र होने से बचाने के लिये हमें हमारे संसद सदस्यों के संयुक्त विचार-विमर्श से कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करने होगें।

अतः इस विषय पर मुझे इतना ही कहना था। अब हम देखेगें कि इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है और इस जांच से क्या परिणाम सामने आते हैं। किंतु मैं जानता हूं कि यह सदन और इस देश की आम जनता तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि उन और कलाकृतिध्वंसक तत्वों को जिन्होंने मुम्बई में यह घृणित अपराध किया, हिरासत में लेकर कड़ी सजा नहीं दी जाती।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री शरद पवार। वह अनुपस्थित हैं।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : महोदय, श्री शरद पवार जी अपनी शल्य चिकित्सा कराने के कारण उपस्थित नहीं है। मैं नियम जानता हूं और मैं आपके निर्देश के अनुरूप ही कार्य करूंगा। यद्यपि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार है किंतु वर्तमान परिस्थितियों में, चूंकि इस प्रस्ताव का मैं सह-प्रस्तावक हूं अतः, आप कृपया मुझे उत्तर देने का अवसर प्रदान करें। इन विशेष परिस्थितियों में ही मैं ऐसा कह रहा हूं अन्यथा यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा। मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्षमा करें, केवल प्रस्तावक ही उत्तर दे सकता है।

अब मैं श्री शरद पवार जी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को सदन के मत के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किये गये अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.44 बजे

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य सूची की मद संख्या 9 — श्री पी॰ चिदम्बरम् द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा को लेंगे। श्री बसुदेव आचार्य, जो पहले बोल रहे थे, चर्चा जारी रखेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) **:** उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया सभा को स्थगित कर दीजिए मैं इस पर कल बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्) : महोदय, उन्हें आज ही समाप्त करने को कहें। अभी भी 15 मिनट का समय बचा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य अभी 15 मिनट का समय बाकी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, चर्चा समाप्त करने के लिए मुझे 40 मिनट का समय और लगेगा...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ चिदम्बरम् : हम विधेयक पर कल चर्चा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने कहा था कि पूरे विश्व की तुलना में हमारे देश में जीवन बीमा निगम का विकास सबसे अधिक हुआ है। अतः अन्य विकसित राष्ट्रों, औद्योगिक राष्ट्रों की बीमा कम्पनियों के मुकाबले हमारी जीवन बीमा निगम अक्षम नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाये रखे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री बसुदेव आचार्य : वर्ष 1990 में विकसित देशों का अंश इसमें 93.5 प्रतिशत था जो बढ़कर 96.3 प्रतिशत हो गया। 1990 में विकासशील देशों का यह अंश 6.5 प्रतिशत था जो घटकर 3.67 प्रतिशत रह गया। विकसित देशों और विकासशील देशों के अंश की यह स्थिति है। इसी प्रकार से विभिन्न महाद्वीपों में वर्ष 1990 और 1992 के दौरान कुल कारोबार से प्राप्त प्रीमियम आय 1990 में उत्तरी अमेरिका में 513.9 थी जो 1992 में बढ़कर 556.892 हो गयी 1 प्रतिशत के रूप में 1991 में 37.9 प्रतिशत थी जो 1992 में बढ़कर 38.9 प्रतिशत हो गयी, 1990 में यूरोप में यह 33.9 प्रतिशत थी जो 1992 में घटकर 31.31 प्रतिशत रह गयी।

इस विधेयक को लाने का मुख्य प्रयोजन बीमा क्षेत्र को, न केवल निजी क्षेत्रों के लिए अपितु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए भी खोला जाना है। इसकी क्या आवश्यकता है? यदि हम वर्ष 1956 जब जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर नजर डालें तो उस समय हमारे देश में क्या स्थिति थी? उस समय बीमा नियंत्रक हुआ करता था और उसके बावजूद 1956 के पूर्व 1938 के अधिनियम में बीस बार संशोधन किया जा चुका था। लेकिन हमने देखा है कि निजी कम्पनियों में क्या हो रहा था वहां कितना दिवालियापन था। यही कारण था कि सरकार ने 1956 में यह महसूस किया कि इन कम्पनियों का

ाष्ट्रीयकरण किया जाए और उसे सरकार के नियन्त्रणाधीन लाया ााए। इसलिए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के ःश्चात 1956 से कोई विनियामक प्राधिकरण नहीं रहा। इसके बावजूद ी जीवन बीमा निगम की प्रगति क्या रही है? यह प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की है।

भारत सरकार की इक्विटी क्या थी? 1956 में यह मात्र 5 करोड़ रुपए था।

जीवन बीमा उद्योग को राष्ट्रीयकरण के पीछे तीन मुख्य उद्देश्य थे। मैं सामान्य जीवन बीमा उद्योग, जिसका राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था, पर बाद में चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उस पर आज ही चर्चा करेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं उस पर कल चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी भी दस मिनट बचे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि आप चाहें तो अब आप सभा को स्थगित कर सकते हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्यगण थक चुके हैं।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : हमें व्यवधान के विरुद्ध भी कुछ करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : जीवन बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पीछे तीन मुख्य उद्देश्य थे? सबसे पहला उद्देश्य जीवन बीमा उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना था। जीवन बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था।

1956 से पूर्व, ग्रामीण कारोबार मात्र 10 प्रतिशत था; कभी-कभी तो यह इससे भी कम था। 1956 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कारोबार की जानबूझ कर उपेक्षा की गई क्योंकि वहां यह प्रभावी नहीं था। जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने और जीवन बीमा निगम का गठन करने के पश्चात् यह जीवन बीमा निगम के लिए संभव हो सका है कि वह अपने कारोबार की निश्चायक और योजनावद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में फैला रहा है। पिछले वर्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रतिशत का कारोबार किया गया। 1956 से पूर्व यह 10 प्रतिशत से कम था। इसका सबसे पहला उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कारोबार को अधिक से अधिक फैलाना था। यह उद्देश्य पूरा हो गया।

दूसरा उद्देश्य लोगों की बचत को राष्ट्रीय विकास में लगाना था। यह उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है। राष्ट्रीयकरण के तुरंत पूर्व अर्थात् 1957 में क्या स्थिति थी? लाभांश आय मात्र 88.65 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1994 में यह राशि बढ़कर 6959.91 करोड़ रुपए हो गयी। जीवन कोष 1957 में 410.40 करोड़ रुपए में बढ़कर 1992 में 34,691.39 करोड़ रुपए हो गया और चालू वर्ष में यह राशि बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए हो गयी है। अतः लोगों की बचत को राष्ट्रीय विकास में लगाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया क्योंकि इस राशि के अधिकांश भाग का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है।

तीसरा उद्देश्य पोलिसी धारकों को संतोषजनक सेवा तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना था। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस क्षेत्र में भी काफी सफलता प्राप्त की है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य उद्देश्य पोलिसी धारकों का वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करना हो यदि हम, प्रति एक हजार पौलिसी धारकों में से प्राप्त लोगों की शिकायतों पर गौर करें तो देखेंगे कि 1970 में यह 1.47 थी जो 1992 में घटकर 0.15 रह गयी।

दावों के निपटारे के मामले में इसकी प्रतिशतता 90 से अधिक है। अंतराष्ट्रीय दर्जे के हिसाब से भी यह सबसे अधिक है। इसके द्वारा निपटाये गए मामले विकसित देशों से भी काफी अधिक है।

अतः, जहां तक सेवा में कार्यकुशलता का संबंध है तो भारतीय जीवन बीमा निगम किसी भी बीमा कम्पनियों से कहीं अधिक कार्यकुशल है। आप विश्व के किसी भी विकसित और औद्योगिक राष्ट्र से भारतीय जीवन बीमा निगम की तुलना कर सकते हैं। हमें बताया गया है कि यदि हम बीमा क्षेत्र निजी क्षेत्रों के लिए खोलते हैं और उसमें स्पर्धा होती है तो इससे इसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

लगभग सभी विकसित देशों में बीमा उद्योग पर एकाधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी कम्पनियों के लिए मात्र पांच प्रतिशत बीमा कारोबार खुला है। ब्रिटेन में भी यही स्थिति है। यह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3,500 कम्पनियों में से मात्र 15 कम्पनियों का 50 प्रतिशत बीमा क्षेत्र पर नियन्त्रण है और ब्रिटेन में 1800 कम्पनियों में से मात्र 13 कम्पनियों का 80 प्रतिशत बीमा क्षेत्र पर नियन्त्रण है।

ये राष्ट्र वर्ष 1991 से, जब हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया था और विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश पर बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया था तब से, बीमा क्षेत्र को खोलने के लिए हमारे पर दवाब डाल रहे हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया है कि बैंकिग क्षेत्र में प्राप्त अनुभव से हमें कुछ सीखना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए अपने बैंकिग क्षेत्र को खोलने के बाद हमारा अनुभव क्या रहा है? एक संयुक्त संसदीय समिति ने प्रतिभूति घोटाला पर विस्तार से जांच की और उसमें हम ने देखा कि विदेशी कम्पनियां किस प्रकार से इस घोटाले के लिए जिम्मेवार है, जो 1991-92 में हमारे देश में घटा।

वह हमारा अनुभव है। यदि हम अपना वह अनुभव बीमा क्षेत्र पर लागू करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा इसकी क्या आवश्यकता है? हमें पता चला है कि इसके लिए आधारभूत विकास करने हेतु हमें 7,00,000 करोड़ अर्थात् दो बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, क्या आप और बोलना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं 15 मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप चर्चा कल जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 5 अगस्त, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.00 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मंगलवार, 5 अगस्त, 1997/14 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।